पर फेरने लगी और कहने लगी, मेरे अब्बा जान, "अलम यअ्नि लिल्ल ज़ी–न आमनू", अल आयत (सूरः हदीद, रूकूअ 2) क्या ईमान वालों (में से जो लोग गुनाहों में मुब्तला रहते हैं उन) के लिये इस बात का वक़्त अभी तक नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र के वास्ते और उस हक़ बात के वास्ते जो उन पर नाज़िल हुई है, झुक जायें।

उस की यह बात सुन कर मैं रोने लगा और मैं ने पूछा, क्या बेटी तुम सब क़ुरआन शरीफ़ को जानती हो? वह कहने लगी कि हम सब क़ुरआन शरीफ़ को तुम सबसे ज़्यादा जानते हैं, मैं ने पूछा बेटी यह सांप क्या बला थी जो मेरे पीछे लग गयी थी? उसने कहा कि यह आपके बुरे आमाल थे, आपने उसको अपने गुनाहों से इतना क़वी कर दिया था कि वह आपको अब जहन्नम में खींच कर डालने की फ़िक्र में था। मैं ने पूछा कि वह सफ़ेद पोश ज़ईफ़ बुज़ुर्ग कौन थे? कहने लगी वह आपके नेक अमल थे, जिन को आप ने इतना ज़ईफ़ (कमज़ोर) कर दिया कि वह इस सांप को आप से दफ़ा न कर सके (अलबत्ता इतनी मदद भी कर दी कि बचने का रास्ता बात दिया) मैं ने पूछा कि बेटी तुम इस पहाड़ में क्या करती हो? कहने लगी कि हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं, क़ियामत तक हम यहां रहेंगे, आप के आने के मुन्तज़िर हैं, जब आप सब आयेंगें तो हम सब सिफ़ारिश करेंगे। इसके बाद मेरी आंख खुल गयी तो उस सांप की दहशत मुझ पर सवार थी, मैं ने उठते ही अल्लाह जल्ल शानुहू के सामने तौबा की और अपने बुरे अफ़्आल को छोड़ दिया। *(रौज़)*

यह रिसाला अंदाज़े से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, शुरू में तो मुख़्तसर ही लिखने का ख़्याल था मगर बे इरादा तवील होता चला गया और अब इस दर्जे तक पहुँच गया कि इसके पढ़ने की उम्मीद भी कम हो चली है कि दीनी रिसालों के पढ़मे के लिये भी हम लोगों के पास वक़्त नहीं है, इस लिए दफ़अतन ख़त्म कर दिया। हक़ तआला शानुहू अपने लुत्फ़ व करम से इस नापाक को भी, जो हर वक़्त मआसी और दुनिया ही में ग़र्क़ रहता है, अपनी तरफ़ रूजूअ् की तौफ़ीक़ अता फ़रमाये और इस नापाक दुनिया से नफ़रत का ज़ायक़ा नसीब फ़रमा दे।

इस रिसाले की इब्तिदा शव्वाल 1366 हि॰ में हुई थी मगर दर्मियान में ऐसे अवारिज़ पेश आते रहे कि इख़्तिताम में देर ही लगती रही, अब भी इस में

बहुत सी चीज़ों के इज़ाफ़े का ख़्याल था, मगर इसके तवील हो जाने की वजह से आज 22 सफ़र, 1368 हि॰ शबे जुमा को ख़त्म ही कर दिया।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَآ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَتْبَاعِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ

"व आख़िरू द्अ़वाना अनिल् हम्दु लिल्लाहि रब्बिल् आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सैय्यिदिल् मुर्स-लीन् व अला आलि-ही व असहाबिही व अत्बा अिही अज्मअीन्-बिरह्मति-क या अर्ह-मर्रा हिमीन्॰"

मुहम्मद ज़करिया उफ़ि-य अन्हु कांधलवी

मुक़ीम, मदरसा मज़ाहिरे उलूम, सहारनपुर

फ़ज़ाइले हज

शैखुल हदीस हज़रत
मौलाना मुहम्मद ज़करिया (रह०)

www.idaraimpex.com

फज़ाइले हज

Fazail-e-Haj Hindi

लेखक: **शैखुल हदीस मौलवी मुहम्मद ज़करिया (रह०)**

9 788171 011148 00000

प्रकाशन : 2015

ISBN 81-7101-028-8

TP-366-15

Published by Mohammad Yunus for
IDARA IMPEX
D-80, Abul Fazal Enclave-I, Jamia Nagar
New Delhi-110 025 (India)
Tel.: +91-11-2695 6832 & 085888 33786
Fax: +91-11-6617 3545 Email: **sales@idara.in**
Online Store: **www.idarastore.com**

Retail Shop: **IDARA IMPEX**
Shop 6. Nizamia Complex. Gali Gadrian, Near Karim's Hotel
Hazrat Nizamuddin, New Delhi-110013 Tel.: 085888 44786

विषय सूची

फ़ज़ाइले हज

क्या? | कहां?

तम्हीद

पहली फ़स्ल हज की तर्ग़ीब में

दूसरी फ़स्ल हज न करने के वईद में

तीसरी फ़स्ल इस सफ़र में मशक़्क़त का तहम्मुल

चौथी फ़स्ल हज की हक़ीक़त में

पांचवीं फ़स्ल हज के आदाब में

छठी फ़स्ल मक्का मुकरमा और काबा के फ़ज़ाइल

क्या?	कहां?

सातवीं फ़स्ल उमरः के फ़ज़ाइल

आठवीं फ़स्ल ज़ियारते मदीना

नवीं फ़स्ल आदाबे ज़ियारत में

दसवीं फ़स्ल मदीना के फ़ज़ाइल में

फ़ज़ाइले हज

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ○
نَحۡمَدُهٗ وَنُصَلِّيۡ عَلٰى رَسُوۡلِهِ الۡكَرِيۡمِ
حَامِدًا وَّمُصَلِّيًا وَّمُسَلِّمًا

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
नह्म-दुहू व नुसल्ली अला रसूलि हिल करीम•
हामिदंव्-व मुसल्लियंव्-व मुसल्लिमा•

अम्मा बअ्द:- इस सियहकार के क़लम से तब्लीग़ी सिलसिले में पहले भी चंद रिसाले शाए हो चुके हैं और अल्लाह जल्ल शानुहू के फ़ज़्ल से उनके दीनी मुनाफ़े के मुताल्लिक़ अकाबिर और अह्बाब की तरफ़ से तह्रीरी और ज़बानी पयामात भी ख़िलाफ़े तवक़्क़ोअ् इतनी कसरत से पहुँचे, जो मूजिबे ताज्जुब हैं। अपनी ना अह्लियत की वजह से न उनसे इस क़दर नफ़ा की तवक़्क़ोअ् (उम्मीद) थी, न अपनी बद आमालियों और कम मायगी की वजह से वे इस क़ाबिल थे कि उनसे इतना नफ़ा मख़्लूक़ को पहुँचे, क्योंकि जो शख़्स ख़ुद आमिल न हो, उसकी तहरीर व तक़रीर से भी नफ़ा कम पहुँचता है।

मैं अब तक भी इन मनाफ़े को अपने चचा जान हज़रत मौलाना मौलवी मुहम्मद इलयास साहिब रह्मतुल्लाहि अलैहि (जो अपनी तब्लीग़ी मसाओ (कोशिशों) में, न सिर्फ़ हिन्दुस्तान के हर गोशे में, बल्कि बैरूने हिन्द में भी बहुत मशहूर हैं) की तवज्जोह का असर समझता रहा और समझता हूँ। इसी वजह से उन के विसाल के बाद से जिसको चार साल से ज़्यादा अर्सा (समय) गुज़र गया, यह सिलसिला बन्द कर दिया था, हालांकि हज़रत मौसूफ़ रह• ने अपनी हयात के आख़िरी अय्याम में दो रिसालों की ब-इसरार फ़रमाईश की थी –

अव्वलन तिजारत और कमाई के फ़ज़ाइल में एक रिसाले का हुक्म फ़रमाया था, जिसका फ़ौरी तौर पर एक इज्माली नक़्शा भी उसी बीमारी की शिद्दत में लिख कर पेश कर दिया था, मगर मर्ज़ की शिद्दत की वजह से उसको मुलाहज़ा फ़रमाने की नौबत न आयी। दूसरे इंफ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाहि यानी अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने के मुताल्लिक़ जिसका तक़ाज़ा अख़ीर ज़माना-ए-हयात में उन पर शिद्दत से था और इस मज़्मून का आख़िरी अय्याम में बहुत ज़्यादा एहतिमाम था, इसके मुताल्लिक़ एक रिसाला फ़ज़ाइल में लिखने का बार बार हुक्म फ़रमाया, हत्ताकि एक बार नमाज़ खड़ी हो रही थी, दूसरा शख़्स इमाम था, तक्बीर हो चुकी थी, सफ़ से आगे को मुंह निकाल कर फ़रमाया कि देखना उस रिसाले को भूल न जाना। मगर इसके बावजूद अब तक कोई से रिसाले के लिखने की नौबत नहीं आयी।[1] और जब भी इन हालात से वाक़िफ़ अस्बाब की तरफ़ से उनके लिखने का तक़ाज़ा हुआ। अपनी ना अह्लियत का तसव्वुर ग़ालिब होकर सद्दे राह (रास्ते की रूकावट) बनता रहा।

कई मर्तबा इन दोनों रिसालों के मुताल्लिक़ चचा जान रह॰ का इसरार याद आकर ख़्याल पैदा हुआ, फिर अपनी हालत और दुनिया की रफ़्तार ने उस ख़्याल को दबा दिया। मेरे चचाज़ाद भाई अज़ीज़ी अलहाफ़िज़ अल हाज्ज मौलवी मुहम्मद यूसुफ़ सल्लमहू[2] जो "अल्-व-लदु सिर्रुन् लिअबी-ह्"[3] के ज़ाब्ते के मुवाफ़िक़ इस ईमानी तह्रीक की दावत में अपने वालिद साहब के क़दम ब क़दम और इस जज़्बे में उनके सही और हक़ीक़ी वारिस हैं उन पर दो साल से हिजाज़ में इस तह्रीक को फ़रोग़ देने का जज़्बा है, ख़ुद चचा जान पर भी इसका तक़ाज़ा था। इसी जज़्बे के मातहत वह दो मर्तबा सिर्फ़ इसी मक़्सद के लिये हिजाज़ तशरीफ़ ले जा चुके थे, जिस को हज़रत मौलाना अल हाज्ज अबुल हसन अली मियां साहिब ने मुख़्तसरन उन की सवानेह में तहरीर फ़रमाया है, और हक़ीक़त भी यही है कि अरब ही वह बरगुज़ीदा जमाअत है, जिस ने इब्तिदा में तमाम दुनिया में इस्लाम को फैलाया। वे हज़रात अगर अपने अस्लाफ़ के नक़्शे क़दम पर चलें तो

1. दूसरा रिसाला "फ़ज़ाइले सदक़ात" के नाम से दो हिस्सों में छप चुका है।
2. मौलाना मौसूफ़ ने 29, ज़ीक़ादा सन् 1384 हि॰ को लाहौर में विसाल फ़रमाया। "इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन"।
3. बेटा अपने बाप का राज़दार होता है।

यक़ीनन अब भी इन्शाअल्लाहु तआला दुनिया में इस्लाम उसी तरह चमक सकता है जिस तरह इब्तिदा-ए-ज़माने में चमका था।

इसके अलावा हाजियों की जमाअत, जो हर साल हज़ारों की तायदाद में हज को जाती है, वह हज के फ़ज़ाइल और समरात की बरकात से ना-वाक़फ़ियत और आदाबे हज के ना-मालूम होने की वजह से जिस दीनी जज़्बे और जिन बरकात के साथ उसको वापस आना चाहिए, उस से अक्सर ख़ाली हाथ वापस आती है इन वुजूहों से अजीज़े मौसूफ़ का दो साल से इसरार था कि हज व ज़ियारत के फ़ज़ाइल में भी चंद अहादीस का तर्जुमा उम्मत के सामने पेश करूं ताकि हज को जाने वाले हज़रात उन अहादीस की बरकत से उसी ज़ौक़ व शौक़ के साथ जायें जो उनकी शान के मुनासिब हो और हज से वापसी भी उन्हीं दीनी जज़्बात के साथ हो, जो इस मुबारक और निहायत अहम अमल के मुनासिब हो, नीज़ ज़ौक़ व शौक़ के साथ जाने वाले हुज्जाज की कसरत हो, जो ख़ुद भी दीन का जज़्बा अपने अंदर पैदा करें और वहां के क़ियाम में अहले अरब से भी उनके असली और जद्दी कामों में इश्तिग़ाल की और इन्हिमाक की इस्तिदआ और दर्ख़्वास्त करें।

अज़ीज़े मौसूफ़ दो साल से इसकी ज़रूरत का इज़्हार और तक्मील पर इसरार कर रहे थे, मगर इधर से वायदा से आगे बढ़ने की नौबत न आयी। लेकिन हक़ सुब्हानहू व तक़द्दुस जब किसी काम का इरादा फ़रमाते हैं तो उसके लिये अस्बाब भी ग़ैब से पैदा हो जाते हैं। चचा जान के विसाल के बाद से अब तक हर साल रमज़ानुल मुबारक का महीना इस नाकारा को निज़ामुद्दीन गुज़ारने की नौबत आती रही और अपने मशाग़िल के हुजूम की वजह से 29 शअ्बान को आकर 2 शव्वाल को हमेशा वापसी हो जाती थी। इस साल बाज़ मजबूरियों की वजह से ईद के बाद भी यहां क़ियाम करना पड़ा, तो अज़ीज़े मौसूफ़ को इसरार का ज़्यादा मौक़ा मिल गया। इधर ईद की रात से उश्शाक़ की दारे महबूब पर हाज़िरी का ज़माना शुरू हो जाने से उस दियार की याद ने भी तबीअत पर असर किया, जो हर साल शव्वाल से वस्ते (दर्मियाने) ज़िलहिज्जा तक अक्सर आता रहता है, और ज्यों ज्यों हज का ज़माना क़रीब आता है यह तसव्वुर कि ख़ुश क़िस्मत आशिक़ इस वक़्त क्या कर रहे होंगे, अपनी तरफ़ बे इख़्तियार मुतवज्जह करता रहता है, इसलिये मुतवक्किलन अलल्लाह (अल्लाह पर भरोसा करते हुए) आज 3 शव्वाल सन् 1366 हि॰ चहार शंबा (बुध) को यह रिसाला शुरू करता

हूँ, और दस फ़स्लों और एक ख़ात्मे में मुख़्तसर तौर पर चंद अहादीस का तर्जुमा और कुछ मुतफ़र्रिक़ मज़ामीन पेश करता हूँ।

1. फ़स्ले अव्वल, तर्ग़ीबे हज में,

2. दोम, हज न करने की वईद में,

3. सोम, इस सफ़र में मशक़्क़तों के तहम्मुल में,

4. चहारूम, हज की हक़ीक़त में,

5. पंजुम, हज के आदाब में,

6. शशुम मक्का मुकर्रमा के आदाब व फ़ज़ाइल में,

7. हफ़्तुम उमरा के बयान में,

8. हश्तुम रौज़ा-ए-मुतहहरा की ज़ियारत और मस्जिदे नबवी सल्ल॰ की हाज़िरी में,

9. नहुम, ज़ियारत के आदाब में,

10. दहुम, मदीना तय्यबा के आदाब व फ़ज़ाइल में।

ख़ात्मे में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हज का मुफ़स्सल वाक़िआ है और बाज़ (कुछ) दूसरे जां-निसारों के हज के मुख़्तसर क़िस्से हैं।

पहली फ़स्ल

हज की तर्ग़ीब में

हज के फ़ज़ाइल और उसके अहकाम में क़ुरआन पाक की बहुत सी आयात नाज़िल हुई हैं और अहादीस तो ला तायदाद वारिद हुई हैं, जिन में से नमूने के तौर पर थोड़ी सी इस रिसाले में ज़िक्र की जायेंगी।

मैं अपने हर रिसाले में इख़्तिसार की बहुत कोशिश करता हूँ कि दीनी चीज़ों के लिये न पढ़ने वालों के पास वक़्त ज़्यादा है, न रिसाले के बड़े हो जाने की वजह से क़ीमत में इज़ाफ़ा हो जाने के बाद ख़रीदने वालों के पास पैसा ज़ायद

है। हां सिनेमा देखने के लिये, ब्याह शादियों में ख़र्च करने के लिये ग़रीब से ग़रीब के पास भी पैसे की कमी नहीं, यह अल्लाह की शान है इसलिये अव्वल मुख़्तसरन चंद आयात ज़िक्र की जाती हैं, इसके बाद चंद (कुछ) अहादीस ज़िक्र की जायेंगी।

आयात

(١) وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ۝ لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ ۝ (حج ع٤)

1. लोगों में हज (के फ़र्ज़ होने) का ऐलान कर दो, (इस ऐलान से) लोग तुम्हारे पास (यानी तुम्हारी इस इमारत के पास हज के लिये) चले आयेंगे, पांव पर चल कर भी और (ऐसी ऊँटनियों पर सवार होकर भी जो दूर दराज़ रास्तों से चल कर आयी हों (और सफ़र की वजह से) दुबली हो गयी हों ताकि ये आने वाले अपने मनाफ़े हासिल करें।

(हज, रूकूअ 4)

फ़ायदा - बैतुल्लाह शरीफ़ की सब से पहली बिना में इख़्तिलाफ़ है कि हज़रत आदम अला नबिय्यिना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनाया या उस से पहले फ़रिश्तों ने बनाया था, हत्ता कि बाज़ ने कहा है कि ज़मीन की सबसे पहली इब्तिदा इसी जगह से हुई कि पानी पर एक बुलबुले की शक्ल थी, जिस से फिर बक़ीया ज़मीन का हिस्सा फैलाया गया, लेकिन हज़रत नूह अलैहि० के ज़माने में जब तूफ़ान आया, तो यह मकान उठा लिया गया था उस के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहि० ने हज़रत इस्माईल अलैहि० की मदद से इस की तामीर की, जिसका ज़िक्र पहले पारे में

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ؕ

में है। इस आयते शरीफ़ा से पहली आयत में इसी का बयान है कि इस घर की जगह का निशान हम ने इब्राहीम अलैहि० को बताया था, अल्लाह जल्ल शानुहू के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस मकान की अज़ सरे नौ (नये सिरे से) तामीर की।

एक हदीस में आया है कि जब अल्लाह जल्ल शानुहू ने हज़रत आदम अलैहि० को जन्नत से उतारा तो उनके साथ अपना घर भी उतारा और फ़रमाया कि

ऐ आदम, मैं तेरे साथ अपना घर उतारता हूँ। उसका तवाफ़ उसी तरह किया जायेगा, जिस तरह मेरे अर्श का तवाफ़ किया जाता है और उसकी तरफ़ नमाज़ उसी तरह पढ़ी जायेगी, जिस तरह मेरे अर्श की तरफ़ नमाज़ पढ़ी जाती है।

इसके बाद तूफ़ाने नूह के ज़माने में यह मकान उठा लिया गया। इसके बाद अंबिया-ए-किराम इस जगह का तवाफ़ करते थे, मकान न था। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहि॰ को अल्लाह जल्ल शानुहू ने इस जगह मकान बनाने का हुक्म फ़रमाया और जगह की तअ्यीन खुद फ़रमा दी। *(तर्ग़ीब, मुन्ज़री)*

हदीस में आता है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहि॰ बैतुल्लाह शरीफ़ की तामीर से फ़ारिग़ हुए तो बारगाहे खुदावंदी में अर्ज़ किया कि तामीर से फ़राग़त हो चुकी है। इस पर अल्लाह जल्ल शानुहू की तरफ़ से हुक्म हुआ कि लोगों में हज का ऐलान करो, जिस का ऊपर की आयत में ज़िक्र है, हज़रत इब्राहीम अलैहि॰ ने अर्ज़ किया कि या अल्लाह, मेरी आवाज़ किस तरह पहुँचेगी? अल्लाह जल्ल शानुहू ने फ़रमाया कि आवाज़ का पहुँचाना हमारे ज़िम्मे है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान फ़रमाया जिसको आसमान व ज़मीन के दर्मियान हर चीज़ ने सुना, आज इस में कोई इश्काल नहीं रहा कि लासिल्कों से एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक आवाज़ पहुँच रही है तो ला सिल्कीयों के बनाने वालों का बनाने वाला जब आवाज़ पहुचाने का इरादा करे तो इसमें क्या इश्काल हो सकता है।

दूसरी हदीस में है कि इस आवाज़ को हर शख़्स ने सुना और लब्बैक कहा, जिसके मायने हैं कि मैं हाज़िर हूँ, यही वह लब्बैक है, जिसको हाजी एहराम के बाद से शुरू करता है। जिस शख़्स की क़िस्मत में अल्लाह जल्ल शानुहू ने हज की सआदत लिखी थी, वह इस आवाज़ से बहरावर (फ़ैज़ याब) हुआ और लब्बैक कहा।

(इत्तिहाफ़)

दूसरी हदीस में आया है कि जिस शख़्स ने भी ख़्वाह (चाहे) वह पैदा हो चुका था, या अभी तक आलमे अर्वाह में था, उस वक़्त लब्बैक कहा, वह हज ज़रूर करता है।

एक हदीस में है कि जिसने एक मर्तबा लब्बैक कहा, वह एक हज करता है। जिसने उस वक़्त दो मर्तबा लब्बैक कहा, वह दो मर्तबा हज करता है और इसी तरह जिसने इससे ज़्यादा जितनी मर्तबा लब्बैक कहा, उतने ही हज उस को नसीब होते हैं।

(दुर्रे मंसूर)

किस क़दर खुशनसीब हैं वे रूहें, जिन्होंने उस वक़्त दमादम लब्बैक कहा होगा, बीसियों हज उनको नसीब हुए या होंगे।

(٢) اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕ (بقرہ ع ٢٥)

2. हज (का ज़माना) चंद महीने हैं जो (मशहूर व) मालूम हैं, (यानी पहली शव्वाल से दस ज़िलहिज्जा तक) पस जो शख़्स इन अय्याम में अपने ऊपर हज मुक़र्रर कर ले (कि हज का एहराम बांधा ले) तो फिर न कोई फ़हश बात जायज़ है और न उदूले हुक्मी दुरूस्त है और न किसी क़िस्म का झगड़ा ज़ेबा है (बल्कि उस को चाहिए कि हर वक़्त नेक काम में लगा रहे) और जो नेक काम करोगे, हक़ तआला शानुहू उसको जानते हैं (उनको हर शख़्स की हर बात का हर वक़्त इल्म रहता है। उसके मुवाफ़िक़ उसको जज़ा या सज़ा देते हैं, और इसलिये उन नेकियों का बहुत बदला अता फ़रमायेंगे जो इन मुबारक औक़ात में की जायेंगी)

फ़ायदाः- फ़ह्श बात दो तरह की होती हैं -

एक वह जो पहले से भी नाजायज़ थी, उसका गुनाह हज की हालत में करने से ज़्यादा हो जाता है।

दूसरे वह जो पहले से जायज़ थी, जैसा कि अपनी बीवी से बे हिजाबी की बात करना, हज में वह भी जायज़ नहीं रहती।

इसी तरह हुक्म उदूली भी दो तरह की है-

एक वह जो पहले से ही नाजायज़ थी, जैसा कि सारे गुनाह, उनकी मासियत हज की हालत में ज़्यादा सख़्त हो जायेगी।

दूसरे वे उमूर, जो पहले से जायज़ थे, अब हज की वजह से नाजायज़ हो गये, जैसा कि ख़ुश्बू लगाना, यह अब ना जायज़ हो गया। ऐसे ही लड़ना झगड़ना पहले से भी बुरा है, मगर हज में और भी ज़्यादा बुरा है।

(बयानुल, क़ुरआन)

अगरचे उदूले हुक्मी में झगड़ा करना भी दाख़िल है, मगर चूंकि हज में अक्सर साथियों में निज़ाअ् हो ही जाता है, इसलिये एहतिमाम की वजह से उसको ख़ास तौर से ज़िक्र फ़रमाया, जैसा कि आइंदा पहली हदीस के ज़ैल (तहत) में

भी उसका ज़िक्र आ रहा है।

(۳) اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ط (مائده ع ١)

3. आज के दिन तुम्हारे लिये तुम्हारे दीन को मैं ने (हर तरह) कामिल व मुकम्मल बना दिया और तुम पर अपना इनाम (आज) पूरा कर दिया और मैं ने इस्लाम को तुम्हारा दीन बनने के लिये (हमेशा को) पसंद कर लिया (कि क़ियामत तक तुम्हारा यही दीन रहेगा, (इसको मंसूख़ करके दूसरा दीन तज्वीज़ न किया जायेगा।)

फ़ायदाः- हज के अहम फ़ज़ाइल में से यह भी है कि यह आयत शरीफ़ा जिसमें तक्मीले दीन का मुज़्दा (यानी खुशख़बरी) है। हज के मौक़े पर नाज़िल हुई।

इमाम ग़ज़ाली रह॰ ने एह्या में लिखा है कि हज इस्लाम के बुनियादी अर्कान में है। इसी पर अर्कान का इख़्तिताम हुआ है और इसी पर इस्लाम की तक्मील व तत्मीम हुई है। इसी में आयत "अल यौ-म अक्मल्तु लकुम" नाज़िल हुई है।

एक हदीस में आया है कि यहूद के बाज़ उलमा ने हज़रत उमर रज़ि॰ से अर्ज़ किया कि तुम क़ुरआन पाक में एक आयत पढ़ते हो। अगर वह आयत हम पर नाज़िल होती तो हम उस दिन को ईद का दिन बनाते, (यानी सालगिरह के तौर पर उस दिन की खुशी मनाते), हज़रत उमर रज़ि॰ ने इर्शाद फ़रमाया कि वह कौन सी आयत है? उन्होंने अर्ज़ किया

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ

हज़रत उमर रज़ि॰ ने फ़रमाया कि मुझे मालूम है कि यह किस दिन और कहां नाज़िल हुई? बिहम्दिल्लाह हमारे यहां उस वक़्त दो ईदें जमा थीं

1. एक जुमे का दिन था (कि वह भी मुसलमान के लिये बमंज़िला ईद के दिन के है)

2. दूसरे अर्फ़ा का दिन (कि वह भी बिलख़ुसूस हाजी के लिये ईद का दिन है।)

हज़रत उमर रज़ि॰ ने फ़रमाया कि यह आयत जुमा के दिन, शाम के वक़्त

अस्र के बाद, जबकि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अरफ़ात के मैदान में अपनी ऊंटनी पर तशरीफ़ फ़रमा थे, नाज़िल हुई। दर हक़ीक़त यह बड़ा मुज़्दा है, जो इस आयते शरीफ़ा में सुनाया गया है।

एक हदीस में आया है कि इस आयते शरीफ़ा के बाद हिल्लत व हुर्मत के बारे में कोई जदीद हुक्म नाज़िल नहीं हुआ। जब आदमी हज में यह ख़्याल करे कि इस फ़रीज़े से दीन की तक्मील क़रार दी गयी और दीन मुकम्मल होने का यह ज़रिया हुआ है तो कितने ज़ौक़ व शौक़ से इस फ़रीज़े को अदा करना चाहिए, वह ज़ाहिर है।

जब यह आयते शरीफ़ा नाज़िल हुई तो हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी ऊँटनी पर थे। वह ऊँटनी बोझ की वजह से बैठ गयी, खड़ी न हो सकी।

वही के वक़्त हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम में वज़न बहुत बढ़ जाता था। हज़रत आइशा रज़ि॰ फ़रमाती हैं कि जब हुज़ूर सल्ल॰ ऊँटनी पर होते और वही नाज़िल होती, तो वह ऊँटनी अपनी गरदन गिरा देती और जब तक वही ख़त्म न होती, हरकत न कर सकती थी।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ि॰ हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद नक़ल करते हैं कि जब वही नाज़िल होती है तो मुझे यह ख़्याल होता है कि मेरी जान निकल जायेगी।

(दुर्रे मंसूर)

हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि जब आयते शरीफ़ा-

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ

"नाज़िल हुई तो मैं हुज़ूर सल्ल॰ के पास बैठा हुआ था। हुज़ूर सल्ल॰ पर ग़शी सी तारी हुई तो आपकी रान मेरी रान पर रखी गयी। उसके वज़न से मेरी रान टूटी जा रही थी।

(दुर्रे मंसूर)

यह अल्लाह जल्ल शानुहू के पाक कलाम की अज़मत व हैबत थी, जिसको हम लोग ऐसा सरसरी और लापरवाही से पढ़ते हैं, जैसा कि एक मामूली कलाम हो।

यहां तक चंद आयात का ज़िक्र था, आगे चंद (कुछ) अहादीस का तर्जुमा पेश करता हूँ।

अहादीस

(۱) عن ابی ھریرۃؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ (متفق علیہ مشکوٰۃ)

1. हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद है कि जो शख़्स अल्लाह के लिये हज करे इस तरह कि उस हज में न रफ़स हो (यानी फ़ह्श बात) और न फ़िस्क हो (यानी हुक्म उदूली) वह हज से ऐसा वापस होता है, जैसा उस दिन था जिस दिन मां के पेट से निकला था।

फ़ायदा:- जब बच्चा पैदा होता है, वह मासूम होता है उस पर कोई गुनाह, कोई लग्ज़िश किसी की दारगीर कुछ नहीं होती, यही असर है उस हज का जो अल्लाह के वास्ते किया जाये। "फ़ज़ाइले नमाज़"[1] के शुरू में यह मज़्मून गुज़र चुका है कि उलमा के नज़दीक इस क़िस्म की अहादीस से सग़ीरा गुनाह मुराद हुआ करते हैं, अगरचे हज के बारे में जो रिवायात बकसरत वारिद हुई हैं, उनकी वजह से बाज़ उलमा की यह तहक़ीक़ है कि हज से सग़ाइर, कबाइर (छोटे बड़े) सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इस हदीस पाक में तीन मज़्मून ज़िक्र फ़रमाये हैं :-

1. अव्वल यह कि अल्लाह के वास्ते हज किया जाये यानी उसमें कोई दुन्यवी ग़रज़, शोहरत रिया वग़ैरह शामिल न हो। बहुत से लोग शोहरत और इज़्ज़त की वजह से हज करते हैं। वे इतना हरज और ख़र्च सवाब के एतिबार से बेकार ज़ाया करते हैं, अगरचे फ़र्ज़ हज इस तरह भी अदा हो जायेगा, लेकिन अगर महज़ अल्लाह की रिज़ा की नीयत हो तो फ़र्ज़ अदा होने के साथ किस क़दर सवाब मिले, इतनी बड़ी दौलत को महज़ चंद लोगों में इज़्ज़त की नीयत से ज़ाया कर देना किस क़दर नुक़्सान और ख़सारे की बात है।

एक हदीस में आया है कि क़ियामत के क़रीब मेरी उम्मत के अमीर लोग तो हज महज़ सैर व तफ़रीह के इरादे से करेंगे (गोया लंदन व पेरिस की तफ़रीह न की, हिजाज़ की तफ़रीह कर ली) और मेरी उम्मत का मुतवस्सित (दर्मियानी) तब्क़ा तिजारत की ग़रज़ से हज करेगा कि तिजारती माल कुछ इधर से ले गये, कुछ उधर से ले आये और उलमा रिया व शोहरत की वजह से हज करेंगे (कि

1. फ़ज़ाइले नमाज़ शैख़ुल हदीस साहिब का एक रिसाला है।

फ़लां मौलाना साहब ने पांच हज किये, दस हज किये) और ग़ुरबा भीख मांगने की ग़रज़ से जायेंगे। *(कंज़ुल उम्माल)*

उलमा ने लिखा है कि जो लोग उजरत के साथ हज्जे बदल करते हैं कि इस हज से कुछ दुन्यवी नफ़ा हासिल हो जाये, वे भी इस में दाख़िल हैं कि गोया हज के साथ तिजारत कर रहा है, जैसा कि हदीस (15) के ज़ैल में आ रहा है।

दूसरी हदीस में आया है कि सलातीन और बादशाह तफ़रीह की नीयत से हज करेंगे और ग़नी लोग तिजारत की ग़रज से और फ़ुक़रा सवाल की ग़रज़ से और उलमा शोहरत की वजह से। *(इत्तिहाफ़)*

इन दोनों हदीसों में कुछ तआरूज़ (टकराव) नहीं। पहली हदीस में जो ग़नी बताये गये, उन से आला दर्जे के ग़नी मुराद हैं, जिनको दूसरी हदीस में सलातीन से ताबीर किया है और जिसको इस हदीस में ग़नी से ताबीर किया है, वह सलातीन से कम दर्जा मुराद है, जिसको पहली हदीस में मुतवस्सित तबक़े से ताबीर किया है।

एक हदीस में है कि हज़रत उमर रज़ि॰ सफ़ा मर्वः के दर्मियान एक मर्तबा तशरीफ़ फ़रमा थे। एक जमाअत आयी जो अपने ऊँटों से उतरी और बैतुल्लाह शरीफ़ का तवाफ़ किया, सफ़ा मर्वः के दर्मियान सई की। हज़रत उमर रज़ि॰ ने उनसे दर्याफ़्त किया, तुम कौन लोग हो? उन्होंने अर्ज़ किया कि इराक़ के लोग हैं। हज़रत उमर रज़ि॰ ने फ़रमाया कि यहां कैसे आना हुआ? उन्होंने अर्ज़ किया कि हज के लिये। हज़रत उमर रज़ि॰ ने फ़रमाया, कोई और ग़रज़ तो न थी, मसलन अपनी मीरास का किसी से मुतालबा हो या किसी क़र्ज़दार से रूपया वसूल करना हो या कोई और तिजारती ग़रज़ हो। उन्होंने अर्ज़ किया नहीं, कोई दूसरी ग़रज़ न थी। हज़रत उमर रज़ि॰ ने फ़रमाया कि अज़ सरे नव (नये सिरे से) आमाल करो यानी पहले सारे गुनाह तुम्हारे माफ़ हो चुके।

2. दूसरी चीज़ हदीसे बाला में यह है कि उसमें रफ़स यानी फ़ह्श बात न हो। इससे क़ब्ल क़ुरआन पाक की आयते शरीफ़ा में भी यह लफ़्ज़ "फ़ ला र-फ़-स" गुज़र चुका है।

उलमा ने लिखा है कि यह एक ऐसा जामेअ् कलिमा है, जिसमें हर क़िस्म की लग्व और बेहूदा बात दाख़िल है, हत्ताकि बीवी के सामने सोहबत का

ज़िक्र करना भी दाख़िल है, हत्तांकि इस क़िस्म की बात का आंख से या हाथ से इशारा करना भी दाख़िल है कि इस क़िस्म का ज़िक्र शह्वत को उभारता है।

3. तीसरी चीज़ जो इस हदीस पाक'में ज़िक्र की गयी, वह फ़ुसूक़ यानी हुक्म उदूली न होना है यह भी क़ुरआन पाक की आयते मज़्कूरा में गुज़र चुका है।

उलमा ने लिखा है कि यह भी एक जामेअ् कलिमा है, जो अल्लाह जल्ल शानुहू की हर क़िस्म की नाफ़रमानी को शामिल है इसमें झगड़ा करना भी दाख़िल है कि यह भी हुक्म उदूली है।

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक हदीसे पाक में इर्शाद फ़रमाया कि हज की ख़ूबी नर्म कलाम करना और लोगों को खाना खिलाना है। लिहाज़ा किसी से सख़्ती से गुफ़्तगू करना नर्म कलाम के मनाफ़ी है, इसलिये ज़रूरी है कि आदमी अपने साथियों पर बार बार एतिराज़ न किया करे। बद्दुओं से सख़्ती से पेश न आये। हर शख़्स के साथ तवाज़ोअ् से और ख़ुशअख़्लाक़ी से पेश आये।

उलमा ने लिखा है कि ख़ुश अख़्लाक़ी यह नहीं है कि दूसरे को तक्लीफ़ न पहुँचाये। बल्कि ख़ुशख़ुल्क़ी यह है कि दूसरे की अज़ीयत (तक्लीफ़) को बर्दाश्त करे। सफ़र के मायने लुग़त में ज़ाहिर करने के हैं। उलमा ने लिखा है कि सफ़र को सफ़र इसी वजह से कहा जाता है कि इसमें आदमी के अख़्लाक़ ज़ाहिर होते हैं।

हज़रत उमर रज़ि॰ ने एक शख़्स से दर्याफ़्त किया कि तुम फ़लां को जानते हो कि कैसा आदमी है? उन्होंने अर्ज़ किया कि जी जानता हूं। हज़रत उमर रज़ि॰ ने दर्याफ़्त किया कि तुमने कभी कोई सफ़र उसके साथ किया है? उन्होंने अर्ज़ किया कि सफ़र तो नहीं किया। हज़रत उमर रज़ि॰ ने फ़रमाया कि फिर तुम उसको नहीं जानते।

एक हदीस में है कि हज़रत उमर रज़ि॰ के सामने एक साहब ने किसी की तारीफ़ की कि बहुत अच्छे आदमी हैं। हज़रत उमर रज़ि॰ ने दर्याफ़्त फ़रमाया कि तुमने उनके साथ कोई सफ़र किया है? उन्होंने अर्ज़ किया कि सफ़र तो नहीं किया। फिर हज़रत उमर रज़ि॰ ने दर्याफ़्त किया, तुम्हारा उनके साथ कोई मामला पड़ा है? उन्होंने अर्ज़ किया कि मामला भी नहीं पड़ा, तो हज़रत उमर रज़ि॰ ने

फ़रमाया कि फिर तुम्हें उनके हाल की क्या ख़बर है? (इत्तिहाफ़)

हक़ यह है कि आदमी का हाल ऐसी ही चीज़ों से ज़ाहिर होता है, वैसे देखने में तो सब ही अच्छे मालूम होते हैं, मगर सफ़र में अक्सर कशीदगी हो ही जाती है, इसलिये क़ुरआन पाक में हज के साथ "व ला जिदा-ल" को ख़ास तौर से ज़िक्र किया गया है।

(٢) عن ابی ھریرۃؓ قال قال رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم المبرور لیس لہ جزآء الاالجنۃ (متفق علیہ، مشکوٰۃ)

2. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि नेकी वाले हज का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं।

फ़ायदा:- बाज़ उलमा ने कहा है कि नेकी वाले हज का मतलब यह है कि उसमें किसी क़िस्म की मासियत न हो। इसी वास्ते अक्सर हज़रात इस का तर्जुमा हज्जे मक़्बूल करते हैं कि जब आदाब व शराइत की रिआयत होगी, कोई लग़्जिश उसमें न होगी, तो वह हज इन्शाअल्लाह मक़्बूल ही होगा।

हज़रत जाबिर रज़ि० की हदीस में है कि हज की नेकी लोगों को खाना खिलाना और नर्म गुफ़्तगू करना है।

दूसरी हदीस में है कि हज की नेकी खाना खिलाना और लोगों को कसरत से सलाम करना है। (तर्ग़ीब)

एक हदीस में है कि जब हुज़ूर सल्ल० ने इर्शाद फ़रमाया कि नेकी वाले हज का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं, तो सहाबा रज़ि० ने दर्याफ़्त किया कि हुज़ूर नेकी वाला हज क्या चीज़ है? तो हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया कि खाना खिलाना और सलाम कसरत से करना। (कंज़)

(٣) عن عائشۃؓ ان رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم قال ما من یوم اکثر من ان یعتق اللّٰہ فیہ عبدًا من النار من یوم عرفۃ وانہ لیدنوثم یباھی بھم الملٰئکۃ فیقول ماارادھٰؤلآءِ (رواہ مسلم)

3. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि कोई दिन ऐसा नहीं, जिसमें अल्लाह तआला अर्फ़े के दिन से ज़ायद बंदों को जहन्नम से निजात देते हों, यानी जितनी कसीर मिक़्दार को अर्फ़े के दिन ख़लासी होती है, उतनी कसीर तायदाद किसी और दिन की नहीं होती।

हक़ तआला शानुहू (दुनिया के) क़रीब होते हैं, फिर फ़ख़्र के तौर पर फ़रमाते हैं, कि ये बंदे क्या चाहते हैं?

फ़ायदा:- अल्लाह जल्ल शानुहू का क़रीब होना या नीचे के आसमान पर उतरना या इस क़िस्म के और जो मज़ामीन ज़िक्र किये गये हैं, उनकी असल हक़ीक़त तो अल्लाह जल्ल शानुहू ही को मालूम है कि वह हर वक़्त क़रीब है, उतरने चढ़ने के ज़ाहिरी मायने से बालातर है।

उलमा इस क़िस्म के मज़ामीन को रहमते ख़ास्सा के क़रीब होने से ताबीर फ़रमाया करते हैं, जो मज़्मून हदीसे बाला में मज़्कूर है। इस क़िस्म के मज़ामीन बहुत सी अहादीस में वारिद हुए हैं।

एक हदीस में है कि जब अर्फ़े का दिन होता है तो हक़ तआला शानुहू सब से नीचे के आसमान पर उतर कर फ़रिश्तों से फ़ख़्र के तौर पर फ़रमाते हैं कि मेरे बंदों को देखो कि मेरे पास ऐसी हालत में आये हैं कि सर के बाल बिखरे हुए हैं, बदन पर और कपड़ों पर सफ़र की वजह से गुबार पड़ा हुआ है, लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक का शोर है, दूर दूर से चल कर आये हैं। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने उनके गुनाह माफ़ कर दिये। फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं कि या अल्लाह, फ़लां शख़्स गुनाहों की तरफ़ मंसूब है और फ़लां मर्द और फ़लां औरत तो (बस क्या कहा जाये) हक़ तआला शानुहू का इर्शाद होता है कि मैंने इन सब की मग़्फ़िरत कर दी। हुज़ूर सल्ल॰ फ़रमाते हैं कि उस दिन से ज़्यादा किसी दिन भी लोग जहन्नम की आग से आज़ाद नहीं होते। *(मिश्कात)*

एक और हदीस में है कि हक़ तआला शानुहू फ़रमाते हैं कि ये मेरे बंदे, बिखरे हुए बालों वाले मेरे पास आये हैं मेरी रहमत के उम्मीदवार हैं। (इसके बाद बंदों से ख़िताब फ़रमाते हैं) अगर तुम्हारे गुनाह रेत के ज़र्रों के बराबर हों और आसमान की बारिश के क़तरों के बराबर हों और तमाम दुनिया के पेड़ों के पत्तों के बराबर हों, तब भी बख़्श दिये, जाओ, बख़्शे बख़्शाये अपने घर चले जाओ। *(कंज़)*

एक और हदीस में है कि हक़ तआला शानुहू फ़ख़्र के तौर पर फ़रिश्तों से फ़रमाते हैं कि देखो मैंने इन बंदों की तरफ़ अपना रसूल भेजा, ये उस पर ईमान लाये, मैंने इन पर किताब नाज़िल की, ये उस पर ईमान लाये। तुम गवाह रहो कि मैंने उनके सारे गुनाह माफ़ कर दिये। *(कंज़)*

ग़रज़ बहुत कसरत से रिवायात में यह मज़्मून वारिद हुआ है। इन ही जैसी अहादीस की बिना पर बाज़ उलमा ने कहा है कि हज की माफ़ी सग़ीरा गुनाहों के साथ मख़्सूस नहीं, कबीरा गुनाह भी उससे माफ़ हो जाते हैं। वह बा इख़्तियार बादशाह है। उसकी नाफ़रमानियों का नाम गुनाह है। वह किसी आदमी को या किसी जमाअत को अपने फ़ज़्ल से बिल्कुल ही माफ़ कर दे, तो न उस के लुत्फ़ व करम से बईद है, न किसी दूसरे का उसमें इजारा है।

शिफ़ा-ए-क़ाज़ी अयाज़ में एक क़िस्सा लिखा है कि एक जमाअत सअ्दून ख़ौलानी रह॰ के पास आयी और उनसे ये क़िस्सा बयान किया कि कतामा क़बीला के लोगों ने एक आदमी को क़त्ल किया और उसको आग में जलाना चाहा। रात भर उस पर आग जलाते रहे, मगर आग ने उस पर ज़रा भी असर न किया। बदन वैसा ही सफ़ेद रहा। सअ्दून रह॰ ने फ़रमाया कि शायद उस शहीद ने तीन हज किये होंगे। लोगों ने कहा, जी हां तीन हज किये हैं। सअ्दून रह॰ ने कहा कि मुझे यह हदीस पहुँची है कि जिस शख़्स ने एक हज किया, उसने अपना फ़रीज़ा अदा किया और जिसने दूसरा हज किया, उसने अल्लाह को क़र्ज़ दिया और जो तीन हज करता है, तो अल्लाह जल्ल शानुहू उसकी खाल को, उसके बाल को आग पर हराम कर देता है।

(٤) عن طلحةؓ بن عبيد الله بن كريزان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماروئ الشيطان يوما هو فيه اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغيظ منه فى يوم عرفة وما ذاك الا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام الا ما رؤى يوم بدر رواه مالكؒ مرسلا (مشكوٰة)

4. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि ग़ज़्वा-ए-बद्र का दिन तो मुस्तस्ना है। उसको छोड़ कर कोई दिन अर्फ़ा के दिन के अलावा ऐसा नहीं, जिसमें शैतान बहुत ज़लील हो रहा हो, बहुत रांदा फिर रहा हो। बहुत हक़ीर हो रहा हो, बहुत ज़्यादा ग़ुस्से में भर रहा हो, और यह सब कुछ इस वजह से कि अरफ़ा के दिन में अल्लाह की रहमतों का कसरत से नाज़िल होना बंदों के बड़े बड़े गुनाहों का माफ़ होना देखता है।

फ़ायदा:- शैतान को उस दिन में जितना भी गुस्सा हो, जितना भी उस पर रंज व मलाल का असर हो, जितना भी वह परेशान हाल हो, क़रीने क़ियास

है क्योंकि उसकी उम्र भर कि मेहनत की बड़ी मशक़्क़तों और मेहनतों से उसने लोगों से गुनाह कराये, वे आज एक रहमत के झोंके में सब साफ़ हो गये। इस पर जितना भी उसको गुस्सा और रंज हो वह ज़ाहिर है।

एक हदीस में आया है कि शैतान अपने शरीर लश्कर को इस पर मामूर करता है कि वे हाजियों के रास्ते में बैठकर उनको रास्ते से बे राह करें।

(कंज़)

सूफ़िया में से एक साहिबे कश्फ़ का क़िस्सा इमाम ग़ज़ाली रह० ने लिखा है कि उनको अर्फ़ा के दिन शैतान नज़र आया, कि बहुत ही कमज़ोर हो रहा है, चेहरा ज़र्द पड़ा है, आंखों से आंसू जारी हैं, कमर से सीधा खड़ा नहीं हुआ जाता, वह झुक रहा है। उन बुज़ुर्ग ने उससे दर्याफ़्त फ़रमाया कि तू क्यों रो रहा है? उसने कहा कि मुझे यह चीज़ रूला रही है कि हाजी लोग, बिला किसी दुन्यवी ग़रज़ तिजारत वग़ैरह के उसकी बारगाह में हाज़िर हो गये। मुझे यह डर और रंज है कि वह पाक ज़ात इन लोगों को ना मुराद नहीं रखेगी, इस ग़म में रो रहा हूं, वह फ़रमाते हैं कि फिर मैंने उस से पूछा कि तू दुबला क्यों हो गया? उसने कहा कि घोड़ों की आवाज़ से, जो हर वक़्त अल्लाह के रास्तों में (हज, उमरा, जिहाद वग़ैरह में) फिरते रहते हैं। काश, ये सवारियां मेरे रास्ते (लह्व व लअिब, बदकारी, हराम कमाई वग़ैरह में) फिरतीं, तो मुझे कैसी अच्छी लगतीं। उन्होंने फ़रमाया कि तेरा रंग ऐसा ज़र्द क्यों पड़ गया? उसने कहा कि लोग एक दूसरे को नेकियों पर आमादा करते हैं, इस काम में एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर यह आपस की इमदाद व इआनत गुनाहों के करने में होती तो मेरे लिये किस क़दर मसर्रत का सबब होती। उन्होंने फ़रमाया कि तेरी कमर क्यों झुक गयी? उसने कहा कि बंदा हर वक़्त यह कहता है कि या अल्लाह, ख़ात्मा बिलख़ैर अता कर। ऐसा शख़्स जिसको अपने ख़ात्मे का हर वक़्त फ़िक्र रहे, कब अपने किसी नेक अमल पर घमंड करेगा।

(٥) عن ابن شماسة قال حضرنا عمرو بن العاص وهو فی سیاقة الموت فبکی طویلا وقال فلما جعل اللّٰه الاسلام فی قلبی اتیت النبی صلی اللّٰه علیه وسلم فقلت یا رسول اللّٰه ابسط یمینك لا بایعك فبسط یده فقبضت یدی فقال مالك یا عمرو قال اردت ان اشترط قال تشترط ماذا قال ان یغفرلی قال اما علمت یا عمرو ان الاسلام یهدم ماکان قبله وان الهجرة تهدم

ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله رواه ابن خزيمة فى صحيحه هكذا مختصراً و رواه مسلم وغيره اطول منه كذا فى الترغيب.

5. इब्ने शमासः रज़ि॰ कहते हैं कि हम लोग हज़रत अम्र बिन आस रज़ि॰ के पास हाज़िर हुए। उनका आख़िरी वक़्त था, इंतिक़ाल हो रहा था। हज़रत अम्र रज़ि॰ उस वक़्त बहुत देर तक रोते रहे। इसके बाद अपने इस्लाम लाने का क़िस्सा सुनाया और फ़रमाने लगे कि जब अल्लाह जल्ल शानुहू ने मेरे दिल में इस्लाम लाने का ज़ज़्बा पैदा कर दिया, तो मैं हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और हाज़िर होकर अर्ज़ किया कि बैअत के लिये हाथ दे दीजिये। म मुसलमान होता हूँ। हुज़ूर सल्ल॰ ने अपना दस्ते मुबारक फैलाया तो मैंने अपना हाथ खींच लिया, हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि यह क्या, मैंने अर्ज़ किया कि हुज़ूर सल्ल॰ मैं पहले एक शर्त करना चाहता हूँ और वह यह है कि अल्लाह जल्ल शानुहू मेरे पिछले गुनाह माफ़ कर दे। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि अम्र, तुझे यह बात मालूम नहीं कि इस्लाम उन सब गुनाहों को ख़त्म कर देता है जो कुफ़्र की हालत में किये गये हों, और हिजरत उन सब लग़्ज़िशों को ख़त्म कर देती है जो हिजरत से पहले की हों, और हज उन सब क़ुसूरों का ख़ात्मा कर देता है जो हज से पहले किये हों।

फ़ायदा:- इस हदीस शरीफ़ में इस चीज़ से क़ता नज़र कि गुनाहे सग़ीरा मुराद हैं या कबीरा, जैसा कि सबसे पहली हदीस में गुज़र चुका है, यह अम्र क़ाबिले लिहाज़ है कि एक किसी का हक़ होता है और एक उसका गुनाह। हज वग़ैरह से गुनाह तो माफ़ हो जाते हैं, मगर हुक़ूक़ माफ़ नहीं होते। मसलन, किसी शख़्स का माल चुरा लिया। इसमें एक तो वह माल है जो चुराया है, दूसरे उस चोरी का गुनाह है। गुनाह के माफ़ होने का यह मतलब नहीं कि जिसका माल चुराया है, वह भी वापस करना न पड़ेगा। उसका वापस करना तो ज़रूरी है, अलबत्ता इस चोरी करने का जो गुनाह हुआ वह माफ़ हो सकता है।

एक हदीस में आया है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अर्फ़ा की शाम को अरफ़ात के मैदान में उम्मत की मग़्फ़िरत की दुआ मांगी और बहुत इलहाह् व ज़ारी से देर तक मांगते रहे। रहमते इलाही जोश में आयी और अल्लाह जल्ल शानुहू का इर्शाद हुआ कि मैं ने तुम्हारी दुआ क़ुबूल कर ली और

जो गुनाह बंदों ने मेरे किये हैं, वे माफ़ कर दिये, अलबत्ता जो एक दूसरे पर ज़ुल्म किये हैं, उनका बदला लिया जायेगा। हुज़ूर सल्ल॰ ने फिर दर्ख़्वास्त की और बार बार यह दर्ख़्वास्त करते रहे कि या अल्लाह, तू इस पर भी क़ादिर है कि मज़लूम के ज़ुल्म का बदला तू अता फ़रमा दे। और ज़ालिम के क़ुसूर को माफ़ फ़रमा दे। मुज़्दलिफ़ा की सुबह को अल्लाह जल्ल शानुहू ने यह दुआ भी क़ुबूल फ़रमा ली। उस वक़्त हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तबस्सुम फ़रमाया। सहाबा रज़ि॰ ने अर्ज़ किया कि आपने ऐसी हालत में (इलहाह् व ज़ारी की) तबस्सुम फ़रमाया, कि ऐसे वक़्त तबस्सुम की आदते शरीफ़ा नहीं है। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि जब अल्लाह जल्ल शानुहू ने मेरी यह दुआ क़ुबूल फ़रमायी और शैतान को इस का पता चला तो आह व वावैला से चिल्लाने लगा और मिट्टी अपने सर पर डालने लगा।

(٦)عن سهل بن سعدٌ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن مسلم يلبي الالبى من عن يمينه وشماله من حجر اوشجر او مدرحتى تنقطع الارض من ههنا وههنا. رواه الترمذى وابن ماجه كذافى المشكوٰة

6. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जब हाजी लब्बैक कहता है, तो उसके साथ उसके दायें और बायें जो पत्थर, दरख़्त ढेले वग़ैरह होते हैं, वे भी लब्बैक कहते हैं, और इसी तरह व-सिलसिला ज़मीन के मुन्तहा तक यह सिलसिला चलता है।

फ़ायदाः- मुतअद्द अहादीस में आया है कि लब्बैक कहना हज का शिआर है।

एक हदीस में आया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब लब्बैक कहते थे तो हक़ तआला शानुहू जवाब में फ़रमाते थे, लब्बैक या मूसा! *(कंज़)*

हाजी की एक लब्बैक ही नहीं, उस की हर हर चीज़ में मुस्तक़िल अज्र और फ़ज़ीलत है।

एक हदीस में आया है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि मैं हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में मिना की मस्जिद में हाज़िर था कि दो शख़्स, एक अंसारी और एक सक़फ़ी हाज़िरे ख़िदमत हुए और सलाम के बाद अर्ज़ किया कि हुज़ूर सल्ल॰ हम कुछ दर्याफ़्त करने आये हैं?

हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि तुम्हारा दिल चाहे तो तुम दर्याफ़्त कर लो और तुम कहो तो मैं बताऊं कि तुम क्या दर्याफ़्त करना चाहते हो? उन्होंने अर्ज़ किया आप ही इर्शाद फ़रमा दें।

हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि तुम हज के मुताल्लिक़ दर्याफ़्त करने आये हो कि हज के इरादे से घर से निकलने का क्या सवाब है और तवाफ़ के बाद दो रकअत पढ़ने का क्या फ़ायदा है, और सफ़ा मर्वः के दर्मियान दौड़ने का क्या सवाब है? और अरफ़ात पर ठहरने और शैतानों के कंकरियां मारने का क्या सवाब है, और क़ुर्बानी करने का और तवाफ़े ज़ियारत करने का क्या सवाब है? उन्होंने अर्ज़ किया कि उस पाक ज़ात की क़सम। जिसने आपको नबी बनाकर भेजा है, यही सवालात हमारे ज़ेहन में थे। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि हज का इरादा करके घर से निकलने के बाद तुम्हारी (सवारी) ऊंटनी जो एक क़दम रखती है या उठाती है वह तुम्हारे आमाल में एक नेकी लिखी जाती है, और एक गुनाह माफ़ होता है और तवाफ़ के बाद दो रक्अतों का सवाब ऐसा है, जैसा एक अरबी गुलाम को आज़ाद किया हो और सफ़ा मर्वः के दर्मियान सई का सवाब सत्तर गुलामों को आज़ाद कराने के बराबर है और अरफ़ात के मैदान में जब लोग जमा होते हैं, तो हक़ तआला शानुहू दुनिया के आसमान पर उतर कर फ़रिश्तों से फ़ख़्र के तौर पर फ़रमाते हैं कि मेरे बंदे दूर दूर से परागंदा बाल आये हुए हैं मेरी रहमत के उम्मीदवार हैं।

अगर तुम लोगों के गुनाह रेत के ज़र्रों के बराबर हों या बारिश के क़तरों के बराबर हों या समुन्दर के झागों के बराबर हों, तब भी मैंने माफ़ कर दिये। मेरे बंदों, जाओ बख़्शे बख़्शाये चले जाओ, तुम्हारे भी गुनाह माफ़ हैं और जिन की तुम सिफ़ारिश करो, उनके भी गुनाह माफ़ हैं। इसके बाद हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि शैतानों के कंकरियां मारने का हाल यह है कि हर कंकरी के बदले एक बड़ा गुनाह, जो हलाक कर देने वाला हो, माफ़ होता है और क़ुर्बानी का बदला अल्लाह के यहां तुम्हारे लिये ज़ख़ीरा है और एहराम खोलने के वक़्त सर मुंडाने में हर बाल के बदले में एक नेकी है और एक गुनाह माफ़ होता है। इस सब के बाद जब आदमी तवाफ़े ज़ियारत करता है तो ऐसे हाल में तवाफ़ करता है कि उस पर कोई गुनाह नहीं होता और एक फ़रिश्ता मोंढों के दर्मियान हाथ रख कर कहता है कि आइंदा अज़ सरे नौ आमाल कर, तेरे पिछले सब गुनाह तो माफ़ हो चुके हैं।

(तर्ग़ीब)

लेकिन यह ज़रूरी है कि हज वही हज्जे मब्रूर हो, जो हक़ीक़तन हज कहलाने का मुस्तहिक़ है।

मशाइख़ ने लिखा है कि लब्बैक उस निदा का जवाब है जो अल्लाह जल्ल शानुहू के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़रमायी थी, जिसका ज़िक्र क़ुरआन पाक की आयत "व अज़्ज़िन फ़िन्नासि" में गुज़र चुका है। इस लिये जैसा कि हाकिम की पुकार पर दरबार की हाज़िरी में उम्मीद व ख़ौफ़ की हालत होती है, ऐसा ही हाल होना चाहिए, उससे डरते रहना चाहिए, ऐसा न हो कि कहीं अपनी बद आमालियों से हाज़िरी ही क़ुबूल न हो।

मुतर्रिफ़ बिन अब्दुल्लाह रज़ि॰ अरफ़ात के मैदान में यह दुआ कर रह थे कि या अल्लाह, इन सब को मेरी नहूसत की वजह से महरूम न फ़रमा।

बक्र मुज़नी रह॰ कहते हैं कि एक बुज़ुर्ग अरफ़ात के मैदान में हुज्जाज को देख कर कहते थे कि मुझे यह ख़्याल हो रहा है कि मैं अगर न हूं तो इन सब की मग़्फ़िरत हो जाती। *(इत्तिहाफ़)*

हज़रत अली ज़ैनुल आबिदीन रह॰ ने जब हज के लिये एहराम बांधा तो चेहरा ज़र्द हो गया और बदन पर कपकपी आ गयी और लब्बैक न कह सके। किसी ने अर्ज़ किया कि आपने एहराम के शुरू में लब्बैक नहीं कही, तो फ़रमाया कि मुझे डर है कि कहीं इसके जवाब में ला लब्बैक न कहा जाये, यानी तेरी हाज़िरी मोतबर नहीं। इसके बाद बड़ी मुश्किल से लब्बैक कहा तो ग़शी आ गयी और ऊँटनी पर से गिर पड़े। इसके बाद जब लब्बैक कहते, यही हाल होता। सारा हज इसी तरह पूरा किया।

अहमद रह॰ कहते हैं कि मैं अबू सुलैमान रह॰ के साथ हज को गया, जब एहराम बांधना शुरू किया तो उन्होंने लब्बैक न कही, यहां तक कि हम एक मील चले, इसके बाद उनको ग़शी आ गयी। जब ग़शी से इफ़ाक़ा हुआ तो मुझसे कहने लगे कि अहमद, हक़ तआला शानुहू ने हज़रत मूसा अलैहि॰ की तरफ़ यह वही भेजी थी कि ज़ालिमों से कह दो कि मेरा ज़िक्र कम किया करें, इसलिये कि (जब आदमी अल्लाह जल्ल शानुहू का ज़िक्र करता है तो अल्लाह जल्ल शानुहू के इर्शाद "फ़ज़्कुरूनी अज़्कुर्कुम" (तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा) कि बिना पर हक़ तआला शानुहू भी उस ज़ालिम का ज़िक्र करते हैं। इस बिना पर फ़रमाया) कि मैं उस ज़ालिम का ज़िक्र लानत से करता हूं। इस के बाद अबू सुलैमान रह॰ ने कहा कि अहमद, मुझे यह बताया गया कि जो शख़्स नाजायज़

उमूर के साथ हज करता है और लब्बैक कहता है तो हक़ तआला शानुहू फ़रमाते हैं ला लब्बैक, तेरी लब्बैक क़ुबूल नहीं, जब तक इन नाजायज़ उमूर को न छोड़े।

(इत्तिहाफ़)

तिर्मिज़ी शरीफ़ में हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ि॰ से रिवायत की है कि अक़्लमंद शख़्स वह है, जो अपने नफ़्स से हिसाब करता रहे और आख़िरत के लिये अमल करता रहे, और आजिज़ व बेवक़ूफ़ है वह शख़्स जो अपने नफ़्स को ख़्वाहिशों की तरफ़ लगाये रखे और अपनी आरज़ुओं के पूरा होने की उम्मीद बांधो रहे। *(नुज़हत)*

लेकिन इस सब के बावजूद अल्लाह के लुत्फ़ व करम का उम्मीदवार भी रहना चाहिए कि उस का फ़ज़्ल और करम हमारे गुनाहों से कहीं ज़्यादा है। हुज़ूर सल्ल॰ की दुआ के अलफ़ाज़ हैं :-

اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِيْ وَرَحْمَتُكَ اَرْجٰى عِنْدِيْ مِنْ عَمَلِيْ

"या अल्लाह तेरी मग़्फ़िरत मेरे गुनाहों से बहुत ज़्यादा वसीअ् है और तेरी रहमत मेरे आमाले हसन: से ज़्यादा उम्मीद के क़ाबिल है।

एक बुज़ुर्ग मक्का मुकर्रमा में सत्तर साल रहे और बराबर हज और उमरे करते रहे, लेकिन जब वह हज या उमरे का एहराम बांधते और लब्बैक कहते तो जवाब ला लब्बैक मिलता। एक मर्तबा एक नौजवान ने उनके साथ ही एहराम बांधा और उनको जब ला लब्बैक का जवाब मिला तो उसने भी सुना, तो वह कहने लगा, चचा जान। आपको तो ला लब्बैक कहा। कहने लगे कि बेटा, तूने भी सुना? उसने कहा, मैंने भी सुना है। इस पर शैख़ रोये और कहने लगे कि बेटा,मैं तो सत्तर वर्ष से यही जवाब सुनता हूँ। जवान ने कहा, फिर क्यों आप इतनी मशक़्क़त हमेशा उठाते हैं? शैख़ ने कहा कि बेटा, इसके सिवा और कौन सा दरवाज़ा है, जिसको पकड़ लूँ और उसके सिवा कौन मेरा है, जिसके पास जाऊँ। मेरा काम तो कोशिश है, वह चाहे रद्द करे या क़ुबूल करे। बेटा, ग़ुलाम को यह ज़ेबा नहीं कि वह इतनी बात की वजह से आक़ा के दर को छोड़ दे। यह कह कर शैख़ रो पड़े। हत्ताकि आंसू सीने तक बहने लगे। इसके बाद फिर लब्बैक कहा तो जवान ने सुना कि जवाब में कहा गया कि हमने तेरी पुकार को क़ुबूल कर लिया और हम ऐसा ही करते हैं हर एक शख़्स के साथ जो हमारे साथ हुस्ने ज़न रखे, बख़िलाफ़ उसके जो अपनी ख़्वाहिशात का इत्तिबाअ् करे और हम पर

उम्मीदें बांधे। जवान ने जब यह जवाब सुना, तो कहने लगा कि चचा, तुमने भी यह जवाब सुना। शैख़ यह कह कर कि मैंने भी सुन लिया, इतना रोये कि चीखें निकल गयीं।

अबू अब्दुल्लाह जिला रह० कहते हैं कि मैं ज़ुलहुलैफ़ा में था, एक नौजवान ने एहराम बांधने का इरादा किया और वह बार बार यह कह रहा था, ऐ मेरे रब, मुझे यह डर है कि मैं लब्बैक कहूँ और तू ला लब्बैक कह दे। कई मर्तबा यही कहता रहा, आख़िर एक मर्तबा उसने ज़ोर से लब्बैक अल्लाहुम्मा कहा और उसी में रूह निकल गयी।

(मुसामरात)

अली बिन मुवफ़्फ़क़ रह० कहते हैं कि मैं अर्फ़े की शब (रात) में मिना की मस्जिद में ज़रा सोया, तो मैंने ख़्वाब में देखा, कि दो फ़रिश्ते सब्ज़ लिबास पहने हुए आसमान से उतरे। एक ने दूसरे से पूछा कि इस साल कितने आदमियों ने हज किया है ? दूसरे ने जवाब दिया कि मुझे तो मालूम नहीं, तो उस पूछने वाले ने खुद ही कहा कि छः लाख आदमी हैं। उसने फिर सवाल किया कि तुम्हें मालूम है कि इनमें से कितने आदमियों का हज क़ुबूल हुआ। उसने जवाब दिया कि मुझे तो मालूम नहीं। उसने खुद ही बताया कि इनमें से सिर्फ़ छः आदमियों का हज क़ुबूल हुआ। यह कह कर वे दोनों आसमान की तरफ़ चले गये।

इब्ने मुवफ़्फ़क़ रह० कहते हैं कि इस ख़्वाब की वजह से घबरा कर मेरी आंख खुल गयी और मुझे बड़ा सख़्त फ़िक्र व ग़म सवार हो गया। खुद अपने बारे में सोच में पड़ गया कि छः आदमी कुल हैं, जिनका हज क़ुबूल हुआ, मैं भला उनमें कैसे हो सकता हूँ? इसके बाद अरफ़ात से वापसी पर भी मैं मज्मे को देख रहा था और सख़्त फ़िक्र में था कि इतना बड़ा मज्मा और इसमें से सिर्फ़ छः आदमियों का हज क़ुबूल हुआ है। मुज़दलिफ़ा में इसी सोच में मेरी आंख लग गयी, तो वही दो फ़रिश्ते फिर नज़र आये और वही सवाल व जवाब जो ऊपर गुज़रे, आपस में किये। इसके बाद उस फ़रिश्ते ने कहा कि तुम्हें मालूम है कि अल्लाह जल्ल शानुहू ने इसमें क्या हुक्म फ़रमा दिया? दूसरे ने कहा मुझे तो मालूम नहीं, तो उसने कहा यह फ़ैसला हुआ है कि उन छः में से हर एक के तुफ़ैल में एक एक लाख का हज क़ुबूल कर लिया जाये।

इब्ने मुवफ़्फ़क़ रह० कहते हैं कि फिर जो मेरी आंख खुली तो मुझे इतनी ख़ुशी हो रही थी कि बयान से बाहर है।

इन्हीं बुज़ुर्ग का एक और क़िस्सा लिखा है, वह कहते हैं कि मैंने एक साल हज किया। इसके बाद मुझे तरस आया कि बाज़ आदमी ऐसे भी होंगे जिनका हज क़ुबूल न हुआ हो, तो मैंने दुआ की कि या अल्लाह मैंने अपना हज उसको बख़्शा, जिसका हज क़ाबिले क़ुबूल न हो।

(रौज़ुर्रयाहीन में इस क़िस्से में कुछ अल्फ़ाज़ की कमी बेशी है, उस में लिखा है कि मैंने पचास से ज़्यादा हज किये और उन सबका सवाब हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन और अपने वालिदैन को बख़्शता रहा। एक हज रह गया, मैंने अरफ़ात के मैदान में लोगों के रोने की आवाज़ सुनकर उसको बख़्श दिया, जिसका हज क़ुबूल न हुआ हो) इसके बाद मुज़्दलिफ़ा में मुझे ख़्वाब में अल्लाह जल्ल शानुहू की ज़ियारत हुई। हक़ तआला शानुहू ने फ़रमाया कि ऐ अली, तू मुझसे ज़्यादा सख़ी बनना चाहता है। मैंने सख़ावत पैदा की और मैंने सख़ी लोगों को पैदा किया। मैं तमाम सख़ी लोगों से ज़्यादा सख़ी, सारे करीमों से ज़्यादा करीम, सारे बख़्शिश करने वालों से ज़्यादा बख़्शिश करने वाला, मैंने हर उस शख़्स का हज, जो क़ाबिले क़ुबूल न था, उसके तुफ़ैल में क़ुबूल कर लिया, जिसका हज मक़्बूल था। *(इत्तिहाफ़)*

और रौज़ में है कि मैंने उन सबको बख़्श दिया और उनके साथ उन से कई चंद लोगों को और उनमें से हर शख़्स की सिफ़ारिश उसके घरवालों में, उसके दोस्तों में और उसके पड़ोसियों में क़ुबूल की।

अबू अब्दुल्लाह जौहरी रह० का भी एक क़िस्सा इस क़िस्म का रिसाले के ख़त्म पर हिकायात में नं० 13 पर आ रहा है और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ि० के लब्बैक न कह सकने का क़िस्सा हिकायात में नं० 17 पर आ रहा है। इन वाक़िआत से मालूम हुआ कि अल्लाह जल्ल शानुहू के लुत्फ़ व करम से यह उम्मीद रखना चाहिए कि वह महज़ अपने करम से नवाज़ देगा।

एक हदीस में आया है कि वह शख़्स बहुत बड़ा गुनहगार है जो अरफ़ात के मैदान में भी यह समझे कि मेरी मग़्फ़िरत नहीं हुई। *(इत्तिहाफ़)*

(٧) عن ابی موسیٰ رفعه الی النبی صلی الله علیه وسلم قال الحاج یشفع فی اربعمائة اهل بیت اوقال من اهل بیته ویخرج من ذنوبه کیوم ولدته امه رواه البزار وفیه اولم یسم کذافی الترغیب۔

7. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि हाजी की सिफ़ारिश चार सौ घरानों में मक़्बूल होती है या यह फ़रमाया कि उस के घराने में से चार सौ आदमियों के बारे में क़ुबूल होती है। रावी को शक हो गया कि क्या अल्फ़ाज़ फ़रमाये थे, और यह भी फ़रमाया कि हाजी अपने गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है, जैसा कि पैदाईश के दिन था।

फ़ायदा:- चार सौ आदमियों के बारे में सिफ़ारिश क़ुबूल होने का यह मतलब है कि इतने लोगों की मग़्फ़िरत का तो गोया अल्लाह जल्ल शानुहू की तरफ़ से वायदा है और इससे ज़्यादा में कोई मानेअ् नहीं।

बहुत सी रिवायतों में यह वारिद हुआ है कि हाजी जिनके लिये दुआ-ए-मग़्फ़िरत करता है, वह क़ुबूल होती है।

हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रह॰ जो मशहूर सूफ़िया में हैं, एक मर्तबा अरफ़ात के मैदान में इर्शाद फ़रमाने लगे कि तुम लोगों का क्या ख़्याल है, अगर यह सारा का सारा मज्मा किसी करीम के दरवाज़े पर जाकर एक छदाम उससे मांगे, क्या वह करीम इंकार कर देगा? लोगों ने कहा, कभी भी इंकार नहीं कर सकता, फ़रमाने लगे कि ख़ुदा की क़सम! अल्लाह जल्ल शानुहू के नज़दीक इन सब की मग़्फ़िरत कर देना, उस करीम के छदाम देने से भी ज़्यादा आसान है, अल्लाह तआला के करम के मुक़ाबले में यह कुछ भी नहीं। *(रौज़ुर्रयाहीन)*

(٨) عن ابن عمرؓ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه ومره ان يستغفرلك قبل ان يدخل بيته فانه مغفور له رواه احمد كذا فى المشكوة

8. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जब किसी हाजी से मुलाक़ात हो तो उसको सलाम करो, उससे मुसाफ़ा करो और इस से पहले कि वह अपने घर में दाख़िल हो, अपने लिये दुआ-ए-मग़्फ़िरत की उससे दर्ख़्वास्त करो कि वह अपने गुनाहों से पाक साफ़ होकर आया है।

फ़ायदा:- एक हदीस में आया है कि मुजाहिद और हाजी अल्लाह का वफ़्द हैं, जो मांगते हैं, वह उनको मिलता है, जो दुआ करते हैं वह क़ुबूल होती है, और दूसरी अहादीस में भी मुख़्तलिफ़ अल्फ़ाज़ से यह मज़्मून वारिद हुआ है।

एक हदीस में खुद हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की यह दुआ आयी है कि या अल्लाह, तू हाजी की भी मग़्फ़िरत कर और जिस की मग़्फ़िरत की हाजी दुआ करे, उसकी भी मग़्फ़िरत फ़रमा।

एक हदीस में आया है कि हुज़ूर सल्ल॰ ने तीन मर्तबा यह दुआ की, इससे और भी ज़्यादा ताकीद मालूम होती है।

हज़रत उमर रज़ि॰ से नक्ल किया गया कि हाजी की भी अल्लाह के यहां से मग़्फ़िरत है और हाजी 20 रबीउल अव्वल तक जिसके लिये दुआ-ए-मग़्फ़िरत करे, उसकी भी मग़्फ़िरत है। सलफ़ (पहले बुज़ुर्गों) का मामूल था कि वे हुज्जाज की मुशायअत (रुख़्सत करते वक़्त दूर तक साथ चलना) भी करते थे और उनका इस्तिक़बाल भी करते थे। और उनसे दुआ की दर्ख़्वास्त करते थे। (इत्तिहाफ़)

(٩) عن بريدةؓ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة فى الحج كالنفقة فى سبيل الله بسبعمائة ضعف . رواه احمد والطبرانى والبيهقى و اسناد احمد حسن كذا فى الترغيب.

9. हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि हज में ख़र्च करना जिहाद में ख़र्च करने की तरह से एक (रूपया) का बदला सात सौ (रूपया) है।

फ़ायदा:- एक हदीस में आया है कि हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत आइशा रज़ि॰ से इर्शाद फ़रमाया कि तेरे उमरे का सवाब तेरे ख़र्च के बक़द्र है, यानी जितना ज़्यादा उसमें ख़र्च किया जायेगा, उतना ही सवाब होगा।

एक हदीस में है कि हज में ख़र्च करना अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना है, जिसका सवाब सात सौ दर्जा मुज़ाअफ़ होता है। (कंज़)

एक हदीस में आया है कि हज में ख़र्च करना एक दिरम चार करोड़ दिरम के बराबर है। यानी एक रूपया चार करोड़ रूपये ख़र्च करने के बराबर है। इसके बाद भी अगर मुसलमान वहां जाकर रूपया ख़र्च करने में बुख़्ल और कंजूसी का ख़्याल करे तो किस क़दर ख़सारे की बात है।

मशाइख़ ने हज के आदाब में ख़र्च करने में तंगी न करना ख़ास तौर से ज़िक्र किया है।

इमाम ग़ज़ाली रह॰ फ़रमाते हैं कि इसराफ़ से मुराद अच्छे अच्छे लज़ीज़ चीज़ों के खाने और पीने में ख़र्च करना मुराद है, लेकिन यहां के लोगों पर ख़र्च करने में कोई इस्राफ़ है ही नहीं। मेरे मशाइख़ का इर्शाद है कि अगर खाने पीने की चीज़ों में भी वहां के ताजिरों की इआनत का इरादा कर ले, तो यह भी फिर अपनी ज़ात पर ख़र्च के बजाये यहां के अहले ज़रूरत पर ख़र्च बन जाता है, इसका ख़ुसूसियत से ख़्याल रखना चाहिए।

मुझे अपने आक़ा व मुर्शिद हज़रते अक़्दस मौलाना ख़लील अहमद साहिब नव्वरल्लाहु मर्क़दहू की हम रकाबी (साथ) में दो मर्तबा इस पाक ज़मीन पर हाज़िरी की सआदत नसीब हुई। मैंने हमेशा हज़रत का यह मामूल बड़ी ख़ुसूसियत से देखा कि यहां के क़ियाम में हिंद के वाक़िफ़ जाने वाले अगर कोई हदिया पेश करते तो अव्वल तो हज़रत बड़े इसरार से उसको यह कह कर वापस फ़रमाते कि यहां के लोग ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं, उनकी ख़िदमत में पेश किया जाये। मख़्सूस अहले फ़ज़्ल व कमाल का पता भी बता देते। इसके बाद अगर कोई इसरार करता तो मजबूरन हज़रत क़ुबूल फ़रमा कर इस नाकारा को इस इर्शाद के साथ मरहमत फ़रमा देते, इसकी कोई चीज़ बाज़ार से मंगा लेना कि यहां के ताजिरों की भी मदद करना चाहिए।

हज़रत उमर रज़ि॰ का इर्शाद है कि आदमी के करीम होने के आसार में से है कि उसके सफ़र का तोशा उम्दा हो।

उलमा ने लिखा है कि तोशा के उम्दा होने से ख़ुद उसका बेहतर होना भी मुराद हो सकता है और ख़र्च करने में तबीअत पर बार न हो, यह भी मुराद हो सकता है।

हज़रत उमर रज़ि॰ का दूसरा इर्शाद है कि बेहतरीन हाजी वह है, जिसकी नीयत में इख़्लास हो, नफ़्क़ा बेहतर हो और अल्लाह के साथ यक़ीने कामिल हो।

(इत्तिहाफ़)

एक ज़ईफ़ हदीस में आया है कि जो शख़्स अल्लाह की रिज़ा की जगह ख़र्च करने में बुख़्ल करता है, उसको इससे कई गुना ज़्यादा अल्लाह की नाराज़ी में ख़र्च करना पड़ता है। और जो शख़्स किसी दुन्यवी ग़रज़ से हज्जे फ़र्ज़ को ताख़ीर करता है, उसकी यह ग़रज़ उस वक़्त तक मुअख़्ख़र कर दी जाती है जब तक लोग हज से फ़ारिग़ होकर न आ जायें। और जो शख़्स अपने किसी मुसलमान

भाई की मदद करने से पहलू तही करता है, उसको किसी गुनाह की चीज़ में इआनत (मदद) करना पड़ती है।

(तर्ग़ीब, और 'कंज़' में हज़रत अबू जुहैफ़ा कि रिवायत तिबरानी के हवाले से है)

(۱۰) عن جابرؓ رفعه ماامعرحاج قط قيل لجابرؓ ماالامعار قال ماافتقر رواه الطبرانى فى الاوسط والبزّار ورجاله رجال الصحيح كذا فى الترغيب

10. हज़रत जाबिर रज़ि॰ हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नक़ल करते हैं कि हाजी फ़क़ीर हरगिज़ नहीं हो सकता।

फ़ायदाः- एक दूसरी हदीस में इर्शाद है कि हज और उमरे की कसरत फ़क़्र को रोकती है। *(कंज़)*

एक और हदीस में है कि लगातार हज व उमरा बुरे ख़ात्मे से भी हिफ़ाज़त का सबब है। और फ़क़्र को भी रोकते हैं। *(कंज़)*

एक हदीस में है कि हज करो, ग़नी बनोगे, सफ़र करो, सेहतयाब होगे। *(कंज़)*

यानी तब्दीले आब व हवा अक्सर सेहत का सबब होती है और बहुत कसरत से इसका तजुर्बा हुआ है।

एक हदीस में है कि लगातार हज व उमरा फ़क़्र और गुनाहों को ऐसा दूर करते हैं, जैसा कि आग की भट्टी लोहे के मैल को दूर करती है। *(कंज़)*

(۱۱) عن عائشةؓ قالت استأذنت النبى صلى الله عليه وسلم فى الجهاد فقال جهاد كن الحج (متفق عليه ،مشكوٰة)

11. हज़रत आइशा रज़ि॰ फ़रमाती हैं कि मैंने हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से जिहाद में शिर्कत की इजाज़त मांगी। हुज़ूर सल्ल॰ ने इर्शाद फ़रमाया कि तुम्हारा जिहाद हज्ज है।

फ़ायदाः- एक और हदीस में हज़रत आइशा रज़ि॰ से नक़ल किया है कि उन्होंने हुज़ूर सल्ल॰ से पूछा कि क्या औरतों पर भी जिहाद है? हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि हां, ऐसा जिहाद है जिसमें क़िताल नहीं और वह हज और उमरा है। *(मिश्कात)*

हज़रत हुसैन रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि एक शख़्स हुज़ूर सल्ल॰ की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया मैं ज़ईफ़ भी हूं और कम हिम्मत भी हूं। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया आओ, मैं तुम्हें ऐसा जिहाद बताऊं, जिसमें कोई कांटा भी नहीं चुभता (यानी ज़ख़्म ज़रा भी नहीं) और वह है हज। *(तर्ग़ीब)*

एक हदीस में हज़रत आइशा रज़ि॰ से नक़ल किया है, उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, हम देखते हैं कि जिहाद सब आमाल से अफ़्ज़ल है, क्या हम औरतें जिहाद न किया करें? हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया तुम्हारे लिये अफ़ज़ल जिहाद हज्जे मक़्बूल है। *(तर्ग़ीब)*

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्ल॰ ने इर्शाद फ़रमाया है कि बूढ़े और ज़ईफ़ लोगों का और औरतों का जिहाद हज है। *(तर्ग़ीब)*

एक और हदीस में है कि बच्चे और बूढ़े और ज़ईफ़ आदमियों का और औरतों का जिहाद, हज और उमरा है। *(कंज़)*

इस क़िस्म के बहुत से इर्शादात अहादीस में वारिद हैं और इन सब के अलावा एक इर्शाद हुज़ूर सल्ल॰ का अहादीस में आया है और वह यह है कि हुज़ूर सल्ल॰ ने अपने हज के मौक़े पर औरतों से इर्शाद फ़रमाया कि यह हज है, जिसको तुम कर रही हो, इसके बाद अपने घर के बोरियों पर रहना।

इस हदीस पाक की वजह से उम्महातुल मुअ्मनीन में से हज़रत ज़ैनब रज़ि॰ और हज़रत सौदा रज़ि॰ ने तो कोई हज इसके बाद नहीं किया और यह फ़रमाया करती थीं कि जब हमने हुज़ूर सल्ल॰ से खुद यह इर्शाद सुना है, फिर कैसे घर से सफ़र के लिये निकलें, लेकिन और बाक़ी अज़्वाजे मुतहहरात पहली अहादीस की बिना पर हज और उमरे के लिये तशरीफ़ ले जाती रहीं।

(तर्ग़ीब)

हुज़ूर सल्ल॰ के दोनों इर्शाद अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं और इन में कोई तआरूज़ (टकराव) नहीं। असल यह है कि औरतों का मस्अला बड़ा नाज़ुक है, उनका सफ़र बड़ी शरायत को चाहता है। इसलिये जहां तक हज और उमरे और उनकी फ़ज़ीलत का ताल्लुक़ है, औरतों के लिये वह बेहतरीन जिहाद है और बेहतरीन इबादत है, लेकिन चूंकि इसमें कुछ शरायत और पाबंदियां हैं, जिनका हासिल होना अक्सर दुश्वार हो जाता है, इसलिये एहतियातन हुज़ूर सल्ल॰ ने यह फ़रमा दिया, वह पाबंदी एहतियात की और महरम के वजूद की है।

बहुत सी अहादीस में यह इर्शाद है कि औरत के लिये सफ़र नाजायज़ है, उस वक़्त तक कि उसके साथ कोई महरम न हो।

एक हदीस में है कि कोई मर्द हरगिज़ किसी अजनबी औरत के साथ तंहा मकान में न रहे और कोई औरत हरगिज़ बग़ैर महरम के सफ़र न करे।

(मिश्कात)

एक हदीस में वारिद हुआ है कि औरत पर्दे की चीज़ है। जब वह घर से निकलती है तो शैतान उसके पीछे लग जाता है और उसकी फ़िक्र में रहता है।

एक हदीस में है कि जिस जगह तंहा अजनबी मर्द व औरत होंगे, तीसरा शख़्स वहां शैतान होगा। *(मिश्कात)*

एक हदीस में है कि (ना-महरम) औरतों के पास जाने से बहुत बचो। किसी ने अर्ज़ किया कि हुज़ूर, अगर देवर हो? हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि देवर तो मौत है। *(मिश्कात)*

मौत होने का मतलब यह है कि उसके लिये हलाकत के अस्बाब बवजह हर वक़्त के क़ुर्ब के बहुत ज़्यादा पैदा हो सकते हैं। इस क़िस्म की बहुत सी वईदें अहादीस में वारिद हैं। और सफ़र में बसा औक़ात अजनबी मर्दों के साथ तंहा मकान में रह जाने की नौबत आ जाती है और बग़ैर महरम के तो सफ़र जायज़ ही नहीं, चाहे तंहा रहने की नौबत आये या न आये। पस इस सूरत में नेकी बर्बाद, गुनाह लाज़िम का क़िस्सा हो जाता है।

(۱۲) عن ابن عباسؓ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من اراد الحج فلیتعجل رواه ابوداؤد وفی الترغیب بلفظ اخر عن الاصبهانی.

12. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जो हज का इरादा करे, उसको जल्दी करना चाहिए।

फ़ायदाः- दूसरी हदीस में यह इर्शाद है कि फ़र्ज़ हज में जल्दी करो, न मालूम क्या बात पेश आ जाये। *(तर्ग़ीब)*

एक और हदीस में इर्शाद है कि हज में जल्दी करो, किसी को बाद की क्या ख़बर है कि कोई मर्ज़ पेश आ जाये या कोई और ज़रूरत दर्मियान में लाहिक़ हो जाये। *(कंज़)*

एक और हदीस में है कि हज निकाह से मुक़द्दम है। *(कंज़)*

एक हदीस में है कि जिस को हज करना है, जल्दी करना चाहिए, कभी आदमी बीमार हो जाता है, कभी सवारी का इंतिज़ाम नहीं रहता, कभी और कोई ज़रूरत लाहिक़ हो जाती है। *(कंज़)*

एक हदीस में है कि हज करने में जल्दी करो, न मालूम क्या उज़्र पेश आ जाये। *(कंज़)*

इन अहादीस की बिना पर इमामों में से एक बड़ी जमाअत का मज़हब यह है कि जब किसी शख़्स पर हज फ़र्ज़ हो जाये तो उसको फ़ौरन अदा करना वाजिब है, ताख़ीर करने से गुनहगार होता है।

एक हदीस में आया है कि फ़र्ज़ हज अदा करो, वह बीस मर्तबा जिहाद करने से बढ़ा हुआ है। *(कंज़)*

एक हदीस में है कि हज करना जिहाद है और उमरा करना नफ़्ल है। *(कंज़)*

(۱۳) عن ابی ھریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج حاجًا فمات کتب لہ اجر الحاج الی یوم القیمۃ ومن خرج معتمرا فمات کتب لہ اجر المعتمر الی یوم القیمۃ ومن خرج غازیا فمات کتب لہ اجر الغازی الی یوم القیمۃ رواہ ابو یعلی من روایۃ ابن اسحق وبقیۃ رواتہ ثقات کذا فی الترغیب.

13. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जो शख़्स हज के लिये जाये और रास्ते में इंतिक़ाल कर जाये, उसके लिये क़ियामत तक हज का सवाब लिखा जायेगा और इसी तरह जो शख़्स उमरे के लिये जाये और रास्ते में इंतिक़ाल कर जाये उसको क़ियामत तक उमरे का सवाब मिलता रहेगा, और जो शख़्स जिहाद के लिये निकले और रास्ते में इंतिक़ाल कर जाये, उसके लिये क़ियामत तक मुजाहिद का सवाब लिखा जायेगा।

फ़ायदाः- एक और हदीस में वारिद है कि जो शख़्स हज या उमरे के लिये निकले और मर जाये, न उसकी अदालत में पेशी है, न हिसाब किताब उससे कह दिया जायेगा, कि जन्नत में दाख़िल हो जा। *(तर्ग़ीब)*

एक और हदीस में इर्शाद है कि बैतुल्लाह इस्लाम के स्तूनों में से एक स्तून है, जो शख़्स हज या उमरे के लिये निकले और रास्ते में मर जाये तो जन्नत

में दाख़िल हो जायेगा और जो फ़रागत के बाद वापस हो, वह अज्र और ग़नीमत के साथ वापस होगा। *(तर्ग़ीब)*

ग़नीमत का मतलब यह है कि दुनिया में भी उस ख़र्च का बदला मिलता है, जो हज में ख़र्च किया, जैसा कि हदीस नं॰ 10 के ज़ैल में गुज़र चुका है।

एक और हदीस में इर्शाद है कि जो मक्का के रास्ते में जाते हुए या वापसी में मर जाये, उसकी न पेशी है न हिसाब किताब है। *(तर्ग़ीब)*

एक हदीस में है कि जो शख़्स हज या उमरे के इरादे से मक्का के रास्ते में मर जाये न उसकी पेशी है न हिसाब किताब है वह सीधा जन्नत में दाख़िल हो जायेगा। *(कंज़)*

एक हदीस में है कि आदमी के मरने की बेहतरीन हालत यह है कि हज से फ़रागत पर या रमज़ान के रोज़े रख कर मरे। *(कंज़)*

यानी ये दोनों हालतें ऐसी हैं कि गुनाहों से पाक साफ़ होगा। एक हदीस में है कि जो एहराम की हालत में मरेगा, वह हश्र में लब्बैक कहता हुआ उठेगा। *(कंज़)*

(١٤) عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال ان امرأة من خثعم قالت يارسول الله ان فريضة الله فى الحج ادرك ابى شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه قال نعم وذلك فى حجة الوداع (متفق عليه مشكوٰة)

14. एक सहाबी औरत रज़ि॰ ने हुज़ूर सल्ल॰ से दर्याफ़्त किया कि हुज़ूर, अल्लाह के फ़रीज़ा-ए-हज ने मेरे बाप को ऐसी हालत में पाया कि वह बूढ़े हैं, सवारी पर भी सवार नहीं हो सकते, क्या मैं उनकी तरफ़ से हज्जे बदल करूँ? हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि हां उनकी तरफ़ से हज करो।

फ़ायदा:- एक दूसरी हदीस में है कि एक सहाबी मर्द ने हुज़ूर सल्ल॰ से दर्याफ़्त किया कि मेरी हमशीरा ने हज की नज़्र की थी। अब उनका इंतिक़ाल हो गया, क्या करना चाहिए? हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि अगर उनके ज़िम्मे किसी का क़र्ज़ होता तो तुम अदा करते या न करते? उन्होंने अर्ज़ किया जी हुज़ूर सल्ल॰, अदा करता। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि यह अल्लाह का क़र्ज़ है, इसको अदा करो। *(मिश्कात)*

एक और सहाबी रज़ि॰ का क़िस्सा है कि उन्होंने हुज़ूर सल्ल॰ से अर्ज़ किया कि मेरे वालिद बहुत बूढ़े हैं, न हज कर सकते हैं, न उमरा कर सकते हैं। न सफ़र कर सकते हैं। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि अपने वालिद की तरफ़ से हज भी करो, उमरा भी करो। *(मिश्कात)*

एक हदीस में हुज़ूर सल्ल॰ ने इस नौअ् (क़िस्म) के सवाल के जवाब में फ़रमाया, अगर तेरे बाप के ज़िम्मे क़र्ज़ा होता और तू अदा करता तो वह अदा हो जाता या नहीं? उन्होंने अर्ज़ किया अदा हो जाता। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि, फिर अल्लाह तो बड़े रहम वाले हैं, (यानी वह क़र्ज़ा क्यों न क़ुबूल करेंगे?) अपने बाप की तरफ़ से हज कर। *(कंज़)*

एक हदीस में इर्शाद है कि, जो शख़्स अपने वालिदैन की तरफ़ से उनके इंतिक़ाल के बाद हज करे, उसके लिये जहन्नम की आग से ख़लासी है, और वालिदैन के लिये पूरा हज लिखा जाता है। उसके सवाब में कोई कमी नहीं होती और किसी अपने क़रीबी रिश्तेदार के लिये इससे बढ़कर सिला रहमी नहीं है कि उसके मरने के बाद उसकी तरफ़ से हज करके उस की क़ब्र में पहुँचाये। *(कंज़)*

एक सहाबी रज़ि॰ ने दर्याफ़्त किया कि या रसूलल्लाह, सल्ल॰ जब मेरे वालिदैन ज़िंदा थे तो मैं उनके साथ हुस्ने सुलूक किया करता था। अब उन का इंतिक़ाल हो गया है, अब मैं उनके साथ हुस्ने सुलूक करना चाहता हूँ तो इसका क्या तरीक़ा है? हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि जब अपने लिये नमाज़ पढ़ो तो उनके लिये भी नमाज़ पढ़ो। यानी नमाज़ पढ़ कर उसका सवाब उनको पहुँचाओ और जब अपने लिये रोज़े रखो तो उनके लिये भी रोज़े रखो।

एक सहाबी रज़ि॰ ने हुज़ूर सल्ल॰ से दर्याफ़्त किया कि हम अपने मुर्दों की तरफ़ से सदक़ा करते हैं, हज करते हैं, उनके लिये दुआ-ए-मग़्फ़िरत करते हैं, यह उन तक पहुँचता है? हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया, पहुँचता है और वे इससे ऐसे खुश होते हैं जैसा कि तुम्हारे पास तबाक़ में कोई हदिया पेश किया गया हो। *(मनासिके क़ारी)*

दूसरे की तरफ़ से हज दो तरह किया जाता है।

1. एक सूरत तो यह है कि किसी की तरफ़ से हज्जे नफ़्ल करे, इसके लिये तो कोई शर्त नहीं, जिसका दिल चाहे,जिसकी तरफ़ से चाहे, हज्जे नफ़्ल या

उमरा या तवाफ़ कर सकता है।

2. दूसरी सूरत यह है कि जिसकी तरफ़ से हज्जे बदल करे, उसके ज़िम्मे हज फ़र्ज़ हो, इसके लिये कुछ शराइत हैं, जिनको वक़्त पर उलमा से तहक़ीक़ कर लेना चाहिए।

(١٥) ان الله ليدخل بالحجة الواحدة ثلثة نفر الجنة الميت والحاج عنه والمنفذ لذلك عبهب عن جابر كذا فى الكنز.

15. हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद है कि हक़ तआला शानुहू (हज्जे बदल में) एक हज की वजह से तीन आदमियों को जन्नत में दाख़िल फ़रमाते हैं। एक मुर्दा (जिसकी तरफ़ से हज्जे बदल किया जा रहा है) दूसरा हज करने वाला, तीसरा वह शख़्स (वारिस वग़ैरह) जो अब हज करा रहा है (यानी हज्जे बदल के लिये रूपया दे रहा है।)

फ़ायदा:- एक दूसरी हदीस में है कि जो शख़्स किसी की तरफ़ से हज करे, उस हज करने वाले को भी उतना ही सवाब होता है, जितना उस शख़्स को हो, जिसकी तरफ़ से हज किया जाता है। *(कंज़)*

इब्ने मुवफ़्फ़क़ रह॰ कहते हैं कि मैंने हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ़ से मुतअद्दद हज किये। एक मर्तबा ख़्वाब में हुज़ूर सल्ल॰ की ज़ियारत हुई। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि इब्नुल मुवफ़्फ़क़ तूने मेरी तरफ़ से हज किये। मैंने अर्ज़ किया जी हुज़ूर किये। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया, तूने मेरी तरफ़ से लब्बैक कहा। मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत कहा। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि मैं क़ियामत के दिन उसका बदला दूँगा। कि हश्र के मैदान में तेरा हाथ पकड़ कर जन्नत में दाख़िल कर दूँगा और लोग अपना हिसाब किताब करते रहेंगे। *(इत्तिहाफ़)*

एक हदीस में आया है कि किसी दूसरे की तरफ़ से हज करने में चार शख़्सों को हज का सवाब मिलता है, एक वसीयत करने वाले को, दूसरे उसको जो उस वसीयत को लिखे, तीसरे रूपया ख़र्च करने वाले को, चौथे हज करने वाले को। *(कंज़)*

लेकिन एक बात का निहायत एहतिमाम से ख़्याल रखना चाहिए, वह यह कि हज्जे बदल में नीयत ख़ालिस रखने की एहतिमाम से कोशिश करे, मक़सद

महज़ हज व ज़ियारत और दूसरे की इआनत हो। इस हज की वजह से कोई दुन्यवी मनफ़अत मक़्सूद न हो। अगर ऐसा हुआ तो हज कराने वाले को तो सवाब मिल ही जायेगा, मगर उस हज करने वाले का सवाब तो ख़त्म हुआ।

इमाम ग़ज़ाली रह० ने लिखा है कि जो शख़्स उजरत के साथ हज्जे बदल करता है, वह दीन के अमल से दुनिया कमा रहा है, इसलिये बेहतर यह है कि उसको मुस्तक़िल मश्ग़ला और तिजारत न बनाये कि अल्लाह जल्ल शानुहू दीन के तुफ़ैल दुनिया तो अता फ़रमा देते हैं, लेकिन दुनिया के बदले दीन अता नहीं फ़रमाते, यानी उसकी ग़रज़ तो दुनिया का ईंधन जमा करना हो और उसको सवाब मिल जाये, यह नहीं होता। *(इत्तिहाफ़)*

दूसरी फ़स्ल

हज न करने की वओ़द में

हज अर्काने इस्लाम में एक अहम रुक्न है और इसी पर अर्कान की तमामी हुई है, जैसा कि पहली फ़स्ल में गुज़र चुका है, इसलिये इसमें कोताही पर जितनी सख़्ती हो, वह क़रीने क़यास है। अल्लाह जल्ल शानुहू का इर्शाद है।

आयात

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا ط وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ o (آل عمران ع ١٠)

और अल्लाह जल्ल शानुहू के (खुश करने के) वास्ते लोगों के ज़िम्मे इस मकान (यानी बैतुल्लाह) का हज (फ़र्ज़) है, उस शख़्स के ज़िम्मे है, जो वहां जाने की सबील रखता हो, और जो मुंकिर हो तो (अल्लाह जल्ल शानुहू का क्या नुक़्सान है) अल्लाह तआला तमाम जहांन से ग़नी हैं। (उनको क्या परवाह?)

फ़ायदा:- उलमा ने लिखा है कि हज की फ़रज़ियत की इब्तिदा इसी

आयते शरीफ़ा के नुज़ूल से हुई। *(ऐनी)*

इस आयते शरीफ़ा में बहुत सी ताकीदें जमा हो गयीं -

1. अव्वल "लिल्लाहि" का लाम ईजाब के लिये है जैसा कि अल्लामा ऐनी रह॰ ने लिखा।

2. दूसरे "अलन्नासि" का लफ़्ज़ जो निहायत लुज़ूम पर दलालत करता है, यानी लोगों की गरदनों पर यह हक़ लाज़िम है।

3. तीसरे "अलन्नासि" के बाद "मनिस्त-ता-अ" को ज़िक्र करना, जिसमें दो तरह की ताकीद है, एक बदल की दूसरे इज्माल के बाद तफ़्सील की।

4. चौथे हज न करने वाले को "मन् क-फ़-र" से ताबीर किया।

5. पांचवीं उस पर अपने इस्तिग़ना और बे-परवाही का ज़िक्र फ़रमाया जो बड़े गुस्से की अलामत है और उसकी रूसवाई पर दलालत करता है।

6. छठे उसके साथ सारे जहान से इस्तिग़ना का ज़िक्र फ़रमाया जिससे और भी ज़्यादा ग़ुस्से का इज़्हार होता है। *(इत्तिहाफ़)*

इसमें कई नम्बर ऐसे हैं। जो अरबी से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरा मक़सद उनके ज़िक्र करने से यह है कि इस एक ही आयते शरीफ़ा में कई वजह से ताकीद और हज न करने वालों पर इताब है।

हज़रत इब्ने उमर रज़ि॰ से नक़ल किया गया है कि जो शख़्स तन्दुरूस्त हो और पैसे वाला हो कि हज को जा सके और फिर बग़ैर हज किये मर जाये, क़ियामत में उसकी पेशानी पर काफ़िर का लफ़्ज़ लिखा हुआ होगा। इसके बाद उन्होंने यह आयते शरीफ़ा "व मन क-फ़-र" आख़िर तक पढ़ी। *(दुर्रे मंसूर)*

हज़रत सईद बिन जुबैर रह॰, इब्राहीम नख़ई रह॰, मुजाहिद ताऊस रह॰ जो ताबेईन उलमा में मशहूर हैं, इन हज़रात में से हर एक से ये नक़ल किया गया कि अगर मुझे किसी शख़्स के मुताल्लिक़ मालूम हो जाये कि वह ग़नी था, उस पर हज वाजिब था, फिर बग़ैर हज किये मर गया तो मैं उसके जनाज़े की नमाज़ न पढ़ूं। *(इत्तिहाफ़)*

अगरचे अइम्मा-ए-अर्बअः के नज़दीक हज न करने से आदमी काफ़िर नहीं होता, जब तक कि हज का इंकार न करे, लेकिन जो वईदें ऊपर ज़िक्र की गयीं, वे क्या कम हैं और आइंदा जो हुज़ूर सल्ल॰ के इर्शादात इस बारे में आ रहे

हैं, वे मज़ीद बर आं। (यानी वे इरशादात इसके अलावा हैं।)

وَاَنْفِقُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَیْدِیْکُمْ اِلَی التَّہْلُکَۃِ (بقرہ ع ۲٤)

और तुम लोग ख़र्च किया करो अल्लाह के रास्ते में और अपने ही हाथों अपने आप को हलाकत में न डालो।

फ़ायदाः- एक जमाअते मुफ़स्सिरीन से यह नक़ल किया गया कि इस आयते शरीफ़ा में अल्लाह के हुक़ूक़े वाजिबा में ख़र्च न करने पर वईद है और ज़ाहिर है कि जब हज जैसे अहम फ़रीज़े में कोई शख़्स अल्लाह के दिये हुए माल को ख़र्च नहीं करेगा, तो उसकी अपने हाथों हलाकत में क्या शक है।

(۱) عن علیؓ قال قال رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم من ملك زادًا وّراحلة تبلغه الٰی بیت اللّٰہ ولم یحج فلا علیه ان یموت یهودیا اونصرانیا وذٰلك انّ اللّٰہ تبارك وتعالٰی یقول وَلِلّٰہِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَیْہِ سَبِیْلًا ط رواہ الترمذی وقال ھذاحدیث غریب وفی اسنادہ مقال کذا فی المشکوٰة

1. हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद है कि जिस शख़्स के पास इतना ख़र्च हो और सवारी का इंतिज़ाम हो कि बैतुल्लाह शरीफ़ जा सके और फिर वह हज न करे तो कोई फ़र्क़ नहीं इस बात में कि वह यहूदी होकर मर जाये या नसरानी होकर। इस के बाद हुज़ूर सल्ल॰ ने अपने इस इर्शाद की ताईद में वह आयत पढ़ी जो ऊपर गुज़री "व लिल्लाहि अलन्ना-सि हिज्जुल् बैति"

फ़ायदाः- मुहद्दिसीन के क़वाइद के मुवाफ़िक़ इस हदीस की सनद में कलाम है, लेकिन ऊपर की आयते शरीफ़ा और दूसरी रिवायात से इस हदीस शरीफ़ की ताईद होती है।

इमाम ग़ज़ाली रह॰ फ़रमाते हैं कि कितनी अहम इबादत है कि इस का छोड़ने वाला गुमराही में यहूद और नसारा के बराबर शुमार होता है।

(۲) عن ابی امامة قال قال رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم من لم یمنعه من الحج حاجة ظاهرة اوسلطان جابراومرض حابس فمات ولم یحج فلیمت ان شاء یهودیا وان شاء نصرانیا رواہ الدارمی کذا فی المشکوٰة وفی الاتحاف روی الحدیث. بالفاظ مختلفة وکذا بسط طرقه السیوطی فی الدر

2. हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद है कि जिस शख़्स के लिये कोई वाक़ई मजबूरी हज से मानेअ् न हो, ज़ालिम बादशाह की तरफ़ से रोक न हो या ऐसा शदीद मर्ज़ न हो जो हज से रोक दे फिर वह बग़ैर हज किये मर जाये तो उसको इख़्तियार है कि चाहे यहूदी हो कर मरे या नसरानी मरे।

फ़ायदाः- हज़रत उमर रज़ि॰ से भी यह मज़्मून नक़ल किया गया कि उन्होनें तीन दफ़ा फ़रमाया कि ऐसा शख़्स चाहे यहूदी होकर मरे, चाहे नसरानी मरे।

दूसरीं हदीस में हज़रत उमर रज़ि॰ से यह नक़ल किया गया कि जो शख़्स हज की ताक़त रखता हो और हज न करे। क़सम खाकर कह दो कि वह नसरानी मरा है या यहूदी मरा है। *(कंज़)*

हज़रत उमर रज़ि॰ का यह इर्शाद मुम्किन है कि उनकी यही तहक़ीक़ हो, वरना उलमा के नज़दीक हज न करने से काफ़िर नहीं होता, इंकार से काफ़िर होता है।

एक और हदीस में हज़रत उमर रज़ि॰ से नक़ल किया गया कि मेरा दिल चाहता है कि तमाम शहरों में ऐलान करा दूँ कि जो शख़्स बावजदू क़ुदरत के हज न करे, उस पर जिज़्या मुक़र्रर कर दिया जाये। यह मुसलमान नहीं, मुसलमान नहीं। *(कंज़ व इत्तिहाफ़)*

जिज़्या काफ़िरों पर मुक़र्रर किया जाता है, मुसलमान पर जिज़्या नहीं होता। (۳) من كان له مال يبلغه حج بيت ربه او تجب عليه فيه الزكوة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت. (ت عن ابن عباس كنز)

3. हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि॰ ने फ़रमाया कि जिस शख़्स के पास इतना माल हो जो हज कर सके और हज न करे या इतना माल हो जिस पर ज़कात वाजिब हो और ज़कात अदा न करे, वह मरते वक़्त दुनिया में वापस आने की तमन्ना करेगा।

फ़ायदाः- तमन्ना करने से क़ुरआन पाक की उस आयत शरीफ़ा की तरफ़ इशारा है, जिसमें इर्शाद है:-

حَتّٰى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ۝ لَعَلِّيْٓ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا ۗ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ۗ وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۝ (مؤمنون)

तर्जुमाः- हत्ता कि जब उनमें से किसी को मौत आने लगती है, उस वक़्त कहता है कि "ऐ मेरे रब, मुझको दुनिया में वापस कर दीजिये ताकि मैं जिस (माल व मताअ्) को छोड़ आया हूँ उसमें फिर नेक काम करूँ। (अल्लाह जल्ल शानुहू फ़रमाते हैं) ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। यह उस की एक बात है जिसको वह कहे जा रहा है और इनके आगे बर्ज़ख़ का आलम (यानी क़ब्र में रहना) है क़ियामत तक के लिये।

हज़रत आइशा रज़ि॰ फ़रमाती हैं कि गुनाहगारों के लिये क़ब्र में हलाकत है कि काले सांप उनके सर से और पांव से डसना शुरू करते हैं, यहां तक कि डसते डसते बीच के हिस्से में सर और पांव वाले मिल जाते हैं। यही वह बर्ज़ख़ का अज़ाब है, जिसका इस आयते शरीफ़ा में ज़िक्र है। *(दुर्रे मंसूर)*

एक हदीस में आया है कि, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि॰ ने फ़रमाया कि जिस शख़्स के पास हज को जाने का सामान हो और हज न करे या उसके पास माल हो और ज़कात अदा न करे, वह मरते वक़्त दुनिया में वापस किये जाने की दर्ख़्वास्त करेगा, किसी शख़्स ने अर्ज़ किया कि दुनिया में वापसी की तमन्ना काफ़िर करेंगे। यानि ये आयते शरीफ़ा मुसलमानों के लिये नहीं है वे दुनिया में वापसी की तमन्ना नहीं करेंगे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि॰ ने फ़रमाया कि मैं क़ुरआन पाक की दूसरी आयतें सुनाता हूँ, जिनमें मुसलमानों ही का ज़िक्र है। इसके बाद इब्ने अब्बास रज़ि॰ ने सूरः मुनाफ़िक़ून की आख़िरी आयतें,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُكُمْ

आख़िर सूरः तक पढ़ीं जिनका तर्जुमा यह है कि -

ऐ ईमान वालो, तुमको तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद अल्लाह की याद से ग़ाफ़िल न करने पायें और जो ऐसा करेगा (कि उसके माल-औलाद उसको अल्लाह की याद से ग़ाफ़िल कर दें) यही लोग ख़सारे वाले हैं और हमने जो कुछ माल दिया है उसमें से इससे पहले पहले (अल्लाह के कामों में) ख़र्च कर लो कि तुम में से किसी के (सर पर) मौत आ जाये और वह (हसरत और तमन्ना से) कहने लगे, ऐ मेरे रब, मुझ को थोड़े दिन की और मुहलत क्यों न दी कि मैं ख़ैरात दे लेता और नेक काम करने वालों में शामिल हो जाता। (अब यह तमन्ना बेकार है, इसलिये कि) अल्लाह जल्ल शानुहू जब किसी की उम्र ख़त्म हो जाये, तो हरगिज़ मोहलत नहीं देते और अल्लाह तआला को तुम्हारे सब कामों की पूरी

ख़बर है।

एक दूसरी हदीस में है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि॰ ने यही आयते शरीफ़ा "या अय्युहल्लज़ी-न आमनू" पढ़ी और फ़रमाया कि यह मुसलमान का ज़िक्र है कि जब उसको मौत आती है और उसके पास माल हो, जिसकी ज़कात अदा न की हो या हज न किया हो और अल्लाह के हक़ अदा न किये हों, वह मौत के वक़्त दुनिया में वापस आने की दरख़्वास्त करता है, लेकिन अल्लाह जल्ल शानुहू का इर्शाद है कि "व लंय्युअख़्ख़ि रल्लाहु नफ़सन्" (आयत) अल्लाह जल्ल शानुहू उसको हरगिज़ मोहलत नहीं देते, जिसकी उम्र की मीआद ख़त्म हो चुकी हो। *(दुर्रे मंसूर)*

(٤) عن ابی سعید الخدری ان رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه وسلم قال یقول اللّٰه عزوجل ان عبدًا صححت له جسمه ووسعت علیه فی المعیشة تمضی علیه خمسة اعوام لا یفد الی المحروم رواه ابن حبان فی صحیحه وقال علی بن المنذر اخبرنی بعض اصحابنا کان حسن بن حی یعجبه هذا الحدیث وبه یاخذ ویحب للرجل الموسر الصحیح ان لا یترك الحج خمس سنین کذا فی الترغیب وفی الباب عن خبابؓ وابی هریرةؓ کما فی الکنز۔

4. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि अल्लाह जल्ल शानुहू का फ़रमान है कि जो बंदा ऐसा हो कि मैंने उसको सेहत अता कर रखी हो, और उसकी रोज़ी में वुसअत दे रखी हो और उसके ऊपर पांच साल ऐसे गुज़र जायें कि वह मेरे दरबार में हाज़िर न हो, वह ज़रूर महरूम है।

फ़ायदा:- इस मज़्मून की कई हदीसें रिवायत की गयी है। इस हदीस का तक़ाज़ा यह था कि हर साहिबे सरवत पर अगर उसमें हज की ताक़त हो तो हर पांच साल में एक मर्तबा हज फ़र्ज़ होता लेकिन चूंकि दूसरी अहादीस में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से साफ़ लफ़्ज़ों में यह साबित हो गया कि हज उम्र भर में एक ही मर्तबा फ़र्ज़ है, इसलिये इस हदीस को फ़र्ज़ पर तो हमल नहीं किया जाता, लेकिन ख़ैर व बरकत की महरूमी से क्या इंकार है, जबकि अल्लाह जल्ल शानुहू का इर्शाद भी है और उसकी अता की हुई सेहत और रिज़्क़

की वुसअत भी है। ऐसी हालत में अगर कोई दूसरी दीनी ज़रूरत मुक़द्दम न हो तो फिर हाज़िर होना ही चाहिए। अलबत्ता अगर कोई दूसरी दीनी ज़रूरत राजेह हो तो वह मुक़द्दम होगी और इसी तरह अगर फ़ुक़रा की कसरत हो तो सदक़ा हज्जे नफ़्ल से अफ़ज़ल होगा।

(٥) روی عن ابی جعفر محمد بن علیؒ عن ابیه عن جده قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مامن عبد ولا امة یضعن بنفقة ینفقها فیما یرضی الله الا انفق اضعافها فیما یسخط الله ومامن عبد یدع الحج لحاجة من حوائج الدنیا الارأی المحلقین قبل ان تقضی تلك الحاجة یعنی حجة الاسلام ومامن عبدیدع المشی فی حاجة اخیه المسلم قضیت اولم تقض الاابتلی بمعونة من مائم علیه ولا یوجر فیه . رواه الاصبهانی وفیه نکارة کذا فی الترغیب ورواه فی مجمع الزوائد بروایة الطبرانی فی الکبیر عن ابی جحیفة وقال فیه عبید بن القاسم الاسدی وهو متروك قلت وهو من رواة ابن ماجه وذکره صاحب الکنز.

5. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नक़ल किया गया कि जो कोई भी मर्द या औरत किसी ऐसे ख़र्च में बुख़्ल करे जो अल्लाह की रिज़ा का सबब हो तो वह उससे बहुत ज़्यादा ऐसी जगह ख़र्च करेगा, जो अल्लाह की नाराज़ी का सबब हो, और जो शख़्स किसी दुन्यवी ग़रज़ से हज को जाना मुलतवी करेगा, तो वह अपनी उस ग़रज़ के पूरा होने से पहले देख लेगा कि लोग हज से फ़ारिग़ होकर आ गये, और जो शख़्स किसी मुसलमान की मदद में पांव हिलाने से गुरेज़ करेगा, उसको किसी गुनाह की इआनत में मुब्तला होना पड़ेगा, जिसमें कुछ भी सवाब न हो।

फ़ायदा:- मुहद्दिसीन रहिमहुमुल्लाह के क़वाइद के मुवाफ़िक़ यह रिवायत ज़ईफ़ है, लेकिन ऐसे उमूर में ज़ईफ़ रिवायत ज़िक्र की जाती है, इसलिये मुहद्दिसीन इसको ज़िक्र फ़रमाते हैं, इससे क़त्ए नज़र तजुर्बे से भी इसकी ताईद होती है। जो लोग उमूरे ख़ैर से बचा बचा कर रखते हैं ख़्वाह म ख़्वाह मुक़द्दमात वग़ैरह में, रिश्वतों में और उनसे बढ़ कर बाज़ औक़ात हरामकारियों में, नाच गानों और सिनेमाओं में ख़र्च होने लगता है। अगर अल्लाह की इस अता फ़रमायी हुई दौलत को ख़ैर के कामों में आदमी ख़र्च करे, तो फिर इन बलाओं से हिफ़ाज़त

रहे। यह अम्र ज़रूर क़ाबिले लिहाज़ है कि ये वईदें उसी वक़्त हैं, जबकि इस्तिताअत (गुन्जाइश) के बावजूद फ़र्ज़ हज अदा न करे। और इसके बिल मुक़ाबिल नादारी की हालत में बिल ख़ुसूस जबकि दूसरों के हुक़ूक़ अपने ज़िम्मे हों, उनके हुक़ूक़ की ज़िम्मेदारी नफ़्ल हज से कहीं ज़्यादा है।

इब्ने अमीरूल हाज्ज रह॰ मदख़ल में लिखते हैं कि बाज़ आदमी अपने अहल व अयाल को ज़ियाअ् में (यानी उनका कोई इंतिज़ाम किये बग़ैर) छोड़ कर हज को चले जाते हैं, हालांकि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि आदमी के गुनाह के लिये यही काफ़ी है कि जिस का खाना अपने ज़िम्मे है, उसको ज़ाया कर दे।

तीसरी फ़स्ल

इस सफ़र की मशक़्क़तों के तहम्मुल में

सफ़र ख़्वाह (चाहे) कैसा ही हो, वह फ़ी नफ़्सिही (अपने आप में) मशक़्क़त का सबब है, इसी वजह से शरीअत ने इसमें ख़ुसूसी रिआयत यहां तक फ़रमायी कि फ़र्ज़ नमाज़ें चार रक्अत की जगह दो रक्अत कर दीं।

ख़ुद नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद है कि अस्स-फ़-रु क़ित्अतुम मिनन्नारि॰ (यानी सफ़र आग का एक टुकड़ा है) पस मशक़्क़त तो इसमें होती ही है और फिर यह सफ़र तो ख़ुसूसियत से आशिक़ाना सफ़र है, उश्शाक़ ही की तरह इसको तै करना चाहिए कि उनको कोई बुरा कहे, गालियां दे, पत्थर मारे, जो चाहे करे वे अपने ख़्यालात में मस्त और अपने ज़ौक़ व शौक़ में शादां और फ़रहां रहते हैं, और हर मशक़्क़त का बशर्ते कि किसी दूसरी दीनी मस्लहत या सेहत के ख़िलाफ़ न हो, तहम्मुल करना ज्यादती-ए-अज्र का सबब है।

इमाम ग़ज़ाली रह० ने लिखा है कि इस सफ़र में आदमी जो कुछ ख़र्च करे, उसको निहायत खुश दिली से करे और जो नुक़्सान जानी या माली पहुंचे उसको तीबे ख़ातिर से बर्दाश्त करे कि यह उसके हज के क़ुबूल होने की अलामत है। हज के रास्ते में मुसीबत, जिहाद में ख़र्च करने के बराबर है, कि एक दिरम के बदले में सात सौ दिरम मिलते हैं और हज के रास्ते में तक्लीफ़ का उठाना जिहाद में तक्लीफ़ उठाने के बराबर है, इसलिये जो मशक़्क़त या नुक़्सान बर्दाश्त करेगा, अल्लाह के यहां उसका बड़ा अज्र है, वह ज़ाया नहीं है। *(इत्तिहाफ़)*

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद सही हदीस में है कि हुज़ूर सल्ल० ने हज़रत आइशा रज़ि० से इर्शाद फ़रमाया कि -:

لٰكِنَّ اَجْرَكِ عَلٰى قَدْرِ نَصَبِكِ

तेरे उमरे का सवाब बक़द्र तेरी मशक़्क़त के है, इसलिये यह बात तो ज़ाहिर है कि इस सफ़र में जितनी मशक़्क़त होगी, उतना ही अज्र भी होगा, मगर यह बात ज़रूर क़ाबिले लिहाज़ है कि वही मशक़्क़त अज्र का बाइस है जो मम्दूह हो, बेवजह की मशक़्क़त मम्दूह नहीं।

बुख़ारी शरीफ़ में एक हदीस है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का गुज़र एक शख़्स पर हुआ, जिसके हाथ में रस्सी बंधी हुई थी और दूसरा शख़्स उसी रस्सी से खींच कर उसको तवाफ़ करा रहा था। हुज़ूर सल्ल० ने उस रस्सी को काट दिया और फ़रमाया कि हाथ पकड़ कर खींचो। बज़ाहिर यह शख़्स ना बीना थे या कोई और आरज़ा ऐसा था जिसकी वजह से दूसरे शख़्स की ज़रूरत थी।

इसी तरह एक और क़िस्सा हदीस में है कि हुज़ूर सल्ल० ने देखा कि दो शख़्स किसी रस्सी वग़ैरह से बंधे हुए चल रहे हैं। हुज़ूर सल्ल० ने दर्याफ़्त फ़रमाया कि यह क्या है? उन्होंने अर्ज़ किया कि हमने यह मन्नत मानी है कि इसी तरह आपस में बंधे हुए काबे तक जायेंगे। हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया कि इस रस्सी को तोड़ दो, यह मन्नत सही नहीं है, मन्नत नेक काम में होती है, यह शैतानी हरकत है। *(ऐनी अलल् बुख़ारी)*

अलबत्ता पैदल चलना इस रास्ते में मम्दूह और पसंदीदा है, जिस क़दर तहम्मुल हो सके, उसको बर्दाश्त करना चाहिए।

बाज़ उलमा ने तो इस आयते शरीफ़ा की बिना पर जो रिसाले के शुरू

में:-

وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْكَ رِجَالًا

(आयत) गुज़री है और इसमें "रिजालन्" यानी पैदल चलने वालों को सवारी पर चलने वालों से पहले ज़िक्र किया गया है, यह फ़रमा दिया कि पैदल सफ़र करना सवारी पर हज करने से अफ़ज़ल है और बाज़ उलमा ने यहां तक फ़रमा दिया कि जो लोग पैदल सफ़र के आदी हैं, उन पर हज फ़र्ज़ होने के लिये सवारी के ख़र्चे की ज़रूरत नहीं, जब बदन में ताक़त हो, रास्ता मामून हो, तो उन पर हज फ़र्ज़ हो जाता है। *(ऐनी)*

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पाक इर्शादात में भी हज के लिये पैदल चलने की फ़ज़ीलतें कसरत से वारिद हुई हैं, जिनमें से चंद यहां ज़िक्र की जाती हैं।

अहादीस

(١) عن ابن عباس مرفوعا من حج الى مكة ماشيا حتى رجع كتب له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم قيل وماحسنات الحرم قال كل حسنة بمائة الف حسنة صححه الحاكم كذا فى العينى قلت وفى المستدرك بلفظ من حج من مكة ماشيا حتى يرجع الى مكة الحديث وهكذا فى الكنز وقال قط فى الافراد طباك وتعقب هبق وضعفه.

1. हुज़ूर सल्ल॰ से नक़ल किया गया कि जो शख़्स हज के लिये पैदल जाये और आये, उसके लिये हर हर क़दम पर हरम की नेकियों में से सात सौ नेकियां लिखी जायेंगी। किसी ने अर्ज़ किया कि हरम की नेकियों का क्या मतलब ? हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि हर नेकी एक लाख नेकी के बराबर है।

फ़ायदाः- इस हिसाब से सात सौ नेकियां सात करोड़ के बराबर हो गयीं और हर हर क़दम पर यह सवाब है, तो सारे रास्ते के सवाब का क्या अंदाज़ा हो सकता है?

एक हदीस में आया है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि॰ ने अपने इंतिक़ाल के वक़्त अपनी औलाद को वसीयत फ़रमायी कि पैदल हज किया करो, फिर ऊपर की हदीस बयान की। *(इत्तिहाफुस्साद:)*

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुतअद्दद रिवायात में नक़ल

किया गया कि मस्जिदे हराम में एक नमाज़ का सवाब एक लाख नमाज़ों के बराबर है।

हसन बसरी रह॰ फ़रमाते हैं कि हरम में एक रोज़ा एक लाख रोज़ों का सवाब रखता है और एक दिरम सदक़ा एक लाख दिरम का सवाब रखता है और इसी तरह हर नेकी जो हरम में की जाये, ग़ैर हरम की एक लाख के बराबर है।
(इत्तिहाफ़)

यहां एक अहम बात यह भी क़ाबिले लिहाज़ है कि जैसा हरमे मोहतरम में एक नेकी का सवाब एक लाख नेकी के बराबर है, वहां गुनाह का वबाल भी बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से बाज़ उलमा ने मक्का मुकर्रमा में क़ियाम को मकरूह लिखा है कि गुनाह आदमी से हो हीं जाता है और वहां गुनाह करना बहुत सख़्त है।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि मैं रकिय्य: (एक जगह का नाम है, जो हरम से बाहर है) में सत्तर गुनाह कर लूं, यह इससे बेहतर है कि मक्का मुकर्रमा में एक गुनाह करूं। *(इत्तिहाफ़)*

छठी फ़स्ल की सातवीं हदीस के ज़ैल (तहत) में यह मज़्मून तफ़्सील से आ रहा है।

(۲)عن عائشةؓ مرفوعًا الملٰئكة لتصافح ركبان الحاج وتعتنق المشاة اخرجه ابن الجوزى فى مثير العزم كذافى الاتحاف وفى الدر اخرجه البيهقى عنها

2. हज़रत आइशा रज़ि॰ हुज़ूर सल्ल॰ से नक़ल फ़रमाती हैं कि फ़रिश्ते उन हाजियों से जो सवारी पर आते हैं मुसाफ़ा करते हैं और जो पैदल चलकर आते हैं उनसे मुआनक़ा करते हैं।

फ़ायदा:- हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि॰ से नक़ल किया गया कि वह जब बीमार हुए तो फ़रमाया कि मुझे किसी चीज़ का इतना अफ़सोस नहीं है, जितना इस बात का है कि मैंने पैदल हज नहीं किया, इसलिये कि अल्लाह जल्ल शानुहू ने "व अज़्ज़िन् फ़िन्नासि बिल् हज्जि॰" (आयत) इस आयते शरीफ़ा में पैदल चलने वालों को पहले ज़िक्र फ़रमाया है। *(दुर्रे मंसूर)*

यह आयते शरीफ़ा और इसका तर्जुमा रिसाले के शुरू में गुज़र चुका है। मुजाहिद रह॰ कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहि॰ ने पैदल हज किया। *(दुर्रे मंसूर)*

एक रिवायत में नक़ल किया गया कि हज़रत आदम अलैहि॰ ने हिन्दुस्तान से पैदल चलकर एक हज़ार हज किये हैं। *(तर्ग़ीब)*

दूसरी हदीस में आया है कि चालीस हज पैदल किये हैं। *(इत्तिहाफ़)*

इब्ने अब्बास रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि अंबिया-ए-किराम अलैहि॰ का मामूल पैदल हज करने का था। *(इत्तिहाफ़)*

मुल्ला अली क़ारी रह॰ ने लिखा है कि अफ़ज़ल यह है कि जब हरम में दाख़िल हो तो उस वक़्त पैदल चले।

इमाम ग़ज़ाली रह॰ ने लिखा है कि जो शख़्स क़ादिर हो, उसके लिये अफ़ज़ल यह है कि पैदल चले, इसलिये कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि॰ ने अपने बेटों को अपने इंतिक़ाल के वक़्त इसकी वसीयत फ़रमायी, और यह फ़रमाया कि पैदल चलने वाले के लिये हर क़दम पर सात सौ नेकियां लिखी जाती हैं और हर नेकी एक लाख के बराबर है। इसलिये जो लोग चलने के आदी हैं और रास्ते का अम्न हासिल हो, उनके लिये पैदल चलना अफ़ज़ल है, अलबत्ता यह शर्त ज़रूरी है कि रास्ता पैदल चलने के लिये मामून हो, और कम अज़ कम मक्का मुकर्रमा से जब अरफ़ात पर हज करने जायें, उस वक़्त तो नौजवानों को और पैदल चलने पर क़ादिर लोगों को पैदल ही चलना चाहिए, कि इसमें अलावा सवाब के हर जगह पर मुस्तहब्बात की रिआयत क़ाबू में रहती है। सवारी के पाबंद होने से हर जगह बे बस होना पड़ता है और बहुत से मुस्तहब्बात तर्क हो जाते हैं और यह सफ़र कुछ तवील (लम्बा) भी नहीं है। आठवीं तारीख़ को मक्का मुकर्रमा से मिना तक जाना है, जो सिर्फ़ तीन मील है, नवीं को सुबह को मिना से अरफ़ात पर जाना है जो पांच छः मील है। ये मामूली मामूली मंज़िलें ऐसी नहीं कि नौजवानों के और चलने पर क़ादिर लोगों के लिये बार हों और सवाब इतना ज़्यादा कि हर क़दम पर सात करोड़ नेकियां मिलें।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि॰ की उस रिवायत में, जो ऊपर ज़िक्र की गयी है, एक रिवायत में यह भी आया है कि जब उन्होंने अपनी औलाद को पांव (पैदल) चलने की वसीयत फ़रमायी, तो उन्होंने दर्याफ़्त किया कि कहां से पांव चला करें, उन्होंने इर्शाद फ़रमाया कि मक्का मुकर्रमा से जब चलो तो पांव चलो।

एक हदीस में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि॰ से नक़ल किया गया कि जो शख़्स मिना से अरफ़ात तक पांव पर जाये, उसको एक लाख नेकियां हरम की

नेकियों में से मिलेंगी।

अली बिन शुऐब रह॰ से नक़ल किया गया कि उन्होंने नीसापुर से पांव चल कर साठ से ज़्यादा हज किये हैं।

और मुग़ीरह बिन हकीम रह॰ से नक़ल किया गया कि उन्होंने मक्का से चल कर पचास से ज़्यादा हज पैदल किये।

और अबुल अब्बास रह॰ से नक़ल किया गया कि उन्होंने अस्सी हज पैदल किये हैं।

और अबु अब्दुल्लाह मग़रिबी रह॰ ने 97 हज पैदल किये हैं,

(इत्तिहाफ़)

क्या अंदाज़ा है इन हज़रात के सवाबों का कि हर क़दम पर सत्तर करोड़ नेकियां उन को मिली होंगी।

क़ाज़ी अयाज़ रह॰ ने शिफ़ा में लिखा है कि एक बुज़ुर्ग ने हज का तमाम रास्ता पैदल क़ता (तै) किया। लोगों ने जब मशक़्क़त का ज़िक्र किया तो फ़रमाया कि जो ग़ुलाम अपने आक़ा से भागा हुआ हो, क्या वह सवारी पर सवार होकर हाज़िर हो? अगर मैं इस की क़ुदरत पाता कि सर के बल चल कर हाज़िर हूँ, तो इसी तरह हाज़िर होता।

यह एक मामूली सी मिसाल है, इस सफ़र में मशक़्क़त बर्दाश्त करने की। इसी तरह हर उस चीज़ में है, जो ख़िलाफ़े तबअ् पेश आये, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का वह इर्शाद जो इस फ़स्ल के शुरू में है, जिसमें हज़रत आइशा रज़ि॰ से फ़रमाया कि तेरा अज्र बक़द्र तेरी मशक़्क़त उठाने के है, हर तक्लीफ़ को शामिल है, लिहाज़ा जितना भी तकालीफ़ का तहम्मुल हो सके, उसको निहायत बशाशत और ख़ंदा पेशानी से बर्दाश्त करना चाहिए, शिकवे शिकायत और बदकलामी, बदगोयी से अपने हज के कसीर अज्र व सवाब को ज़ाया न करना चाहिये।

इमाम ग़ज़ाली रह॰ ने लिखा है कि हरगिज़ मुनासिब नहीं कि अपने साथियों पर बार बार ऐतिराज़ करता रहे, इसी तरह अपने ऊँट वाले पर और दूसरे लोगों पर, बल्कि सबके साथ नर्मी का बर्ताव करे और ख़ुशख़ुल्क़ी को मज़बूत पकड़े और ख़ुशख़ुल्क़ी यह नहीं है कि दूसरों को अज़ीयत न पहुँचाये, बल्कि ख़ुशख़ुल्क़ी यह है कि अज़ीयत का तहम्मुल करे, इसी वजह से बाज़ उलमा ने

सवारी पर हज को अफ़्ज़ल बताया है कि पांव चलने से बसा औक़ात आदमी में हैजान और ग़ुस्सा पैदा हो जाता है। और हज में इससे बहुत एहतियात रखना चाहिये। लिहाज़ा जिन लोगों के पैदल चलने से अख़्लाक़ ख़राब हो जाते हो, दिल में तंगी और मलाल पैदा होता हो, उनको पैदल न चलना चाहिये। *(इत्तिहाफ़)*

ज़ौक़ व शौक़ और रग़बत व इश्तियाक़ इस इबादत की खुसूसियत से जान है, जिस तरह एक आशिक़ महबूब के शहर की तरफ़ सरापा शौक़ व इज़्तिराब के साथ चलता है कि न धूप की परवाह, न बारिश की, न राहत की, न तक्लीफ़ की, न किसी के तान तश्नीअ् की, न बुरा भला कहने की, इसी तरह यह सफ़र भी तै करना चाहिये -

है रीत आशिक़ों की तन-मन निसार करना,
रोना, सितम उठाना, दिल से नियाज़ करना!!

चौथी फ़स्ल

हज की हक़ीक़त में

हज दर हक़ीक़त दो मंज़रों का नमूना है और इसकी हर हर चीज़ में दो हक़ीक़तें पिनहां (छुपी) हैं। अगरचे अल्लाह जल्ल शानुहू के हर हुक्म में लाखों मस्लहतें और हिक्मतें ऐसी हैं कि जिन तक हर शख़्स के ख़्याल की भी रसाई नहीं होती, लेकिन बाज़ मसालेह ऐसी खुली हुई और ज़ाहिर होती हैं जो हर शख़्स के ज़ेहन में आ जाती हैं, इसी तरह हज के हर हर रूक्न में बहुत सी मसालेह तो ऐसी हैं जिन तक ज़हन की रसाई भी नहीं, लेकिन ये दोनों चीज़ें उसके हर हर रूक्न में हर हर ज़ुज़्व में बिल्कुल अयां (ज़ाहिर) हैं। एक यह कि नमूना है मौत का और मरने के बाद के हालात का, दूसरा नमूना है इश्क़ और मुहब्बत के इज़्हार का और रूह को हक़ीक़ी इश्क़ और हक़ीक़ी मुहब्बत से रंगने का। नमूने के तौर पर दोनों मंज़रों की तरफ़ मुख़्तसर तरीक़े से तंबीह की जाती है और इस नमूने पर ग़ौर करने से सब चीज़ों में ये उमूर ज़ाहिर और वाज़ेह हो जायेंगे।

पहला नमूना मौत और उसके माबाद (जो कुछ बाद में है) का मंज़र है कि आदमी जिस वक़्त घर से चलता है, सब अज़ीज़ और अक़ारिब घर बाहर वतन अहबाब को एक लख़्त छोड़ कर दूसरे मुल्क गोया दूसरे आलम का सफ़र इख़्तियार करता है। जिन चीज़ों के साथ दिल मश्ग़ूल था, घर बाहर खेती बाग़ अहबाब की मज्लिसें, सब ही उस वक़्त छूट रही हैं, जैसा कि मरने के वक़्त सब को बयक वक़्त ख़ैरबाद कहना पड़ता है हज को रवानगी के वक़्त सही चीज़ क़ाबिले ग़ौर व फ़िक्र है और क़ाबिले इब्रत व एतिबार है कि जैसा आज आरज़ी मुद्दत के लिये सब कुछ छूट रहा है, बहुत जल्द वह वक़्त भी आने वाला है कि हमेशा के लिये ये सब चीज़ें छूटने वाली हैं। इस के बाद सवारी पर सवार होना, अगर इब्रत और ग़ौर की निगाह से देखा जाये तो जनाज़े पर सवार होकर चल देने की याद ताज़ा करता है। गाड़ी में बैठने के बाद वह भी हर क़दम पर वतन और अहबाब से दूरी और जुदाई बढ़ाती रहती है। और जनाज़ा उठाने वाले भी हर क़दम पर सब अइज़्ज़ा और घर बाहर, साज़ व सामान से दूर ले जाते हैं। कुछ लोग ज़रूर जनाज़े की नमाज़ तक साथ देते हैं और कुछ क़ब्र तक भी पहुँचा देते हैं, और कुछ क़ब्र में रखने और मिट्टी डालने तक भी साथ देते हैं।

ये सारे मंज़र हाजी के साथ भी पेश आते हैं, कुछ लोग घर ही से मुसाफ़ा करके "फ़ी अमानिल्लाह" कह देते हैं। कुछ स्टेशन तक तक्लीफ़ फ़रमा लेते हैं और कुछ बहुत ही ख़ास होते हैं जो आगे जहाज़ तक भी पहुँचा देते हैं। जहाज़ (और क़ब्र) में जाने वाले सिर्फ़ वही रफ़ीक़ और साथी होते हैं जो इस आलम तक साथ देने वाले हों, चाहे वे अज़ीज़ व अक़ारिब हों, या माल या मताअ् हो। इनमें बाज़ रफ़ीक़े सफ़र ऐसे मुख़्लिस, ग़मगुसार, राहत रसां होंगे, जो हर हर क़दम पर राहत पहुँचाते हैं, और बाज़ रफ़ीक़ ऐसे बदख़ुल्क़, कज मिज़ाज, ज़िद्दी, झगड़ालू होते हैं, जो सफ़र की हर मंज़िल में बजाये राहत के और मुसीबत का सबब बनते हैं। बेऐनिही (बिल्कुल इसी तरह) यही सारी सूरत आख़िरत के सफ़र में पेश आती है कि क़ब्र में साथ जाने वाले वही रफ़ीक़े सफ़र हैं, जो आख़िर तक साथ रहने वाले हैं। इनमें आमाले हसना हर क़िस्म की राहत और आराम का सबब हैं और आमाले सय्यिआ (बुरे आमाल) हर क़िस्म की अज़ीयत और तक्लीफ़ का सबब हैं, और आमाले हसना निहायत हसीन व जमील आदमी की सूरत में क़ब्र में साथ रहते हैं, और आमाले सय्यिआ, निहायत क़बीह सूरत, डरावनी और गंदी बूदार सूरत में साथ रहते हैं। उस आलम में जितनी राहत पहुँचती है, वह अपने

नेक आमाल से पहुँचती है, जो मरने से पहले कर लिये हों, जैसा कि सफ़रे हज में जितनी राहत पहुँचती है, वह उस माल व ज़र और सामान से पहुँचती है जो सफ़र से पहले मुहय्या क़र लिया हो। हां किसी खुशक़िस्मत के लिये कोई अज़ीज़े क़रीब या दोस्त कुछ पढ़ कर या सदक़ा ख़ैरात कर के कुछ "ईसाले सवाब" कर दे तो मरने के बाद भी अपनी निहायत ज़रूरत के वक़्त काम आ जाता है, जैसा कि हाजी के पास कोई उस का अज़ीज़ या दोस्त बज़रिये हुंडी वग़ैरह कोई रूपया पैसा भेज दे, तो उस सफ़र में कितनी मुसर्रत और खुशी और राहत का सबब उसके लिये बने।

इसके बाद सफ़र के दर्मियान में जितने ख़तरात, डाकू, चोर, सख़्त मिज़ाज हाकिमों की तरफ़ से सामान की तफ़्तीश, हालात की तहक़ीक़ात, पासपोर्ट वग़ैरह की जांच पड़ताल के जितने मनाज़िर हाजी को देखना पड़ते हैं, वे क़ब्र के सारे मंज़रों की याद दिलाते रहते हैं कि मुन्किर नकीर का सवाल भी होगा, अपने ईमान का इम्तिहान भी होगा और सांप बिच्छू वग़ैरह कीड़े मकोड़े भी क़ब्र में तरह तरह से सतायेंगे, आमालनामा भी अपने साथ ही होगा-

وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ

हां बहुत से मालदार जिनको अल्लाह ने दौलत बे शुमार दी है, वे मामूली सी तफ़्तीश और पास पोर्ट वग़ैरह के बाद चंद घंटो में हिजाज़ पहुँच जाते हैं, और जिनके पास नेक आमाल का ज़ख़ीरा मालामाल कर देने वाला हो, वे क़ब्र के इन सारे अहवाल से बेख़बर और बे फ़िक्र दुल्हनों की तरह इसमें ऐसे आराम फ़रमाते हैं कि क़ियामत तक का सारा तवील ज़माना उनके लिये घंटों और मिनटों में गुज़र जायेगा, जैसा कि नयी दुल्हन पहली शब में कमख़्वाब और मख़मल के बिस्तरों पर सोती है, इसी तरह ये लोग क़ब्र में सो जाते हैं।

इसके बाद एहराम की दो सफ़ेद चादरें कफ़न की चादरों की याद हर वक़्त ताज़ा रखती हैं। अगर इब्रत की निगाह हो तो जितने दिन एहराम में बंध रहे, हर वक़्त उसी तरह कफ़न की दो चादरों में लिपटे रहना याद रहना चाहिए, और एहराम के वक़्त लब्बैक (हाज़िर हूँ, हाज़िर हूँ) क़ियामत में पुकारने वाले की आवाज़ पर दौड़ पड़ने की याद दिलाती है:-

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ

(उस दिन सब के सब खुदा की तरफ़ से पुकारने वाले (यानी सूर फूँकने

वाले फ़रिश्ते) के कहने पर हो लेंगे)

وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰى اِلٰى كِتَابِهَا

(तू देखेगा हर उम्मत को ज़ानू पर गिरी हुई और हर उम्मत पुकारी जायेगी अपनी किताब की तरफ़)

और मक्का मुकर्रमा में दाख़िल होना गोया उस आलम में दाख़िल हो जाना है, जिसमें अल्लाह की रहमत की उम्मीद है कि मक्का दारूल अम्न है, लेकिन अपनी बद आमालियों से यह ख़ौफ़ भी ग़ालिब है कि अम्न की जगह भी अम्न न मिले। मक्के का सारा क़याम उसी बीम व रजा की याद को ताज़ा करता रहता है कि इस जगह का अम्न की जगह होना अल्लाह की रहमत और मग़्फ़िरत और करम और लुत्फ़ व इनाम व एहसान की याद ताज़ा करता रहता है और अपनी बद आमालियां जो सारी उम्र की हैं, वे याद आ कर -

"मर के भी चैन न आया तो किधर जायेंगे ।"

की याद ताज़ा करती हैं।

और बैतुल्लाह पर नज़र पड़ना क़ियामत में घर के मालिक के दीदार को याद दिलाता है और जिस क़दर ख़ौफ़, और हैबत, अज़्मत और जलाल का वह मन्ज़र है, वही सारे आदाब उस वक़्त होना चाहियें, जैसा कि किसी बड़े बादशाह के दरबार में हाज़िरी के वक़्त होते हैं।

और बैतुल्लाह का तवाफ़ उन फ़रिश्तों की याद ताज़ा करता है, कि जो अर्शे मुअल्ला का तवाफ़ करते रहते हैं और करते रहेंगे।

और काबे के पर्दों से लिपट कर रोना और मुलतज़म को चिमटना उस क़ुसूरवार की मिसाल है, जो किसी बड़े मुहिसन व मुरब्बी का बड़ा क़ुसूर करके उस का दामन पकड़ कर माफ़ी के लिये रोता है और उसके घर के दर व दीवार को पकड़ कर रोता है कि क़ुसूर की माफ़ी के यही रास्ते हैं और क़ियामत में अपने गुनाहों को याद करके रोने की मिसाल है।

और सफ़ा मर्वः के दर्मियान दौड़ना मैदाने हश्र में इधर उधर दौड़ने की याद ताज़ा करता है। क़ुरआन पाक का इर्शाद है:-

يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ ۝

वाले फ़रिश्ते) के कहने पर हो लेंगे)

وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰى اِلٰى كِتَابِهَا

(तू देखेगा हर उम्मत को ज़ानू पर गिरी हुई और हर उम्मत पुकारी जायेगी अपनी किताब की तरफ़)

और मक्का मुकर्रमा में दाख़िल होना गोया उस आलम में दाख़िल हो जाना है, जिसमें अल्लाह की रहमत की उम्मीद है कि मक्का दारूल अम्न है, लेकिन अपनी बद आमालियों से यह ख़ौफ़ भी ग़ालिब है कि अम्न की जगह भी अम्न न मिले। मक्के का सारा क़याम उसी बीम व रजा की याद को ताज़ा करता रहता है कि इस जगह का अम्न की जगह होना अल्लाह की रहमत और मग़्फ़िरत और करम और लुत्फ़ व इनाम व एहसान की याद ताज़ा करता रहता है और अपनी बद आमालियां जो सारी उम्र की हैं, वे याद आ कर -

"मर के भी चैन न आया तो किधर जायेंगे ।"

की याद ताज़ा करती हैं।

और बैतुल्लाह पर नज़र पड़ना क़ियामत में घर के मालिक के दीदार को याद दिलाता है और जिस क़दर ख़ौफ़, और हैबत, अज़्मत और जलाल का वह मज़्हर है, वही सारे आदाब उस वक़्त होना चाहियें, जैसा कि किसी बड़े बादशाह के दरबार में हाज़िरी के वक़्त होते हैं।

और बैतुल्लाह का तवाफ़ उन फ़रिश्तों की याद ताज़ा करता है, कि जो अर्शे मुअल्ला का तवाफ़ करते रहते हैं और करते रहेंगे।

और काबे के पर्दों से लिपट कर रोना और मुलतज़म को चिमटना उस क़ुसूरवार की मिसाल है, जो किसी बड़े मुहिसन व मुरब्बी का बड़ा क़ुसूर करके उस का दामन पकड़ कर माफ़ी के लिये रोता है और उसके घर के दर व दीवार को पकड़ कर रोता है कि क़ुसूर की माफ़ी के यही रास्ते हैं और क़ियामत में अपने गुनाहों को याद करके रोने की मिसाल है।

और सफ़ा मर्वः के दर्मियान दौड़ना मैदाने हश्र में इधर उधर दौड़ने की याद ताज़ा करता है। क़ुरआन पाक का इर्शाद है:-

يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ ۝

"क़ब्रों से इस तरह निकल रहे होंगे, गोया वे टिड्डी दल हैं, जो परागंदा हैं।"

यह मंज़र बंदे के नाक़िस ख़्याल में क़ियामत के एक अजीब मंज़र की याद ताज़ा करता है, जिसका बड़ा मुफ़स्सल क़िस्सा अहादीस में आता है कि हश्र के दिन जब मख़्लूक़ निहायत परेशान हाल होगी और मसाइब की कसरत से तंग होकर यह सोचेगी कि अंबिया-ए-किराम अलैहि॰ बड़ी ऊँची हस्तियां हैं और अल्लाह के मक़्बूल बंदे हैं, उनसे जाकर सिफ़ारिश की दर्ख़्वास्त करें, इस ख़्याल से सबसे पहले हज़रत आदम अलैहि॰ के पास जाकर अर्ज़ करेंगे कि आप हमारे बाप हैं। अल्लाह ने आपको अपने हाथ से पैदा किया, फ़रिश्तों से सज्दा कराया, खुद हर चीज़ के नाम आप को तालीम दिये, वग़ैरह वग़ैरह, आप हमारी सिफ़ारिश कर दें, तो वे फ़रमायेंगे, मैं तो नहीं कर सकता, अगर मुझसे उस मम्नूअ् दाने के खाने का सवाल हो गया तो क्या होगा? तुम नूह अलैहि॰ के पास जाओ। ये लोग परेशान हाल हज़रत नूह अलैहि॰ के पास जायेंगे, वे भी उज़्र फ़रमा देंगे कि मैंने तूफ़ान के ज़माने में अपने बेटे के बचाने का बे महल सवाल कर लिया था। तुम हज़रत इब्राहीम अलैहि॰ के पास जाओ, वह भी उज़्र फ़रमा कर हज़रत मूसा अलैहि॰ का हवाला देंगे। वह भी उज़्र फ़रमा कर हज़रत ईसा अलैहि॰ का हवाला देंगे। वह हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में जाने का मश्वरा देंगे और यह फ़ख़्र हुज़ूर सल्ल॰ ही के लिये है कि उस जलाल के दिन में सिफ़ारिश की इब्तिदा फ़रमा देंगे।

यह बहुत तवील क़िस्सा है। मुझे तो सिर्फ़ यही मंज़र सामने लाना है कि इधर से उधर और उधर से इधर मारे मारे परेशान हाल एक दिन फिरना है, जो बड़ा सख़्त दिन होगा।

अरफ़ात का मैदान तो हश्र के मैदान का पूरा नमूना है ही, कि आफ़ताब की तमाज़त और सब का एक लक़ व दक़ मैदान में ऐसी हालत में इज्तिमाअ् कि मग़्फ़िरत की उम्मीद है, गुनाहों का ख़ौफ़ है। बंदे के नाक़िस ख़्याल में अरफ़ात के मैदान में बड़ी ग़ौर व फ़िक्र की जो चीज़ है वह अहद व मीसाक़ है, जो अज़ल में "अलस्तु बिरब्बिकुम" से लिया गया था कि आलमे अर्वाह में हक़ सुब्हानहू व तक़द्दुस ने सारी अर्वाह से यह सवाल किया था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, सब ने एक ज़बान होकर कहा था कि बेशक आप हमारे रब हैं।

मिश्कात शरीफ़ में बरिवायत मुस्नद अहमद हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद नक़ल किया है कि यह अहद अरफ़ात ही के मैदान में हुआ था। यह वक़्त और यह जगह इसके याद करने की है कि क्या अहद किया था और उस अहद को किस तरह पूरा किया?

इसके बाद मुज़दलिफ़ा, मिना वग़ैरह के इज्तिमाआत में इमाम ग़ज़ाली रह० फ़रमाते हैं कि इन मवाक़ेअ् में लोगों का इज़्दिहाम और उन का शोर व शग़ब मुख़्तलिफ़ ज़बानें, मुख़्तलिफ़ आवाज़ें और लोगों का अपने अपने इमामों के पीछे चलना क़ियामत के मैदानों में अपने अपने अंबिया और मुक़्तदियों के पीछे चलने की और हैरानी और परेशानी के आलम में कभी यहां और कभी वहां जाने की याद ताज़ा करता है। इन मवाक़ेअ् में आजिज़ी और ज़ारी (रोने) का एहितमाम कर कि काम आने वाली चीज़ है।

यह मुख़्तसर ख़ाका है हज के उस मंज़र का, जो क़ियामत की याद को ताज़ा करता है, जिसको मुख़्तसर अल्फ़ाज़ और मुख़्तसर अहवाल के साथ इशारात के तर्ज़ पर मैंने लिखा है। ग़ौर किया जाये तो इसी नमूने से बहुत सी तफ़्सीलात समझ में आ सकती हैं।

दूसरा मंज़र इज़्हारे इश्क़ व मुहब्बत का है। वह हाजी के हाल से ऐसा ज़ाहिर और वाज़ेह है कि उसके लिये किसी तफ़्सील की हाजत नहीं, बंदों का ताल्लुक़ हक़ तआला शानुहू व तक़द्दुस के साथ दो तरह का है-

1. एक नियाज़ मंदी और बन्दगी का कि वह पाक ज़ात मालिक है, ख़ालिक़ है। इस ताल्लुक़ का मज़्हर नमाज़ है, जो सरासर नियाज़ व इज़्हारे अब्दियत है, इसी लिये इसमें सारी चीज़ें उसी ताल्लुक़ का मज़्हर हैं, कि निहायत वक़ार व सुकून के साथ मौज़ूं लिबास और शाही आदाब के मुनासिब हालात के साथ हाज़िरी दरबार की है कि वुज़ू और पाक कपड़ों के साथ निहायत वक़ार और सुकून से अव्वल कानों पर हाथ रखकर अपनी अब्दियत और अल्लाह जल्ल जलालुहू की बड़ाई का इक़रार करे, फिर हाथ बांध कर मारूज़ा पेश करे, फिर सर झुका कर ताज़ीम करे और फिर ज़मीन पर माथा रगड़ कर अपनी नियाज़मंदी और इज्ज़ का इज़्हार करे और आक़ा की बड़ाई का ज़बान से इक़रार करता रहे और कोई क़ौल और फ़अ्ल उस की बड़ाई और अपने इज्ज़ के खिलाफ़ न हो। इस नौअ् में सुकून और वक़ार की जितनी पाबंदी की जायेगी, वह उसके शायाने

शान होगा, इसीलिये नमाज़ के लिये भाग कर चलना मक्रूह है। नमाज़ के इंतिज़ार में बैठे हुए भी उगंलियों में उगंलियां डालकर बैठना मक्रूह है, नमाज़ में उंगलियां चटख़ाना मक्रूह है, बे ज़रूरत खांसना मक्रूह है हत्ता कि इधर उधर नज़र करना मक्रूह है, बे-तर्तीब यानी ना-मौज़ूं हैअत से कपड़ा पहनना मक्रूह है। ऐसे ही बदन पर कपड़ा लटकाना मक्रूह है। यह इबादत नमाज़ में बात करने से ज़ाया हो जाती है, वुज़ू टूट जाने से जाती रहती है। हत्ताकि बे इख़्तियार और बे इरादा भी हंस पड़ने से ज़ाया हो जाती है हत्ता कि सज्दे में दोनों पांव ज़मीन से उठ जाने से ज़ाया हो जाती है, इसलिऐ कि यह भी सुकून और वक़ार के ख़िलाफ़ है।

2. हक़ तआला शानुहू व तक़द्दुस के साथ दूसरा ताल्लुक़ मुहब्बत और इश्क़ का है, कि वह मुरब्बी है, मुनइम है, मुहि्सन है और जमाल व कमाल के जितने औसाफ़ हो सकते हैं उन सब के साथ मुत्तसिफ़ है। इधर हर आदमी में फ़ितरी तौर पर इश्क़ व मुहब्बतं का माद्दा मौजूद है-

अज़ल से हुस्न परस्ती लिखी थी क़िस्मत में,
मेरा मिज़ाज लड़कपन से आशिक़ाना था।।

पैदा हुए तो हाथ जिगर पर धरे हुए,
क्या जानें हम हैं कब से किसी पर मरे हुए।।

मेरी तिफ़ली में शाने इश्क़ बाज़ी आशकारा थी,
अगर बचपन में खेला खेल तो आंखें लड़ाने का।।

जो चश्म कि बे-नम हो वह हो कोर तो बेहतर,
जो दिल कि हो बे-दाग़ वह जल जाये तो अच्छा।।

तेरे फ़िराक़ में जीना बशर का काम नहीं,
हज़ार शुक्र कि इस उम्र को दवाम नहीं।।

शायद बज़्मे अज़ल ने इक निगाहे नाज़ से,
इश्क़ को इस अंजुमन में मस्नद आरा कर दिया।।

इसी ताल्लुक़ का मज़्हर हज है कि सफ़र की इब्तिदा ही सब ताल्लुक़ात को ख़त्म करके सब अज़ीज़ व अक़ारिब, घर बार से मुंह मोड़ कर कूचा-ए-यार की तरफ़ जाना है और जंगलों और गली कूचों में मारे मारे फिरना है कि यही दो चीज़ें आशिक़ों का काम हैं-

मा व मजनूं हम सबक़ बूदेम दर दीवाने इश्क़,
ओ बसिहरा रफ़्त व मा दर कूचहा रुस्वा शुदेम॥

नया रंग लायी मेरी बेकसी,
छुटा देश जंगल की धुन हो गयी॥

चमन से मुझे शौक़े सहरा हुआ,
नए रंग का मुझको सौदा हुआ॥

हसरत व यास व तमन्ना तुम्हें वहशत की क़सम,
भीड़ छोड़ो मुझे जंगल को निकल जाने दो॥

और यह सारी वहशत और इश्तियाक़ क्यों है? यह इज़्तिराब और बेचैनी आख़िर क्यों मुसल्लत हुई? इसलिये कि महबूब के दर पर उश्शाक़ के इज्तिमाअ् का एक वक़्त मुक़र्रर है, वह क़रीब आ गया–

इजाज़त हो तो आकर मैं भी शामिल उनमें हो जाऊं?
सुना है कल तेरे दर पर हुजूमे आशिक़ां होगा॥

दोस्त आवारगी हमी ख़्वाहद,
रफ़्तने हज बहाना उफ़्तादस्त॥

यानी महबूब आवारगी का नज़ारा देखना चाहता है, हज के सफ़र को उस का बहाना बना दिया और जब इस इरादे और जज़्बे से घर से निकलना है तो यह खूब समझ लेना चाहिए कि इश्क़ में मसाइब एक लाज़िमी चीज़ है-

सालिके राहे मुहब्बत का ख़ुदा हाफ़िज़ है,
इसमें दो चार बहुत सख़्त मक़ाम आते हैं॥

ओ दिल, ज़रा संभल के मुहब्बत का नाम ले,
कमबख़्त, बारे इश्क़ उठाया न जायेगा॥

जब इश्क़ के तुफ़ैल यह मुबारक सफ़र है, तो रास्ते की सब मशक़्क़तें उसी ज़ौक़ और जज़्बे के मातहत होना ज़रूरी हैं और उसी फ़रेफ़्तगी से उनको बर्दाश्त करना चाहिए -

मसाइब, हादसे, आफ़त, अलम, ज़िल्लत, क़ज़ा, तुर्बत,
दिखाती जाये जो उनकी जवानी, देखते जाओ॥

दर्द व ग़म, रंज व अलम, फ़िक्र व कलक़, ख़ौफ़ व हिरास
वह बला कौन सी है जो शबे हिजरां में नहीं॥

अज़ीयत मुसीबत, मलामत बलायें,
तेरे इश्क़ में हमने क्या क्या न देखा॥

उल्फ़त में बराबर है जफ़ा हो कि वफ़ा हो,
हर चीज़ में लज़्ज़त है, अगर दिल में मज़ा हो॥

इसके बाद एहराम भी इसी आशिक़ाना रंग का पूरा मज़्हर है कि न सर पर टोपी, न बदन पर कुर्ता, फ़क़ीराना सूरत, न ख़ुश्बू, न ज़ीनत, एक मज्नूनाना हैअत जो कर्ब व बेचैनी के कमाल को ज़ाहिर करती है।

ख़ुशी से अपनी रूसवाई गवारा हो नहीं सकती,
गरेबां फाड़ता है तंग जब दीवाना आता है॥

चश्म तर ख़ाक बसर चाक गरेबां दिलेज़ार,
इश्क़ का हमने यह दुनिया में नतीजा देखा॥

न रख लिबास का उलझाव तन पे दस्ते जुनूं,
किया है चाक गरेबां तो फाड़ दामन भी॥

असल यह था कि घर से निकलते ही यह हालत शुरू हो जाती। इसी वजह से बाज़ उलमा के नज़दीक घर ही से एहराम बांध कर जाना अफ़ज़ल है मगर चूंकि एहराम के बाद बहुत सी चीज़ें नाजायज़ हो जाती हैं और इस क़िस्म के लिबास का तहम्मुल भी बाज़ नाज़ परवर्दा लोगों को मुश्किल हो जाता है इसलिये अल्लाह की रहमत ने इसकी इजाज़त दे दी कि शुरू से एहराम न बांधा जाये कि उसमें मशक़्क़त होगी, अलबत्ता जब कू-ए-यार के क़रीब पहुँचे तो इस का एहतिमाम ज़रूरी है कि उसके कूचे में इसी हाल में दाख़िल होना है कि सर पर बाल बिखरे हुए हों, लिबास में मजनूनाना हैअत हो, मैले कुचैले हाल में अज़ ख़ुद रफ़्ता आशिक़ों की सी सूरत हो, इसी को हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने पाक इर्शाद में ज़ाहिर फ़रमायी:-

अल हाज्जु अश-शअ्सुतुफ्ल।

"हाजी बिखरे हुए बालों वाला मैला कुचैला होता है", यानी यह कि रास्ते

में कुछ गर्द गुबार भी बेताबी और शौक़ में बदन पर पड़ा हो। इसी हालत को हक़ तआला शानुहू खुद भी तफ़ाखुर के तौर पर फ़रिश्तों से ज़ाहिर फ़रमाते हैं:-

انظروا الى زوار بيتى قد جاء ونى شعثا غبرا

"मेरे घर के मुश्ताक़ों को देखो कि मेरी तरफ़ बिखरे हुए बालों और गर्द व ग़ुबार की हालत में आये हैं"-

अपने दीवानों की फ़रियाद से खुश होते हैं,
पसे दीवार खड़े सुनते हैं, शेवन उनका।।

नाले करता जो मैं फिरता हूँ तो खुश होते हैं,
ग़श वे इस पर हैं कि शोहरत मेरी हर सू हो जाये।

और ज़ाहिर है कि जब जंगलों और पहाड़ों की ख़ाक छानता हुआ रोता पीटता वहां पहुँचा है, तो ये चीज़ें ज़रूर होंगी और जितने असरात उसके ज़्यादा होंगे, उतना ही शौक़ और बेताबी का इज़्हार होगा-

छाने हैं, पाये मुहब्बत से बयाबां क्या क्या,
पार तलवों से हुए ख़ारे मुग़ीलां क्या क्या।।

वहशी ने तेरे ख़ाक उड़ाई यहां तलक,
मिलता नहीं ज़मीं का पता आसमां तलक।।

इसी हालत में मस्तानावार "लब्बैक अल्लाहुम्-म लब्बै-क, लब्बै-क ला शरी-क ल-क लब्बै-क" (मैं हाज़िर हूँ, मैं हाज़िर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाज़िर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाज़िर हूँ, मैं हाज़िर हूँ) का नारा लगाता हुआ रोता और चिल्लाता हुआ, नाला व फ़रियाद करता हुआ पहुँचता है। इसी की तरफ़ हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने पाक इर्शाद "अल हज्जु अल अज्जु वस्सज्जु" में इर्शाद फ़रमाया कि हज (का कमाल खूब) चिल्लाना और क़ुर्बानी का खून बहाना है।

बहुत सी अहादीस में मर्दों के लिये लब्बैक आवाज़ से पढ़ने की तर्ग़ीब है। एक हदीस में हुज़ूर सल्ल० का पाक इर्शाद है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझसे यह कहा है कि अपने साथियों को इस का हुक्म करो कि लब्बैक पुकार कर कहें और ज़ाहिर बात है कि नाला व फ़रियाद के साथ चिल्लाना इश्क़ की जान है:-

नाला कर लेने दें लिल्लाह न छेड़ें अह्बाब,
ज़ब्त करता हूँ तो तक्लीफ़ सिवा होती है॥

फ़ुग़ां में, आह में, फ़रियाद में, शेवन मे, नाले में,
सुनाऊँ दर्दे दिल ताक़त अगर हो सुनने वाले में॥

दम ब दम सीना-ए-सोज़ां से न कर नाला गरम,
पड़ न जायें तेरी मिन्क़ार में छाले बुलबुल,

बेख़ुदी शौक़ की और अर्ज़े तमन्ना उनसे,
नहीं मालूम कि मुंह से मेरे क्या क्या निकला॥

किसी की याद ने क्या क्या नये तोहफ़े दिये हमको,
जिगर में टीस, दिल में दर्द, लब पर आह व नाले हैं॥

कौन होता है मूनिसे शबे ग़म,
नाला होता है, आह होती है॥

इसी बेचैनी और इज़्तिराबे नाला और फ़रियाद के साथ आख़िर वह महबूब के शहर तक पहुँच जाता है और मक्का मुकर्रमा में दाख़िल हो जाता है:-

ढूढँते ढूढँते जा पहुँचे हम उसके घर तक,
दिले गुम गश्ता मेरे हक़ में तू रहबर निकला॥

जज़्बे दिल ने आज कु-ए-यार में पहुँचा दिया,
जीते जी मैं गुलशने जन्नत में दाख़िल हो गया॥

मैं ने अपने हज़रत मुर्शिदे आलम मौलाना ख़लील अहमद साहिब नव्वरल्लाहु मर्क़दहू को बहुत कम शेअ्र पढ़ते सुना है, लेकिन जब हज के लिये तशरीफ़ ले गये और मस्जिदे हराम में तशरीफ़ फ़रमा थे तो मैंने बहुत अजीब अंदाज़ से यह शेअ्र पढ़ते सुना:-

कहां हम और कहां यह निकहते गुल,
नसीमे सुबह! तेरी मेहरबानी॥

एक दिल खोया हुआ, जिसके दिल में वाक़ई ज़ख़्मे मुहब्बत हो, जब महबूब के घर जाता है तो उस पर क्या गुज़रती है, और वह क्या सोचता है ये चीज़ें अल्फ़ाज़ से ताबीर नहीं होतीं

ताबे नज़्ज़ारा-ए-माशूक़ कहां आशिक़ को,
ग़श ने मूसा को सरे तूर संभलने न दिया॥

वह कहता है –

ऐ दिल, यह शबे वस्ल न कल होगी मयस्सर,
जो कुछ कि उड़ाने हैं मज़े आज उड़ा ले॥

इसके बाद वह जो जो हरकतें करता है, वह किसी ज़ाब्ते और आईन की पाबंद नहीं, कहीं महबूब के घर के चक्कर काटता है, कहीं उसके दर व दीवार और चौखट को चूमता है, आंखें मलता है, पेशानी और सर रगड़ता है –

सर को वहशत में पहाड़ों से बचा कर लाया,
दर व दीवार सरे कूचा-ए-जाना के लिये॥

हमको तवाफ़े कूचा-ए-जानां चाहिये,
ज़ाहिद को काबा, रिंद को मैख़ाना चाहिये॥

तवाफ़ की इब्तिदा हजरे अस्वद के बोसे से है, जिसको हदीसे पाक में अल्लाह जल्ल शानुहू के दस्ते मुबारक से ताबीर किया है और इसका बोसा गोया दस्तबोसी है आक़ा-ए-करीम की और इंतिहाई लुत्फ़ व करम है उस मालिक का, जिसने यह सआदत ख़ाक के पुतलों को अता फ़रमायी। उश्शाक़ के नज़दीक महबूब के घर को दर व दीवार को चूमना उस की अत्बाबोसी[1], क़दमबोसी, दस्तबोसी वग़ैरह इश्क़ के ऐसे लवाज़िमात में से है कि शायद ही कोई दिल खोया हुआ शाइर ऐसा होगा, जिस ने किसी न किसी उन्वान से इसको अहम मक़्सद न बनाया हो:-

امر على الديار ديار ليلى   اقبل ذا الجدار وذا الجدار

(मैं जब लैला के शहर में पहुँचा हूँ, कभी इस दीवार को चूमता हूँ, कभी उस दीवार को)

रखा सर पांव पर उसके तो बोला,
कि तू भी बे सर पावं का किस क़दर है॥

मुझ पर न करें कोई इनायत,
हसरत है यह कह दें मुस्कुरा कर॥

आराम किया करूँ मैं जब तक,
आंखें तलवों से तू मला कर॥

पामाल कर गया है कोई दिल को राह में,
आंखों को मल रहे हैं किसी नक़्शे पा से हम॥

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हजरे अस्वद पर अपने लबे मुबारक रखे और बहुत देर तक रखे रहे और आंसू जारी थे, इसके बाद हुज़ूर सल्ल॰ ने देखा कि हज़रत उमर रज़ि॰ भी खड़े रो रहे हैं। हुज़ूर सल्ल॰ ने इर्शाद फ़रमाया, यही जगह है, जहां आंसू बाहाये जाते हैं।

मुख़्तसर यह है हमारी दास्तां,
खुद ब खुद हैं आंख से आंसू रवां॥

रूख़्सारे ज़र्द पर मेरे बहते हैं अश्कें खूँ,
यकजा दिखा रही है ख़ज़ां व बहार रंग॥

ज़मीं तक मेरे आंसू आने लगे,
फ़लक तक मेरे नाले जाने लगे॥

मेरी चश्मे तर का यह क्या हाल है,
कि दामन से ता आस्तीं लाल है॥

न आंखों से लगती झड़ी आंसुओं की,
जो ग़म की घटा दिल पे छायी न होती॥

काबे शरीफ़ के पर्दे से लिपटना चिमटना भी इसी आशिक़ाना शान का एक ख़ास मंज़र है कि महबूब के दामन से चिमटना भी इश्क़ के मज़ाहिर में से एक मख़्सूस मन्ज़र है -

ऐ नातवाने इश्क़ तुझे हुस्न की क़सम,
दामन को यों पकड़ कि छुड़ाया न जा सके॥

ऐ जुनूं दीवानी ऐसी भी क्या?
दामने बादे बहारी छोड़ दे॥

मुद्दतों में जिसके हाथ आयी हो वह,
आस्तीं क्यों कर तुम्हारी छोड़ दे॥

उस के दामन को पकड़ मैंने कहा,
अब कोई छोड़ूं हूं ए रश्के परी।।

मुस्करा कर नाज़ से कहने लगा,
आशिक़ी करते हो या ज़ोर आवरी।।

मुलतज़म, जो काबा शरीफ़ की दीवार का एक ख़ास हिस्सा है, मुतबर्रक जगह है, उस जगह खुसूसियत से दुआ क़ुबूल होती है।

हदीस में आता है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा-ए-किराम रज़ि० उससे चिमट रहे थे और अपने चेहरे को उस से लगा रहे थे-

आज अर्शद को अजब हाल में देखा हमने,
रो रहा था वह किसी शख़्स की दीवार के पास।।

इसके बाद सफ़ा-मर्वः के दर्मियान दौड़ना भी इसी मजनूनाना अंदाज़ का एक पुर कैफ मंज़र है कि नंगे सर, न कुर्ता, न पाजामा, इधार से उधर, उधर से इधर भागे भागे फिर रहे हैं।

क्यों कर जुनूं में दश्त नवरदी न हो पसंद,
पाया है आबलों ने मज़ा नोके ख़ार में।।

अब नहीं दिल को किसी सूरत क़रार
उस निगाहे नाज़ ने क्या सेहर ऐसा कर दिया।।

गर ऐ ज़ाहिद दुआ-ए-ख़ैर मी गोई मुरा ईं गो,
कि आं आवारा-ए-कू-ए-बुतां आवारा तर बादा।।

यानी सूफ़ी जी, अगर तुम इस नाकारा के लिये कभी दुआ-ए-ख़ैर करो तो यह दुआ करना कि वह जो माशूक़ों की गलियों का आवारागर्द है, उसकी आवारगी और ज़्यादा हो जाये, इसी इज़्तिराब, बेचैनी, आवारागर्दी सेहरानवर्दी का मज़्हर है कि सुबह को मक्का में, रात को मिना में, फिर सुबह को अरफ़ात का जंगल बयाबान, शाम होते ही मुज़दलिफ़ा भाग आये। सुबह ही सुबह वहां से फिर मिना दोपहर को फिर मक्का मुकर्रमा वापसी, शाम को फिर मिना लौट गये-

इश्के मौला के कम अज़् लैला बुवद्,
कू-ए-गश्तन बहरे ऊ औला बुवद्।।

यानी मौला का इश्क़ क्या लैला के इश्क़ से भी कम हो सकता है, मौला के इश्क़ में तो गली गली मारे मारे फिरना और भी ज्यादा बेहतर है-

एक जा रहते नहीं आशिक़े बदनाम कहीं,
दिन कहीं, रात कहीं, सुबह कहीं, शाम कहीं॥

है गदाई मुझ को बेहतर तेरे हुस्न व इश्क़ की,
हम भिखारी भीख के, दर दर हमें रूकना पड़ा॥

दश्त में, सहरा में, वीराने में, कु-ए-यार में,
चलता फिरता मिस्ले साया मैं इन्ही चारों में हूँ॥

इश्क़े ख़ाना ख़राब की ख़ातिर,
दर ब बदर शहरेयार फिरते हैं॥

वहशते दिल से हैं मजनूं की तरह ख़ाक बसर,
छानते फिरते हैं हम कोह व बयाबान दिन रात॥

इन सब के बाद मिना में शयातीन के पत्थर मारना उस जुनून व वहशत के आख़िरी हिस्से का नज़ारा है, जो उश्शाक़ को पेश आता है। आशिक़ का जुनून जब हद से तजावुज़ करता है तो वह हर उस शख़्स के पत्थर मारा करता है, जिसको वह अपने काम में मुख़िल समझता है-

मैं उसे समझूं हूँ दुश्मन, जो मुझे समझाये है॥

और सबसे आख़िर में क़ुर्बानी, जो हक़ीक़तन अपनी जान की क़ुर्बानी है, अल्लाह जल्ल शानुहू ने अपनी ग़ायते रहमत और राफ़त (मेहरबानी) से उसको जानवर की यानी माल की क़ुर्बानी से बदल दिया है, यही इश्क़ का मुन्तहा और आख़िरी हाल है:-

मौत ही से कुछ इलाजे दर्दे फ़ुर्क़त हो तो हो,
ग़ुस्ले मय्यत ही हमारा ग़ुस्ले सेहत हो तो हो॥

मौत ही है इलाज आशिक़ का,
इससे अच्छी नहीं दवा कोई॥

किसी की तेग़ हो मेरा गुलू हो,
दिले मुज़्तर की पूरी आरज़ू हो।

ऐ मौत, जल्द आ कि यह झगड़ा कहीं चुके,
कब तक शबे फ़िराक़ के सदमे उठाये दिल॥

सिसकता छोड़ कर जाता है, वह मुझ नीम बिस्मिल को,
खुदा रा बढ़ के ऐ शौके शहादत रोक ले उसको ॥

ये मुख़्तसर इशारात हैं हज के उस मंजर के, जो इश्क़ से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसके दिल में कुछ चोट होगी, कोई ज़ख़्म लगा होगा, दीवानगी से कोई साबक़ा पड़ा होगा, वह इन इशारात के बाद वहां पहुँच कर देखेगा कि इस सफ़र का हर हर जुज़ इस मज़्हर को अपने अंदर पूरी तरह लिये हुए है, तफ़्सील के लिये दफ़तर भी काफ़ी नहीं, और फिर ज़ज्बात कागज़ पर आते भी नहीं:-

दर्दे दिल दूर से हम तुमको सुनायें क्यों कर?,
डाक में भेज दें आहों की सदायें क्यों कर?॥

कागज़ तमाम, किल्क तमाम, और हम तमाम,
पर दास्ताने शौक़ अभी ना तमाम है॥

इनके अलावा हज की हिक्मतें या अल्लाह जल्ल शानुहू के किसी भी हुक्म की हिक्मतें कोई कहां तक बयान कर सकता है। अल्लाह जल्ल शानुहू के हर हुक्म में इतनी हिक्मतें हैं कि उनमें से बहुत से मसालेह तक हमारी अक़्लों की रसाई भी नहीं है और हर हुक्म में जितना भी ग़ौर किया जाये, रोज़ ब रोज़ फ़वाइद ज़ायद ही समझ में आते रहते हैं और हर शख़्स अपने अपने फ़ह्म के मुवाफ़िक़ उन पर ग़ौर करता रहता है। सियासी हज़रात के नज़दीक इस हैसियत से भी इसमें इतने फ़वाइद हैं कि वे सब तहरीर में भी नहीं आ सकते, लेकिन जैसा कि मिसाल के और नमूने के तौर पर ऊपर की दो हिक्मतों की तरफ़ इशारे किये गये हैं, इसी तरह नमूने के तौर पर चंद उमूर की तरफ़ मुतवज्जह करता हूँ और इनमें ग़ौर करने से हज़ारों मसालेह समझ में आ सकते हैं -

1. हर हाकिम और बादशाह को अपनी रिआया के मुख़्तलिफ़ तबक़ात को बयक वक़्त एक जगह जमा करने का जितना एहतिमाम और ख़्वाहिश होती है, वह सबको मालूम है कि इसके लिये मुख़्तलिफ़ नौअ् के जश्न और मुख़्तलिफ़ नाम से अन्जुमनें बना कर उनके सालाना जलसे वग़ैरह कराये जाते हैं। हज में यह मस्लहत अला वज्हिल अतम (पूरी तरह) पूरी होती है।

2. मुसलमानों की फ़लाह व बहबूद के लिये मुख़्तलिफ़ ममालिक के अहलुर्राय अगर कोई लायहा-ए-अमल तज्वीज़ करें तो उसकी तश्कील और इशाअत के लिये यह बेहतरीन मौक़ा है।

3. अगर इस्लामी ममालिक के अफ़राद के दर्मियान इत्तिहाद और ताल्लुक़ात की वुसअत की कोई सूरत हो सकती है तो हज के मौक़े से बेहतर सूरत नहीं।

4. "इल्मुल् अल सिना" के शौक़ीन हज़रात के लिये हज के ज़माने से बेहतरीन मौक़ा शायद न मिल सके कि एक ही जगह अरबी, उर्दू, तुर्की, फ़ारसी, हिन्दी, पश्तू, चीनी, जावी, अंग्रेज़ी वग़ैरह वग़ैरह हर ज़बान से वाक़िफ़ लोग मिलेंगे।

5. सिपाहियाना ज़िन्दगी, जो इस्लामी ज़िन्दगी का खुसूसी शिआर है,हज के सफ़र में पूरे तौर से पायी जाती है। लिबास व मआश में भी, चलने फिरने में भी।

6. सरमायादारी के मुख़ालिफ़, अमीर व ग़रीब में मुसावात पैदा करने की जितनी कोशिश करते रहते हैं, उसको अख़बार पढ़ने वाले हज़रात बख़ूबी जानते हैं और यह भी साथ ही मालूम है कि कोई सूरत भी आज तक कामियाब नहीं हो सकी। इस्लाम का हर हुक्म नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात, इस मस्लहत को निहायत आसान और कामियाब तरीक़े से पूरा करता है इस्लामी उसूल से बेहतर चीज़ न आज तक पैदा हो सकी, न आइंदा हो सके, बशर्ते कि इन अहकाम को इस्लाम की सही तालीम के मातहत अदा किया जाये।

7. दुनिया के मुख़्तलिफ़ तबक़ात में मुसावात (बराबरी) पैदा करने के लिये भी हज बेहतरीन अमल है कि अमीर, ग़रीब, बादशाह, फ़क़ीर, हिन्दी, अरबी, तुर्की, चीनी वग़ैरह सब एक ही हाल में, एक ही लिबास में एक ही मश्ग़ले में मोतद बिही (अच्छे ख़ासे) ज़माने तक रहते हैं।

8. क़ौमी हफ़्ता मनाने के लिये लोग कितने इन्तिज़ामात, ऐलानात, इख़्राजात करते हैं, मुसलमानों के लिये ज़िलहिज्जा के पहले पन्द्रह दिन क़ौमी हफ़्ते से भी बढ़कर हैं कि जिनके लिये न इन्तिज़ामाते खुसूसी करने की ज़रूरत है, न प्रोपेगंडे की।

9. दुनिया के सब मुसलमानों में आपस में उखुव्वलत, (भाई चारा)

मुहब्बत ताल्लुक़ात, तआरूफ़ और रिश्ता-ए-इत्तिहाद क़ायम करने के लिये हज बेहतरीन मौक़ा है।

10. इशाअते इस्लाम के शौक़ीन दीनी अहकाम की अहमियत और तब्लीग़ को इस मौक़े पर एहतिमाम से लेकर उठें, मक़ामी हज़रात बाहर से आने वाले मेहमानों की असल ख़ातिर और ज़ियाफ़त इसको समझें कि उनमें दीनी जज़्बा क़ुव्वत पकड़े, उनमें दीन के अहकाम पर अमल का वलवला और शौक़ पैदा हो, उनमें जो ज़ौअ्फ़ या बद्दीनी के असरात हों वे ज़ायल हो जायें, इसी तरह बाहर से आने वाले हज़रात मक़ामी अस्हाब की इआनत इसको समझें, तो दीन को जिस क़दर फ़रोग़ हो वह अज़्हर मिनश्शम्स[1] है।

11. ग़ुरबा और उमरा का इख़्तिलात जो मुस्तक़िल तौर पर एक मक़्सूद चीज़ है कि इसकी वजह से एक तरफ़ अमीरों में से नख़्वत और ग़ुरूर दूर हो और दूसरी जानिब ग़ुरबा का हौसला बढ़े, वह हज में ऐसे कामिल तौर से पाया जाता है कि जिस की नज़ीर दूसरी जगह न मिलेगी। उमरा अपनी बदनी ज़रूरियात की वजह से ग़ुरबा की तरफ़ मुतवज्जह होंगे कि बार बरदारी, खाना पकाना और आमद व रफ़्त की तमाम ज़रूरियात का उनको ख़ुद पूरा करना मुश्किल है दूसरी जानिब ग़ुरबा की माली ज़रूरियात उनको उमरा की तरफ़ मुतवज्जह करेंगी, जिसकी वजह से इन दोनो तबक़ों का इख़्तिलात जो बसा औक़ात तआरूफ़ और मदारात से बढ़कर मवद्दत और दोस्ती तक पहुँच जाता है, जिस का सफ़रे हज में पूरी तरह से मुशाहदा होता रहता है।

12. मुसलमानों के इज्तिमाअ् को बिलख़ुसूस जबकि वे आजिज़ी और मस्कनत, ज़ारी और तज़र्रूअ् के साथ हो, अल्लाह जल्ल शानुहू की रहमत और लुत्फ़ व करम के मुतवज्जह करने में जितना दख़ल है, वह आमी से आमी आदमी से भी मख़्फ़ी नहीं, हज का मौक़ा इसका बेहतरीन मंज़र है कि अरफ़ात का मैदान इस का ख़ुसूसी मज़्हर है।

13. आसारे क़दीमा का तहफ़्फ़ुज़् और अस्लाफ़, बिलख़ुसूस पहले अंबिया-ए-किराम के अहवाल का इल्म और इस्तिहज़ार सफ़रे हज का ख़ुसूसी समरा है।

---

1. सूरज की तरह रोशन यानी बिल्कुल साफ़।

14. मआशी हैसियत से दुनिया की मालूमात का ज़रिया सफ़रे हज से बेहतर नहीं है कि हर मुल्क की मस्नूआत, ईजादात, पैदावार के हालात और इस क़िस्म की जितनी तफ़सीलात मालूम करना चाहें, इस सफ़र में बेहतरीन तरीक़े से हासिल हो सकती हैं।

15. इल्मी हैसियत से सफ़रे हज निहायत बेहतर चीज़ है कि इस मौक़े पर हर जगह के उलमा मौजूद होते हैं। उनकी इल्मी हैसियत और हर मुक़ाम के इल्मी. मराकिज, इल्मी कारनामे, उनकी तरक़्क़ियात और तनज़्ज़ुल और उनके अस्बाब पर तफ़सील से इत्तिला हो सकती है और मुख़्तलिफ़ नौअ् के उलमा से इफ़ादा और इस्तिफ़ादा हासिल हो सकता है।

16. दुनिया भर के औलिया, अब्दाल व अक़्ताब का एक मोतद बिही तब्क़ा हर साल हज में शिर्कत करता है, उनके फ़ुयूज़ व बरकात, अनवार व कमालात से इस्तिफ़ादे का बेहतरीन मौक़ा है।

17. अल्लाह की मासूम मख़्लूक़ फ़रिश्ते जो अर्शे इलाही के तवाफ़ में हर वक़्त मश्ग़ूल रहते हैं, हज में उनसे तशब्बोह हासिल होता है और हदीस के पाक इर्शाद "मन तशब्ब-ह बिक़ौमिन फ़हु-व मिन हुम" (जो किसी क़ौम के साथ मुशाबहत पैदा करता है, उन्हीं में शुमार किया जाता है,) की बिना पर फ़रिश्तों के साथ, जो किसी वक़्त और किसी आन अल्लाह जल्ल शानुहू की मंशा के ख़िलाफ़ नहीं करते, मुशाबहत हासिल होती है।

18. पहली उम्मतों में मज़हबी हैसियत से रह्बानियत एक बहुत ही अहम और ऊँची चीज़ शुमार की जाती थी, मगर इस्लाम ने उसको रोक कर उसका बदल सफ़रे हज को क़रार दिया, चुनांचे ज़ीनत की अश्या, बीवी से सोहबत दरकिनार, सोहबत का ज़िक्र तक नाजायज़ कर दिया और उसका नेअ्मुल् बदल उसको क़रार दिया। *(इत्तिहाफ़)*

19. दुनियावी हैसियत से हर क़ौम में एक मेला लगता है और यह एक क़दीम दस्तूर है। हर मुल्क और हर मज़हब के लोग इसके हमेशा से आदी हैं। आम तौर पर लोग उसकी तरफ़ तब्अन मुतवज्जह होते हैं, साल भर तक उसका इंतिज़ार व एहतिमाम करते हैं। इस्लाम ने मुसलमानों के लिये हज को इसका नेअ्मुल् बदल क़रार दिया कि बजाये लह्व व लअिब, खेलकूद, शोर व शग़ब के मुख़्तलिफ़ मुज़ाहरों और नारों के, इन ही चीज़ों को इबादत की शक्ल में बदल

दिया, जिसमें इन सब जज़्बात का, जो लह्व व लअिब की शक्ल में थे तौहीद व इश्क़े इलाही की तरफ़ इमाला हो गया।

20. हज उन मुतबर्रक मक़ामात की ज़ियारत का ज़रिया और बरकात हासिल करने का मौक़ा है, जहां लाखों उश्शाक़ ने एड़ियां और माथे रगड़ रगड़ कर जाने दे दी।

21. सफ़र से एक तरफ़ तो अख़्लाक़ की जिला और सफ़ाई होती है, दूसरी तरफ़ बदन की सेहत के लिये मुईन है, हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद है:- "साफ़िरू तसिहहू" (सफ़र करो, सेहतयाब होगे) *(कंज़)*

तब्दीले आब व हवा सेहत के लिये मुईन व मदद गार है। हज का सफ़र इसका बेहतरीन ज़रिया है।

22. हज उस इबादत की यादगार और बक़ा है जो हज़रत आदम अला नबिय्यिना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से लेकर हर मज़हब व मिल्लत में रही है।

23. इस्लाम का इब्तिदाई दौर जहां मुसलमान निहायत बेकसी के आलम में हर वक़्त मज़्लूमाना ज़िन्दगी बसर करते थे और हर क़िस्म के ज़ुल्म व सितम का शिकार होते थे और निहायत सब्र व इस्तिक़लाल के साथ उन सब मज़ालिम को बर्दाश्त करते थे जो कुफ़्फ़ार की तरफ़ से उन पर होते रहते थे और इस्लाम का इंतिहाई दौर जहां वे हिजरत के बाद ग़ालिब और फ़ातेह की शक्ल में रहे और ग़ालिब व क़वी होकर अपने कमाले अख़्लाक़ से न सिर्फ़ यह कि पुराने मज़ालिम को बिल्कुल नज़र अंदाज़ कर दिया, बल्कि अपने अख़्लाक़ की ख़ूबी और वुस्अत से इस्लाम को ऐसा फैलाया कि दुनिया के गोशे गोशे में उस का नूर फैल गया। इस सफ़रे हज में दोनों शहरों की ज़ियारत से दोनों यादगारें ताज़ा होती हैं और दोनों सबक़ याद करने का उम्मत को मौक़ा मिलता है।

24. मक्का मुकर्रमा हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मौलद है, पैदाइश यहां हुई और 53 साल की उम्र तक के मुख़्तलिफ़ दौर यहां गुज़रे, उसके बाद मदीना तैयबा हिजरत का घर है और मज़ारे मुबारक वहां है। रिसालत के अक्सर अहकाम वहां नाज़िल हुए। इस सफ़र से दोनों यादगारों की ज़ियारत हुज़ूर सल्ल॰ के हर ज़माने की याद को ताज़ा करने वाली है और मुहब्बत को बढ़ाने वाली है। लोग यादगार क़ायम करने के लिये मुख़्तलिफ़ चीज़ें ईजाद

किया करते हैं। इस्लाम ने हज व ज़ियारत का हुक्म देकर खुद इस यादगार को क़ायम कर दिया।

25. मर्कज़े इस्लाम की तक़्वियत व क़ुव्वुत और हरमैन शरीफ़ैन के रहने वालों की इआनत नुस्रत, उनके हालात की तहक़ीक़, उनके साथ हमदर्दी और ग़मगुसारी का बेहतरीन ज़रिया हज व ज़ियारत है कि जब उनसे तफ़्सीली मुलाक़ात होगी तो उनकी इआनत और मदद का ज़ज़्बा खुद ब खुद दिल में पैदा होगा और वहां से वापसी पर भी अर्से तक उनकी याद रहेगी। नमूने के तौर पर चंद उमूर की तरफ़ मुख़्तसर और मुज्मल इशारात किये हैं। ग़ौर करने से बहुत से उमूर और मसालेह समझ में आते रहते हैं, लेकिन यह निहायत अहम जुज़्व है कि असल मक़्सद अल्लाह जल्ल शानुहू के साथ ताल्लुक़ का बढ़ाना है और दुनिया मुहब्बत और उस की से बेरग्बती पैदा करना है। इस मज़्मून को एक क़िस्से पर ख़त्म करता हूँ जिसको साहिबे इत्तिहाफ़ ने नक़ल किया है।

शैख़ुल मशाइख़ क़ुत्बे दौरां शिब्ली क़द्दस सिर्रहू के एक मुरीद हज करके आये तो शैख़ ने उनसे सवालात फ़रमाये। वह फ़रमाते हैं कि मुझसे शेख़ ने दर्याफ़्त फ़रमाया कि तुमने हज का इरादा और अज़्म किया था? मैंने अर्ज़ किया कि जी! पुख़्ता क़स्द हज का था। आपने फ़रमाया कि इसके साथ उन तमाम इरादों को एकदम छोड़ने का अहद कर लिया था, जो पैदा होने के बाद से आज तक हज की शान के ख़िलाफ़ किये? मैंने कहा, यह अहद तो नहीं किया था। आपने फ़रमाया कि फिर हज का अहद ही नहीं किया।

फिर शैख़ ने फ़रमाया कि एहराम के वक़्त बदन के कपड़े निकाल दिये थे? मैंने अर्ज़ किया जी, बिल्कुल निकाल दिये थे। आपने फ़रमाया, उस वक़्त अल्लाह के सिवा हर चीज़ को अपने से जुदा कर दिया था? मैंने अर्ज़ किया, ऐसा तो नहीं हुआ, आपने फ़रमाया, तो फ़िर कपड़े ही क्या निकाले?

आपने फ़रमाया, वुज़ू और ग़ुस्ल से तहारत हासिल की थी? मैंने अर्ज़ किया जी हां, बिल्कुल पाक साफ़ हो गया था। आपने फ़रमाया, उस वक़्त हर क़िस्म की गन्दगी और लग़्ज़िश से पाकी हासिल हो गयी थी? मैंने अर्ज़ किया, यह तो न हुई थी। आपने फ़रमाया, फिर पाकी ही क्या हासिल हुई?

फिर आपने फ़रमाया, लब्बैक पढ़ा था, मैंने अर्ज़ किया जी हां, लब्बैक पढ़ा था। आपने फ़रमाया कि अल्लाह जल्ल शानुहू की तरफ़ से लब्बैक का जवाब

मिला था? मैंने अर्ज़ किया कि मुझे तो कोई जवाब नहीं मिला। तो फ़रमाया कि फिर लब्बैक क्या कहा?

फिर फ़रमाया कि हरमे मोहतरम में दाख़िल हुए थे? मैंने अर्ज़ किया कि दाख़िल हुआ था। फ़रमाया उस वक़्त हर हराम चीज़ के हमेशा हमेशा के लिये तर्क का अज़्म कर लिया था? मैंने कहा, यह तो मैंने नहीं किया। फ़रमाया कि फिर हरम में भी दाख़िल नहीं हुए।

फिर फ़रमाया कि मक्का की ज़ियारत की थी? मैंने अर्ज़ किया जी ज़ियारत की थी। फ़रमाया, उस वक़्त दूसरे आलम की ज़ियारत नसीब हुई? मैंने अर्ज़ किया कि उस आलम की तो कोई चीज़ नज़र नहीं आयी। फ़रमाया फिर मक्का की भी ज़ियारत नहीं हुई।

फिर फ़रमाया कि मस्जिदे हराम में दाख़िल हुए थे? मैंने अर्ज़ किया कि दाख़िल हुआ था। फ़रमाया कि उस वक़्त हक़ तआला शानुहू के क़ुर्ब में दाख़िला महसूस हुआ? मैं ने अर्ज़ किया कि मुझे तो महसूस नहीं हुआ। फ़रमाया कि तब तो मस्जिद में भी दाख़िला नहीं हुआ।

फिर फ़रमाया कि काबा शरीफ़ की ज़ियारत की? मैंने अर्ज़ किया कि ज़ियारत की। फ़रमाया कि वह चीज़ नज़र आयी जिसकी वजह से काबे का सफ़र इख़्तियार किया जाता है? मैंने अर्ज़ किया कि मुझे तो नज़र नहीं आयी। फ़रमाया फिर तो काबा शरीफ़ को नहीं देखा। फिर फ़रमाया कि तवाफ़ में रमल किया था? (ख़ास तौर से दौड़ने का नाम है) मैंने अर्ज़ किया कि किया था। फ़रमाया कि उस भागने में दुनिया से ऐसे भागे थे, जिससे तुमने महसूस किया हो कि तुम दुनिया से बिल्कुल यकसू हो चुके हो? मैंने अर्ज़ किया कि नहीं महसूस हुआ। फ़रमाया कि फिर तुमने रमल भी नहीं किया।

फिर फ़रमाया कि हज्रे अस्वद पर हाथ रखकर उस को बोसा दिया था? मैंने अर्ज़ किया जी, ऐसा किया था। तो उन्होंने ख़ौफ़ज़दा होकर एक आह खींची और फ़रमाया कि तेरा नास हो। ख़बर भी है कि जो हज्रे अस्वद पर हाथ रखे वह गोया अल्लाह जल्ल शानुहू से मुसाफ़ा करता है और जिससे हक़ सुब्हानहू व तक़्दुस मुसाफ़ा करे, वह हर तरह से अम्न में हो जाता है, तो क्या तुझ पर अम्न के आसार ज़ाहिर हुए? मैंने अर्ज़ किया कि मुझ पर तो अम्न के आसार कुछ भी ज़ाहिर नहीं हुए, तो फ़रमाया कि तूने हज्रे अस्वद पर हाथ ही नहीं रखा।

फिर फ़रमाया कि मक़ामे इब्राहीम पर खड़े होकर दो रक्अत नफ़्ल पढ़ी थी। मैं ने अर्ज़ किया कि पढ़ी थी। फ़रमाया कि उस वक़्त अल्लाह जल्ल शानुहू के हुज़ूर में एक बड़े मर्तबे पर पहुँचा था क्या इस मर्तबे का हक़ अदा किया और जिस मक़्सद से वहां खड़ा हुआ था वह पूरा कर दिया? मैं ने अर्ज़ किया मैं ने तो कुछ नहीं किया। फ़रमाया कि तूने फिर तो मक़ामे इब्राहीम पर नमाज़ ही नहीं पढ़ी।

फिर फ़रमाया कि सफ़ा मर्वः के दर्मियान सई के लिये सफ़ा पर चढ़े थे? मैं ने अर्ज़ किया चढ़ा था। फ़रमाया वहां क्या किया ? मैंने अर्ज़ किया कि सात मर्तबा तक्बीर कही और हज के मक़्बूल होने की दुआ की। फ़रमाया कि क्या तुम्हारी तक्बीर के साथ फ़रिश्तों ने भी तक्बीर कही थी और अपनी तक्बीर की हक़ीक़त का तुम्हें एहसास हुआ था? मैं ने अर्ज़ किया नहीं। फरमाया कि तुमने तक्बीर ही नहीं कही। फिर फरमाया कि सफ़ा से नीचे उतरे थे। मैंने अर्ज़ किया कि उतरा था। फ़रमाया उस वक़्त हर क़िस्म की इल्लत दूर हो कर तुम में सफ़ाई आ गयी थी? मैंने अर्ज़ किया कि नहीं, फ़रमाया कि न तुम सफ़ा पर चढ़े न उतरे।

फिर फ़रमाया कि सफ़ा मर्वः के दर्मियान दौड़े थे? मैंने अर्ज़ किया कि दौड़ा था। फ़रमाया कि उस वक़्त अल्लाह के अलावा हर चीज़ से भाग कर उसकी तरफ़ पहुँच गये थे? (ग़ालिबन "फ़-फ़रर्तु मिन्कुम लम्मा ख़िफ़्तुकुम" की तरफ़ इशारा है, जो सूरः शुअरा में हज़रत मूसा अलैहि० के क़िस्से में है। दूसरी जगह अल्लाह पाक का इर्शाद है कि "फ़-फ़िर्रू इलल्लाह") मैंने अर्ज़ किया कि नहीं। फ़रमाया कि तुम दौड़े ही नहीं।

फिर फ़रमाया कि मर्वः पर चढ़े थे। मैंने अर्ज़ किया कि चढ़ा था। फ़रमाया कि तुम पर वहां सकीना नाज़िल हुआ और उससे वाफिर हिस्सा हासिल किया? मैं ने अर्ज़ किया कि नहीं। फ़रमाया कि मर्वः पर चढ़े ही नहीं।

फिर फ़रमाया कि मिना गये थे। मैंने अर्ज़ किया, गया था। फ़रमाया कि वहां अल्लाह जल्ल शानुहू से ऐसी उम्मीदें बंध गयी थीं जो मआसी के हाल के साथ न हों। मैंने अर्ज़ किया कि न हो सकीं। फ़रमाया कि मिना ही नहीं गये।

फिर फ़रमाया कि मस्जिदे खैफ़ में (जो मिना में है) दाख़िल हुए थे? मैंने अर्ज़ किया कि दाख़िल हुआ था। फ़रमाया कि उस वक़्त अल्लाह जल्ल शानुहू के ख़ौफ़ का इस क़दर ग़लबा हो गया था, जो उस वक़्त के अलावा न हुआ हो?

मैंने अर्ज़ किया कि नहीं। फ़रमाया कि मस्जिदे खैफ़ में दाख़िल ही नहीं हुए।

फिर फ़रमाया कि अरफ़ात के मैदान में पहुँचे थे? मैंने अर्ज़ किया कि हाज़िर हुआ था। फ़रमाया कि वहां इस चीज़ को पहचान लिया था कि दुनिया में क्यों आये थे? और क्या कर रहे हो? और अब कहां जाना है? और इन हालात पर मुतनब्बह करने वाली चीज़ को पहचान लिया था? मैंने अर्ज़ किया कि नहीं, फ़रमाया कि फिर तो अरफ़ात पर भी नहीं गये।

फिर फ़रमाया कि मुज़्दलिफ़ा गये थे? मैंने अर्ज़ किया कि गया था। फ़रमाया कि वहां अल्लाह जल्ल शानुहू का ऐसा ज़िक्र किया था जो उस के अलावा सब को दिल से भुला दे? (जिसकी तरफ़ क़ुरआन पाक की आयत "फ़ज़्कुरूल्ला-ह अिन्दल् मशअ-रिल हराम" में इशारा है) मैंने अर्ज़ किया कि ऐसा तो नहीं हुआ। फ़रमाया कि फिर तो मुज़्दलिफ़ा पहुँचे ही नहीं।

फिर फ़रमाया कि मिना में जा कर क़ुर्बानी की थी? मैंने अर्ज़ किया कि की थी, फ़रमाया कि उस वक़्त अपने नफ़्स को ज़िब्ह कर दिया था? मैंने अर्ज़ किया नहीं। फ़रमाया कि फिर तो क़ुर्बानी ही नहीं की।

फिर फ़रमाया कि रमी की थी? (यानी शैतानों के कंकरिया मारी थीं) मैंने अर्ज़ किया कि की थी। फ़रमाया कि हर कंकरी के साथ अपने साबक़ा जहल को फेंक कर कुछ इल्म की ज़्यादती महसूस हुई। मैं ने अर्ज़ किया कि नहीं। फ़रमाया कि रमी भी नहीं की।

फिर फ़रमाया कि तवाफ़े ज़ियारत किया था? मैंने अर्ज़ किया, किया था, फ़रमाया कि उस वक़्त कुछ हक़ाइक़ मुन्कशिफ़ हुए थे और अल्लाह जल्ल शानुहू की तरफ़ से तुम पर ऐज़ाज़ व इकराम की बारिश हुई थी? इसलिये कि हुज़ूर सल्ल॰ का पाक इर्शाद है कि हाजी और उमरा करने वाला अल्लाह की ज़ियारत करने वाला है और जिसकी ज़ियारत को कोई जाये, उस पर हक़ है कि अपने ज़ायरीन का इकराम करे। मैंने अर्ज़ किया कि मुझ पर तो कुछ मुन्कशिफ़ नहीं हुआ। फ़रमाया कि तुमने तवाफ़े ज़ियारत भी नहीं किया।

फिर फ़रमाया कि हलाल हुए थे? (एहराम खोलने को हलाल होना कहते हैं) मैंने अर्ज़ किया कि हुआ था? फ़रमाया कि हमेशा हलाल कमाई का उस वक़्त अहद कर लिया था? मैंने अर्ज़ किया नहीं, फ़रमाया कि तुम हलाल भी नहीं हुए। फिर फ़रमाया कि अलविदाई तवाफ़ किया था? मैंने अर्ज़ किया कि किया था।

फ़रमाया कि उस वक़्त अपने तन मन को पूरी तरह अल-विदाअ् कह दिया था? मैंने अर्ज़ किया नहीं। फ़रमाया कि तुमने तवाफ़े विदाअ् भी नहीं किया।

फिर फ़रमाया कि दोबारा हज को जाओ और इस तरह हज करके आओ, जिस तरह मैं ने तुमसे तफ़्सील बयान की। *फ़क़त*

यह तवील क़िस्सा इसलिये नक़ल किया ताकि अंदाज़ा हो कि अहले ज़ौक़ का हज किस तरह होता है? हक़ तआला शानुहू अपने लुत्फ़ व करम से कुछ ज़ायक़ा इस नौअ् के हज का इस महरूम को भी अता फ़रमायें आमीन।

पांचवीं फ़स्ल

हज के आदाब में

हज के मुताल्लिक़ बहुत से रसाइल उलमा ने लिखे हैं, जिनमें तफ़सीली तौर पर हज के आदाब और हर हर रूक्न के आदाब ज़िक्र किये गये हैं। यह सफ़र सारी उम्र में अक्सर एक ही मर्तबा होता है, इसलिये मुनासिब है कि जब सफ़रे हज का इरादा हो तो उसके मुताल्लिक़ मोतबर उलमा के मुतअद्द रसाइल मंगवा कर उनको बहुत एहतिमाम से दो चार मर्तबा सफ़र से पहले मुताला कर ले, ताकि यह बड़ी रक़म जो इस सफ़र में ख़र्च होती है, आदाब की रिआयत के साथ ख़र्च होने की वजह से बेहतरीन मसरफ़ में ख़र्च हो। ऐसा न हो कि जहालत और ना वाक़्फ़ीयत की वजह से कोई ऐसी हरकत कर जाये। जिससे हज भी फ़ासिद हो जाये। सफ़र से पहले अगर इन रसाइल को चंद मर्तबा मुंताला कर लेगा तो मज़ामीन से एक मुनासबत पैदा होकर मौक़े पर अक्सर बातें याद आती रहेंगी और फिर इन रसाइल को सफ़र में भी साथ रखे ताकि हर मौक़े पर उस जगह के अहकाम और आदाब देखे जा सकें। अहले इल्म भी उनसे मुस्तग़नी नहीं। दर्स के वक़्त इन मसाइल को पढ़ लेने से मुस्तहज़र नहीं होते। अक्सर देखा गया कि जो हज़रात दो तीन हज कर चुके हैं, वे हज के मसाइल में अहले इल्म से जिनका पहला ही हज हो, फ़ौक़ियत ले जाते है। इस जगह तमाम आदाब का एहाता मक़्सूद

नहीं है, वे हर जगह के अलाहिदा हैं! मुख़्तसरन चंद अहम उमूर का ज़िक्र किया जाता है। हक़ तआला शानुहू का पाक इर्शाद है:-

وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى (بقره ع ٢٥)

(और जब हज का इरादा करो) तो ख़र्च ज़रूर साथ ले लिया करो, क्योंकि सबसे बड़ी बात ख़र्च लेने में (भीख मांगने से) बचा रहना है।

फ़ायदा:- इस आयते शरीफ़ा में सबसे अहम और सबसे मुक़द्दम चीज़ की तरफ़ इशारा फ़रमाया है और वह यह है कि हज को जाने के वक़्त रास्ते का ख़र्च साथ होना चाहिये, महज़ तवक्कुल पर चल देना हर शख़्स का काम नहीं।

अहादीस में कसरत से यह मज़्मून वारिद हुआ है कि बाज़ लोग बग़ैर ख़र्च के हज को चल देते थे और कहते थे कि हम मुतवक्किल हैं, फिर वहां पहुँच कर लोगों से सवाल करते थे, इस पर यह आयते शरीफ़ा नाज़िल हुई।

एक हदीस में है कि बाज़ लोग बग़ैर ज़ादेराह के हज को चल देते थे और कहते थे कि जब हम हज को जाते हैं, फिर भी अल्लाह जल्ल शानुहू हमें न खिलायेगा, इस पर यह आयत नाज़िल हुई कि ज़ादेराह लिया करो। बेहतरीन ज़ादेराह वह है जो तुम्हारे चेहरों को लोगों के सामने होने से रोक दे।

(दुर्रे मंसूर)

यानी लोगों से सवाल की ज़िल्लत से रोक दे। यहां एक अहम बात यह क़ाबिल समझने के है कि तवक्कुल बहुत ऊँची और आला और अफ़ज़ल सिफ़त है, लेकिन वह ज़बानी चीज़ नहीं है, बल्कि क़ल्बी चीज़ है। जिसका दिल इस क़दर मुतमइन हो कि उस को अपनी जेब में पैसा होने पर इतना एतिमाद न हो, जितना अल्लाह के ख़ज़ाने में होने पर एतिमाद होता है, उस को तवक्कुल सज़ावार (सही और लायक़) है और उसकी शान के मुनासिब है और जिसको यह दर्जा हासिल न हो, उसके लिये मुनासिब नहीं। यहां दो वाक़िए क़ाबिले ग़ौर हैं-

1. एक हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ का मशहूर क़िस्सा है कि जब ग़ज़्वा-ए-तबूक के वक़्त हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लोगों से चंदे की तहरीक फ़रमायी तो हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ जो कुछ घर में था सब कुछ ले आये, कुछ भी घर में न छोड़ा। बंदा अपने रिसाला "हिकायाते सहाबा" में इस क़िस्से को मुफ़स्सल ज़िक्र कर चुका है।

2. दूसरा वाक़िआ यह है कि एक सहाब एक बैज़े के बक़द्र सोने का डला लाये और हुज़ूर सल्ल॰ की ख़िदमत में पेश करके अर्ज़ किया कि यह सदक़ा है, मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं। हुज़ूर सल्ल॰ ने इस तरफ़ से ऐराज़ फ़रमा लिया। वह दूसरी तरफ़ को सामने हाज़िर हुए और यही अर्ज़ किया। इसी तरह हुज़ूर सल्ल॰ ऐराज़ फ़रमाते रहे और वह बार बार सामने आकर यही अर्ज़ करते रहे। चौथी मर्तबा में हुज़ूर सल्ल॰ ने उसको लेकर इस ज़ोर से फेंका कि अगर उनके लग जाता तो ज़ख़्मी कर देता, फिर इर्शाद फ़रमाया कि बाज़ आदमी अपना सब कुछ सदक़ा कर देते हैं फिर लोगों को तरफ़ दस्ते सवाल बढ़ाते हैं।

इन दो क़िस्सों से इस का सही अंदाज़ा हो जाता है कि तवक्कुल किस हालत में सज़ावार है कि जो शख़्स बिल्कुल ख़ाली हाथ होकर भी न बे सब्री करे, न दिल में, अल्लाह जल्ल शानुहू और बंदों की तरफ़ से शिकवा पैदा हो, न लोगों से सवाल करे, उसको यक़ीनन मुनासिब है और जो ऐसा न हो, बल्कि दूसरों के लिये बार बने और बे सब्री, नाशुक्री में मुब्तला हो, उसके लिये हरगिज़ मुनासिब नहीं कि बग़ैर ज़ादेराह के महज़ तवक्कुल पर चल दे।

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ ج فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ

यह आयते शरीफ़ा भी आदाबे हज के अहम तरीन आदाब को शामिल है। इसका तर्जुमा पहली फ़स्ल में गुज़र चुका और कुछ तौज़ीह पहली फ़स्ल की अहादीस में सबसे पहली हदीस में गुज़र चुकी।

अहादीस

(١) عن ابی هریرةؓ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله فی الغرز فنادی لبيك اللّٰهمّ لبيك ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غيرما زور واذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله فی الغرز فنادی لبيك ناداه مناد من السماء لالبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مازور غيرمبرور رواه الطبرانی فی الاوسط ورواه الاصبهانی من حديث اسلم مولیٰ عمرؓ مرسلا مختصرا كذا فی الترغيب وفی الاتحاف بتخريج ابی ذر الهروی وفی منسكه عن ابی هريرةؓ بلفظ اخرزاندا عليه وفی الكنز بمعناه عن عمرو انس و غيرهما.

1. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नक़ल किया गया कि जब हाजी हलाल माल के साथ हज को निकलता है और सवारी पर सवार होकर कहता है कि "लब्बैक अल्लाहुम्-म" फ़रिश्ता भी आसमान से उसकी ताईद और तक़्वियत में "लब्बैक व सअ्दैक्" कहता है। (यानी तेरा लब्बैक कहना मक़्बूल है) वह फ़रिश्ता कहता है कि तेरा तोशा भी हलाल है, तेरी सवारी भी हलाल है (कि हलाल माल से हासलि हुए) और तेरा हज मबरूर है (जिसका बयान फ़स्ले अव्वल हदीस नं॰ 2 में गुज़र चुका है) और कोई वबाल तुझ पर नहीं और जब आदमी हराम माल के साथ हज को जाता है और सवारी पर सवार होकर लब्बैक कहता है। तो फ़रिश्ता आसमान से कहता है कि न लब्बैक, न सअ्दैक् यानी तेरी लब्बैक ग़ैर मक़्बूल है, तेरा तोशा हराम है, तेरा ख़र्च हराम है, तेरा हज मअ्सियत है, यह हज मबरूर नहीं।

फ़ायदा:- एक हदीस में है कि जब आदमी हराम माल के साथ हज को जाता है और लब्बैक कहता है तो, अल्लाह जल्ल शानुहू का पाक इर्शाद होता है कि तेरी लब्बैक नहीं, यह मर्दूद है।

एक और हदीस में है कि अल्लाह जल्ल शानुहू का पाक इर्शाद होता है कि यह हज तेरा मर्दूद है यानी मक़्बूल नहीं।

एक हदीस में आया है कि जो शख़्स हराम कमाई के साथ हज को जाये, उसका सफ़र अल्लाह की इताअत में नहीं है, और जब वह सवारी पर सवार होकर लब्बैक कहता है तो फ़रिश्ता कहता है कि न लब्बैक, न सअ्दैक, तेरी कमाई हराम, तेरा लिबास हराम (कि हराम कमाई से तैयार हुआ) तेरी सवारी हराम, तेरा तोशा हराम, तू ऐसे हाल में लौट की तुझ पर वबाल है और बुराई का मुज़्दा अपने साथ लेता जा, और जब आदमी हलाल माल के साथ हज को जाता है और सवारी पर सवार होकर लब्बैक कहता है तो फ़रिश्ता भी उसके साथ लब्बैक व सअ्दैक कहता है और कहता है कि तेरी कमाई हलाल है, तेरा लिबास हलाल है, तेरी सवारी हलाल है, तेरा तोशा हलाल है, हज्जे मबरूर के साथ वापस हो, तुझ पर कोई वबाल नहीं।

एक हदीस में आया है कि जब हज़रत मूसा अलैहि॰ ने हज किया तो सफ़ा मर्वः के दर्मियान वह लब्बैक पढ़ते हुए दौड़ रहे थे कि आसमान से आवाज़

आयी "लब्बैक अब्दी अ-न म-अ-क" (मेरे बंदे, मैं भी लब्बैक कहता हूँ और तेरे साथ हूँ) यह सुनकर हज़रत मूसा अलैहि॰ सज्दे में गिर गये। *(दुर्रे मंसूर)*

हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रह॰ का क़िस्सा फ़स्ले अव्वल की हदीस नं॰ 6 में गुज़र चुका है कि जब एहराम बांधा तो लब्बैक कहने के वक़्त चेहरा ज़र्द हो गया और बदन पर कपकपी आ गयी और लब्बैक न कह सके। किसी ने दर्याफ़्त किया, तो फ़रमाया कि मुझे डर है कि उसके जवाब में "ला लब्बैक" न कह दिया जाये कि तेरी लब्बैक मोतबर नहीं। अगरचे फ़ुक़हा के नज़दीक फ़र्ज़ हज इससे भी अदा हो जाता है, लेकिन वह हज्जे मक़्बूल नहीं होता और इस हराम कमाई का गुनाह मुस्तक़िल अलाहिदा रहता है। हम लोग इसमें बहुत तसाहुल और ग़फ़लत करते हैं। अपनी क़ुव्वत और ज़ोर के घमंड पर दूसरों के माल पर ज़ुल्म से क़ब्ज़ा कर लेते हैं और दिल में ख़ुश होते हैं कि किस की मजाल है जो हम से मुतालबा कर सके, या हम पर इलज़ाम क़ायम कर दे, लेकिन कल जब हर मज़्लूम क़वी होगा, उस वक़्त अपने उस ज़ुल्म की हक़ीक़त वाज़ेह होगी। जब एक दानिक़ जो तक़रीबन दो पैसे के बराबर होता है, उसके बदले में सात सौ मक़्बूल नमाज़ें अदा करनी पड़ेंगी, हालांकि इतनी मक़्बूल नमाज़ें शायद हमारे पास हों भी नहीं, लेकिन फ़ी दो पैसा यह अदायगी क़ियामत में करना पड़ेगी। *(शामी)*

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक मर्तबा एक सहाबा रज़ि॰ से दर्याफ़्त किया कि जानते हो मुफ़्लिस कौन है? सहाबा ने अर्ज़ किया कि हम तो मुफ़्लिस उसको कहते हैं जिसके पास माल व मताअ् न हो। हुज़ूर सल्ल॰ ने इर्शाद फ़रमाया कि मुफ़्लिस तो वह है जो क़ियामत के दिन बहुत सी नमाज़ें, रोज़े वग़ैरह लेकर आये, लेकिन किसी को दुनिया में गालियां दी थीं, किसी पर तोहमत लगायी थी, किसी का माल खा लिया था। किसी को मारा था, क़ियामत में उसकी नेकियों में से कुछ इसने ले लिया, कुछ उसने ले लिया और नेकियां ख़त्म हो गयीं तो उन मज़्लूम लोगों के गुनाह उसके ज़ुल्म के बक़द्र लेकर उस पर डाल दिये जायेंगे और फिर जब नेकियां ख़त्म हो गयीं और गुनाह अपने अलावा दूसरों के भी सर पड़ गये तो उसको जहन्नम में फेंक दिया जायेगा। *(मिश्कात)*

दूसरी हदीस में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद है कि जिसके ज़िम्मे किसी दूसरे का हक़ हो, आबरू रेज़ी का हो या किसी और क़िस्म का हो, वह आज दुनिया में माफ़ करा ले, क़ब्ल इसके कि वह दिन

आ जाये, जिसमें रूपया पैसा आदमी के पास न होगा, अगर कोई नेक अमल उसके पास है तो उससे ज़ुल्म का बदला अदा किया जायेगा और उसके पास नेक अमल नहीं है तो मज़्लूम के गुनाह उस पर लाद दिये जायेंगे। *(मिश्कात)*

एक हदीस में हुज़ूर सल्ल॰ का पाक इर्शाद है कि जो शख़्स एक बालिश्त ज़मीन किसी दूसरे की ज़ुल्म से छीन लेगा, क़ियामत के दिन वह हिस्सा सात ज़मीनों तक तौक़ बना कर उस ज़ालिम की गरदन में डाल दिया जायेगा। *(मिश्कात)*

उसका जितना बोझ और वज़न गरदन पर पड़ेगा वह ज़ाहिर है।

एक मर्तबा हुज़ूर सल्ल॰ सूरज गरहन की नमाज़ पढ़ रहे थे, उसमें हुज़ूर सल्ल॰ के सामने जन्नत और दोज़ख़ के अहवाल ज़ाहिर हुए तो हुज़ूर सल्ल॰ ने जहन्नम में एक औरत को देखा, जिसने किसी बिल्ली को दुनिया में बांध रखा था और उसके खाने की ख़बरगीरी में कोताही की, जिसकी वजह से उसको अज़ाब हो रहा था कि न उसने उसके खाने की ख़बर रखी और न उसको आज़ाद छोड़ा कि वह अपने आप ज़मीन पर गिरी पड़ी चीज़ों से पेट भर लेती। *(मिश्कात)*

जो लोग जानवारों को पालते हैं। उन पर उनकी ख़बरगीरी की बड़ी सख़्त ज़िम्मेदारी है, वे बे ज़बान अक्सर भूख, प्यास में मुब्तला हो जाते हैं और उन पालने वालों को अपने कारोबार में ख़्याल भी नहीं रहता।

एक हदीस में हुज़ूर सल्ल॰ का पाक इर्शाद है कि क़ियामत में बदतरीन शख़्स वह है जो दूसरे की दुनिया की ख़ातिर अपनी आख़िरत को नुक़्सान पहुँचाये। *(मिश्कात)*

कि दूसरे ने किसी पर ज़ुल्म किया। आप ताल्लुक़ात के ज़ोर में उसके हामी बन गये, जिससे दुनिया का नफ़ा तो उसको हासिल हुआ और आख़िरत उसके साथ अपनी भी बर्बाद हुई, इसलिये निहायत एहतिमाम से ऐसे उमूर से बचना चाहिए और हर वक़्त इसकी फ़िक्र करनी चाहिए कि न मालूम कब मौत आ जाये और यह वबाल सर पर रहे, बिल ख़ुसूस सफ़रे हज को जाते वक़्त बहुत एहतिमाम से इन उमूर से पाकी हासिल करे कि तवील सफ़र है, न मालूम वापसी मुक़द्दर है या नहीं।

(۲) عن ابن عباسؓ قال کان فلان ردف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم

عرفة فجعل الفتى يلاحظ النساء ينظر اليهن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن اخى ان هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفرله رواه احمد باسناد صحيح كذا فى الترغيب والقصة معروفة فى كتب الحديث عن الفضل بن عباس رويت بطرق عديدة والفاظ مختلفة.

2. हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि एक नौ उम्र लड़के हुज़ूर सल्ल॰ के साथ सवारी पर सवार थे, उनकी नज़र औरतों पर पड़ गयी, और उन को देखने लगे। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया, भतीजे, यह ऐसा दिन है कि जो शख़्स इस दिन में अपने कान आंख, और ज़बान की हिफ़ाज़त रखे, उसकी मग़्फ़िरत हो जाती है।

फ़ायदा:- चूंकि मज्मे का क़िस्सा होता है, हर क़िस्म के मर्द व औरत एक जगह जमा होते हैं, इसलिये बहुत एहतिमाम से उस दिन अपनी हिफ़ाज़त रखना ज़रूरी है, ऐसा न हो कि बद-नज़री से या ना महरम की आवाज़ लज़्ज़त के सुनने से या किसी नाजायज़ लफ़्ज़ के ज़बान से निकालने से नेकी बर्बाद गुनाह लाज़िम हो जाये, इसलिये क़ुरआन पाक में भी इसको एहतिमाम से ज़िक्र किया गया-

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

"कि ये चीज़ें हज में नहीं होनी चाहियें।

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद है कि अगर आदमी की नज़र किसी अजनबी औरत पर पड़ जाये और वह फ़ौरन अपनी नज़र को हटा ले, तो हक़ तआला शानुहू उसको ऐसी किसी इबादत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाते हैं, जिसकी लज़्ज़त और हलावत उसको महसूस होती है। *(मिश्कात)*

एक हदीस में है कि जब आदमी किसी अजनबी औरत के साथ तंहा मकान में होता है तो तीसरा शख़्स वहां शैतान होता है। *(मिश्कात)*

इस सफ़र में अक्सर औरतें ना महरमों के साथ सफ़र करती हैं और बसा औक़ात महरम के साथ होने की सूरत में भी अवारिज़ की वजह से मकान में तंहा हो जाने की नौबत आ जाती है, इसलिये बहुत एहतिमाम से इस का लिहाज़ रखना चाहिये कि ऐसी नौबत न आ सके।

एक हदीस में है कि हुज़ूर सल्ल॰ ने इर्शाद फ़रमाया कि कोई औरत किसी ना-महरम के साथ तंहा मकान में न ठहरे और कोई औरत बग़ैर महरम के सफ़र न करे। एक सहाबी रज़ि॰ ने अर्ज़ किया कि, या रसूलल्लाह! मेरा नाम फ़लां ग़ज़्वे में जाने वालों में लिखा गया और मेरी बीवी हज को जा रही है। हुज़ूर सल्ल॰ ने इर्शाद फ़रमाया कि जाओ, अपनी बीवी के साथ हज को जाओ। *(मिश्कात)*

यहां जिहाद जैसी अहम चीज़ में जाने वाले सहाबी (रज़ि॰) को बीवी के हज की वजह से हुज़ूर सल्ल॰ ने मुअख़्ख़र कर दिया।

एक हदीस में वारिद है कि जब औरत घर से निकलती है तो एक शैतान उसके साथ लग जाता है, यानी ख़ुद उसको बहकाने के लिये और दूसरों को उसकी तरफ़ मुतवज्जह करने के लिये हर वक़्त कमबख़्त ताक में रहता है, इसलिये महरम का ऐसी हालत में साथ रहना ज़रूरी है।

एक हदीस में आया है कि हुज़ूर सल्ल॰ ने तंहाई में औरत के पास जाने की मुमानअत फ़रमायी। किसी ने अर्ज़ किया, हुज़ूर सल्ल॰ अगर जाने वाला देवर हो यानी ख़ाविंद का भाई? हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि देवर तो मौत है, यानी उससे ज़्यादा अंदेशा और ख़ौफ़ है और बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि हर वक़्त का पास रहना है, इसमें ख़तरात का ज़्यादा अंदेशा है।

हदीसे पाक में कान आंख वग़ैरह की हिफ़ाज़त को फ़रमाया है, वह ना महरमों की बात सुनना या देखने के साथ मख़्सूस नहीं, बल्कि किसी की ग़ीबत, चुगलख़ोरी वग़ैरह सुनना या ज़बान से अदा करना सब ही इस में दाख़िल हैं। इसी तरह हर क़िस्म की नाजायज़ चीज़ लह्व व लअिब को देखना भी इसमें शामिल है।

(۳) عن ابن عمرؓ قال سال رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ماالحاج قال الشعث التفل فقام اخر فقال یا رسول اللہ ای الحج افضل قال العج والثج کذا فی المشکوٰۃ.

3. एक सहाबी रज़ि॰ ने हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सवाल किया कि हाजी की क्या शान होनी चाहिये? हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि बिखरे हुए बालों वाला मैला कुचैला हो फिर दूसरे सहाबी रज़ि॰ ने सवाल किया कि हज कौन सा अफ़ज़ल है? हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि जिसमें ख़ूब (लब्बैक के साथ) चिल्लाना हो, और

(क़ुर्बानी का) खूब ख़ून बहाना हो।

फ़ायदाः- इस हदीस शरीफ़ में तीन मज़्मून ज़िक्र किये गये हैं।

1. अव्वल यह कि हाजी की शान यह है कि बिखरे हुए बाल हों, कपड़े मैले हों, यह असल हाजी की शान है। उसकी शान के यह हरगिज़ मुनासिब नहीं कि इस हालत में भी ज़ेब व ज़ीनत की तरफ़ मुतवज्जह हो। इसी वजह से एहराम की हालत में खुश्बू का इस्तेमाल नाजायज़ क़रार दिया गया कि आशिक़ को इन चीज़ों से क्या काम।

एक मर्तबा ज़िलहिज्जा की आठ या नौ तारीख़ थी। हज़रते अक़्दस मौलाना अल हाज्ज सय्यद हुसैन अहमद साहिब मदनी अदामल्लाहु ज़िला-ल ब-र कातिही तशरीफ़ लाये। मैंने इत्र की शीशी मलने के लिये सामने की। मौलाना ने उस को लेकर मला और निहायत ठंडा सांस भरकर फ़रमाया कि आज उश्शाक़ इत्र से रोक दिये गये हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि जिनके दिलों में इश्क़ का ज़ख़्म है, वे मक्का से दूर रह कर भी वहां के तसव्वुर की लज़्ज़त हासिल करते रहते हैं।

मैंने अपने वालिद साहब को अक्सर देखा कि ज़िलहिज्जा की शुरू की तारीख़ों में अक्सर बे इख़्तियार उनके मुंह से लब्बैक निकल जाती थी। पहली फ़स्ल की हदीस नं॰ 3 के ज़ैल में गुज़र चुका है कि हक़ तआला शानुहू इस बात पर फ़रिश्तों से फ़ख़्र करते हैं कि मेरे बंदे बिखरे हुए बाल और ग़ुबार आलूद कपड़ों से आये हैं और मुतअद्दद अहादीस में इस तफ़ाख़ुर का ज़िक्र आया है।

2. दूसरा मज़्मून लब्बैक आवाज़ से पढ़ना, यह भी कसरत से रिवायात में वारिद हुआ है।

एक हदीस में आया है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास तशरीफ़ लाये और फ़रमाया कि अल्लाह जल्ल शानुहू का इर्शाद है कि तुम अपने साथियों को इस का हुक्म करो कि लब्बैक पुकार कर कहें, इसलिये कि यह हज का शिआर है।

एक और हदीस में है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खुद हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज़ किया कि आप लब्बैक पुकार कर कहें कि यह हज का शिआर है। (कंज़)

पहली फ़स्ल की हदीस नं॰ 6 पर गुज़र चुका है कि जब आदमी लब्बैक

कहता है तो उस के साथ हर पत्थर और दरख़्त और ज़मीन भी लब्बैक कहती है और एक हदीस में आया है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लब्बैक कहते थे तो हक़ तआला शानुहू की तरफ़ से लब्बैक या मूसा जवाब में इर्शाद होता था।

3. तीसरा मज़्मून हदीसे बाला में क़ुर्बानी की कसरत है। क़ुर्बानी मुस्तक़िल इबादत है जो साहिबे निसाब पर वाजिब है और जो साहिबे निसाब न हो, उसके लिये मुस्तहब है, लेकिन हज में इसकी फ़ज़ीलत और भी ज़्यादा है और इसकी कसरत मर्ग़ूब है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने हज में सौ ऊँट क़ुर्बानी किये थे। हुज़ूर सल्ल॰ का पाक इर्शाद है कि क़ुर्बानी करना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और क़ुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी है।

एक हदीस में है कि क़ुर्बानी का जानवर जब ज़िब्ह होता है तो पहले क़तरे पर क़ुर्बानी करने वाले के सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और क़ियामत के दिन क़ुर्बानी का जानवर मय अपने खून और गोश्त वग़ैरह के लाया जायेगा और सत्तर दर्जे ज़्यादा वज़नी बना कर आमाल की तराज़ू में रखा जायेगा। *(कंज़)*

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी और अपनी तमाम उम्मत की तरफ़ से क़ुर्बानी की तो उम्मत को भी ज़ेबा है कि अपनी क़ुर्बानी के साथ हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ़ से भी एक क़ुर्बानी किया करें। हज़रत अली रज़ि॰ हमेशा एक बकरा अपनी तरफ़ से क़ुर्बानी करते थे और एक हुज़ूर सल्ल॰ की तरफ़ से। किसी ने आपसे दर्याफ़्त किया तो आपने फ़रमाया कि मुझे हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि मैं आपकी तरफ़ से क़ुर्बानी करूँ, इसलिये मैं हमेशा करता रहूँगा। *(कंज़)*

हज़रत उमर रज़ि॰ अपने छोटे बच्चों की तरफ़ से खुद क़ुर्बानी किया करते थे। क़ुर्बानी दर हक़ीक़त एक बहुत अहम यादगार है जिसकी तरफ़ हुज़ूर सल्ल॰ के पाक इर्शाद कि हज़रत इब्राहीम की सुन्नत है में इशारा गुज़र चुका है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बुढ़ापे की हालत में बड़ी तमन्नाओं से औलाद हुई और जब वह होनहार देखने के क़ाबिल हुई कि बाप की भी देख कर रूह ताज़ा हो जाये तो उनको ज़िब्ह कर देने का इशारा हुआ, जो हक़ीक़तन हज़रत इब्राहीम और साहबज़ादा हज़रत इस्माईल अला नबिय्यिना व अलैहिस्सलातु

वस्सलाम के लिये बड़ा सख़्त इम्तिहान था, दोनों बाप बेटों ने इस इम्तिहान को पूरा करने में बशाशत से पेशक़दमी की और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तेज़ छुरी लेकर साहबज़ादे के गले पर चला दी, लेकिन अल्लाह की क़ुदरत का यह अदना करिश्मा था कि इस अमल की तक्मील बजाये साहिबज़ादे के, जानवर पर हुई। लेकिन "क़द सद्दक़्तर्रूअ्या" (तुमने अपने ख़्वाब को सच्चा कर दिखाया) का मुज़्दा मिला तो हक़ीक़तन यह अपनी औलाद की क़ुर्बानी का बदल है, जो महज़ अल्लाह के लुत्फ़ व करम से उसका बदल बन गया। उस वक़्त यही तसव्वुर होना चाहिये कि गोया अपने नफ़्स को और आल औलाद को अल्लाह के रास्ते में क़ुर्बान कर रहा है।

इज्माली आदाब

शरीअत के हर हुक्म और इस्लाम के हर रूक्न के साथ कुछ आदाब भी मुक़र्रर हैं। नमाज़ हो या रोज़ा, ज़कात हो या हज, हर चीज़ में आदाब की तहक़ीक़ और उसकी रिआयत की हत्तल वसअ् (जहां तक हो सके) कोशिश होना चाहिये।

हज़रते अक़्दस शाह अब्दुल अज़ीज़ साहिब नव्वरल्लाहु मर्क़दहू ने तफ़्सीरे अज़ीज़ी में तहरीर फ़रमाया है कि:-

من تهاون بالاداب عوقب بحرمان السنة ومن تهاون بالسنة عوقب بحرمان الفرائض ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة

"यानी जो शख़्स आदाब में सुस्ती करता है, वह सुन्नत से महरूमी की बला में गिरफ़्तार किया जाता है और जो सुन्नत में सुस्ती करता है, वह फ़राइज़ के छूटने की मुसीबत में मुब्तला होता है, और जो फ़राइज़ में सुस्ती करता है, वह मअ्रिफ़त की महरूमी में मुब्तला होता है।"

यही वजह है कि बहुत से उमूर पर अहादीस में कुफ़्र का इतलाक़ किया गया है कि वह इसी ज़ाब्ते के मुवाफ़िक़ कुफ़्र तक पहुँचा देता है, इसलिये शरीअत के हर हुक्म मे आदाब का एहतिमाम चाहे किसी उज़्र की वजह से न हो सके, मुज़ायक़ा नहीं, मगर उनकी वक़अत और अहमियत दिल में होना चाहिये, लापरवाही और फ़ुज़ूल समझ कर उनको हरगिज़ न

छोड़ना चाहिये। अहकामे शरइय्यः के आदाब व मुस्तहब्बात उलमा ने बड़े एहतिमाम से अपनी अपनी जगह जमा किये हैं, उनकी तहक़ीक़ व तफ़्तीश की जाये। उलमा के इख़्तिलात और उनके मुज़ाकरों से भी बहुत से आदाब मालूम हो जाते हैं। यहां चंद आदाब का ज़िक्र नमूने और इज्माल के तौर पर किया जाता है-

1. जब अल्लाह जल्ल शानुहू किसी खुश नसीब को इस सआदत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाये, मसलन हज फ़र्ज़ हो जाये या हज्जे नफ़्ल के अस्बाब पैदा हो जायें, तो फिर इरादे की तक्मील में उज्लत (जल्दी) करना चाहिये, बिलखुसूस फ़र्ज़ हज को मामूली उज़्रों की वजह से हरगिज़ मुअख़्ख़र न करना चाहिये। कि शैतान ऐसे मवाक़े पर लग्व ख़्यालात और बे महल ज़रूरियात दिल में जमा कर देता है और तरह तरह के वस्वसे दिल में डालता है।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से नक़ल किया गया कि शैतान का मक़ूला जो क़ुरआन पाक में सूरः आराफ़ रूकूअ् 2 में ज़िक्र किया गया-

قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ؕ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ۝

तर्जुमाः- "शैतान ने कहा कि ब सबब इसके कि या अल्लाह, आपने मुझे गुमराह किया है, मैं क़सम खाता हूँ कि मैं उन आदमियों के लिये आपकी सीधी राह पर जाकर बैठूँगा, और फिर चारों तरफ़ से उन पर हमला करूँगा, आगे से भी पीछे से भी, दायें से भी, बायें से भी और उन में से आप अक्सर लोगों को शुक्रगुज़ार न पायेंगे,

सीधी राह दीन का रास्ता है और दीन के सारे ही शोबे इसमें दाख़िल हैं।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० से नक़ल किया गया कि ख़ास तौर पर हज का रास्ता इससे मुराद है। *(इत्तिहाफ़)*

यानी वह कमबख़्त उस पर मुसल्लत होकर चारों तरफ़ से आदमी को परेशानियों में मुब्तला करता है और तरह तरह के उज़्र सामने ला कर हज़ से रोकता है और ज़ाहिर बात है कि जब हज से उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है, अरफ़ात का रोना उम्र भर के गुनाहों को धो देता है, तो वह जितना भी इस

सफ़र के ख़िलाफ़ सई करे, क़रीने क़ियास है, इसलिये मवानेअ् (रूकावटों) को शैतानी असर समझ कर हत्तल् वसअ् उनके दफ़ा करने की और उनको ग़ैर अहम समझने की कोशिश करना चाहिये।

2. मुनासिब है कि जब सफ़र का इरादा हो तो मस्नून इस्तिख़ारा कर ले, नफ़्से हज्ज के लिये इस्तिख़ारे की ज़रूरत नहीं, मसल मशहूर है -

दर कारे ख़ैर हाजत हेच इस्तिख़ारा नेस्त ।।

"कारे ख़ैर में इस्तिख़ारे की हाजत नहीं" लेकिन चूंकि अहम सफ़र है, रास्ता दुश्वार गुज़ार है, इन उमूर के मुताल्लिक़ इस्तिख़ारा करे कि कब चले, किस रास्ते से जाये, किस जहाज़ में जाये वग़ैरह वग़ैरह।

हज़रत जाबिर रज़ि॰ इर्शाद फ़रमाते हैं कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हमें इस्तिख़ारा करने की तालीम इस तरह एहतिमाम से दिया करते थे, जिस एहतिमाम से क़ुरआन पाक की सूरः याद कराते थे और यह इर्शाद फ़रमाया करते थे कि जब कोई मुहतम्म बिश्शान अम्र पेश आये तो दो रक्अत नफ़्ल नमाज़ पढ़ने के बाद यह दुआ पढ़े। इस्तिख़ारे की दुआ मशहूर है, हज के सब रसाइल में मौजूद है।

3. हज के मसाइल मालूम करने की सई (कोशिश) करे। इब्ने अमीरूल हाज्ज रह॰ लिखते हैं कि सब से अहम चीज़ उन मसाइल का मालूम करना है, जो हज को जाने के क़ब्ल और रवानगी के बाद और हज के दौरान में पेश आते हैं, कि इल्म का सीखना हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हर शख़्स पर फ़र्ज़ किया है, इसलिये हज के फ़राइज़ और सुनन और जो चीज़ें उसमें हराम या मकरूह हैं, उनका मालूम करना ज़रूरी है। *(मद्ख़ल)*

बहुत से रसाइल उर्दू में इस मौज़ूअ् पर शाया हो (छप) चुके हैं, उनको बिल इस्तीआब दो चार मर्तबा सफ़र से पहले पढ़ ले, ताकि ना वाक़फ़ियत की वजह से इस अहम फ़रीज़े की अदाएगी में नुक़्सान न रह जाये। आम उलमा भी इससे बे नियाज़ नहीं हैं। दर्स के वक़्त मसाइल का नज़र से गुज़र जाना दूसरी बात है, वक़्त पर मुस्तहज़र होना और चीज़ है। यह सही है कि उनको सरसरी तौर से देख लेना काफ़ी है, अवाम को बहुत एहतिमाम से और ग़ौर से देखने की ज़रूरत है और ज़्यादा बेहतर यह है कि किसी आलिम की रफ़ाक़त सफ़र में इख़्तियार करे और हर चीज़ को उससे तहक़ीक़ करता रहे। तीन रिसालों के मुताले का

बंदा-ए-नाकारा ख़ुसूसियत से मश्विरा देता है।

1. एक ज़ुब्दतुल मनासिक, मुअल्लफ़ा क़ुत्बे आलम हज़रत गंगोही नव्वरल्लाहु मर्क़दहू॰

2. दूसरे "ज़ियारतुल हर मैन" मुअल्लफ़ा मौलाना आशिक़ इलाही साहिब रहमतुल्लाहि, अलैहि,

3. तीसरे "मुअल्लिमुल हुज्जाज" मुअल्लफ़ा मौलाना सईद अहमद साहिब रह॰ ज़ा-द मज्दु हुम, मुफ़्ती मज़ाहिरे उलूम।

इनके अलावा और जो रसाइल मोतमद उलमा के मिल सकें।

4. जब सफ़र करें तो नीयत ख़ालिस अल्लाह की रिज़ा होना चाहिये, लोगों का दिखलावा या हाजी कहलाने का शौक़ या सैर तफ़रीह वग़ैरह फ़ासिद इरादे हरगिज़ न होना चाहियें, जैसा कि पहली फ़स्ल की हदीस नं॰ 1 में गुज़र चुका है।

5. एक या इससे ज़्यादा रफ़ीक़े सफ़र ऐसे लोग तलाश किये जायें जो दीनदार, सालेह नेक हों, दीन के कामों में दिलचस्पी और शौक़ रखने वाले हों, ताकि रास्ते में मुईन व मददगार हों। अगर ये किसी काम को भूल जायें तो वे याद दिलायें और नेक कामों की तर्ग़ीब देते रहें। अगर किसी काम में सुस्ती पैदा हो तो वे हिम्मत बंधायें। अगर कहीं बुज़दिली पैदा हो तो वे बहादुरी पैदा करें। अगर कोई परेशानी पैदा हो तो सब्र दिलायें। कोई आलिम हो तो और भी बेहतर है कि मसाइल में भी मदद देता रहे।

उलमा ने लिखा है कि रिश्तेदार के बनिस्बत अजनबी ज़्यादा बेहतर हैं कि रास्ते में बसा औक़ात तबीअतों के इख़्तिलाफ़ की वजह से आपस में शकर रंजी पैदा हो जाती है, जिससे क़त्ए ताल्लुक़ की नौबत आ जाती है। अगर रिश्तेदार के साथ ऐसी नौबत आयेगी, तो क़ता-रहमी का गुनाह होगा, अलबत्ता अगर अपने ऊपर या रफ़ीक़ पर इसका इत्मीनान हो कि ऐसी नौबत न आयेगी तो मुज़ायक़ा नहीं।

6. हज के लिये हलाल माल तलाश करे, जिसमें शुब्ह न हो। हराम माल से ख़्वाह रिश्वत का हो या ज़ुल्म से किसी से हासिल किया हो, ऐसे माल से हज्जे फ़र्ज़ तो अदा हो जाता है लेकिन वह हज मक़्बूल नहीं होता, जैसा कि इसी फ़स्ल की पहली हदीस में मुफ़स्सल गुज़र चुका। उलमा ने लिखा है कि अगर माल

मुरतब्ब हो तो फिर उलमा ने उसकी यह सूरत तज्वीज़ की है कि कर्ज़ लेकर हज कर ले और फिर उस माल से कर्ज़ अदा कर दे।

7. अपने सब पिछले गुनाहों से तौबा करे और किसी का माल ज़ुल्म से ले रखा हो तो उसको वापस करे और किसी और क़िस्म का किसी पर ज़ुल्म किया हो तो उससे माफ़ कराये। जिन लोगों से अक्सर साबक़ा पड़ता रहता हो, उनसे कहा सुना माफ़ करा ले। अगर कुछ कर्ज़ा अपने ज़िम्मे हो तो उसको अदा करे या अदायेगी का कोई इंतिज़ाम कर दे। जो अमानतें लोगों की अपने पास हों, उनको वापस करे, या कोई मुनासिब इंतिज़ाम अमानत रखने वालों की रिज़ा से कर दे। जिन लोगों का ख़र्च अपने ज़िम्मे है, जैसे बीवी, छोटी औलाद, वग़ैरह उनके ख़र्च का बंदोबस्त अपनी वापसी के ज़माने तक कर दे।

उलमा ने लिखा है कि जिस शख़्स पर कोई ज़ुल्म कर रखा हो या उसका कोई और हक़ अपने ज़िम्मे हो, तो वह बमंज़िला एक कर्ज़ख़्वाह के है, जो उससे यह कहता है कि तू कहां जा रहा है, क्या तू इस हालत में शहंशाह के दरबार में हाज़िरी का इरादा करता है कि तू उसका मुज्रिम है, उसके हुक्म को ज़ाया कर रहा है, हुक्म उदूली की हालत में तू हाज़िर हो रहा है, इससे नहीं डरता कि वह तुझ को मर्दूद करके वापिस कर दे। अगर तू क़ुबूलियत का ख़्वाहिशमंद है तो इस ज़ुल्म से तौबा कर के हाज़िर हो, उसका मुतीअ् और फ़रमांबरदार बन कर पहुँच, वरना तेरा यह सफ़र इब्तिदा के एतिबार से मशक़्क़त ही मशक़्क़त है और इंतिहा के एतिबार से मर्दूद होने के क़ाबिल है।

8. हलाल व तैय्यिब माल से इतना ख़र्च अपने साथ ले, जो बग़ैर तंगी के पूरे सफ़र की आमद व रफ़्त को काफ़ी हो जाये।.बल्कि एहतियातन कुछ ज़ायद ले, ताकि रास्ते में ग़ुरबा की कुछ इआनत कर सके, खाने में से अहले ज़रूरत की तवाज़ोअ् कर सके, जो लोग ज़रूरत की मिक़्दार से भी कम लेकर जाते हैं, वे अक्सर दूसरों पर बोझ बन जाते हैं, और सवाल के मुर्तकिब होते हैं। हक़ सुब्हानहू व तक़द्दुस ने क़ुरआन पाक में "व तज़व्वदू" का हुक्म इर्शाद फ़रमाया, जैसा कि इसी फ़स्ल के शुरू में मुफ़स्सल गुज़र चुका है।

9. जब सफ़र शुरू करे तो दो रकअत नफ़्ल पढ़े, जिसमें पहली रकअत में "क़ुल या अय्युहल् काफ़िरु-न" और दूसरी रक्अत में "क़ुल हुवल्लाह" पढ़ना औला है और बेहतर यह है कि दो रक्अत घर में पढ़े और दो रक्अत मुहल्ले की

मस्जिद में।

10. चलने से पहले और चलने के बाद कुछ सदक़ा करे और अपनी वुस्अत के मुवाफ़िक़ करता रहे कि सदक़ा करने को बलाओं और मुसीबतों के दफ़ा करने में ख़ास दख़ल है।

एक हदीस में आया है कि सदक़ा करना अल्लाह के ग़ुस्से को दूर करता है और बुरी मौत से हिफ़ाज़त का सबब है।

एक हदीस में आया है कि जो शख़्स किसी को कपड़ा पहनाये, जब तक उसके बदन पर कपड़ा रहेगा, पहनाने वाला अल्लाह की हिफ़ाज़त में रहेगा।

(मिश्कात)

11. जब घर से निकलने लगे तो उस वक़्त की मख़्सूस दुआयें, जो अहादीस में कसरत से आयी हैं, पढ़ कर निकले। हर हर जगह की दुआयें इतनी कसीर हैं कि अगर इस रिसाले में सब को जमा किया जाये तो इसका हजम तीन हिस्से बढ़ जायेगा। इसलिये इसमें दुआयें ज़िक्र नहीं की गयीं। अगर अल्लाह ने तौफ़ीक़ अता फ़रमायी तो किसी वक़्त सिर्फ़ दुआयें एक रिसाले में जमा कर दी जायेंगी। दूसरे रसाइल में तलाश करके जो मिल सकें, पढ़ ली जायें। हज की दुआओं में मुस्तक़िल रिसाले भी शाया हो चुके हैं, तलाश कर के कोई ख़रीद लिया जाये, तो बेहतर है।

12. चलते वक़्त मक़ामी रूफ़क़ा, अइज़्ज़ा, अहबाब से मुलाक़ात करके उनको अल विदाअ् कहे और उनसे अपने लिये दुआ की दरख़्वास्त करे कि उनकी दुआयें भी उसके हक़ में ख़ैर का सबब होंगी।

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद है, जब कोई आदमी तुममें से सफ़र करे, तो अपने भाइयों को सलाम करके जाए, उनकी दुआएं उसकी दुआ के साथ मिलकर ख़ैर में ज़्यादती का सबब होंगी। अल विदाअ् कहते वक़्त मस्नून यह है कि यों कहे :-

أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ أَعْمَالِكُمْ (اتحاف)

"अस्तौदि अुल्ला-ह-दी नकुम व अमा-न-त कुम व ख़वाती-म अअ्‌ मालिकुम॰" *(इत्तिहाफ़)*

13. जब घर के दरवाज़े से निकले तो उस वक़्त के लिए भी मुतअद्द

दुआयें अहादीस में आयी हैं। एक हदीस में आया है कि जब आदमी घर से निकलते वक़्त यह दुआ पढ़े -

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

"बिस्मिल्लाहि तवक्कल्तु अलल्लाहि ला हौ-ल व ला क़ूव्व-त इल्ला बिल्लाहिल् अलिय्यिल् अज़ीम॰"

तो उससे कहा जाता है कि तू अपने मक़्सद की तरफ़ रास्ता पायेगा और रास्ते में तेरी हिफ़ाज़त की जायेगी और शैतान उससे दूर हो जाता है।

14. जब सफ़र शुरू होने लगे तो क़ाफ़िले में किसी दीनदार, समझदार, तजुर्बेकार, मुतहम्मिल मिज़ाज, जफ़ाकश, मुतवाज़ेअ् शख़्स को अमीरे क़ाफ़िला बना लेना चाहिये, क़ुरैशी हो तो अफ़ज़ल है।

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद है कि जब तीन आदमी भी सफ़र करें तो चाहिये कि एक को अपने में से अमीरे क़ाफ़िला बना लें। *(मिश्कात)*

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का आम मामूल था कि जब कोई क़ाफ़िला रवाना होता तो किसी एक शख़्स को उनमें से अमीर बना देते और जो शख़्स अमीर बने, उसको इमारत के हुक़ूक़ और उसके आदाब की रिआयत करना चाहिये। रूफ़क़ा के अहवाल की ख़बरगीरी, उनके सामान की निगरानी के अस्बाब पैदा करना, उनको आराम व राहत पहुँचाना अमीर के ज़िम्मे है। इस सिलसिले में अशज्ज अब्दुल क़ैस की हदीस जो आदाबे ज़ियारते मदीना नं॰ 11 में आ रही है, देखनी चाहिये।

15. बेहतर यह है कि सफ़र की इब्तिदा पंज शंबा (जुमेरात) के दिन सुबह के औक़ात में हो।

एक हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पंज शंबा (जुमेरात) के रोज़ सफ़र की इब्तिदा को पसंद फ़रमाते थे। *(मिश्कात)*

दूसरी हदीस में है कि हुज़ूर सल्ल॰ किसी लश्कर या क़ाफ़िले को रवाना फ़रमाते तो दिन के अव्वल हिस्से में रवाना फ़रमाते।

सख़र रज़ि॰ एक बड़े ताजिर थे, हुज़ूर सल्ल॰ के इस एहतिमाम की वजह से उनको भी इसका ख़ास एहतिमाम था कि जब अपना माले तिजारत रवाना करते

तो दिन के शुरू हिस्से मे रवाना करते, इसमें उनको बड़ा नफ़ा हासिल होता। (मिश्कात)

16. सवारी पर सवार होने की और उतरने की दुआयें, भी अहादीस में मुतअद्दिद वारिद हुई हैं उनको मालूम और महफ़ूज़ करना औला है कि हर मंज़िल पर उतरते चढ़ते पढ़ता रहे और अगर सवारी और सफ़र अपने क़ब्ज़े का हो तो बेहतर यह है कि रात का कुछ हिस्सा और सुबह का इब्तिदाई हिस्सा सफ़र करने में गुज़रे और दिन को मंज़िल करे।

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद है कि रात का सफ़र इख़्तियार करो कि ज़मीन रात को लपेट दी जाती है यानी मुसाफ़त जल्दी तै होती है और तजुर्बा भी इसका बारहा हुआ, लेकिन यह वहीं हो सकता है जहां ऊँटों का सफ़र अपने इख़्तियार का हो, रास्ता मामून व महफ़ूज़ हो, रेलों के सफ़र में उसके औक़ात की पाबंदी है।

17. जब किसी जगह मंज़िल में पहुँचे तो एहतियात यह है कि चलने फ़िरने में भी तंहा न जाये, ता वक़्ते कि अम्न और इत्मीनान का हाल मालूम न हो कि अजनबी जगह का हाल मालूम नहीं होता और मंज़िल पर भी एहतियात यह है कि रूफ़क़ा में से नम्बरवार एक दो आदमी सामान की हिफ़ाज़त के जिम्मेदार रहें। रात के वक़्त अगर मंज़िल हो तो जागने वालों के औक़ात मुरत्तब कर लिये जायें कि नम्बरवार एक दो आदमी जागते रहें कि यह जान व माल की हिफ़ाज़त का ज़रिया है।

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आदते शरीफ़ा थी कि मंज़िल पर पहुँच कर तै फ़रमा दिया करते थे कि हिफ़ाज़त का काम किस के सुपुर्द है।

मेरे वालिद साहब नव्वरल्लाहु मर्क़द-हू ने कई मर्तबा यह क़िस्सा सुनाया कि मेरे दादा साहिब रह्मतुल्लाहि अलैहि अक्सर बार बार इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करते कि घर में तमाम रात कोई न कोई अल्लाह की इबादत में मश्ग़ूल रहता है और इस पर बार बार शुक्र के तौर पर मसर्रत ज़ाहिर फ़रमाया करते थे कि अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, और सूरत उसकी यह होती थी कि मेरे वालिद साहब रह० को कुतुब बीनी और मुताले का बहुत ज़ौक़ और शौक़ था। रात का अक्सर हिस्सा वह मुताले में सर्फ़ किया करते थे। वह फ़रमाया करते थे

कि मुझे किताब देखने में वक़्त का अंदाज़ा न होता था निस्फ़ रात तक मैं किताब देखता और वालिद साहब यानी मेरे दादा साहब आराम फ़रमाते, निस्फ़ लैल के बाद वह तहज्जुद के लिये जब उठते तो फ़रमाते मियां, यह्या, तुम अब तक नहीं सोये, जल्दी सो जाओ। उनके तक़ाज़े पर मैं मजबूरन किताबें रख कर सोता और वह तहज्जुद में मशग़ूल हो जाते और सुल्स लैल (तिहाई रात) तहज्जुद पढ़ कर वह तो ख़ुद आराम करने के लिये सुदुस आख़िर (आख़री छटे हिस्से) में लेट जाते और मेरे ताया साहिब रह्मतुल्लाहि अलैहि मौलाना मुहम्मद साहिब को आवाज़ देकर तहज्जुद के लिये जगा देते। वह सुबहे सादिक़ तक तहज्जुद में मशग़ूल रहते। अफ़सोस कि अपने अकाबिर के मामूलाते ख़ैरात व बरकात में से भी कुछ न कमाया, फ़ या लिल असफ़्।

18. सफ़र में जब किसी ऊँची जगह पर चढ़े तो अलावा दूसरी दुआओं के अल्लाहु अक्बर तीन मर्तबा और जब नीचे की जगह उतरे तो अलावा और दुआओं के सुब्हानल्लाह तीन मर्तबा कहना औला है और जब सफ़र में किसी जगह वहशत सवार हो और घबराहट होने लगे तो:-

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ رَبِّ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالرُّوْحِ جَلَّلْتِ السَّمٰوٰتُ بِالْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوْتِ ۔

"सुब्हानल् मलिकिल् क़ुद्दूसि रब्बुल् मला-इकति वर्रूहि-जल्ल-ल-तिस्समावाति बिल् अिज़्ज़ति वल् ज-ब-रूति•" पढ़ना औला भी है और मुजर्रब भी है।

19. अगर कोई शख़्स बिना मशक़्क़त के पैदल हज करे तो क्या ही कहना, बशर्ते कि किसी दूसरे मक्रूह में मुब्तला न हो जाये, लेकिन अगर सवारी पर हज करे, तब भी औला यह है कि अपनी हिम्मत और वुस्अत मे मुवाफ़िक़ जितना ब-सहूलत तहम्मुल हो सके, पांव चले, बिल ख़ुसूस मक्का से अरफ़ात के दर्मियान' कि हर हर क़दम पर सात सौ नेकियां हरम की नेकियों में से शुमार होती हैं और हरम की नेकी एक लाख के बराबर होती है, जैसा कि तीसरी फ़स्ल की पहली हदीस में मुफ़स्सल गुज़रा।

अकाबिर का अक्सर मामूल रहा कि ऊँटों के सफ़र पर जब अस्र की नमाज़ के लिये उतरते तो मग़रिब तक पांव चल कर मग़रिब की नमाज़ से फ़ारिग़ होकर सवार होते कि यह वक़्त मुख़्तसर भी होता है और गर्मी धूप या अंधेरा भी नहीं होता।

उलमा ने लिखा है कि मक्का से अरफ़ात और मिना तक पैदल जाना ज़्यादा पसंदीदा और बेहतर है। जो लोग क़वी चलने के आदी हों, उनको इस हिस्से के लिये सवारी का पाबंद नहीं होना चाहिये। कि इससे बसा औक़ात सवारी की मजबूरी से बहुत से मुस्तहब्बात तर्क हो जाते हैं।

20. सवारी के जानवर की रिआयत और उसके हुक़ूक़ की हिफ़ाज़त भी ज़रूरी है। उसके तहम्मुल से ज़्यादा मशक़्क़त उस पर डालना जायज़ नहीं। अस्लाफ़ में से मुत्तक़ी और परहेज़गार हज़रात उस पर लेट कर सोने से भी एहतिराज़ करते थे कि इससे उस पर बोझ बढ़ जाता है।

उलमा ने लिखा है कि जानवर को अज़ीयत पहुँचाने और बे वजह तक्लीफ़ देने का भी क़ियामत में मुतालबा होगा।

हज़रत अबूदर्दा सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु अपने इंतिक़ाल के वक़्त अपने ऊँट से ख़िताब करके फ़रमा रहे थे कि अल्लाह जल्ल शानुहू की बारगाह में मुझसे झगड़ा न कीजियो मैंने तेरी ताक़त से ज़्यादा काम तुझ से कभी नहीं लिया। *(इत्तिहाफ़)*

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आदते शरीफ़ा थी कि इस्तिंजे के लिये किसी दरख़्त की आड़ या किसी बाग़ में तशरीफ़ ले जाया करते। एक मर्तबा एक बाग़ में तशरीफ़ ले गये तो एक ऊँट हुज़ूर सल्ल॰ को देखकर चिल्लाया। हुज़ूर सल्ल॰ उसके पास तशरीफ़ ले गये। उसके कान की जड़ पर दस्ते मुबारक फेरा और फ़रमाया, इसका मालिक कौन है? एक अंसारी नौ उम्र तशरीफ़ लाये और कहा कि यह मेरा है। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि इस ऊँट ने तुम्हारी शिकायत की कि तुम इससे काम ज़्यादा लेते हो और खाने को कम देते हो। *(अबू दाऊद)*

21. इसी तरह सवारी के मालिक के हुक़ूक़ की भी रिआयत ज़रूरी है, उसकी इजाज़त से ज़्यादा सामान रखना जायज़ नहीं। जितनी मिक़्दार किराये में तै हो चुकी है, उतनी ही रखना जायज़ है। इसमें रेल वग़ैरह का सफ़र भी यही हुक्म रखता है कि चुरा छुपाकर इस्तिहक़ाक़ से ज़्यादा सामान बिला महसूल अदा किये रखना जायज़ नहीं। अपने अस्लाफ़ का मामला तो इसमें इस क़द्र एहतियात का था कि वह अब समझ में भी मुश्किल से आता है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़ि॰, जो मशहूर मुहद्दिस और मशहूर

इमाम हैं, एक मर्तबा सफ़र में तशरीफ़ ले जा रहे थे। किसी ने उन को एक ख़त दिया कि यह भी लेते जायें। उन्होंने फ़रमाया कि मैं ऊँट वाले को अपना सामान दिखा चुका हूँ। अब उसको पहले इत्तिला कर दूँ कि यह और लेता हूँ। वह इजाज़त दे देगा तो ले लूँगा। *(इत्तिहाफ़)*

और अली बिन मअ्बद रह० मुहद्दिस का मशहूर क़िस्सा जो "हिकायाते सहाबा" में लिखा जा चुका है कि किराये के मकान से मिट्टी उठा कर ख़त को खुश्क करने पर ख़्वाब में तंबीह हुई।

22. सारे सफ़र में तनअ्अुम और ज़ेब व ज़ीनत के अस्बाब से बचे कि यह सफ़र आशिक़ाना सफ़र है, माशूक़ाना नहीं है जैसा कि मुफ़स्सल पहले गुज़र चुका है, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद है "अल हाज्जु अश्-शअिसुत्तफ़िलु" जैसा कि इसी फ़स्ल की तीसरी हदीस में गुज़रा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० जब हुज्जाज को देखते, तो फ़रमाते कि हाजी कम होते जा रहे हैं और सफ़र करने वाले बढ़ते जा रहे है। इसी में एक शख़्स को देखा कि मामूली हैअत और मामूली लिबास में है। फ़रमाया हां यह हुज्जाज में है। *(इत्तिहाफ़)*

23. सफ़र में जो कुछ ख़र्च करे, वह निहायत बशाशत और फ़राख़ दिली से ख़र्च करे, दिल तंगी इस मुबारक सफ़र के इख़्राजात में हरगिज़ न होना चाहिये। पहली फ़स्ल की हदीस नं० 9 में गुज़र चुका है कि एक रूपये का सवाब इस सफ़र में सात सौ रूपये के बराबर है, ऐसी हालत में जो पैसा इस मुबारक सफ़र में ख़र्च हो जाये, वह अज्र ही अज्र है, इससे यह मक़्सूद नहीं कि इसराफ़ (फ़ज़ूल ख़र्ची) किया जाये, लेकिन यह ज़रूर है कि हर ख़र्च की ज़्यादती इसराफ़ नहीं, बल्कि इसराफ़ बेमहल ख़र्च करना है, वहां के मज़दूरों पर ऊँट वालों पर मकानात के किरायों में जो ख़र्च किया जाये और उसमें उन लोगों की इआनत की नीयत भी शामिल कर ली जाये तो फिर कोई भी ख़र्च बार नहीं।

24. अलबत्ता रिश्वत देने से हत्तलवसअ् एहतिराज़ करे और जहां तक मजबूरी न हो जाये, रिश्वत न दे कि वह हराम है, हत्ता कि बाज़ उलमा ने लिखा है कि टैक्स देने की वजह से हज्जे नफ़्ल का छोड़ देना औला है कि टैक्स देने में ज़ालिमीन की इआनत है। *(एह्या)*

25. इस सफ़र में जो मशक़्क़तें तक्लीफ़ें पहुँचें, उनको निहायत ख़ंदा

इमाम हैं, एक मर्तबा सफ़र में तशरीफ़ ले जा रहे थे। किसी ने उन को एक ख़त दिया कि यह भी लेते जायें। उन्होंने फ़रमाया कि मैं ऊँट वाले को अपना सामान दिखा चुका हूँ। अब उसको पहले इत्तिला कर दूँ कि यह और लेता हूँ। वह इजाज़त दे देगा तो ले लूँगा। *(इत्तिहाफ़)*

और अली बिन मअ्बद रह॰ मुहद्दिस का मशहूर क़िस्सा जो "हिकायाते सहाबा" में लिखा जा चुका है कि किराये के मकान से मिट्टी उठा कर ख़त को खुश्क करने पर ख़्वाब में तंबीह हुई।

22. सारे सफ़र में तनअ्उम और ज़ेब व ज़ीनत के अस्बाब से बचे कि यह सफ़र आशिक़ाना सफ़र है, माशूक़ाना नहीं है जैसा कि मुफ़स्सल पहले गुज़र चुका है, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद है "अल हाज्जु अश्-शअिसुत्तफ़िलु" जैसा कि इसी फ़स्ल की तीसरी हदीस में गुज़रा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ जब हुज्जाज को देखते, तो फ़रमाते कि हाजी कम होते जा रहे हैं और सफ़र करने वाले बढ़ते जा रहे है। इसी में एक शख़्स को देखा कि मामूली हैअत और मामूली लिबास में है। फ़रमाया हां यह हुज्जाज में है। *(इत्तिहाफ़)*

23. सफ़र में जो कुछ ख़र्च करे, वह निहायत बशाशत और फ़राख़ दिली से ख़र्च करे, दिल तंगी इस मुबारक सफ़र के इख़राजात में हरगिज़ न होना चाहिये। पहली फ़स्ल की हदीस नं॰ 9 में गुज़र चुका है कि एक रूपये का सवाब इस सफ़र में सात सौ रूपये के बराबर है, ऐसी हालत में जो पैसा इस मुबारक सफ़र में ख़र्च हो जाये, वह अज्र ही अज्र है, इससे यह मक़्सूद नहीं कि इसराफ़ (फ़ुज़ूल ख़र्ची) किया जाये, लेकिन यह ज़रूर है कि हर ख़र्च की ज़्यादती इसराफ़ नहीं, बल्कि इसराफ़ बेमहल ख़र्च करना है, वहां के मज़दूरों पर ऊँट वालों पर मकानात के किरायों में जो ख़र्च किया जाये और उसमें उन लोगों की इआनत की नीयत भी शामिल कर ली जाये तो फिर कोई भी ख़र्च बार नहीं।

24. अलबत्ता रिश्वत देने से हत्तलवसअ् एहतिराज़ करे और जहां तक मजबूरी न हो जाये, रिश्वत न दे कि वह हराम है, हत्ता कि बाज़ उलमा ने लिखा है कि टैक्स देने की वजह से हज्जे नफ़्ल का छोड़ देना औला है कि टैक्स देने में ज़ालिमीन की इआनत है। *(एह्या)*

25. इस सफ़र में जो मशक़्क़तें तक्लीफ़ें पहुँचें, उनको निहायत ख़ंदा

पेशानी और बशाशत से बर्दाश्त करे, हरगिज़ उन पर ना शुक्री और बे सब्री का इज़्हार न करे। उलमा ने लिखा है कि इस सफ़र में बदन को किसी क़िस्म की तक्लीफ़ पहुँचाना भी अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने के क़ायम मक़ाम है। *(इत्तिहाफ़)*

कि जैसा माल ख़र्च करना माली सदक़ा है, यह जानी सदक़ा है।

26. मआसी से बचने की बहुत ही एहतिमाम से कोशिश करे। कुरआन पाक में ख़ास तौर से इस को ज़िक्र फ़रमाया है –

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

"पहली फ़स्ल में यह आयत गुज़र चुकी है और उसी फ़स्ल की पहली हदीस में यह मज़्मून गुज़र चुका है। उलमा ने लिखा है कि अल्लाह जल्ल शानुहू तक वसूल उस वक़्त नहीं हो सकता, जब तक लज़्ज़तों से एहतियात और शहवतों से हिफ़ाज़त न हो। इसी वजह से पहले लोग रहबानियत इख़्तियार किया करते थे, जिसका बदल हज में यह रखा गया है कि बीवी से सोहबत भी ना जायज़ कर दी गयी। *(इत्तिहाफ़)*

27. नमाज़ों का निहायत एहतिमाम रखे। बहुत से हाजी सफ़र की मशक़्क़त और काहिली से इसमें सुस्ती कर देते हैं। यह बहुत बड़ा गुनाह है।

उलमा ने लिखा है कि अगर शब (रात) के सफ़र की वजह से आख़िरी रात हो जाये तो लेट कर न सोये, बल्कि कुहनी खड़ी करके उस पर टेक लगा कर सो जाये। ऐसा न हो कि लेट कर सोने से ग़फ़लत की नींद आ जाये और सुबह की नमाज़ फ़ौत हो जाये कि नमाज़ की फ़ज़ीलत हज की फ़ज़ीलत से ज़्यादा है। *(इत्तिहाफ़)*

उलमा ने लिखा है कि हज की शराइत में से है कि नमाज़ को अपने औक़ात में अदा करने पर रास्ते में क़ुदरत हो। अगर रास्ता ऐसा बन जाये कि नमाज़ के अदा करने का वक़्त नहीं मिल सकता तो हज की फ़रज़ियत नहीं रहती।

अबुल क़ासिम हकीम रह० कहते हैं कि जो शख़्स जिहाद में जाये और उसकी वजह से उसकी एक नमाज़ फ़ौत हो जाये तो उसको उसके कफ़्फ़ारे में सौ जिहाद करने की ज़रूरत है, ताकि उस एक नमाज़ के फ़ौत होने का कफ़्फ़ारा हो सके।

अबू बक्र वर्राक़ रह० जब हज के इरादे से तशरीफ़ ले चले तो एक ही

मंज़िल पर पहुँच कर फ़रमाने लगे कि मुझे वापस घर पहुँचाओ। मैंने एक ही मंज़िल में सात सौ कबीरा गुनाह कर डाले। उलमा को बड़ा ताज्जुब है कि एक मंज़िल चलने में इतने गुनाह कबीरा हो भी सकते हैं या नहीं? एक मामूली फ़ासिक़ फ़ाजिर से भी चंद मील चलने में इतने गुनाह नहीं हो सकते, फिर एक शैखुल मशाइख़ जो अकाबिर में हैं, उनसे कैसे सादिर हुए? बाज़ अकाबिर ने कहा कि एक नमाज़ की जमाअत फ़ौत हो गई थी और एक हदीस में आया है कि जिसने जमाअत की नमाज़ तर्क कर दी, उसने गोया सात सौ कबीरा गुनाह किये हैं।

(शर्हे लुबाब)

मुम्किन है शैख़ को यह हदीस पहुँची हो। मारूफ़ कुतुब में बंदे को यह हदीस नहीं मिली और हज भी ग़ालिबन नफ़्ल होगा।

28. सारे सफ़र को ज़ौक़ व शौक़ और आशिक़ाना वालिहाना जज़्बे से करे, जैसा कि पहले मुफ़स्सल गुज़र चुका कि यह इबादत सारी ही मज़्हरे इश्क़ है, यह समझे कि अल्लाह के दरबार में हाज़िर हो रहा है और ऐसा है गोया शहंशाह ने कोई दरबार मुक़र्रर किया है और खुश क़िस्मती से दावती कार्ड उसके नाम का भी आ गया इसलिये कि बग़ैर अल्लाह जल्ल शानुहू की तौफ़ीक़ के कुछ नहीं होता, उसी की तरफ़ से तलब और हाज़िरी की तलब होती है, जब ही कोई शख़्स जा सकता है।

मेरी तलब भी किसी के करम का सदक़ा है,
क़दम ये खुद नहीं उठते, उठाये जाते हैं।।

और अल्लाह तआला की ज़ात से उम्मीद रखे कि जब दुनिया में उसने अपने मकान की ज़ियारत की सआदत नसीब फ़रमायी, तो आख़िरत में अपनी ज़ियारत से भी महरूम न फ़रमाएगा।

29. अपनी हर इबादत में अल्लाह के लुत्फ़ व करम से क़ुबूल की उम्मीदे वासिक़ रखे। वह बड़ा करीम है और उसके करम का हर शख़्स को उम्मीदवार रहना चाहिये।

कि शेवा है करीमों का निभाना अपने चाकर का,

पहली फ़स्ल की हदीस नं॰ 6 के ज़ैल में गुज़रा है कि वह शख़्स बड़ा गुनहगार है, जो अरफ़ात के मैदान में भी यह समझे कि मेरी मग़्फ़िरत नहीं हुई। और हदीस नं॰ 4 और नं॰ 5 में तो मग़्फ़िरत का बिल्कुल यक़ीन है। अल्लाह का

लुत्फ़ व करम, उसका फ़ज़्ल व इनाम, उसकी ज़र्रानवाज़ी, बंदा परवरी से कामिल उम्मीद रखे कि हर अमल कुबूल होगा, मगर इस उम्मीद में घमंड का शायबा हरगिज़ न आये। अपने आमाल के क़ुसूर की वजह से उसको इसका मुस्तहिक़ समझे कि क़ाबिले क़ुबूल नहीं।

इब्ने अबी मुलैका॰ रह॰ कहते हैं कि मैं हज़राते सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में से तीस हज़रात से मिला। हर एक उनमें से अपने मुनाफ़िक़ होने से डर रहा था। *(बुख़ारी)*

यानी वे ये समझते थे कि हमारे आमाल का बातिन ऐसा बेहतर नहीं है जैसा ज़ाहिर है। इससे उनको अपने ऊपर निफ़ाक़ का ख़ौफ़ हो जाता था।

एक सहाबी रज़ि॰ ने हुज़ूर सल्ल॰ से पूछा कि हर शख़्स जिहाद करता है, वह सवाब की उम्मीद भी रखता है और यह भी चाहता है कि उसका नाम हो जाये। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि उसको कोई सवाब नहीं। उन्होंने मुकर्रर सहकर्रर (दोबारा तिबारा) यही सवाल किया और हुज़ूर सल्ल॰ यही जवाब इर्शाद फ़रमाते रहे। इसके बाद हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि अल्लाह जल्ल शानुहू सिर्फ़ उसी अमल को क़ुबूल फ़रमाते हैं, जो ख़ालिस उसी के लिये हो। *(तर्ग़ीब)*

हज़रत शफ़ी रह॰ एक ताबई हैं मदीना मुनव्वरा हाज़िर हुए, तो उन्होंने देखा कि एक साहब हैं, जिनके पास बड़ा मज्मा लगा हुआ है। उन्होंने पूछा कि यह कौन साहब हैं? लोगों ने बताया कि हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्ज़ाहु हैं। यह क़रीब पहुँचे और अर्ज़ किया कि मैं आपसे कोई हदीस सुनना चाहता हूँ, जो आपने हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अच्छी तरह समझी हो। उन्होंने फ़रमाया कि हां, हां, मैं तुम्हें एक हदीस सुनाता हूँ जिसको मैंने हुज़ूर सल्ल॰ से खूब समझा और अच्छी तरह मालूम किया। इसके बाद हज़रत अबू हुरैरह रज़ि॰ चीख़ मार कर रोने लगे, जिससे बेहोशी के क़रीब हो गये। थोड़ी देर के बाद जब सुकून हुआ तो फ़रमाया कि मैं तुम्हें एक हदीस सुनाता हूँ जो हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस घर में मुझे सुनायी थी। उस वक़्त मैं था और हुज़ूर सल्ल॰ थे, कोई तीसरा हमारे साथ न था, इतना कह कर फिर चीख़ मार कर उसी तरह रोने लगे, गोया बेहोश हो जायेंगे। फिर जब सुकून हुआ तो मुंह पोंछ कर फ़रमाया कि हां मैं तुम्हें एक हदीस सुनाता हूँ, जो हुज़ूर सल्ल॰ ने मुझे इस घर में सुनायी थी। उस वक़्त मैं था और हुज़ूर सल्ल॰ थे, कोई तीसरा

न था। इतना कह कर फिर उसी तरह चीख़ मार कर रोने की सूरत पेश आ गयी और पहले से भी ज़्यादा सख़्त। इसके बाद मुंह के बल ज़मीन पर गिर गये। मैं बहुत देर तक उनको पकड़े बैठा रहा। इसके बाद जब इफ़ाक़ा हुआ तो फ़रमाया कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि क़ियामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला बंदों के हिसाब की तरफ़ तवज्जोह फ़रमायेंगे और हर आदमी ख़ौफ़ की वजह से घुटनों के बल गिरा हुआ होगा, तो सबसे पहले तीन शख़्स बुलाये जायेंगे।

1. एक हाफ़िज़े क़ुरआन,

2. दूसरा मुजाहिद,

3. तीसरा मालदार।

और सबसे पहले हाफ़िज़े क़ुरआन से मुतालबा होगा कि मैंने तुझ को वह चीज़ अता की जो मैंने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर उतारी। वह अर्ज़ करेगा कि बेशक आपने यह दौलत अता फ़रमायी थी, तो सवाल होगा कि तूने अपने इस इल्म में क्या अमल किया? वह अर्ज़ करेगा कि मैं दिन रात उसकी तिलावत वग़ैरह में मशग़ूल रहता था। इर्शाद होगा कि झूठ बोलता है। फ़रिश्ते भी सब एक ज़बान होकर कहेंगे कि झूठ है झूठ है। फिर अल्लाह जल्ल जलालुहू का इर्शाद होगा कि यह महज़ इसलिये होता था कि लोग कहेंगे कि बड़ा जय्यिद क़ारी है, सो कहा जा चुका। फिर मालदार से मुतालबा होगा कि मैंने तुझ को इतनी वुस्अत माल की अता की कि किसी चीज़ में किसी दूसरे का मुहताज तू नहीं रहा। वह अर्ज़ करेगा कि बेशक ऐसा ही था। इर्शाद होगा कि मेरे इस अता किये हुए माल में तूने क्या अमल किया? वह अर्ज़ करेगा कि मैं सिला-रहमी करता था और सदक़ात करता रहता था। इर्शाद होगा कि झूठ है और फ़रिश्ते भी सब कहेंगे कि झूठ है झूठ है। फिर अल्लाह पाक का इर्शाद होगा कि यह इसलिये किया जाता था कि लोग कहेंगे, फ़लां बड़ा सख़ी है, सो कहा जा चुका। फिर मुजाहिद से सवाल होगा कि तुम्हारा क्या अमल है? वह अर्ज़ करेगा कि या अल्लाह, तूने जिहाद का हुक्म किया मैंने तेरे रास्ते में जिहाद किया, यहां तक कि जान दे दी। इर्शादे आली होगा कि झूठ बोलता है। फ़रिश्ते भी कहेंगे कि झूठ है झूठ है। इर्शाद होगा कि यह तू इसलिये किया था कि लोग कहेंगे कि बड़ा बहादुर है, सो कहा जा चुका। इसके बाद हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत अबू

हुरैरह रज़ि॰ के ज़ानू पर हाथ मार कर फ़रमाया कि ये तीन शख़्स हैं, जिनसे जहन्नम की आग सबसे पहले भड़कायी जायेगी, इसके बाद शफ़ी रह॰ अमीर मुआविय: रज़ि॰ के पास गये तो उनसे हज़रत अबू हुरैरह रज़ि॰ की इस हदीस का तज़्किरा किया। अमीर मुआविय: रज़ि॰ ने फ़रमाया कि जब इन तीन का यह हश्र हुआ तो बाक़ी लोगों का क्या कुछ हाल होगा? यह कह कर अमीर मुआविय: रज़ि॰ इस क़दर रोये कि देखने वालों को ख़्याल हुआ कि यह रोते रोते हलाक हो जायेंगे। इसके बाद अमीर मुआविया रज़ि॰ को जब इफ़ाक़ा हुआ तो फ़रमाने लगे कि, अल्लाह जल्ल शानुहू ने भी हक़ फ़रमाया और उसके पाक रसूल सल्ल॰ ने भी, फिर अमीर मुआविय: रज़ि॰ ने क़ुरआन पाक की यह आयत तिलावत फ़रमायी:- *(तर्ग़ीब)*

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ (هود ع ٢)

"**तर्जुमा:-** और जो शख़्स (अपने नेक आमाल से) महज़ दुनिया का तालिब हो और उसकी रौनक़ हासिल करना चाहता हो (जैसे शोहरत, नेक नामी वग़ैरह) तो हम उन लोगों को उन के आमाल का बदला दुनिया ही में पूरे तौर से देते हैं और दुनिया में उनके लिए कुछ कमी नहीं होती, और आख़िरत में ऐसे लोगों के लिये बजुज़ दोज़ख़ के और कुछ नहीं। उन्होंने जो कुछ (दुनिया में) किया था, वह आख़िरत में सब का सब बेकार साबित होगा (और जब नीयत ख़ैर नहीं तो) वह सब का सब बातिल और लग्व है।"

जब यह हालत है तो अपने किसी अमल के मुताल्लिक़ यह घमंड कि यह अल्लाह के वास्ते हो गया, बहुत मुश्किल है, मगर यह कि अल्लाह जल्ल शानुहू ही अपने फ़ज़्ल व करम से तसामुह का मामला फ़रमा कर उस को क़ुबूल कर ले तो उसकी रहमत से बिल्कुल बईद नहीं।

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक मर्तबा एक नौजवान सहाबी रज़ि॰ की इयादत के लिये तशरीफ़ ले गये। वह सख़्त अलील थे, और इंतिक़ाल का वक़्त क़रीब था। हुज़ूर सल्ल॰ ने दर्याफ़्त फ़रमाया कि क्या हाल है? उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार हूँ और अपने

गुनाहों से डर रहा हूँ। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि ये दोनों चीज़ें उस वक़्त किसी बंदे के दिल में जमा नहीं होतीं, मगर यह कि अल्लाह जल्ल शानुहू उसको वह चीज़ अता फ़रमाते हैं, जिस की वह उम्मीद कर रहा है और उस चीज़ से अम्न नसीब फ़रमाते हैं, जिस से वह डर रहा है। *(जमउल फ़वाइद)*

हज़रत उमर रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि अगर क़ियामत में यह ऐलान हो कि सिर्फ़ एक शख़्स की बख़्शिश होगी, बाक़ी सब दोज़ख़ में डाल दिये जायेंगे, तो मुझे (अल्लाह की रहमत से) ये उम्मीद होगी कि वह एक शख़्स मैं ही हूँगा और अगर यह ऐलान हो कि सिर्फ़ एक शख़्स जहन्नम में जायेगा, बाक़ी सब जन्नत में दाख़िल होंगे, तो मुझे यह ख़ौफ़ होगा कि वह एक मैं ही न हूँ।

हज़रत अली रज़ि॰ का इर्शाद अपने साहबज़ादे से है कि बेटा, अल्लाह से ऐसा ख़ौफ़ कर कि अगर तमाम दुनिया के आदमियों की नेकियां लेकर जाये तो वे भी क़ुबूल न हों और अल्लाह पाक से ऐसी उम्मीद रख कि अगर तू सारी दुनिया के गुनाह अपने साथ लेकर जाये, तो वे भी माफ़ कर दे। *(एह्या)*

तंबीहः- यह नमूने के तौर पर चंद आदाब पर तंबीह है, ज़ियारते मदीना के मज़्मून में भी कुछ आदाब आ रहे हैं, वे भी मलहूज़ रखिये।

छठी फ़स्ल

मक्का मुकर्रमा और काबा शरीफ़ के फ़ज़ाइल में

इन दोनों के और इनके ख़ास ख़ास मक़ामात के बहुत से फ़ज़ाइल क़ुरआन पाक और अहादीस में आये हैं। नमूने के तौर पर चंद का ज़िक्र इस जगह किया जाता है। हक़ तआला शानुहू का इर्शाद है –

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ۝

यक़ीनन वह मकान जो सबसे पहले लोगों (की इबादत) के वास्ते

मुक़र्रर किया गया, वह मकान है जो मक्के में है (यानी काबा शरीफ़), बरकत वाला मकान है और तमाम लोगों के लिये हिदायत (की चीज़) है।

(सूर: आले इमरान, रूकूअ 1)

फ़ायदाः- हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू से नक़ल किया गया कि मकानात तो इससे पहले भी थे लेकिन इबादत के लिये सबसे पहले यही मकान मौज़ूअ् हुआ। मुतअद्दद सहाबा-ए-किराम रज़ि॰ से नक़ल किया गया कि तमाम ज़मीन के पैदा होने से पहले यह जगह पानी के बुलबुले की तरह से थी, फिर इसी को फैला कर सारी ज़मीन इसी से बनायी गयी, जैसा कि आटे के पेड़े से फैला कर रोटी बनायी जाती है।

बाज़ उलमा ने कहा है कि यहूद बैतुल मक़्दिस को सब से अफ़ज़ल शहर बताया करते थे कि वहां बहुत से अंबिया-ए-किराम का क़ियाम रहा है। इस पर ये आयतें नाज़िल हुईं। *(दुर्रे मंसूर)*

فِيهِ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ٥ (آل عمران)

इसमें बहुत सी खुली हुई निशानियां (उसकी अफ़ज़लियत की) मौजूद हैं, मिनजुम्ला उनके उसमें मक़ामे इब्राहीम है।

(आले इमरान, रूकूअ 1)

फ़ायदाः- मक़ामे इब्राहीम एक पत्थर है, जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने काबे की तामीर की थी और इस पत्थर पर आपके क़दमों का निशान बन गया था और अब वह काबा शरीफ़ के क़रीब एक क़ुब्बा में है, जिसको मक़ामे इब्राहीम ही कहा जाता है।

मुजाहिद कहते हैं कि इस पत्थर में क़दम के निशानात का होना भी एक खुली निशानी है। *(दुर्रे मंसूर)*

وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ط (آل عمران ع١)

और जो शख़्स उसके (यानी हरम की हुदूद के) अंदर दाख़िल हो जायें वह अम्न वाला हो जाता है।

(आले इमरान, रूकूअ 1)

फ़ायदाः- दो वजह से वह जगह मक़ामे अम्न हैः-

1. एक आख़िरत के एतिबार से कि उसमें नमाज़ व हज वग़ैरह करने से

जहन्नम के अज़ाब से अम्न होता है और

2. दूसरे इस वजह से कि जो शख़्स बाहर किसी को क़त्ल करके उसमें दाख़िल हो जाये, तो उसको बदले में वहां क़त्ल न किया जायेगा। अलबत्ता उस को खाना वग़ैरह बंद करके मजबूर किया जायेगा कि वहां से बाहर निकले और बाहर क़त्ल किया जाये।

हज़रत उमर रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि अगर मैं अपने बाप के क़ातिल को भी हरम में पाऊँ, तो वहां उसको हाथ न लगाऊँ, यहां तक कि बाहर निकले, हत्ता कि हज़रत उमर रज़ि॰ के साहबज़ादे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से यह नक़ल किया गया है कि अगर मैं अपने बाप हज़रत उमर रज़ि॰ के क़ातिल को वहां पाऊं तो मैं उसको मजबूर न करूँ।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि॰ से भी यही अपने वालिद के क़ातिल के मुताल्लिक़ नक़ल किया गया। *(दुर्रे मंसूर)*

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا ط (بقره ع ۱۵)

और वह वक़्त भी याद करने के क़ाबिल है, जिस वक़्त हमने ख़ाना-ए-काबा को लोगों के लिये मर्जअ् बनाया, और अम्न (की जगह)। *(सूरः बक़रः रूकू 15)*

फ़ायदाः- मर्जअ् बनाने के दो मतलब हो सकते हैं -

1. एक यह कि क़िब्ला बनाया कि लोग नमाज़ में उसकी तरफ़ रूजूअ् करें।

2. दूसरे यह कि हज व उमरा के लिये उसकी तरफ़ चल कर आयें और हो सकता है कि "मसाबतन" सवाब से हो कि सवाब की जगह बनाया कि वहां एक नेकी का सवाब एक लाख के बराबर है।

इब्ने अब्बास रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि मर्जअ् होने का मतलब यह है कि इससे लोगों का दिल नहीं भरता। एक मर्तबा हज करके जाते हैं फिर बार बार उसकी तरफ़ लौटते हैं। *(दुर्रे मंसूर)*

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ط رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ط إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○ (بقره ع ۱۵)

और वह वक़्त भी याद करने के क़ाबिल है, जबकि बुलंद कर रहे

थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीवारें काबा शरीफ़ की और (उनके साथ मदद कर रहे थे) इस्माईल अलैहिस्सलाम और यह कहते जा रहे थे कि ऐ हमारे रब, यह ख़िदमत हमारी क़ुबूल कर लीजिये। बिला शुब्ह आप ख़ूब सुनने वाले हैं (दुआओं के) और ख़ूब जानने वाले हैं (लोगों के हालात और नीयतों को) *(सूरः बक़रः, रूकूअ 15)*

फ़ायदाः- काबा की तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की, यह तो क़तई चीज़ है, क़ुरआन पाक में साफ़ मौजूद है।

उलमा ने लिखा है कि इस मकान से अफ़ज़ल कौन सा मकान हो सकता है कि अल्लाह जल्ल शानुहू ने इसके बनाने का हुक्म फ़रमाया, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इसकी इंजीनियरी की, नक़्शा बताया। हज़रत इब्राहीम ख़लील अलैहि॰ जैसे बड़े नबी, उसके मेअ्मार और हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह जैसे जां निसार तामीर में मदद गार थे, अल्लाहु अक्बर। कितनी बड़ी अज़मत है इस मकान की।

इब्ने सअद की एक रिवायत में है कि हज़रज इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक़्त सौ बरस की थी और हज़रत इस्माईल अलैहि॰ की तीस बरस की। *(दुर्रे मंसूर)*

काबे की तामीर मुअर्रिख़ीन के नज़दीक मुतअद्दद मर्तबा हुई उनमें से बाज़ मुत्तफ़क़ अलैहि हैं और बाज़ मुख़्तलफ़ फ़ीहि, उसकी बहस यह नाकारा मुअत्ता इमाम मालिक की अरबी शरह में तफ़्सील से ज़िक्र कर चुका है। जिसका इज्माल यह है :-

1. मशहूर क़ौल के मुवाफ़िक़ सबसे अव्वल इसकी तामीर फ़रिश्तों ने की है, हज़रत आदम अलैहि॰ की पैदाइश से दो हज़ार साल क़ब्ल, और बाज़ हज़रात का क़ौल है कि यह दूसरी तामीर है। इससे पहले हक़ तआला शानुहू के अम्र "कुन" से इसकी तामीर हुई, जिसमें फ़रिश्तों का भी दख़ल न था।

2. हज़रत आदम अलैहि॰ की तामीर है, जो मुहद्दिसीन और मुअर्रिख़ीन के नज़दीक मशहूर है, मगर क़तई रिवायत नहीं। रिवायात में आया है कि पांच पहाड़ों के पत्थरों से हज़रत आदम अलैहि॰ ने उसको बनाया था लबनान, तूरे सीना, तूरे ज़ीता, जूदी, हिरा।

बाज़ रिवायात में आया है कि हज़रत आदम अलैहि॰ ने बुनियादी हिस्सा

तामीर किया था। उसके ऊपर आसमान से बैते मामूर नाज़िल हो कर रखा गया था। इसके बाद हज़रत आदम अलैहि॰ के विसाल पर या तूफ़ाने नूह के वक़्त वह आसमान पर उठा लिया गया।

3. हज़रत शीस अलैहि॰, जो हज़रत आदम अलैहि॰ के साहब ज़ादे नबी हुए, उनकी तामीर बतायी जाती है।

4. हज़रत इब्राहीम अलैहि॰ की बिना जो ऊपर गुजरी और यह क़तई है,। मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि यह बिना नौ ग़ज़ ऊँची थी और 30 गज़ लम्बी और 23 गज़ चौड़ी थी। यह मुसक़्क़फ़ (छत दार) न थी, और इसके अंदर एक कुवां था, जिसमें वह नज़्र व नियाज़ डाल दी जाती थी, जो काबे पर निसार की जाती थी।

5. अमालिक़ा की और

6. जुर्हुम की, ये अरब के दो क़बीले हज़रत नूह अलैहि॰ की औलाद में हैं।

7. क़ुसई की तामीर है, जो हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पांचवीं पुश्त में दादा हैं।

8. क़ुरैश की तामीर, हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जवानी के ज़माने में, जिसके बहुत से क़िस्से अहादीस में आते हैं, हुज़ूर सल्ल॰ की उम्र शरीफ़ उस वक़्त 25 साल की थी और बाज़ ने पैंतीस साल की बतायी है। इसकी तामीर में हुज़ूर सल्ल॰ की भी शिर्कत हुई कि अपने कांधे पर पत्थर उठा कर लाते थे। यही वह तामीर है जिसमें हज्रे अस्वद को अपनी जगह पर रखने में क़ुरैश में ऐसा निज़ाअ् पैदा हुआ कि हर जानिब से तलवारें निकल आयीं और हर क़बीला चाहता था कि यह सआदत उसके हिस्से में आये। हुज़ूर सल्ल॰ ने उसका यह बेहतरीन फ़ैसला किया, कि अपनी चादर मुबारक पर उसको रख कर फ़रमाया कि हर क़बीले का एक एक आदमी इस चादर के किनारे को पकड़ ले। इसी तरह इसको काबे की दीवार तक ले जाकर फ़रमाया कि तुम सब मुझे अपनी तरफ़ से वकील बना दो कि इस पर से उठा कर दीवार पर रख दूँ। सब ने वकील बना दिया और हुज़ूर सल्ल॰ ने अपने दस्ते मुबारक से ऊपर रख दिया। क़ुरैश ने इस तामीर में इस का अहद किया था कि इस में मुश्तबह कमाई न लगायी जायेगी, हलाल कमाई कम रह गयी, जिसकी वजह से हतीम की जानिब दीवार को पीछे

हटा दिया और कुछ हिस्सा काबा शरीफ़ का बाहर रह गया और काबे का दरवाज़ा भी हज़रत इब्राहीम अलैहि० की तामीर के ख़िलाफ़ बहुत ऊँचा कर दिया कि हर शख़्स उसमें दाख़िल न हो सके। बल्कि दाख़िले के वास्ते सीढ़ी लगाना पड़े, जिसको दिल चाहे सीढ़ी लगा कर दाख़िल करें, जिसको चाहे दाख़िल न होने दें। हुज़ूर सल्ल० की ख़्वाहिश थी कि काबे शरीफ़ को अज़ सरे नौ क़वाइदे हज़रत इब्राहीम अलैहि० पर तामीर किया जाये, मगर इसकी नौबत न आयी।

9. सन् 64 हि० में यज़ीद की फ़ौज ने जब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ि० पर मक्का में चढ़ाई की तो मिन्जनीक़ से आग बरसायी जिससे काबे का परदा भी जल गया और काबे की दीवारों को भी नुक़्सान पहुँचा। इसी दौरान में यज़ीद मर गया और फ़ौजें वहां से वापस आ गयीं, तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ि० ने काबे को मुनहदिम करके अज़ सरे नौ तामीर किया, जिसमें हुज़ूर सल्ल० की ख़्वाहिश के मुवाफ़िक़ हतीम के हिस्से को अंदर दाख़िल किया और दरवाज़ा ज़मीन के क़रीब कर दिया कि हर शख़्स उसमें दाख़िल हो सके, और दूसरा दरवाज़ा उसके मुक़ाबिल दीवार में क़ायम कर दिया कि लोग एक दरवाज़े से दाख़िल हों, दूसरे से निकलते रहें और आने जाने में मुज़ाहमत न हो। जुमादिल उख़रा सन् 64 हि० में यह तामीर शुरू हुई और रजब सन् 64 हि० या सन् 65 हि० में पूरी हुई।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ि० ने इसकी ख़ुशी में बहुत बड़ी दावत की, जिसमें सौ ऊँट ज़िब्ह किये। काबे शरीफ़ की तामीर तो हज़रत ज़ुबैर के साहब ज़ादे ने पूरी फ़रमा दी, लेकिन इस हादसे में एक अहम नुक़्सान यह हुआ कि हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह के फ़िदये में जो मेंढा जन्नत का ज़िब्ह हुआ था उसके सींग उस वक़्त से काबे शरीफ़ में महफ़ूज़ थे। वे इस हादसे में जल गये।

(इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन०)

10. हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ि० के इंतिक़ाल के बाद अब्दुल मलिक बिन मर्वान के ज़माना-ए-हुकूमत में हज्जाज ने बादशाह को बहकाया कि इब्ने ज़ुबैर रज़ि० ने काबा में तग़य्युर कर दिया और उस हाल पर नहीं रहा, जिस पर हुज़ूर सल्ल० के ज़माने में था, अब्दुल मलिक ने उसको इजाज़त दे दी कि उसी सूरत पर कर दिया जाये, इस पर हज्जाज ने क़दीम तर्ज़ के मुवाफ़िक़ शर्क़ी दरवाज़े को ऊँचा कर दिया और उसके बिल मुक़ाबिल दरवाज़े को बंद कर दिया। और हतीम की जानिब से दीवार तोड़ कर पीछे हटा दी और अंदर के हिस्से में भराव

करके काबे की सतह को अंदर से ऊँचा कर दिया। सन् 73 हि॰ में यह तग़य्युर हुआ, उसके बाद से उसी हाल पर बैतुल्लाह शरीफ़ एक अर्से तक रहा कि उसकी तीन जानिबें हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ि॰ की तामीर से थीं और हतीम की जानिब हज्जाज की तामीर से।

बाज़ लोगों की राय यह है कि अब तक असल तामीर यही है और आइंदा के तग़य्युरात मरम्मतें हैं, मुस्तक़िल तामीरें नहीं हैं।

मुहद्दिसीन ने रिवायत की है कि हारून रशीद वग़ैरह बाज़ सलातीन ने इरादा किया कि काबा शरीफ़ को हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ि॰ की तामीर के मुवाफ़िक़ कर दिया जाये, इसलिये कि वह हुज़ूर सल्ल॰ की मंशा के मुवाफ़िक़ थी, मगर हज़रत इमाम मालिक रह॰ ने बड़े इसरार से इस इरादे को मुलतवी कराया, ताकि काबे की तामीर बादशाहों का खेल न बन जाये। कि हर बादशाह अपने नाम की ख़ातिर इस में तामीर का सिलसिला शुरू कर दे।

11. सन् 1021 हि॰ में सुलतान अहमद तुर्की ने छत बदलवायी और दीवारों में जहां जहां बोसीदगी आ गयी थी, उसकी मरम्मत करायी, मीज़ाबुर्रहमत को दुरूस्त किया। यह दर हक़ीक़त पूरी तामीर की तज्दीद नहीं, बल्कि इस्लाह और मरम्मत है।

12. सन् 1039 हि॰ में सुलतान मुराद के ज़माने में जब बहुत ज़ोर से सैल का पानी मस्जिद में पहुँच गया और बैतुल्लाह शरीफ़ की बाज़ दीवारें भी गिर गयीं, तो सुलतान मौसूफ़ ने उनकी तामीर करायी, ग़ालिब यह है कि जो हिस्सा मुनहदिम हो गया था, उसी की तामीर हुई, इसलिये इसको भी बाज़ मुअर्रिख़ीन सिर्फ़ तर्मीम बताते हैं और बाज़ तामीरे जदीद, वल्लाहु अअ्लम।

हज़रत शाह हब्दुल अज़ीज़ साहिब नव्वरल्लाहु मर्क़-दहू ने अपनी तफ़्सीर में यह लिखा है कि हज्रे अस्वद की जानिब के अलावा और जानिबों की तामीर की, इस सूरत में इस वक़्त बैतुल्लाह शरीफ़ हज्रे अस्वद की जानिब से हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ि॰ की तामीर है और बाक़ी जानिबों में सुलतान मुराद का तामीर किया हुआ है। इस साल मुहर्रम सन् 1367 हि॰ में सुलतान इब्ने सऊद ने उस के दरवाज़े के किवाड़ों और चौखट की तज्दीद की।

جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ (مائدہ ع ۱۳)

हक़ तआला शानुहू ने काबे को जो मोहतरम घर है, लोगों के

क़ायम रहने का सबब बना दिया। *(माइदा, रूकूअ 13)*

फ़ायदा:- हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि लोगों के क़ायम रहने का सबब उनके दीन का रहना और निशानाते हज का क़ायम रहना है।

दूसरी हदीस में उनसे नक़ल किया गया कि उनका क़ायम रहना यह है कि जो लोग उस में पहुँच जायें वे मामून हो जायें।

हसन बसरी रह॰ ने यह आयत तिलावत फ़रमायी और फ़रमाया कि लोग अपने दीन पर क़ायम रहेंगे, जब तक कि इस घर का हज करते रहें और नमाज़ में उस की तरफ़ मुंह करते रहें। *(दुर्रे मंसूर)*

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि बैतुल्लाह का तवाफ़ बहुत कसरत से किया करो। दो मर्तबा यह बिल्कुल मुन्हदिम हो चुका है और तीसरी मर्तबा जब बिल्कुल्लिया मुन्हदिम हो जायेगा तो उठा लिया जायेगा।

इमाम ग़ज़ाली रह॰ ने हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू का इर्शाद नक़ल किया है कि हक़ तआला शानुहू जब दुनिया को बर्बाद करने का इरादा फ़रमायेंगे तो सबसे पहले बैतुल्लाह को मुन्हदिम कराया जायेगा। फिर दुनिया बर्बाद की जायेगी। *(इत्तिहाफ़)*

अलामाते क़ियामत की रिवायात में क़ियामत के क़रीब काबे का मुन्हदिम होना कसरत से वारिद हुआ है। हुज़ूर सल्ल॰ का पाक इर्शाद है कि वह हब्शी गोया मेरी नज़र के सामने है, जो काबे शरीफ़ को एक-एक पत्थर उस का गिरा कर मुन्हदिम करेगा।

एक हदीस में आया है कि लोग ख़ैर के साथ रहेंगे, जब तक कि इसकी हुर्मत की (यानी मक्का और हरमे मक्का की) ऐसी ताज़ीम करते रहेंगे जैसा कि इसकी ताज़ीम का हक़ है और जब इसकी ताज़ीम को ज़ाया कर देंगे, तो हलाक हो जायेंगे। *(मिश्कात)*

एक हदीस में है कि क़ियामत उस वक़्त तक क़ायम न होगी, जब तक कि हज्रे अस्वद और मक़ामे इब्राहीम न उठा लिये जायें।

एक हदीस में अलामाते क़ियामत में है कि हब्शा के लोग काबे पर चढ़ाई करेंगे और वह इतना बड़ा लश्कर होगा कि उसका अगला हिस्सा हज्रे अस्वद के पास होगा और पिछला हिस्सा जद्दा में समुन्दर के क़रीब और काबे शरीफ़ को एक एक पत्थर गिरा कर तोड़ेंगे। *(इत्तिहाफ़)*

अहादीस

(۱) عن ابن عباسؓ قال قال رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم ان اللّٰہ فی کل یوم ولیلة عشرین ومائة رحمة تنزل علی ھذا البیت ستون للطائفین واربعون للمصلین وعشرون للناظرین کذافی الدرعن ابن عدی والبیھقی وضعفه وغیرھماوحسنه المنذری وفی الکنزبالفاظ اخروھوفی المسلسلات للشاہ ولی اللّٰہ الدھلوی۔

1. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि अल्लाह जल्ल शानुहू की एक सौ बीस रहमतें रोज़ाना उस घर पर नाज़िल होती हैं, जिनमें से साठ तवाफ़ करने वालों पर और चालीस वहां नमाज़ पढ़ने वालों पर और बीस बैतुल्लाह को देखने वालों पर होती हैं।

फ़ायदाः- बैतुल्लाह शरीफ़ का सिर्फ़ देखना भी इबादत है।

हज़रत सईद बिन मुसय्यिब रह० ताबई फ़रमाते हैं कि जो ईमान व तस्दीक़ के साथ काबे को देखे, वह ख़ताओं से ऐसा पाक हो जाता है, जैसा आज ही पैदा हुआ।

अबुस्साइब मदनी रह० कहते हैं, जो ईमान व तस्दीक़ के साथ काबे को देखे, उसके गुनाह ऐसे झड़ते जाते हैं जैसे पत्ते दरख़्त से झड़ जाते हैं, और जो शख़्स मस्जिद में बैठकर बैतुल्लाह को सिर्फ़ देखता रहे, चाहे तवाफ़ व नमाज़े नफ़्ल न पढ़ता हो, वह अफ़ज़ल है, उस शख़्स से जो अपने घर में नफ़्लें पढ़े और बैतुल्लाह को न देखे।

हज़रत अता फ़रमाते हैं कि बैतुल्लाह को देखना भी इबादत है और बैतुल्लाह को देखने वाला ऐसा है, जैसा कि रात को जागने वाला दिन में रोज़ा रखने वाला और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला और अल्लाह की तरफ़ रूजूअ् करने वाला।

हज़रत अता रह० ही से यह भी नक़ल किया गया कि एक मर्तबा बैतुल्लाह को देखना एक साल की इबादते नफ़्ल के बराबर है।

ताऊस रह० कहते हैं कि बैतुल्लाह का देखना अफ़ज़ल है, उस शख़्स की

इबादत से भी, जो रोज़ेदार, शब बेदार और मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह हो।

इब्राहीम नख़ई रह० कहते हैं कि बैतुल्लाह का देखने वाला मक्का से बाहर इबादत में कोशिश से लगे रहने के बराबर है। *(दुर्रे मंसूर)*

और तवाफ़ करने वालों पर जिस क़दर रहमतें नाज़िल होती हैं, वह इस हदीस से ज़ाहिर है, इसी वास्ते उलमा ने लिखा है कि मस्जिदे हराम में तहिय्यतुल मस्जिद से तवाफ़ अफ़ज़ल है, अगर किसी वजह से तवाफ़ न कर सके तो तहिय्यतुल मस्जिद पढ़े, वरना बजाये तहिय्यतुल मस्जिद के मस्जिद में जाते ही तवाफ़ करना अफ़ज़ल है। अलबत्ता अगर नमाज़ का वक़्त क़रीब हो तो फिर उस वक़्त तक तवाफ़ न करे। ख़ुशक़िस्मत हैं वे लोग, जिनको अल्लाह जल्ल शानुहू अपने लुत्फ़ व फ़ज़्ल से कसरत से तवाफ़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमायें।

कुर्ज़ बिन वबर: रह० एक बुज़ुर्ग थे, जिनका मामूल हमेशा रोज़ाना सत्तर तवाफ़ दिन में और सत्तर तवाफ़ रात में करने का था, जिसकी मसाफ़त तीस मील रोज़ाना की हुई। और हर तवाफ़ के बाद दो रक्अत तहिय्यतुत्तवाफ़ की कुल दो सौ अस्सी रक्अतें हुईं। इनके अलावा दो मर्तबा रोज़ाना क़ुरआन पाक ख़त्म करने का मामूल था। *(एह्या)*

यही लोग हैं जो आख़िरत की दायमी ज़िन्दगी के लिये बहुत कुछ कमा कर ले जा रहे हैं।

(۲) عن ابن عباسؓ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحجر والله ليبعثه الله يوم القيمة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق رواه الترمذى وابن ماجه والدارمى كذا فى المشكوٰة.

2. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम क़सम खाकर इर्शाद फ़रमाते हैं कि हज्रे अस्वद को अल्लाह जल्ल शानुहू क़ियामत के दिन ऐसी हालत में उठाएंगे कि उसके दो आंखें होंगी, जिन से वह देखेगा और ज़बान होगी, जिससे वह बोलेगा और गवाही देगा उस शख़्स के हक़ में, जिसने उस को हक़ के साथ बोसा दिया हो।

फ़ायदा:- हक़ के साथ बोसा देने का मतलब यह है कि ईमान और तस्दीक़ के साथ बोसा दिया हो।

हज़रत जाबिर रज़ि० हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नक़ल

करते हैं कि काबे के लिये एक ज़बान है और दो होंठ हैं, उसने (पहले ज़माने में) हक् तआला शानुहू से शिकायत की कि ऐ अल्लाह, मेरी तरफ़ लौटने वाले कम हो गये, और ज़ियारत करने वाले कम हो गये तो हक् तआला शानुहू ने फ़रमाया कि मैं एक ऐसी क़ौम (मुसलमान) पैदा करने वाला हूँ, जो बड़े खुशूअ् वाली होगी, बड़े सज्दे करने वाली (नमाज़ी) होगी, वे तेरी तरफ़ ऐसे झुकेंगे, जैसा कि कबूतर अपने बैज़े की तरफ़ झुकता है। *(तर्ग़ीब)*

एक और हदीस में आया है कि हज्रे अस्वद और रूकने यमानी क़ियामत के दिन ऐसे हाल में उठेंगे कि उनके लिये दो आंखें और दो ज़बानें और दो होंठ होंगे, वफ़ा की गवाही देंगे उन लोगों के लिये जो उनको बोसा देंगे यानी इसकी गवाही देगें कि इन बोसा देने वालों ने इक़रार पूरा कर दिया। *(तर्ग़ीब)*

एक हदीस में है कि हज़रत उमर रज़ि॰ जब तवाफ़ करते हुए हज्रे अस्वद पर पहुँचे तो उसको बोसा दिया और फ़रमाया कि मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर है, न तू कोई नफ़ा पहुँचा सकता है, न नुक़्सान पहुँचा सकता है। अगर मैं हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को न देखता कि आपने तुझे बोसा दिया, तो कभी बोसा न देता। हज़रत अली कर्रमल्लहु वज्हहू पास खड़े थे। उन्होंने अर्ज़ किया कि ऐ अमीरूल मोमिनीन! यह नफ़ा और नुक़्सान पहुँचाता है। हज़रत उमर रज़ि॰ ने फ़रमाया कि यह कैसे? हज़रत अली रज़ि॰ ने फ़रमाया कि अज़ल में जब अल्लाह जल्ल शानुहू ने सारे बंदों से अपने रब्बुल आलमीन होने का इक़रार लिया था तो उस इक़रार को किताब में दर्ज करके इस पत्थर में महफ़ूज़ कर दिया था। बस यह क़ियामत के दिन गवाही देगा कि फ़लां ने इक़रार पूरा कर दिया और फ़लाँ (यानी काफ़िर) मुंकिर हुआ। *(इत्तिहाफ़)*

ग़ालिबन इसी वजह से इस जगह जो दुआ मस्नून है, उसके अल्फ़ाज़ हैं-

اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ ط

("अल्लाहुम्-म ईमानम् बि-क व तस्दीक़म् बिकिताबि-क॰ व वफ़ाअम् बिअह्दि-क॰"

"ऐ अल्लाह, मैं बोसा देता हूँ तुझ पर ईमान लाते हुए और तेरी किताब की तस्दीक़ करते हुए और तेरे अहद को पूरा करते हुए।")

हज़रत उमर रज़ि॰ को लोगों के अक़ाइद का बहुत फ़िक्र व एहतिमाम रहता था कि मुबादा अक़ीदे में कोई लग़्ज़िश हो जाये, इसी वजह से "बैअतुर्रिज़्वान"

करते हैं कि काबे के लिये एक ज़बान है और दो होंठ हैं, उसने (पहले ज़माने में) हक़ तआला शानुहू से शिकायत की कि ऐ अल्लाह, मेरी तरफ़ लौटने वाले कम हो गये, और ज़ियारत करने वाले कम हो गये तो हक़ तआला शानुहू ने फ़रमाया कि मैं एक ऐसी क़ौम (मुसलमान) पैदा करने वाला हूँ, जो बड़े खुशूअ् वाली होगी, बड़े सज्दे करने वाली (नमाज़ी) होगी, वे तेरी तरफ़ ऐसे झुकेंगे, जैसा कि कबूतर अपने बैज़े की तरफ़ झुकता है। *(तर्ग़ीब)*

एक और हदीस में आया है कि हज्रे अस्वद और रूकने यमानी क़ियामत के दिन ऐसे हाल में उठेंगे कि उनके लिये दो आंखें और दो ज़बानें और दो होंठ होंगे, वफ़ा की गवाही देंगे उन लोगों के लिये जो उनको बोसा देंगे यानी इसकी गवाही देंगें कि इन बोसा देने वालों ने इक़रार पूरा कर दिया। *(तर्ग़ीब)*

एक हदीस में है कि हज़रत उमर रज़ि॰ जब तवाफ़ करते हुए हज्रे अस्वद पर पहुँचे तो उसको बोसा दिया और फ़रमाया कि मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर है, न तू कोई नफ़ा पहुँचा सकता है, न नुक़्सान पहुँचा सकता है। अगर मैं हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को न देखता कि आपने तुझे बोसा दिया, तो कभी बोसा न देता। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू पास खड़े थे। उन्होंने अर्ज़ किया कि ऐ अमीरूल मोमिनीन! यह नफ़ा और नुक़्सान पहुँचाता है। हज़रत उमर रज़ि॰ ने फ़रमाया कि यह कैसे? हज़रत अली रज़ि॰ ने फ़रमाया कि अज़ल में जब अल्लाह जल्ल शानुहू ने सारे बंदों से अपने रब्बुल आलमीन होने का इक़रार लिया था तो उस इक़रार को किताब में दर्ज करके इस पत्थर में महफ़ूज़ कर दिया था। बस यह क़ियामत के दिन गवाही देगा कि फ़लां ने इक़रार पूरा कर दिया और फ़लाँ (यानी काफ़िर) मुंकिर हुआ। *(इत्तिहाफ़)*

ग़ालिबन इसी वजह से इस जगह जो दुआ मस्नून है, उसके अल्फ़ाज़ हैं-

اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ ؕ

("अल्लाहुम्-म ईमानम् बि-क व तस्दीक़म् बिकिताबि-क॰ व वफ़ाअम् बिअह्दि-क॰"

"ऐ अल्लाह, मैं बोसा देता हूँ तुझ पर ईमान लाते हुए और तेरी किताब की तस्दीक़ करते हुए और तेरे अहद को पूरा करते हुए।")

हज़रत उमर रज़ि॰ को लोगों के अक़ाइद का बहुत फ़िक्र व एहतिमाम रहता था कि मुबादा अक़ीदे में कोई लग़्ज़िश हो जाये, इसी वजह से "बैअतुर्रिज़्वान"

जिस दरख़्त के नीचे हुई थी, वह बैअत चूंकि बहुत अहम थी, हत्तांकि हक़ तआला शानुहू ने भी रिज़ा का परवाना उन हज़रात के लिये क़ुरआन पाक में नाज़िल फ़रमाया। चुनांचे इर्शाद है:-

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْيُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ (فتح)

"बेशक अल्लाह जल्ल शानुहू राज़ी हो गया, उन मुसलमानों से जब कि वे दरख़्त के नीचे आप से बैअत कर रहे थे।

लेकिन जब हज़रत उमर रज़ि॰ को यह मालूम हुआ कि लोग उस दरख़्त के पास बरकत के तौर पर जाते हैं तो उस दरख़्त को कटवा दिया।

(दुर्रे मंसूर)

इसी तरह हज़रत उमर रज़ि॰ को यहां भी ख़्याल हुआ कि लोग बुत परस्ती से निकलकर आ रहे हैं, ऐसा न हो कि इस पत्थर को भी बुतों के पत्थर के मुशाबेह समझ कर बुत परस्ती का शायबा उनमें रह जाये, इसलिये इस पर मुतनब्बह करने के लिये कि यह पत्थर की कोई ताज़ीम नहीं है, बल्कि सिर्फ़ तामीले हुक्म है। मुश्रिकीन की तरह से यह बात नहीं कि इस पत्थर में कोई तक़र्रूब पैदा करने की ख़ासियत है। *(इत्तिहाफ़)*

इसी तरह से खुद काबे शरीफ़ के मुताल्लिक़ हज़रत उमर रज़ि॰ का यह इर्शाद नक़ल किया गया कि यह चंद पत्थरों का मकान है, लेकिन अल्लाह ने इसको हमारा क़िबला मुक़र्रर कर दिया कि ज़िन्दगी में इसकी तरफ़ नमाज़ पढ़ें और मरने के बाद इसकी तरफ़ मुंह करके लिटाया जाये। *(कंज़)*

एक हदीस में आया है कि हज़रत उमर जब हज्रे अस्वद पर पहुँचे तो फ़रमाया मैं इस की गवाही देता हूँ कि तू एक पत्थर है न नफ़ा पहुँचा सकता है न नुक्सान। मेरा रब सिर्फ़ वही है जिस के सिवा कोई माबूद नहीं। अगर मैं यह न देखता कि हुज़ूर सल्ल॰ ने तुझे बोसा दिया और हाथ लगाया तो न बोसा देता न हाथ लगाता। *(कंज़)*

एक हदीस में आया है कि हज़रत उमर रज़ि॰ ने जब हज्रे अस्वद को बोसा दिया तो फ़रमाया:-

بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ عَلٰى مَاهَدَانَا وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الَّذِىْ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَكَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَاللَّاتِ وَالْعُزّٰى وَمَايُدْعٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنَّ وَلِيِّ اللّٰهُ الَّذِىْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ ○

"इसमें हर क़िस्म के शिर्क से बेज़ारी का इज़्हार फ़रमाया, इससे यह बात भी ज़ाहिर हो गयी कि बैतुल्लाह शरीफ़ का तवाफ़ या हज्रे अस्वद वग़ैरह का बोसा इसको बुत परस्ती से कोई मुशाबहत नहीं। अव्वल इस वजह से कि इस का तवाफ़ वग़ैरह सिर्फ़ तामीले इर्शादे खुदावंदी है और बुतों के तवाफ़ का या किसी बुत के तवाफ़ का कोई हुक्म मालिकुल मुल्क से नहीं है।

दूसरे इस वजह से भी कि काबे शरीफ़ या हज्रे अस्वद वग़ैरह में ग़ैरूल्लाह से कोई ताल्लुक़ या इलाक़ा और निस्बत नहीं है, मौला ही का घर है, बख़िलाफ़ बुतों के क़ि ये ग़ैरूल्लाह से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें शिर्क ज़ाहिर है, और हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू का यह इर्शाद कि नफ़ा देता है वह शहादत और गवाही का नफ़ा है, अदालत में किसी की गवाही देना उसके लिये नाफ़ेअ् तो बहुत ज़्यादा है, मगर इससे उसका क़ाबिले परस्तिश होना लाज़िम नहीं आता।

हदीस में आया है कि मुअज़्ज़िन की अज़ान की आवाज़ जहां तक पहुँचे हर रत्ब व याबिस उसके लिये क़ियामत में गवाही देगा लेकिन इसकी वजह से हर रत्ब व याबिस (खुश्क व तर चीज़) का क़ाबिले परस्तिश होना लाज़िम नहीं आता।

(٣) عن ابن عباسؓ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الاسود من الجنة وهو اشد بياضامن اللبن فسودته خطايا بنى ادم رواه احمد والترمذى وقال هذا حديث حسن صحيح كذا فى المشكوٰة.

3. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि हजरे अस्वद जब जन्नत से दुनिया में उतरा तो वह दूध से ज़्यादा सफ़ेद था, आदमियों की ख़ताओं ने उसको काला कर दिया।

फ़ायदाः– यानी लोगों ने जो उसको गुनाहों से आलूदा हाथों से छुआ तो उनके गुनाहों की तासीर से वह स्याह हो गया। बड़ी इब्रत का मक़ाम है कि जब महज़ हाथ लगाने से पत्थर पर यह असर हुआ तो उन दिलों का क्या हाल होता होगा, जो गुनाहों से हर वक़्त वाबस्ता रहते हैं।

एक हदीस में आया है कि जब आदमी कोई गुनाह करता है तो उस के दिल में एक स्याह दाग़ लग जाता है, अगर वह तौबा इस्तिग़फ़ार से उस को धो देता है तो वह साफ़ हो जाता है वरना वह लगा रहता है और जब दूसरा गुनाह करता है तो दूसरा दाग़ लग जाता है, इसी तरह होते होते सारा दिल स्याह हो जाता

है। इसी की तरफ़ क़ुरआन पाक की आयतः-

كَلَّا بَلْ سكة رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ٥

"तर्जुमाः- (बल्कि उनके बुरे आमाल का उनके दिलों पर ज़ंग जम गया) में इशारा किया गया।

एक हदीस में आया है कि हज्रे अस्वद और मक़ामे इब्राहीम जन्नत के याक़ूतों में से दो याक़ूत हैं। अगर मुश्रिकीन उसको न छूते तो जो भी बीमार ख़्वाह कैसी ही बीमारी होती, जब उसको छूता तो तन्दुरूस्त हो जाता। एक हदीस में है कि हज्रे अस्वद जन्नत के पत्थरों में से एक पत्थर है, अगर गुनाहों की नहूसत जो काफ़िरों के छूने से उससे वाबस्ता हो गयी न होती, तो जो अंधा, कोढ़ी या किसी और मर्ज़ का बीमार उसको छूता तो वह तन्दुरूस्त हो जाता।

(इत्तिहाफ़)

(٤) عن ابی هریرةؓ ان النبی صلی اللّٰہ علیه وسلم قال وکل به سبعون ملکا یعنی الرکن الیمانی فمن قال اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِی الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِی الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ قالوا آمین رواه ابن ماجه كذا فی المشکوٰة.

4. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि रूक्ने यमानी पर सत्तर फ़रिश्ते मुक़र्रर हैं, जो शख़्स वहां जाकर यह दुआ पढ़े "अल्लाहुम्-म इन्नी अस्अलु कल् अफ़्-व वल् आफ़िय-त, फ़िद्दुन्या, वल् आख़िर-ति रब्बना आतिना फ़िद्दुन्या ह-स-न-तंव्-व फ़िल् आख़िर-ति ह-स-न-तंव् व क़िना अज़ाबन्नार॰" तो वे फ़रिश्ते उसकी दुआ पर आमीन कहते हैं (दुआ का तर्जुमा इस तरह है, ऐ अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी का तालिब हूँ, और दोनों जहान में आफ़ियत मांगता हूँ। ऐ अल्लाह तू दुनिया में भी भलाई अता कर और आख़िरत में भी और जहन्नम के अज़ाब से हिफ़ाज़त फ़रमा)

फ़ायदाः- रूक्ने यमानी भी बा बरकत मक़ाम है।

हज़रत इब्ने उमर रज़ि॰ फ़रमाते हैं, कि हमने हज्रे अस्वद या रूक्ने यमानी का इस्तिलाम नर्मी या सख़्ती में नहीं छोड़ा, जब से हमने देखा कि हुज़ूर सल्ल॰ उनका इस्तिलाम किया करते थे, रूक्ने यमानी का इस्तिलाम यह है कि तवाफ़ करते हुए उस पर हाथों को फेरे।

एक हदीस में आया है कि हज्रे अस्वद और रूक्ने यमानी का मस करना (छूना) ख़ताओं को साक़ित करता है। (कंज़)

एक हदीस में है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रूक्ने यमानी को भी बोसा दिया है। (इत्तिहाफ़)

इस जगह इस बात का लिहाज़ रखना ज़रूरी है कि हज्रे अस्वद और रूक्ने यमानी का इस्तिलाम ऐसी तरह होना चाहिये जिसमें दूसरों को अज़ीयत न पहुँचे कि यह फेअ्ल मुस्तहब है और मुसलमान को ईज़ा (तक्लीफ़) पहुँचाना हराम है।

(٥) عن ابن عباسؓ يقول سمعت النبی صلی اللہ علیه وسلم يقول الملتزم موضع يستجاب فيه الدعاء مادعا اللہ فيه عبد الا استجابها كذا فی المسلسلات للشاه ولی اللہ الدهلوی وذكره الجزری فی الحصن مجملا.

5. हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि॰ हुज़ूर सल्ल॰ से नक़ल करते हैं कि मुलतज़म ऐसी जगह है, जहां दुआ क़ुबूल होती है। किसी बंदे ने वहां ऐसी दुआ नहीं की, जो क़ुबूल न हुई हो।

फ़ायदाः- मुलतज़म हजरे अस्वद से लेकर काबे शरीफ़ के दरवाज़े तक का हिस्सा कहलाता है, ग़ालिबन इसी वजह से उसका नाम मुलतज़म है कि उसके मायने चिमटने की जगह के हैं।

अबू दाऊद में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि॰ से नक़ल किया गया कि उन्होंने इस जगह खड़े होकर अपने सीने और चेहरे को दीवार से चिमटा दिया और दोनों हाथों को दीवार पर फैला दिया और यह कहा कि मैंने इस तरह हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को करते देखा। इस जगह के मुताल्लिक़ जो हदीस दुआ के क़ुबूल होने की नक़ल की जाती है।

मेरे हज़रत नव्वरल्लाहु मर्क़दहू से लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तक हर उस्ताज़े हदीस सुनाते वक़्त अपना ज़ाती तजुर्बा यह बताता है कि मैंने इस जगह दुआ की और वह क़ुबूल हुई और इस नापाक का भी ज़ाती तजुर्बा है।

हसन बसरी रह॰ ने जो ख़त मक्का वालों को लिखा है उसमें तहरीर

फ़रमाया है कि वहां पन्द्रह जगह दुआ क़ुबूल होती है –

1. तवाफ़ करते वक़्त, 2. मुलतज़म पर, 3. मीज़ाबे रहमत के पास, 4. काबा शरीफ़ के अंदर, 5. ज़मज़म के कुंए के पास, 6. सफ़ा, 7. और मर्व: पर, 8. और उनके दर्मियान दौड़ते हुए, 9. मक़ामे इब्राहीम के पास, 10. अरफ़ात के मैदान में, 11. मुज़दलिफ़ा में, 12. मिना में, 13., 14, 15, और तीनों शैतानों के कंकरियाँ मारते वक़्त। *(हिस्ने हसीन)*

और दुर्रे मंसूर की रिवायत में लिखा है कि मुलतज़म और मीज़ाबे रहमत के नीचे और रूक्ने यमानी के पास और सफ़ा और मर्व: पर और उनके दर्मियान और हज्रे अस्वद और मक़ामे इब्राहीम के दर्मियान और काबा शरीफ़ के अंदर और मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात और तीनों शैतानों के पास।

हमारे हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ साहिब नव्वरल्लाहु मर्क़दहू ने अपनी तफ़सीर में इसी रिवायत को इख़्तियार किया है।

बाज़ उलमा ने इनके अलावा मताफ़ यानी तवाफ़ करने की जगह और बैतुल्लाह शरीफ़ पर नज़र पड़ते वक़्त और हतीम और हज्रे अस्वद और रूक्ने यमानी के दर्मियानी हिस्सा को भी ख़ुसूसियत से दुआ के क़ुबूल होने की जगह बताया है।

बाज़ उलमा से यह भी नक़ल किया गया है कि मुलतज़म रूक्ने यमानी से लेकर काबा के ग़रबी दरवाज़े तक का हिस्सा है जो बंद है, यह अगरचे मशहूर क़ौल के ख़िलाफ़ है, लेकिन बाज़ अकाबिर का क़ौल तो है ही।

(शर्हे लुबाब)

(٦) عن انس بن مالكؓ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوٰة الرجل فى بيته بصلوٰة وصلوٰته فى مسجد القبائل بخمس وعشرين صلوٰة وصلوٰته فى المسجد الذى يجمع فيه بخمسمائة صلوٰة وصلوٰته فى المسجد الاقصٰى بخمسين الف صلوٰة وصلوٰته فى مسجدى بخمسين الف صلوٰة وصلوٰته فى المسجد الحرام بمائة الف صلوٰة ۔ راه ابن ماجه كذا فى المشكوٰة۔

6. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि आदमी अगर अपने घर पर नमाज़ पढ़े तो सिर्फ़ एक नमाज़ का सवाब उसको मिलता है और मुहल्ले की मस्जिद में पच्चीस गुना सवाब मिलता है और जामा मस्जिद में पांच सौ गुना सवाब ज़्यादा होता है और बैतुल

मक़्दिस की मस्जिद में पचास हज़ार नमाज़ों का सवाब है और मेरी मस्जिद में यानी मदीना पाक की मस्जिद में पचास हज़ार का सवाब है और मक्का मुकर्रमा की मस्जिद में एक लाख नमाज़ों का सवाब है।

फ़ायदाः- मुतअद्दद (बहुत सी) अहादीस में यह मज़्मून वारिद हुआ है कि मक्का मुकर्रमा की मस्जिद में एक लाख नमाज़ों का सवाब है।

हसन बसरी रह० फ़रमाते हैं कि मक्का में एक दिन का रोज़ा मक्का से बाहर एक लाख रोज़ों के बराबर है, वहां एक दिरम (जो तक़रीबन चार आने का होता है, दिरम चांदी के एक सिक्के का नाम है जो 3½ माशे का होता है, चांदी की क़ीमत बढ़ जाने से दिरम की क़ीमत भी बढ़ गयी है) बाहर के लाख दिरम के बराबर है, और इसी तहर वहां की हर नेकी बाहर की एक लाख नेकी के बराबर है। *(इत्तिहाफ़)*

तीसरी फ़स्ल की पहली हदीस में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद गुज़र चुका है कि हरम की नेकी एक लाख के बराबर है।

बहुत सी अहादीस से यह मालूम होता है कि मस्जिदे नबवी का सवाब मस्जिदे अक़्सा से ज़ायद है, लेकिन इस हदीस में दोनों का सवाब पचास हज़ार आया है, इसलिये उलमा ने उन रिवायात की वजह से इस हदीस में यह तौजीह फ़रमायी है कि यहां हर मस्जिद का सवाब इस पहली मस्जिद के एतिबार से है यानी जामा मस्जिद का सवाब मस्जिदे कबीला के सवाब से पांच सौ मर्तबा ज़ायद है। इस सूरत में जामा मस्जिद का सवाब बारह हज़ार पांच सौ हो गया और मस्जिदे अक़्सा का सवाब 62 करोड़ 50 लाख हो गया और मस्जिदे मदीना का 3 नील बारह ख़रब पचास अरब हुआ और मस्जिदे हराम का इक्तीस संघ पच्चीस पदम हुआ, इस सूरत में मस्जिदे मदीना का सवाब मस्जिदे अक़्सा से बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन आम रिवायात में मस्जिदे हराम का सवाब, जो एक लाख है, इससे बहुत ज़ायद हो गया और बेहतर है कि जब मस्जिद शरीफ़ में दाख़िल हो, एतिकाफ़ की नीयत कर लिया करे। अव्वल तो हर मस्जिद का यही हुक्म है कि जब नमाज़ के वास्ते किसी मस्जिद में भी दाख़िल हो तो एतिकाफ़ की नीयत कर लिया करे, ताकि इतनी देर एतिकाफ़ का सवाब मुस्तक़िल होता रहे और मस्जिदे हराम और मस्जिदे नबवी में तो ख़ास तौर से इसका ख़्याल रखे। इमाम नववी रह० ने लिखा है कि यह बहुत अहम चीज़ है, इसका बहुत एहतिमाम होना चाहिये।

(٧) عن عمرؓ قال لان اخطئ سبعين خطيئة بركية احب الى من ان اخطئ خطيئة واحدة بمكة كذا في الكنز عن الازرقي.

7. हज़रत उमर रज़ि॰ का इर्शाद है कि मक्का में एक ख़ता करूँ इससे यह बहुत ज़्यादा पसंद है कि (मक्का से बाहर) रकिय्यः में सत्तर ख़तायें करूँ।

फ़ायदा:- जैसा कि मक्का मुकर्रमा में नेकियों का सवाब बहुत ज़्यादा है, ऐसे ही वहां गुनाह का वबाल भी सख़्त है। इसी वजह से हज़रत उमर रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि मक्का से बाहर सत्तर लग़्ज़िशें मक्का की एक लग़्ज़िश से बेहतर हैं।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि॰ का भी यही इर्शाद तीसरी फ़स्ल की पहली हदीस के ज़ैल में गुज़र चुका है और हज़रत उमर रज़ि॰ से कई मज़्मून इसके हम मायने ज़िक्र किये गये। इसी वजह से बाज़ अकाबिर मक्का मुकर्रमा में क़ियाम को पसंद न करते थे कि उसके अदब व एहतिराम का हक़ अदा करना मुश्किल है।

इमाम ग़ज़ाली रह॰ ने लिखा है कि वहां ख़ताओं का इर्तिकाब सख़्त मम्नूअ् है और क़रीब है कि अल्लाह जल्ल शानुहू के ग़ुस्से का मूजिब बन जाये। *(इत्तिहाफ़)*

वह्ब बिन वर्द रह॰ एक बुज़ुर्ग हैं, फ़रमाते हैं कि मैं एक दिन हतीम मे नमाज़ पढ़ रहा था कि मैंने काबे के पर्दों के अंदर से यह आवाज़ सुनी कि मैं अव्वलन अल्लाह जल्ल शानुहू से शिकायत करता हूँ और उसके बाद ऐ जिब्रील तुमसे शिकायत करता हूँ लोगों की कि वे मेरे गिर्द हंसी मज़ाक़ और लग़्व बातों में मशग़ूल रहते हैं। अगर ये लोग अपनी हरकतों से बाज़ न आये, तो मैं ऐसा फटूँगा कि हर हर पत्थर मेरा जुदा जुदा हो जायेगा। *(एह्या)*

हज़रत उमर रज़ि॰ ने एक मर्तबा क़ुरैश के लोगों को मुख़ातब करके फ़रमाया कि तुमसे पहले क़बीला अमालिक़ा इस घर का मुतवल्ली और मुंतज़िम हुआ था। उन लोगों ने इसके एहतिराम में तसाहुल किया और ताज़ीम का हक़ अदा न किया तो अल्लाह जल्ल शानुहू ने उनको हलाक कर दिया। इसके बाद क़बीला बनू जुर्हुम इसके मुतवल्ली बने और जब उन लोगों ने इसकी बे हुरमती की तो अल्लाह जल्ल शानुहू ने उनको भी हलाक कर दिया, लिहाज़ा तुम लोग बहुत

ज़्यादा इसकी ताज़ीम किया करो, इसमें सुस्ती न करो। (कंज़)

मूसा बिन मुहम्मद रह० कहते हैं कि एक मर्तबा एक अजमी शख़्स तवाफ़ कर रहा था. नेक दीनदार आदमी था तवाफ़ करते हुए एक ख़ूबसूरत औरत की पाज़ेब की आवाज़, जो तवाफ़ कर रही थी, उसके कानों में पड़ी। यह शख़्स उस औरत को घूरने लगा, रूक्ने यमानी से एक हाथ निकला और इस ज़ोर से उसको थप्पड़ मारा की आंख निकल गयी और बैतुल्लाह शरीफ़ की दीवार से एक आवाज़ आयी कि हमारे घर का तवाफ़ करता है और हमारे ग़ैर को देखता है, यह थप्पड़ उस नज़र के बदले है और अगर आइंदा कोई और हरकत करेगा तो हम भी ज़्यादा बदला देंगे। (मुसामरात)

(٨) عن عائشةؓ قالت كنت احب ان ادخل البيت واصلى فيه فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى فادخلنى فى الحجر فقال صلى فى الحجر اذا اردت دخول البيت فانما هو قطعة من البيت فان قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فاخرجوه من البيت رواه ابو داؤد.

8. हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं कि मेरा दिल चाहता था कि मैं काबे शरीफ़ के अंदर जाऊँ और अंदर जाकर नमाज़ पढ़ूँ। हुज़ूर सल्ल० ने मेरा हाथ पकड़ कर हतीम में दाख़िल कर दिया और यह फ़रमाया कि जब तेरा काबे में दाख़िल होने को दिल चाहा करे तो यहां आकर नमाज़ पढ़ लिया कर। यह काबे ही का टुकड़ा है। तेरी क़ौम ने जब काबे की तामीर की तो इस हिस्से को (ख़र्च की कमी की वजह से) काबे से बाहर कर दिया था।

फ़ायदा:- काबा शरीफ़ के अंदर दाख़िल होना मुस्तहब है और वह भी क़ुबूलियते दुआ की ख़ास जगह है, जैसा कि हदीस नं० 5 के ज़ैल में गुज़रा, लेकिन रिश्वत देकर अंदर जाना जायज़ नहीं। क़ुरैश ने जब बैतुल्लाह को तामीर किया था, जैसा कि काबे की तामीरों के सिलसिला नं० 8 में गुज़र चुका है, तो उसके अंदर की सतह को बुलंद कर दिया था और दरवाज़ा बहुत बुलंद कर दिया था ताकि बग़ैर सीढ़ी लगाये आदमी अंदर न जा सके और यह अपने इख़्तियार की बात रहे कि जिसको चाहे दाख़िल होने दें, जिसको दिल चाहे दाख़िल न होने दें। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तमन्ना और ख़्वाहिश थी

कि काबे की तामीर को साबिक़ा तर्ज़ के मुवाफ़िक़ कर दिया जाये, चुनांचे हुज़ूर सल्ल॰ ने हज़रत आइशा रज़ि॰ से फ़रमाया कि अरब नौ मुस्लिम हैं, यानी मुबादा काबे के गिराने से उनके जज़्बात में इश्तिआल पैदा हो। अगर यह बात न होती तो मैं काबे को अज़ सरे नौ तामीर करता और हतीम का हिस्सा अंदर दाख़िल कर देता और उसके दो दरवाज़े कर देता कि एक से लोग दाख़िल हों और दूसरे से बाहर निकलें और दरवाज़े को ज़मीन से मिला देता। तेरी क़ौम ने इसलिये इसके दरवाज़े को बुलंद किया ताकि जिसको वे पसंद करें, वह दाख़िल हो सके।

दूसरी हदीस में इर्शाद है कि हज़रत आइशा रज़ि॰ से हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि बैतुल्लाह के बारे में तेरी क़ौम ने कोताही की। अगर वे कुफ़्र के ज़माने से क़रीब न होते तो मैं उस हिस्से को जिसको उन्होंने बाहर निकाल दिया, बैतुल्लाह के अंदर दाख़िल कर देता अगर मेरे बाद काबा शरीफ़ के बनाने की नौबत आयी तो आ, मैं तुझे दिखा दूं कि वह कितना हिस्सा है जिसको उन्होंने बाहर निकाल दिया। इसके बाद हुज़ूर सल्ल॰ ने तक़रीबन सात हाथ के बक़द्र हिस्सा दिखाया।

यह और इस क़िस्म की दूसरी रिवायात की बिना पर जब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ि॰ ने अपने ज़माने में काबे शरीफ़ को बनाया तो हुज़ूर सल्ल॰ की ख़्वाहिश के मुवाफ़िक़ उसकी तामीर में इस्लाहात कर दीं और हतीम के हिस्से को अंदर दाख़िल कर दिया, लेकिन इसके बाद अब्दुल मलिक के ज़माने में हज्जाज ने फिर उसको वैसे ही कर दिया, जैसा कि हुज़ूर सल्ल॰ के ज़माने में था, उसकी नीयत तो जो भी चाहे हो, लेकिन यह अल्लाह जल्ल शानुहू का इनाम हुआ कि यह हिस्सा तामीर से बाहर हो गया, जिसकी वजह से अब काबे शरीफ़ के अंदर दाख़िल होना हर शख़्स के लिये आसान हो गया कि इस हिस्से पर न तामीर है, न रिश्वत की ज़रूरत है। जिसका जब दिल चाहे, वहां जाकर नमाज़ पढ़े, दुआ मांगे, कि यह काबे के अंदर के हिस्से के हुक्म में है, इसलिये हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत आइशा रज़ि॰ से जब उन्होंने अंदर दाख़िले की तमन्ना की तो फ़रमाया कि यहां खड़ी होकर नमाज़ पढ़ ले, औरतों के लिये बिलख़ुसूस अंदर जाने में बहुत सी मुश्किलात हैं, उन के लिये यह हिस्सा ख़ास तौर से ग़नीमत और अल्लाह का एहसान है। काबे के अंदर दाख़िल होना भी अगरचे मुस्तहब है और बेहतर है लेकिन इसके आदाब और भी ज़्यादा हैं। उलमा ने लिखा है कि अगर कोई शख़्स दाख़िल हो तो निहायत वक़ार व अज़्मत

से दाख़िल हो। बेहतर यह है कि मोज़े पहन कर दाख़िल न हो, बल्कि उनको निकाल दे और दाख़िले से पहले ग़ुस्ल करे और निहायत ख़ुशूअ् ख़ुज़ूअ् के साथ रोता हुआ दाख़िल हो।

एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा कि आप काबे के अंदर दाख़िल हुए थे? उन्होंने फ़रमाया कि ये पांव इस क़ाबिल भी नहीं कि मेरे पांव रब के घर के चारों तरफ़ फिरें, तो मैं उनको इस क़ाबिल कहां समझता हूं कि इस पाक घर के अंदर उनको दाख़िल करूं, मुझे इनका हाल मालूम है, कि ये कहां कहां चले फिरे हैं और किस किस बुरे इरादे से चले हैं। *(इत्तिहाफ़)*

काबा किस मुंह से जाओगे, ग़ालिब
शर्म तुमको मगर नहीं आती।।

ब ज़मीं चूं सज्दा कर्दम ज़ ज़मीन निदा बरामद,
कि मुरा ख़राब कर दी तू ब सिज्दा-ए-रियाई॥

ब तवाफ़े काबा रफ़्तम ब हरम रहम नदादंद,
कि बरूने दर चे कर दी कि दरूने ख़ाना आई।।

कहते हैं कि मैंने जब ज़मीन पर सज्दा किया, तो ज़मीन से यह आवाज़ आयी कि तूने इस रिया के सज्दे से मुझे क्यों ख़राब किया, और जब मैं काबे को गया तो मुझे अंदर दाख़िल न होने दिया और यह आवाज़ आयी कि दरवाज़े से बाहर क्या गुल खिलाये जो अंदर आने की उमंग पैदा हुई।

उलमा ने लिखा है कि काबा शरीफ़ में दाख़िल होने वाले को दो चीज़ से ख़ुसूसियत से बचना चाहिये, जिसको गुमराह लोगों ने घड़ रखा है, एक दरवाज़े के सामने बिलमुक़ाबिल दीवार में कड़ा है, जिसको जाहिल लोग उर्वतुल वुस्क़ा कहते हैं और यह समझते हैं कि जो उसको पकड़ ले, उसने उर्वतुल वुस्क़ा को पकड़ लिया। यह महज़ जहालत है। दूसरे काबा शरीफ़ के दर्मियान में एक मीख़ है जिसको अहमक़ सुर्रतुद्दुन्या (दुनिया की नाफ़) कहते हैं, और अपनी नाफ़ उस पर रगड़ते हैं। ये दोनों बातें महज़ लग्व और हिमाक़त हैं, इनकी कोई असल नहीं। *(मनासिके नववी व इत्तिहाफ़)*

(۹) عن جابرؓ يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له رواه ابن ماجه وبسط صاحب الاتحاف في تخريجه وقال

شیخنا الشاہ عبد الغنی ہذا الحدیث مشہور علی الالسنۃ کثیرًا واختلف الحفاظ فیہ فمنہم من صححہ ومنہم من حسنہ ومنہم من ضعفہ والمعتمد الاول ۔اھ۔ وقال ابن حجر فی شرح مناسک النووی قد کثر کلام المحدثین فی ہذا الحدیث والذی استقر علیہ امر محققیہم انہ حسن او صحیح وقول الذہبی انہ باطل وابن الجوزی انہ موضوع مردود. اھ

9. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद है कि ज़मज़म का पानी जिस नीयत से पिया जाये, वही फ़ायदा उससे हासिल होता है।

फ़ायदा:- एक दूसरी हदीस में आया है कि अगर तू उसको प्यास बुझाने के वास्ते पिये तो उसका काम दे और अगर खाने की जगह पेट भरने के लिये पिये तो उसका क़ाम दे और अगर किसी मरज़ से सेहत की नीयत से पिये तो उसका काम दे। यह हज़रत जिब्रील अलैहि॰ की ख़िदमत है और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सबील है। *(इत्तिहाफ़)*

हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ख़िदमत का मतलब यह है कि उनकी सई से यह चश्मा ज़मीन से उबला था, जिसका क़िस्सा मशहूर व मारूफ़ है।

हज़रत सुफ़ियान बिन उयैना रह॰ जो मशहूर मुहद्दिस हैं, उनके पास एक शख़्स आये और उनसे अर्ज़ किया कि आप यह कहते हैं कि हुज़ूर सल्ल॰ ने इर्शाद फ़रमाया कि ज़मज़म का पानी जिस काम के लिये पिया जाये, उसी काम के लिये है, क्या यह हदीस सही है? उन्होंने कहा कि सही है तो उन्होंनें अर्ज़ किया कि मैंने इसलिये पिया ताकि आप दो सौ हदीसें मुझे सुनायें, उन्होंने फ़रमाया बैठ जाओ और दो सौ हदीसें उनको सुना दीं।

इब्ने उयैना रह॰ ने यह भी कहा कि हज़रत उमर रज़ि॰ ने ज़मज़म का पानी पीते हुए कहा कि, या अल्लाह, मैं क़ियामत के दिन की प्यास बुझाने के लिये पीता हूँ। *(कंज़, इत्तिहाफ़)*

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज्जतुल विदाअ् में ज़मज़म का पानी ख़ूब पिया और यह इर्शाद फ़रमाया कि मेरा दिल चाहता है कि ख़ुद डोल भर कर पियूँ, मगर फिर सब लोग ख़ुद भरने लगेंगे, इसलिये नहीं भरता।

बाज़ रिवायात में आया है कि हुज़ूर सल्ल॰ ने खुद भरा। मुम्किन है कि किसी वक़्त खुद भरा हो और दूसरे वक़्त मज्मे की वजह से यह उज़्र फ़रमा दिया हो।

एक हदीस में आया है कि हुज़ूर सल्ल॰ ने हज़रत अब्बास रज़ि॰ से ज़मज़म का पानी तलब किया। उन्होंने अर्ज़ किया इस पानी में (जो कोई हौज़ की क़िस्म से पानी के मुज्तमअ् होने की जगह थी) सब लोग हाथ डाल देते हैं। घर में साफ़ पानी रखा हुआ है, उसमें से लाऊँ? हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया नहीं, जिसमें से सब पीते हैं उसी में से पिलाओ। उन्होंने पेश किया। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पिया और आंखों पर डाला, फिर दोबारा लेकर पिया और अपने ऊपर दोबारा डाला। *(कंज़)*

एक हदीस में हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद नक़ल किया गया कि हममें और मुनाफ़िक़ीन में यह फ़र्क़ है कि वे ज़मज़म के पानी को खूब सैराब होकर नहीं पीते, (मामूली सा पीते हैं)।

एक और हदीस में है कि हुज़ूर सल्ल॰ ने एक मर्तबा डोल भरने का हुक्म फ़रमाया, डोल भर कर कुंए के किनारे पर रखा गया। हुज़ूर सल्ल॰ ने उस डोल को हाथ से पकड़ कर बिस्मिल्लाह कह कर देर तक पिया, फिर फ़रमाया, अलहम्दु लिल्लाह, इसके बाद फिर बिस्मिल्लाह कह कर देर तक पिया, फिर फ़रमाया अल हम्दु लिल्लाह, फिर इर्शाद फ़रमाया कि हममें और मुनाफ़िक़ों में यही फ़र्क़ है कि वे खूब सैराब होकर नहीं पीते।

एक हदीस में आया है कि हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि नेक लोगों के मुसल्ले पर नमाज़ पढ़ा करो और नेक लोगों के पानी से पानी पिया करो। सहाबा रज़ि॰ ने अर्ज़ किया कि नेक लोगों का मुसल्ला क्या चीज़ है? हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि मीज़ाबे रहमत के नीचे। फिर सहाबा रज़ि॰ ने अर्ज़ किया कि नेक लोगों का पानी क्या है? हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि ज़मज़म। *(इत्तिहाफ़)*

उम्मे मअ्बद रज़ि॰ कहतीं हैं कि मेरे ख़ेमे के पास को एक ग़ुलाम गुज़रे जिनके साथ दो मश्कीजे पानी के थे, मैंने पूछा ये मश्कीज़े कैसे हैं? उन्होंने कहा कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का वालानामा मेरे सरदार के पास पहुँचा कि हुज़ूर सल्ल॰ की ख़िदमत में ज़मज़म का पानी भेजा जाये, मैं बहुत उज्लत से ले जाना चाहता हूँ ताकि रास्ते में खुश्क न हो जाये। *(कंज़)*

हज़रत आइशा रज़ि॰ ज़मज़म का पानी अपने साथ ले जाती थीं, और यह नक़ल करती हैं कि हुज़ूर सल्ल॰ भी ले जाया करते थे।

एक हदीस में है कि हुज़ूर सल्ल॰ साथ ले जाया करते थे और बीमारों पर छिड़कते थे और हज़रत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की तह्नीक के वक़्त उनको दिया था। *(शर्ह लुबाब)*

बच्चे के पैदा होने के बाद सबसे पहले उस के मुंह में कुछ डालने को तह्नीक कहते हैं।

और इससे बढ़ कर क्या फ़ज़ीलत होगी कि शबे मेराज में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से बुराक़ लाये और जन्नत से सोने का तश्त लाये लेकिन क़ल्बे अत्हर को धोने के लिये बजाये जन्नत के पानी के ज़मज़म का पानी इस्तेमाल किया गया, हालांकि हज़रत जिब्रील अलैहिस्लाम जब बहुत सी चीज़ें वहां से लाये तो जन्नत का पानी लाने में क्या इश्काल था।

हज़रत इब्ने अब्बस रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब ज़मज़म का पानी पीते तो यह दुआ पढ़ते -

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّشِفَآءً مِّنْ كُلِّ دَآءٍ

"अल्ला हुम्-म इन्नी अस्‌अलु-क इल्मन् नाफ़िअंव् व रिज़्क़व् वासिअंव् व शिफ़ाअम् मिन् कुल्लि दाइन्॰"

(ऐ अल्लाह, मैं तुझसे ऐसा इल्म मांगता हूँ, जो नफ़ा देने वाला हो और वसीअ् रिज़्क़ और हर बीमारी से शिफ़ा चाहता हूँ)

(۱۰) عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة ماأطيبك من بلد واحبك الى ولولا ان قومى اخرجونى منك ماسكنت غيرك رواه الترمذى وقال حديث حسن غريب اسنادًا كذا فى المشكوٰة وفى الاخرى له والله انك لخير ارض الله واحب ارض الله الى الله الحديث.

10. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मक्के को ख़िताब फ़रमा कर इर्शाद फ़रमाया कि तू कितना बेहतर शहर है और मुझको कितना ज़्यादा महबूब है। अगर मेरी क़ौम मुझे न निकालती तो, तेरे सिवा किसी दूसरी जगह क़ियाम न करता।

फ़ायदाः- इस हदीस की वजह से, नीज़ उन अहादीस की वजह से जिन में मक्का की हर नेकी का सवाब एक लाख आया है, एक बड़ी जमाअत का मज़हब यह है कि मक्का मुकर्रमा सारे शहरों से अफ़ज़ल है और वहां क़ियाम करना मुस्तहब और अफ़ज़ल है और ज़ाहिर है कि जब एक एक नमाज़ एक लाख की शुमार होती हो तो फिर कौन है जिसको यह मर्गूब न हो। लेकिन इसके बावजूद बड़े अकाबिर वहां के क़ियाम को पसंद न फ़रमाते थे।

मुल्ला अली क़ारी रह॰ ने लिखा है कि मक्का मुकर्रमा का क़ियाम साहिबैन रह॰ के नज़दीक मुस्तहब है और इसी पर फ़तवा है और यही बाज़ शाफ़अिय्यः और बाज़ हनाबिला का मुख़्तार है। लेकिन इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रहि॰ और इमाम मालिक रहि॰ वहां के मुस्तक़िल क़ियाम को मक्रूह फ़रमाते थे और एक बड़ी जमाअत का मुहतात लोगों में से यही मज़हब है, मुबादा वहां रह कर आदमी को वहां से कोई गरानी और मलाल पैदा हो या उसके एहतिराम में किसी क़िस्म की कमी हो जाये या वहां रह कर आदमी से किसी क़िस्म का गुनाह सादिर हो जाये जैसा कि वहां नेकियों का सवाब कहीं ज़्यादा है, ऐसे ही वहां रह कर गुनाह करने का वबाल भी बहुत सख़्त है, लेकिन अल्लाह के वे मुख़्लिस बंदे जो गुनाहों से मुहतरिज हों उनके लिये अफ़्ज़लियत में क्या कलाम है, लेकिन वह इतनी क़लील मिक्दार है कि उन पर हुक्म लगाना भी ऐसा है जैसा आम मख़्लूक़ में बादशाह लेकिन पारसाई का झूठा दावा करने वालों का एतिबार नहीं कि वैसे तो हर शख़्स अपने को यही कहता है कि मैं वहां रहने के शरायत पूरे कर सकता हूँ, दावा बहुत सहल है:-

बहुत मुश्किल है बचना बादा-ए-गुलगों से ख़लवत में,
बहुत आसान है यारों में मआज़ल्लाह कह देना।।

मुल्ला अली क़ारी रह॰ फ़रमाते हैं कि हज़रत इमामे आज़म रह॰ ने अपने ज़माने के लोगों के हालात के लिहाज़ से कराहत और नापसंदीदगी का इज़हार फ़रमाया। अगर वे इन हालात को देखते, जिनको हम अपने ज़माने में देख रहे हैं तो वे वहां के क़ियाम के हराम होने का फ़तवा देते। यह मुल्ला अली क़ारी रह॰ मशाहीरे उलमा में हैं। 1014 हि॰ में वफ़ात पायी है। जब यह अपने ज़माने का यह हाल फ़रमा रहे हैं तो आज चौदहवीं सदी के आख़िर का जो हाल होगा, वह अज़्हर मिनश्शम्स है।

इमाम ग़ज़ाली रह॰ फ़रमाते हैं कि जिन मुहतात उलमा ने मक्का के क़ियाम को मकरूह बताया है, उसकी तीन वजह् हैं -

1. अव्वल यह कि ऐसा न हो कि वहां के क़ियाम से वह ज़ौक़ शौक़ और तड़प और बेक़रारी जो काबा शरीफ़ के साथ होना चाहिए, वह कम हो जाये।

2. दूसरे यह कि इससे रवानगी के वक़्त जो फ़िराक़ की तड़प और दोबारा लौटने का जज़्बा पैदा होगा, वह वहां रहने में हासिल नहीं होता, इसी लिये बुज़ुर्गों का इर्शाद है कि तू किसी दूसरे शहर में रहे और तेरा दिल मक्का मुकर्रमा में अटका रहे, यह बेहतर है इससे कि तू मक्का में रहे और तेरे दिल में किसी दूसरी जगह का दाअिया पेश आये, और बाज़ बुज़ुर्गों से नक़ल किया गया कि बहुत से लोग ख़ुरासान में रहने वाले मक्का से ताल्लुक़ के एतिबार से बाज़ उन लोगों से क़रीब हैं जो तवाफ़ कर रहे हों, बल्कि बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं कि ख़ुद काबा उनकी ज़ियारत को जाता है।

3. तीसरी वजह यह है कि मबादा वहां रह कर कोई गुनाह सादिर हो जाये कि यह सख़्त ख़तरनाक है और अल्लाह जल्ल शानुहू के ग़ुस्से का मूजिब है। फ़क़त, वैसे तो मक्का मुकर्रमा सारा ही बा बरकत है। उसकी हर जगह हर दर व दीवार, हर पत्थर और रेत का ज़र्रा बा बरकत है। लेकिन चंद मुक़ामात और भी ज़्यादा ख़ुसूसियत रखते हैं। जिनमें से बाज़ इस फ़स्ल में गुज़र चुके हैं, मुस्तक़िल अहादीस उनके फ़ज़ाइल में लिखी जा चुकी हैं।

1. इनके अलावा हज़रत ख़दीजा रज़ि॰ का दौलतकदा,जहां हज़रत फ़ातिम तुज़्ज़हरा रज़ि॰ पैदा हुईं और हज़रत इब्राहीम रज़ि॰ के अलावा सब औलाद यहीं पैदा हुई, हिजरत तक हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का क़ियाम इसी मकान में रहा।

उलमा ने लिखा है कि मस्जिद हराम के बाद मक्का के तमाम मकानात में यह मकान अफ़ज़ल है।

2. दूसरे हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैदाइश की जगह जो मौलदें नबी के नाम से मशहूर है।

3. तीसरे हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ का मकान, जो ज़ोक़्क़ाक़े सव्वाग़ीन (ज़रगरों की गली) में है, उसको दारूलहिजरत भी कहते हैं। इसलिये कि हिजरत की इब्तिदा इसी मकान से हुई। हिजरत से क़ब्ल हुज़ूर सल्ल॰ रोज़ाना

यहां तशरीफ़ लाया करते थे। वहां दो पत्थर थे, एक का नाम मुतकल्लिम है, उसने हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को सलाम किया था, दूसरा मुत्तका जिस पर हुज़ूर सल्ल॰ टेक लगा कर बैठते थे।

4. मौलदे अली, हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू की पैदाइश की जगह,

5. दारे अरक़म जो दारे खेज़रान से मशहूर है, सफ़ा पहाड़ के क़रीब है, इसमें हज़रत उमर रज़ि॰ इस्लाम लाये थे और चालीस का अदद आप के ईमान लाने पर पूरा हुआ था और क़ुरआन पाक की आयत:-

يَـٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ۝

इस पर नाज़िल हुई थी। इसी में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इब्तिदा-ए-इस्लाम में मख़्फ़ी रहा करते थे।

6. जबले सौर का ग़ार, जिसमें हिजरत के वक़्त हुज़ूरे अक़्दस सल्ल॰ और हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ पोशीदा हुए थे, क़ुरआन पाक में "सानियस्नैन॰ इज़ हुमा फ़िल ग़ार" में इसी ग़ार का ज़िक्र है।

7. जबले हिरा का ग़ार जिसमें हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नुबुव्वत से पहले कई कई दिन तक इबादत किया करते और तंहाई इख़्तियार फ़रमया करते थे और इसी में सबसे पहले आप पर "इक़रा' नाज़िल हुई।

8. मस्जिदुर्राय:, मक्का में मुअल्ला की तरफ़ है, हुज़ूर सल्ल॰ ने उसमें नमाज़ पढ़ी है।

9. मस्जिदुल जिन्न, जिस जगह जिन्नात का इज्तिमाअ् हुआ और हुज़ूर सल्ल॰ हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि॰ के साथ उस जगह तशरीफ़ ले गये और हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि॰ को एक जगह बैठाकर ख़ुद आगे तशरीफ़ ले गये और जिन्नात को तालीम फ़रमायी, क़ुरआन पाक सुनाया।

10. मस्जिदुश्शजर: जो मस्जिदे जिन्न के मुक़ाबिल है, इस जगह एक दरख़्त था, जिसको हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बुलाया, वह ज़मीन को चीरता हुआ हाज़िरे ख़िदमत हो गया। फिर हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि वापस चले जाओ, वह अपनी जगह वापस चला गया।

11. मस्जिदुल ग़नम, जिसको मस्जिदुल इजाब: भी कहते हैं। इस जगह

हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़त्हे मक्का में बैअत ली थी।

12. मस्जिदे अज़्याद।

13. मस्जिदे जबल, अबू क़ुबैस, जो हरम शरीफ़ से नज़र आती है, लेकिन इस जगह बकरी की सिरी खाने के मुताल्लिक़ जो रिवायत मशहूर है वह ग़लत है।

14. मस्जिदे तुवा, जो तनऔम के रास्ते में है। हुज़ूर सल्ल॰ की जब उमरः या हज के लिये तशरीफ़आवरी हुई तो इस जगह क़ियाम फ़रमाया।

15. मस्जिदे आइशा, तनऔम पर जहां उमरे का एहराम बांधा जाता है।

16. मस्जिदुल उक़बा, मिना के क़रीब जहां अंसार ने हिजरत से क़ब्ल बैअत की थी, यह मस्जिद मक्का से मिना जाते हुए बायें हाथ पर रास्ते से अलाहिदः को है।

17. मस्जिदुल जअ़िर्राना, जहां हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़त्हे मक्का के बाद जब तायफ़ से लौट रहे थे, एहराम बांध था।

18. मस्जिदुल कब्श, जिसको मन्हरे इब्राहीम भी कहते हैं, यहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहि॰ को ज़िब्ह किया था।

19. मस्जिदुल ख़ैफ़, मिना में मशहूर मस्जिद है, जिसमें कहते हैं कि सत्तर नबी वहां मद्फ़ून हैं।

20. ग़ारे मुर्सलात, जो मस्जिदे ख़ैफ़ के क़रीब है, सूरः वल मुर्सलात वहां नाज़िल हुई।

21. जन्नतुल, मुअल्ला, मक्का, मुकर्रमा का मक़्बरा (जहां हज़रत ख़दीजा रज़ि॰ की क़ब्र है और अहादीस में इस मक़्बरे की फ़ज़ीलत भी आयी है, इनके अलावा और भी बहुत से मुतबर्रक मक़ामात हैं और मक्का मुकर्रमा में कौन सी जगह ऐसी होगी, जहां हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा-ए-किराम रज़ि॰ के क़दमे मुबारक न पड़े हों, लेकिन मुल्ला अली क़ारी रह॰ ने इन मवाज़ेअ् (जगहों) को ख़ास तौर से ज़िक्र किया है।)

सातवीं फ़स्ल

उमरः के बयान में

जैसा कि नमाज़ में कुछ तो फ़र्ज़ नमाज़े हैं, जो पांच मख़्सूस औक़ात में फ़र्ज़ की गईं। और कुछ नवाफ़िल हैं, जो जां निसार क़द्रदानों के लिये इसलिये मशरूअ की गयीं कि जब उनका दरबार की हाज़िरी को दिल चाहे, हाज़िर हो जायें। इसी तहर से बैतुल्लाह शरीफ़ की ज़ियारत में एक तो हज फ़र्ज़ है, जो मख़्सूस वक़्त में होता है। दूसरा उमरः है, जो साल भर में बजुज़ पांच दिन के, यानी नवीं ज़िलहिज्जा से 13 तक तो उमरः करना मकरूह है कि यह हज का मख़्सूस वक़्त है। इसके अलावा जिस दिन जितने दिल चाहे उमरे करे। यह भी अल्लाह का फ़ज़्ले अज़ीम है कि मुश्ताक़ लोगों की हाज़िरी के वास्ते हर वक़्त हाज़िरी की इजाज़त फ़रमा दी।

उमरः अगरचे इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक के नज़दीक सुन्नत है लेकिन इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद के नज़दीक वाजिब है, इसलिये कम अज़ कम एक उमरः आदमी को ज़रूर कर लेना चाहिये कि दो इमामों के नज़दीक यह मुस्तक़िल वाजिब है और हनफ़िय्यः के नज़दीक भी एक उमरः कम अज़ कम करना सुन्नते मुअक्कदा है, मशहूर क़ौल के मुवाफ़िक़, वरना बाज़ उलमा-ए-हनफ़िय्यः ने इसको वाजिब कहा है और बाज़ ने फ़र्ज़े किफ़ाया, इसलिये एक उमरः तो जो शख़्स जाने की ताक़त रखता हो या वहां पहुँच जाये, वह ज़रूर ही कर ले। क़ुरआन पाक में भी उसका हुक्म फ़रमाया है:-

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ (بقرہ)

"और पूरा पूरा अदा किया करो, हज और उमरे को, ख़ालिस अल्लाह जल्ल शानुहू के वास्ते।"

फ़ायदाः- एक हदीस में आया है कि हज और उमरे का पूरा पूरा अदा करना यह है कि अपने घर से हज का या उमरे का एहराम बांध कर चले। (दुर्रे मंसूर)

अपने घर से एहराम बांध कर चलना अफ़ज़ल है। मुतअद्दद रिवायात में इसकी फ़ज़ीलत आयी है, लेकिन चूंकि एहराम में बहुत सी चीज़ों की एहतियात ज़रूरी है और ज़्यादा दिन तक एहराम बांधने में बसा औक़ात ऐसी चीज़ें सादिर हो जाती हैं, जो एहराम के मनाफ़ी हैं, इसलिये उलमा एहतियात इसमें बताते हैं कि मीक़ात ही से एहराम बांधा जाये कि गुनाह से बचना फ़ज़ीलत हासिल करने से ज़्यादा अहम और मुक़द्दम है। अहादीस में भी उमरे के फ़ज़ाइल बहुत सी रिवायात में आये हैं उनमें से बाज़ पहली फ़स्ल में हज के साथ गुज़र चुके हैं, जैसा कि हदीस नं॰ 11, 14, 15 में गुज़रा। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हिजरत के बाद हज तो एक ही मर्तबा किया है, लेकिन उमरे चार किये, जिनमें से एक पूरा न हो सका, कि मुश्रिकीन ने मक्का में दाख़िल न होने दिया और इस पर फ़ैसला हुआ कि इस साल न करें, दूसरे साल आकर कर लें और तीन उमरे पूरे किये।

अहादीस

(۱) عن عمرو بن عبسةؓ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الاعمال حجة مبرورة او عمرة مبرورة اخرجه احمد و الطبرانى كذا فى الدر.

1. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि अफ़ज़ल तरीन अमल नेकी वाला हज या नेकी वाला उमरः है।

फ़ायदाः- पहली फ़स्ल की हदीस नं॰ 2 में नेकी वाले हज का बयान गुज़र चुका है, वही मतलब नेकी वाले उमरे का है।

एक हदीस में आया है कि उमरः छोटा हज है। (दुर्रे मंसूर)

यानी जो बरकात व समरात और फ़ज़ाइल हज के हैं वही सब, कुछ कमी के साथ उमरः के हैं।

(۲) عن ابى هريرةؓ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما متفق عليه كذا فى المشكوة.

2. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद है कि एक उमरः दूसरे उमरः तक दर्मियानी हिस्से के लिये कफ़्फ़ारा है।

फ़ायदाः- यानी एक उमरः करने के बाद दूसरे उमरे तक के दर्मियान में जिस क़दर लग़्ज़िशें हुई होंगी, वे माफ़ हो जायेंगी।

एक और हदीस में आया है कि एक उमरा दूसरे उमरे तक कफ़्फ़ारा है, दर्मियान के गुनाहों का और ख़ताओं का। *(कंज़)*

और भी मुतअ़द्दद रिवायात में यह मज़्मून वारिद हुआ है।

(٣) عن ابن عباسؓ قال جاء ت ام سليمؓ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت حجّ ابو طلحةؓ وابنه وتركانى فقال يا ام سليم عمرة فى رمضان تعدل حجة معي رواه ابن حبان فى صحيحه كذا فى الترغيب.

3. हज़रत उम्मे सुलैम रज़ि॰ हुज़ूर सल्ल॰ की खिदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया कि (मेरे ख़ाविंद) अबू तल्हा और उनके बेटे तो हज को चले गये और मुझे छोड़ गये। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि रमज़ान में उमरः करना मेरे साथ हज करने के बराबर है।

फ़ायदाः- हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि रमज़ानुल मुबारक में उमरः करना हज के बराबर फ़ज़ीलत रखता है, मुख़्तलिफ़ अहादीस में वारिद हुआ है।

एक हदीस में आया है कि जब हुज़ूर सल्ल॰ हज को तशरीफ़ ले जाने लगे, तो एक सहाबी औरत ने अपने ख़ाविंद से कहा कि मुझे भी हुज़ूरे अक़्दस सल्ल॰ के साथ हज करा दो। उन्होंने फ़रमाया कि मेरे पास कोई सवारी नहीं। बीवी ने कहा कि तुम्हारा फ़लाँ ऊँट है? ख़ाविंद ने फ़रमाया कि वह तो मैं अल्लाह के रास्ते में वक़्फ़ कर चुका हूँ। मजबूरन वह बेचारी रह गयी। जब हुज़ूर सल्ल॰ हज से फ़ारिग़ होकर तशरीफ़ लाये तो ख़ाविंद ने यह क़िस्सा हुज़ूर सल्ल॰ से अर्ज़ किया। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि हज भी तो अल्लाह ही का रास्ता था, अगर उस ऊँट पर हज करा देते, तो कुछ मुज़ायक़ा न था। फिर ख़ाविंद ने अर्ज़ किया कि हुज़ूर सल्ल॰, मेरी अहलिया ने सलाम अर्ज़ किया है और यह दर्याफ़्त किया है कि आपके साथ हज न करने की तलाफ़ी अब क्या हो सकती है? हुज़ूर सल्ल॰ ने इर्शाद फ़रमाया कि मेरी तरफ़ से उनको सलाम कह देना और यह कह देना कि रमज़ानुल मुबारक में उमरा करना मेरे साथ हज करने के बराबर है।

(अबू दाऊद)

इसी क़िस्म का क़िस्सा हज़रत उम्मे सिनान रज़ि॰ के साथ भी पेश आया और उम्मे मअ़क़िल रज़ि॰ के साथ भी और उम्मे तुलैक़ के साथ भी और उम्मे हुशैम रज़ि॰ के साथ भी कि ये सब हज का इरादा फ़रमाती रहीं, लेकिन किसी न किसी उ़ज़्र की वजह से न जा सकीं, तो हुज़ूर सल्ल॰ ने हर एक से यही इर्शाद फ़रमाया कि रमज़ानुल मुबारक का उमरा हज़ करने के बराबर है।

हाफ़िज़ ने फ़त्हुल बारी में इनकी रिवायात ज़िक्र फ़रमायी हैं कि उमरे का हज के बराबर होने का मतलब यह नहीं है कि उस उमरे से हज्जे फ़र्ज़ पूरा हो जायेगा। यह इज्माई मसअला है, इसमें किसी को भी ख़िलाफ़ नहीं है कि फ़र्ज़ हज इससे अदा नहीं होता, बल्कि मतलब यह है कि उमरे के साथ रमज़ानुल मुबारक की फ़ज़ीलत मिल जाने की वजह से हज के सवाब के बराबर हो जाता है।

इब्ने जौज़ी रह॰ कहते हैं कि बसा औक़ात वक़्त की फ़ज़ीलत की वजह से अमल का सवाब बढ़ जाता है, जैसा कि ख़ुलूसे नीयत और इख़्लास की वजह से बढ़ जाता है। *(फ़त्हुलबारी)*

(٤) عن ابی ہریرۃؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحاج والعمار وفد اللہ ان دعوہ اجابہم وان استغفروہ غفرلہم رواہ ابن ماجہ کذافی المشکوۃ.

4. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि हज करने वाले और उमरा करने वाले अल्लाह जल्ल शानुहू का वफ़्द हैं। अगर वे लोग दुआ मांगें तो अल्लाह जल्ल शानुहू उनकी दुआ क़ुबूल करता है और अगर वे मग़्फ़िरत चाहें तो उनके गुनाहों की मग़्फ़िरत फ़रमाता है।

फ़ायदाः- जैसा कि बहुत से आदमी एक जमाअत बनाकर बतौरे वफ़्द के कहीं सरकारों, दरबारों में जाते हैं, ऐसे ही ये लोग गोया वफ़्द के तौर पर हक़ तआला शानुहू की बारगाह में हाज़िर होते हैं और जैसा कि वफ़ूद का इकराम व एज़ाज़ होता है, ऐसे ही उनका भी अल्लाह जल्ल शानुहू के यहां इकराम होता है।

एक और हदीस में आया है कि अल्लाह का वफ़्द तीन क़िस्म के लोग हैं:- 1. एक मुजाहिद, 2. दूसरे हाजी, 3. तीसरे उमरा करने वाले। *(मिश्कात)*

एक और हदीस में आया है कि हाजी और उमरः करने वाले अल्लाह जल्ल शानुहू का वफ़्द हैं। जब दुआ करते हैं तो क़ुबूल होती है और अल्लाह से जो मांगते हैं। उनका सवाल पूरा किया जाता है। *(तर्ग़ीब अन जाबिर)*

एक और हदीस में है कि हज करने वाले और उमरा करने वाले अल्लाह का वफ़्द हैं, जो मांगते हैं वह दिया जाता है और जो दुआ करते हैं वह क़ुबूल होती है, जो ख़र्च करते हैं उसका बदल उनको मिलता है। क़सम है उस पाक ज़ात की, जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है कि जब किसी ऊँची जगह पर कोई शख़्स लब्बैक कहता है या तक्बीर कहता है तो उसके सामने का सारा हिस्सा ज़मीन का दुनिया के ख़त्म तक लब्बैक और तक्बीर कहने लगता है। *(तर्ग़ीब)*

एक और हदीस में है कि हाजी और उमरा करने वाले अल्लाह का वफ़्द हैं, जो मांगते हैं, वह उनको मिलता है, जो दुआ करते हैं, वह क़ुबूल की जाती है, जो ख़र्च करते हैं, उसका बदल उनको मिलता है और एक एक दिरम के बदले में दस दस लाख दिरम दिये जाते हैं। *(तर्ग़ीब)*

एक हदीस में है कि मक्का शरीफ़ के रहने वाले अगर इसको जान लें कि हाजियों का उन पर कितना हक़ है तो उनकी आमद पर ये लोग जाकर उनकी सवारियों को बोसा दें, इसलिये कि वे लोग अल्लाह का वफ़्द हैं।

(दुर्रे मंसूर)

(٥) عن ابن مسعودؓ قال قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة رواه الترمذى والنسائى كذافى المشكوٰة .

5. हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद है कि मुताबअत करो दर्मियान हज और उमरा के, कि वे दोनों मुफ़्लिसी और गुनाहों को ऐसा दूर करते हैं जैसा आग की भट्टी लोहे और सोने चांदी के मैल को दूर कर देती है।

फ़ायदा:- मुताबअत करने का मतलब बाज़ उलमा ने लिखा है कि क़िरान करो, जो हज की तीन क़िस्मों में से एक क़िस्म है और हनफ़ीया के नज़दीक सब क़िस्मों में सबसे ज़्यादा अफ़ज़ल यही सूरत है और मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक हुज़ूर सल्ल॰ का एहराम भी उसी का था, उसमें हज और उमरे का दोनों का एहराम एक साथ बांधा जाता है और मुताबअत करने का मतलब यह भी हो सकता है कि अगर पहले हज कर लिया है तो बाद में उमरा करे और पहले उमरा किया है तो बाद में हज करे यह भी मुताबअत हो गयी।

एक और हदीस में है कि हज और उमरे के दर्मियान मुताबअत उम्र में

इज़ाफ़ा करती है और फ़क्र और गुनाहों को ऐसा ज़ायल करती है, जैसा आग की भट्टी मैल को ज़ायल करती है। *(तर्ग़ीब)*

एक हदीस में है:-

ادیموا الحج والعمرة لله (الحدیث)

हज और उमरा अल्लाह तआला के लिये हमेशा करते रहो कि ये दोनों फ़क्र और गुनाहों को ऐसा ज़ायल करते हैं, जैसा भट्टी लोहे के ज़ंग को। *(कंज़)*

एक और हदीस में है कि हज और उमरे की कसरत फ़क्र को रोक देती है। *(कंज़)*

एक और हदीस में है कि लगातार हज करना और लगातार उमरा करना फ़क्र और गुनाहों को ऐसा दूर करते हैं जैसा कि आग लोहे के मैल को। *(कंज़)*

एक और हदीस में है कि हज और उमरे में मुताबअत करना उम्र को भी बढ़ाता है और रोज़ी को भी ज़्यादा करता है। *(कंज़)*

और बहुत सी रिवायात में यह मज़्मून ज़िक्र किया गया।

इमाम नववी रह० ने लिखा है कि उमरा कसरत से करना मुस्तहब है और इब्ने हज्र मक्की रह० ने इमाम शाफ़ई रहि० से नक़ल किया है कि कोई महीना ऐसा न जाना चाहिये जिसमें बशर्ते क़ुदरत कम अज़ कम एक उमरा न करे और दो तीन कर ले तो बहुत बेहतर है। *(शर्हे मनासिक)*

(٦) عن ابی ہریرۃؓ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جہاد الکبیر والضعیف والمراۃ الحج والعمرۃ رواہ النسائی باسناد حسن کذا فی الترغیب.

6. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि बूढ़े और ज़ईफ़ लोगों का और औरतों का जिहाद हज और उमरा है।

फ़ायदा:- पहली फ़स्ल की ग्यारहवीं हदीस के ज़ैल में भी यह मज़्मून गुज़र चुका है।

हज़रत आइशा रज़ि० ने भी हुज़ूर सल्ल० से दर्याफ़्त किया कि क्या औरतों पर भी जिहाद है हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया कि औरतों पर ऐसा जिहाद है, जिसमें क़िताल नहीं और वह हज और उमरा है। *(तर्ग़ीब)*

एक सहाबी रज़ि॰ हुज़ूर सल्ल॰ की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, मैं बहुत कम हिम्मत हूँ, दुश्मन के मुक़ाबले की ताक़त नहीं रखता। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया मैं तुम्हें ऐसा जिहाद बताऊँ, जिसमें लड़ाई न हो? उन्होंने अर्ज़ किया कि, इर्शाद फ़रमावें। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि हज और उमरा है। *(दुर्रे मंसूर)*

(۷) عن ام سلمةؓ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اهل بعمرة من بيت المقدس غفرله رواه ابن ماجه باسناد صحيح كذا فى الترغيب.

7. हज़रत उम्मे सलमा रज़ि॰ फ़रमाती हैं कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद है कि जो शख़्स बैतुलमक़्दिस से उमरे का एहराम बांध कर आये, उसके गुनाह बख़्श दिये जायेंगे।

फ़ायदाः- उम्मे हकीम ताबई औरत हैं। उन्होंने हज़रत उम्मे सलमा रज़ि॰ से यह हदीस सुनी और सिर्फ़ एहराम बांधने के लिये बैतुलमक़्दिस तशरीफ़ ले गयीं और वहां से एहराम उमरे का बांध कर वापस आयीं। *(तर्ग़ीब)*

यह वक़्अत थी उन हज़रात के यहां हुज़ूर सल्ल॰ के पाक इर्शादात की कि जो शख़्स कोई हदीस सुन लेता था, अपनी वुस्अत के मुवाफ़िक़ उस पर अमल करने की कोशिश करता था, चाहे उसमें कितनी ही मशक़्क़त उठाना पड़े।

एक और हदीस में हज़रत उम्मे सलमा रज़ि॰ से ये अलफ़ाज़ नक़ल किये गये कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जो शख़्स हज या उमरे के लिये मस्जिदे अक़्सा से मस्जिदे हराम तक आये, उसके अगले पिछले सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं और जन्नत उसके लिये वाजिब हो जाती है। *(दुर्रे मंसूर)*

आठवीं फ़स्ल

ज़ियारते मदीना

मुल्ला अली क़ारी रह॰ ने जो मशहूर आलिम, फ़क़ीह, मुहद्दिसे हनफ़ी हैं, उन्होंने लिखा है कि चंद हज़रात के अलावा जिन का ख़िलाफ़ कुछ मोतबर नहीं, बिल इत्तिफ़ाक़ तमाम मुसलमानों के नज़दीक हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व

सल्लम की ज़ियारत अहम तरीन नेकियों में है और अफ़ज़ल तरीन इबादात में है और आला दरजात तक पहुँचने के लिये कामियाब ज़रिया और पुर उम्मीद वसीला है, उसका दर्जा वाजिबात के क़रीब है, बल्कि बाज़ उलमा ने वाजिब कहा है कि उस शख़्स के लिये जिसमें वहां हाज़िरी की वुसअत हो, उसको छोड़ना बड़ी ग़फ़लत और बहुत बड़ी जफ़ा है और बाज़ मालिकिय्यः ने कहा है कि वहां क़ियाम के इरादे से चलना मक्का मुकर्रमा में क़ियाम के इरादे से अफ़ज़ल है यानी हज की वजह से चलना तो दूसरी बात है, इसके अलावा मदीने पाक की तरफ़ चलना अफ़ज़ल है, फ़क़त।

दुर्रे मुख़्तार में लिखा है कि हुज़ूर सल्ल० की क़ब्र की ज़ियारत मंदूब है, बल्कि बाज़ उलमा ने उस शख़्स के हक़ में, जिसमें वुसअत हो, वाजिब कहा है।

अल्लामा शामी रह० कहते हैं कि ख़ैर रमली शाफ़ई रह० ने इब्ने हजर रह० से इस क़ौल को नक़ल किया और इसकी ताईद की। यक़ीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम - كما يحب ربنا ويرضى وبعدد مايحب ويرضى - के जितने एहसानात उम्मत पर हैं और जो उम्मीदें मरने के बाद आपसे वाबस्ता हैं, उनके लिहाज़ से वुसअत और ताक़त के बाद भी हाज़िरी न नसीब हो, बेहद महरूमी है और मामूली अअ्ज़ार (उज़्रों) से इस सआदते उज़्मा से महरूमी इंतिहाई क़सावत और जफ़ा है।

अगरचे बाज़ उलमा ने बाज़ रिवायात की बिना पर बजाये हुज़ूर सल्ल० की क़ब्र मुबारक की ज़ियारत के, मस्जिद की ज़ियारत की नीयत को ज़रूरी बताया है, लेकिन अइम्मा-ए-अर्बअः के सब मज़ाहिब इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हुज़ूर सल्ल० की क़ब्र मुबारक की ज़ियारत का इरादा भी मुस्तहब है। हनफ़िया की मोतबर किताब से मुल्ला अली क़ारी रह० की इबारत ऊपर नक़ल कर चुका हूँ। शाफ़ईय्यः के मुक़्तदा इमाम नववी रह० अपनी मनासिक में लिखते हैं कि जब हज से फ़ारिग़ हो जाये तो चाहिये कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्रे मुबारक की ज़ियारत की नीयत से मदीना मुनव्वरा का इरादा करे कि हुज़ूर सल्ल० की क़ब्र की ज़ियारत अहमतरीन क़ुरुबात में से है और कामियाब मसाई से है।

अन्वारे सातिआ में मालिकिय्यः के मज़हब में लिखा है कि हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र की ज़ियारत पसंदीदा सुन्नत है जो

शर्अन मत्लूब है और मर्गूब है और अल्लाह जल्ल शानुहू के यहां कुर्बत पैदा करने में बहुत ऊँची चीज़ है और क़ाज़ी अयाज़ मालिकी रह० ने शिफ़ा में लिखा है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र की ज़ियारत मुज्मअ् अलैहि सुन्नत है, बल्कि बाज़ उलमा-ए-मालिकिय्य: ने तो वाजिब फ़रमा दिया जैसा कि कुस्तलानी रह० ने मवाहिब में अबू इम्रान फ़ारसी रह० का क़ौल नक़ल किया है।

मुग़्नी जो फ़िक़्हे हनाबिला की बहुत मोतबर किताब है उसमें लिखा है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र शरीफ़ की ज़ियारत मुस्तहब है, इसलिये कि हज़रत इब्ने उमर रज़ि० ने हुज़ूर सल्ल० का यह इर्शाद नक़ल किया है कि जो शख़्स हज करे, फिर मेरी क़ब्र की ज़ियारत करे, उसने गोया ज़िन्दगी में मेरी ज़ियारत की, और एक हदीस में है कि जिसने मेरी क़ब्र की ज़ियारत की, उसके लिये मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गयी और इमाम अहमद रह० ने हुज़ूर सल्ल० की यह हदीस नक़ल की कि जो शख़्स मेरी क़ब्र के पास मुझ पर सलाम करे तो मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ और शर्हे कबीर में जो मज़हबे हनाबिला की अहम किताब है, लिखा है कि जब हज से फ़ारिग़ हो जाये तो मुस्तहब है कि हुज़ूर सल्ल० की और हुज़ूर सल्ल० के दोनों साथियों की क़ब्र की ज़ियारत करे। इसके बाद वही अहादीस ज़िक्र कीं, जो मुग़्नी में गुज़रीं।

दलीलुत्तालिब जो फ़िक़्हे हंबली का मशहूर मतन है, उसमें हज के अहकाम लिखने के बाद लिखा है कि हुज़ूर सल्ल० की क़ब्रे मुबारक और हुज़ूर सल्ल० के दो साथियों की क़ब्र की ज़ियारत मस्नून है उसके शारेह नैलुल मआरिब में लिखते हैं कि इस का लाज़िमी नतीजा यह है कि इन क़ब्रों की ज़ियारत के लिये सफ़र करना भी मुस्तहब है, इसलिये कि हाजी हज के बाद बग़ैर सफ़र के उनकी ज़ियारत कैसे कर सकता है। इसी तरह रौज़ुल मर्बअ् फ़िक़्हे हंबली में लिखा है कि हुज़ूर सल्ल० की क़ब्रे अत्हर और हुज़ूर के दोनों साथियों की क़ब्रों की ज़ियारत मुस्तहब है, इसलिये कि हदीस में आया है कि जिसने हज किया, फिर मेरी क़ब्र की ज़ियारत की वह ऐसा है, जैसा कि मेरी ज़िन्दगी में मेरी ज़ियारत की। इन सबसे मालूम हुआ कि अइम्मा-ए-अर्बअ: (चारों इमामों) का मुत्तफ़क़ा मसअला है, इसीलिये बाज़ उलमा ने इसको इज्माई मसअला बताया, जैसा कि शुरू में गुज़रा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से भी मुतअद्दद रिवायात में इसकी तर्ग़ीब वारिद हुई है।

(١) عن ابن عمرؓ قال قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم من زار قبرى وجبت له شفاعتى رواه البزار والدار قطنى قاله النووى وقال ابن حجر فى شرح المناسك رواه ابن خزيمة فى صحيحه و صححه جماعة كعبد الحق والتقى والسبكى اهـ وقال القارى فى شرح الشفا صححه جماعة من ائمة الحديث اهـ

1. इब्ने उमर रज़ि॰ हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह इर्शाद नक़ल करते हैं कि जिस शख़्स ने मेरी क़ब्र की ज़ियारत की, उसके लिये मेरी शफ़ाअत ज़रूरी हो गयी।

(٢) عن ابن عمرؓ قال قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم من جاء نى زائرا لايهمه الّا زيارتى كان حقا علىّ ان اكون له شفيعًا قال العراقى رواه الطبرانى وصححه ابن السكن كذا فى الاتحاف وبسط فى تخريجه وقال صححه عبد الحق فى سكوته والتقى والسبكى باعتبار مجموع الطرق

2. हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद है कि जो मेरी ज़ियारत को आये और उसके सिवा कोई और नीयत उसकी न हो,तो मुझ पर हक़ हो गया कि मैं उसकी सिफ़ारिश करूँ।

फ़ायदा:- दुनिया में कौन शख़्स ऐसा होगा, जिसको मह्शर के हौलनाक मंज़र में हुज़ूर सल्ल॰ की शफ़ाअत की ज़रूरत न हो और कितना ख़ुश क़िस्मत है वह शख़्स जिसके मुताल्लिक़ हुज़ूर सल्ल॰ यह फ़रमा दें कि उसकी शफ़ाअत मेरे ज़िम्मे ज़रूरी है।

अल्लामा ज़र्क़ानी रहि॰ शर्हे मवाहिब में लिखते हैं कि उसके लिये ख़ुसूसी शफ़ाअत मुराद है, रफ़ए दरजात की हो या उस हौलनाक दिन में अम्न की हो या जन्नत में बग़ैर हिसाब दाख़िले की या उमूमी सिफ़ारिश के अलावा उसके लिये ख़ुसूसियत से शफ़ाअत हो।

इब्ने हजर मक्की रह॰ शर्हे मनासिक नववी में तहरीर फ़रमाते हैं कि हदीस में जो यह वारिद हुआ है कि जो शख़्स मेरे पास आये और मेरी ज़ियारत के अलावा कोई और ग़रज़ उसकी न हो, तो मुझ पर उसका हक़ हो गया कि मैं

क़ियामत के दिन उसकी सिफ़ारिश करूँ। मेरी ज़ियारत के सिवा कोई और ग़रज़ उसकी न हो का मतलब यह है कि कोई ऐसी ग़रज़ न हो, जो ज़ियारत के मुताल्लिक़ न हो, लिहाज़ा मस्जिदे नबवी में एतिकाफ़ की नीयत या इबादत की कसरत या सहाबा रज़ि॰ वग़ैरह की ज़ियारत की नीयत इसके मनाफ़ी नहीं, बल्कि हमारे उलमा ने इसकी तस्रीह की है कि हुज़ूर सल्ल॰ की ज़ियारत के साथ मस्जिदे नबवी की ज़ियारत की भी नीयत कर ले।

हनफ़िय्य: में से साहिबे दुर्रे मुख़्तार रह॰ ने भी यही लिखा है कि क़ब्र शरीफ़ के साथ मस्जिदे नबवी की ज़ियारत की भी नीयत कर ले, लेकिन इब्ने हुमाम रह॰ ने फ़ुक़हा-ए-हनफ़िय्य: में से लिखा है कि इस हदीस की बिना पर पहली मर्तबा तो सिर्फ़ क़ब्रे मुबारक ही की नीयत होना चाहिये, अलबत्ता अगर मुक़द्दर यावरी करे और दोबारा हाज़िरी की सआदत नसीब हो, तो मस्जिद और क़ब्र शरीफ़ दोनों की नीयत करे, और अल्लामा शामी रह॰ ने मुल्ला जामी रह॰ से नक़ल किया है कि उन्होंने एक मर्तबा महज़ ज़ियारत की नीयत से सफ़र किया, उसमें हज को भी शामिल न किया, ताकि महज़ ज़ियारत ही की नीयत हो। मुहब्बत की बात तो यही है।

(۳) عن ابن عمرؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زارنی بعد وفاتی فکانما زارنی فی حیاتی رواہ الطبرانی والدار قطنی والبیہقی وضعفہ کذا فی الاتحاف وفی المشکوٰۃ بروایۃ البیہقی فی الشعب بلفظ من حج فزار قبری بعد موتی کان کمن زارنی فی حیٰوتی واستدل بہ ا لموفق فی المغنی علی استحباب الزیارۃ

3. हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद है कि जिसने मेरी वफ़ात के बाद मेरी ज़ियारत की तो ऐसा है गोया कि मेरी ज़िन्दगी में ज़ियारत की।

फ़ायदा:- मिश्कात शरीफ़ में इर्शाद नक़ल किया गया कि जिस शख़्स ने हज किया, फिर मेरी क़ब्र की ज़ियारत की, वह मिस्ल उस शख़्स के है जिसने कि मेरी ज़िन्दगी में ज़ियारत की हो।

इसके मिस्ल होने का मतलब यह नहीं कि वह सहाबी हो गया बल्कि मतलब यह है कि अंबिया-ए-किराम अपनी क़ब्रों में ज़िन्दा होते हैं, तो गोया यह ऐसा ही है जैसा कि ज़िन्दगी में कोई शख़्स दरे दौलत पर हाज़िर हो और मकान से बाहर ही मिल कर आये।

इस हदीस में यह फ़रमाया गया कि हज के बाद मेरी ज़ियारत करे।

इसमें उलमा का इख़्तिलाफ़ है कि मदीना तैयबा की हाज़िरी पहले होना चाहिये या हज पहले करना चाहिये।

इब्ने हजर रह० ने लिखा है कि हमारे अक्सर मशाइख़ की यह राय है कि हज पहले करना चाहिये, लेकिन मुवज्जह यह मालूम होता है कि अगर वक़्त में वसीअ गुंजाइश हो कि हज से पहले ज़ियारत इत्मीनान से कर सके और फिर हज भी इत्मीनान से हो सके तो ज़ियारत पहले कर ले, ऐसा न हो कि हज के बाद कोई आरिज़ पेश आ जाये, अलबत्ता अगर वक़्त में तंगी हो तो हज को मुक़द्दम करे। मुल्ला अली क़ारी रह० ने लिखा है कि अगर हज फ़र्ज़ है, तब तो हज को मुक़द्दम करना चाहिये, बशर्ते कि मदीना मुनव्वरा रास्ते में न पड़ता हो। अगर रास्ते में पड़ता हो तो फिर बग़ैर ज़ियारत के आगे बढ़ना क़सावत है। यह बहरहाल ज़रूरी है कि हज के वक़्त में गुंजाइश हो, उसके फ़ौत होने का अंदेशा न हो, और अगर हज नफ़्ल है तो उस को इख़्तियार है कि जिसको चाहे मुक़द्दम करे और औला यह है कि हज को मुक़द्दम करे ताकि गुनाहों से हज की बदौलत पाक होकर हरमे पाक की ज़ियारत करे।

(٤) عن رجل من ال الخطاب عنی النبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم قال من زارنی متعمدًا کان فی جواری یوم القیٰمۃ ومن سکن المدینۃ وصبر علی بلائھا کنت لہ شھیدًا وشفیعا یوم القیٰمۃ ومن مات فی احد الحرمین بعث اللّٰہ من الامنین رواہ البیھقی فی الشعب کذا فی المشکٰوۃ وفی الاتحاف بروایۃ الطیالسی بسندہ الی ابن عمرؓ عن عمرؓ ثم قال وعن رجل من ال حاطب رفعہ من زارنی متعمدًا کان فی جواری یوم القیٰمۃ الحدیث اخرجہ البیھقی وھو مرسل والرجل المذکور مجھول اھـ وبسط الکلام علی طرقہ السبکی وقال ھو مرسل جید۔

4. हुज़ूर सल्ल० से नक़ल किया गया कि जो शख़्स इरादा करके मेरी ज़ियारत करे, वह क़ियामत में मेरे पड़ोस में होगा और जो शख़्स मदीना में क़ियाम करे और वहां की तंगी और तक्लीफ़ पर सब्र करे, मैं उसके लिये क़ियामत में गवाह और सिफ़ारिशी हूँगा, और जो हरमे मक्का मुकर्रमा या हरमे मदीना में मर जायेगा, वह क़ियामत में अम्न वालों में

उठेगा।

फ़ायदा:- मुतअद्दद रिवायात में यह मज़्मून आया है कि जो शख़्स इरादा करके मेरी ज़ियारत करे, वह क़ियामत में मेरा पड़ोसी है, इरादा करके का मतलब यह है कि महज़ इसी इरादे से आया हो, यह न हो कि सफ़र किसी दुन्यवी ग़रज़ से था, रास्ता चलते ज़ियारत भी कर ली।

हदीस नं॰ 2 में भी इसी क़िस्म का लफ़्ज़ गुज़र चुका है कि मेरी ज़ियारत के अलावा कोई और इरादा न हो।

दूसरा मज़्मून जो हदीसे बाला में मदीना मुनव्वरा में क़ियाम के मुताल्लिक़ है, उसकी रिवायात आइंदा आ रही हैं।

(٥) عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني رواه ابن عدى في الكامل وغيره كذا في شفاء الاسقام وفي شرح اللباب رواه ابن عدى بسند حسن وبسط في تخريجه صاحب الاتحاف وقال رد السيوطى على ابن الجوزى في ايراده في الموضوعات وقال لم يصب اه وقال القارى في شرح الشفاء رواه ابن عدى بسند يحتج به.

5. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद नक़ल किया गया कि जिस शख़्स ने हज किया और मेरी ज़ियारत न की, उसने मुझ पर ज़ुल्म किया।

फ़ायदा:- कितनी सख़्त वईद है और बिल्कुल ज़ाहिर है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जो एहसानात उम्मत पर हैं, उनके लिहाज़ से वुसअत के बावजूद हाज़िर न होना सरासर ज़ुल्म व जफ़ा है। मुहद्दिसीन हज़रात ने इस हदीस पर कलाम कर दिया वर्ना इस की वजह से ज़ियारत वाजिब ही होती। अल्लामा क़स्तलानी रह॰ मवाहिबे लदुन्निय: में लिखते हैं कि जिस शख़्स ने बावजूद वुसअत के ज़ियारत न की, उसने यक़ीनन जफ़ा की।

(٦) عن انس قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة اظلم منها كل شيء ولما دخل المدينة اضاء منها كل شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بها قبرى و بها بيتى وتربتى وحق على كل مسلم زيارتها اخرجه ابو داؤد كذا في الاتحاف فلينظر فلم اجده.

6. हज़रत अनस रज़ि० फ़रमाते हैं कि जब हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हिजरत करके मक्का से तशरीफ़ ले गये तो वहां की हर चीज़ पर अंधेरा छा गया और जब मदीना पहुँचे तो वहां की हर चीज़ रौशन हो गयी। हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया कि मदीने में मेरा घर है और इसी में मेरी क़ब्र होगी और हर मुसलमान पर हक़ है कि उसकी ज़ियारत करे।

फ़ायदा:- यक़ीनन हर मुसलमान पर हक़ है कि उस पाक जगह की ज़ियारत करे और किस क़दर खुशनसीब हैं वे मुसलमान जिनको वहां का क़ियाम नसीब है कि हर वक़्त यह सआदत उनको मयस्सर होती रहती है और इस हक़ की अदाएगी उनको हर वक़्त मयस्सर है।

(٧) عن انسؓ قال قال رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم من زارنی فی المدینۃ محتسبا کان فی جواری وکنت لہ شفیعًا یوم القیٰمۃ رواہ العقیلی والبیہقی وابوعوانۃ بالفاظ مختلفۃ ذکرھا القاری فی شرح الشفاء وقال قولہ فی جواری بکسر الجیم وفی نسخۃ بضم الجیم ای فی ذمتی وعہدی۔

7. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जो शख़्स मदीना में आकर मेरी ज़ियारत सवाब की नीयत से करे (यानी कोई और ग़रज़ न हो) वह मेरे पड़ोस में होगा और मैं क़ियामत के दिन उसका सिफ़ारशी हूँगा।

फ़ायदा:- यह मज़्मून हदीस नं० 4 के ज़ैल में भी गुज़र चुका है। इस हदीस में बाज़ उलमा ने जुवार को जीम के पेश से बताया है, इस सूरत में तर्जुमा यह होगा कि वह शख़्स मेरे अहद और मेरी पनाह में होगा। उस हौल के दिन में कोई शख़्स हुज़ूर सल्ल० की पनाह में आ जाये तो इससे बढ़कर क्या दौलत हो सकती है।

(٨) عن ابن عباسؓ من حج الی مکۃ ثم قصدنی فی مسجدی کتب لہ حجتان مبرورتان اخرجہ الدیلمی کذا فی الاتحاف

8. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद नक़ल किया गया कि जो शख़्स हज के लिये मक्का जाये फिर मेरा क़स्द करके मेरी मस्जिद में आये, उसके लिये दो हज्जे मक़्बूल लिखे जाते हैं।

फ़ायदा:- यानी उसके हज का सवाब दो गुना हो जाता है।

(۹) عن ابی ہریرۃؓ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد یسلّم علیّ عند قبری الارد اللہ علیّ روحی حتی اردعلیہ السلام رواہ احمد فی روایۃ عبد اللّٰہ کذا فی المغنی للموفق واخرجہ ابو داؤد بدون لفظ عند قبری لکن رواہ فی باب زیارۃ القبور بعد ابواب المدینۃ من کتاب الحج ۔

9. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जो शख़्स भी मेरी क़ब्र के पास आकर मुझ पर सलाम पढ़े, तो अल्लाह जल्ल शानुहू मेरी रूह मुझ तक पहुँचा देते हैं, मैं उस के सलाम का जवाब देता हूँ।

फ़ायदा:- इब्ने हज्र रह० शर्हे मनासिक में लिखते हैं कि मेरी रूह मुझ तक पहुँचाने का मतलब यह है कि बोलने की क़ुव्वत अता फ़रमा देते हैं। क़ाज़ी अयाज़ रह० ने फ़रमाया कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रूहे मुबारक अल्लाह जल्ल शानुहू की हुज़ूरी में मुस्तग़रक़ रहती है, तो इस हालत से सलाम का जवाब देने की तरफ़ मुतवज्जह होती है। *(बज़्ल)*

अक्सर उलमा ने मिनजुम्ला उनके हाफ़िज़ इब्ने हजर रह० से भी अल्लामा ज़र्क़ानी रह० ने नक़ल किया कि यह मतलब नहीं कि उस वक़्त रूह वापस आती है, बल्कि वह तो विसाल के बाद एक मर्तबा वापस आ चुकी, तो मतलब यह है कि मैं (चूंकि रूह मेरी वापस आ चुकी है) उसके सलाम का जवाब देता हूँ।

(۱۰) وقال ابن ابی فدیك سمعت بعض من ادرکت یقول بلغنا انه من وقف عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتلا ہذہ الایۃ اِنَّ اللّٰہَ وَمَلٰٓئِکَتَہٗ یُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ ثم یقول صلی اللہ علیك یا محمد من یقولها سبعین مرۃ ناداہ ملك صلی اللہ علیك یافلان ولم تسقط له حاجة کذا فی الشفاء قال القاری فی شرحه رواہ البیہقی وابن ابی فدیك وثقة جماعة واحتج به اصحاب الکتب الستة ومعنی قوله بلغنا ای فی الحدیث.

10. यह नक़ल किया गया कि जो शख़्स हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्रे मुबारक के पास खड़े होकर यह आयत पढ़े:-

"इन्नल्ला-ह व मलाइ-क-तहू युसल्लू-न अलन्नबिय्यि" उसके बाद सत्तर मर्तबा "सल्लल्लाहु अलै-क या मुहम्मद" कहे, तो एक फ़रिश्ता कहता है, ऐ शख़्स, अल्लाह जल्ल शानुहू तुझ पर रहमत नाज़िल करता है, और उसकी हर हाजत पूरी कर दी जाती है।

फ़ायदा:- मुल्ला अली क़ारी रह० ने लिखा है कि सल्लल्लाहु अलैक या मुहम्मद की जगह या रसूलल्लाह कहे तो ज़्यादा बेहतर है।

अल्लामा क़स्तलानी रह० ने शैख़ ज़ैनुद्दीन मराग़ी रह० वग़ैरह से भी यही नक़ल किया कि "या रसूलल्लाह, कहना औला है।"

अल्लामा ज़र्क़ानी रह० शर्हे मवाहिब में लिखते हैं कि यह इस वजह से कि हुज़ूर सल्ल० का नाम लेकर पुकारने की मुमानअत है, लेकिन अगर यही लफ़्ज़ रिवायत में मंक़ूल है तो मंक़ूल की रिआयत की वजह से मुमानअत न रहेगी। इस नापाक व नाकारा के ख़्याल में रौज़ा-ए-अक़्दस पर मुज़व्विरों के रटे हुए अलफ़ाज़ बग़ैर समझे तोतों की तरह पढ़ने के बजाये निहायत ख़ुज़ूअ, ख़ुशूअ, सुकून, वक़ार से सत्तर मर्तबा "अस्सलातु वस्सलामु अलै-क या रसूलल्लाह" हर हाज़री के वक़्त पढ़ लिया करे, तो शायद ज़्यादा बेहतर हो।

अल्लामा ज़र्क़ानी शर्हे मवाहिब में लिखते हैं कि सत्तर मर्तबा की ख़ुसूसियत इसलिये है कि इस अदद को इजाबत (क़ुबूलियत) में दख़ल है। क़ुरआन पाक में भी मुनाफ़िक़ीन के बारे में हुज़ूर सल्ल० को इर्शाद हुआ है कि:-

إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ

अगर तुम इन मुनाफ़िक़ों के लिये सत्तर मर्तबा इस्तिग़फ़ार करो, तब भी इन की मग़्फ़िरत न होगी।

(١١) عن ابی هريرةؓ قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم من صلی علیّ عند قبری سمعته ومن صلی علی نائيا كفی امردنياه واخرته وكنت له شهيدًا و شفيعًا يوم القيٰمة رواه البيهقی فی الشعب والخطيب وابن عساكر كذا فی الدرو بسط طرقه السبكی فی شفاء الاسقام وفی المواهب وشرحه عزاه الی ابن ابی شيبة وعبد الرزاق.

11. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद

है कि जो शख़्स मेरी क़ब्र के पास खड़ा होकर मुझ पर दरूद पढ़ता है, मैं उसको खुद सुनता हूँ और जो किसी और जगह दरूद पढ़ता है तो उसकी दुनिया और आख़िरत की ज़रूरतें पूरी की जाती हैं और मैं क़ियामत के दिन उसका गवाह और उसका सिफ़ारिशी हूँगा।

फ़ायदाः- दूसरी बहुत सी अहादीस में आया है कि जो दूर से कोई शख़्स दरूद शरीफ़ पढ़ता है; तो अल्लाह जल्ल शानुहू ने फ़रिश्ते मुक़र्रर फ़रमा रखे हैं जो उसका सलाम मुझ तक पहुँचाते हैं। इस हदीस शरीफ़ में क़ब्र शरीफ़ पर खड़े होकर दरूद शरीफ़ पढ़ने की किस क़दर फ़ज़ीलत है कि सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उसको खुद बनफ़्से नफ़ीस सुनते हैं और किस क़दर खुशनसीब हैं वे मुबारक हज़रात, जो इस पाक शहर में रहने वाले हैं और हर वक़्त बिला वास्ता दरूद शरीफ़ हुज़ूर सल्ल॰ को सुनाते रहते हैं।

सुलैमान बिन सुहैम रह॰ कहते हैं कि मुझे हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़्वाब में ज़ियारत हुई। मैंने हुज़ूर सल्ल॰ से दर्याफ़्त किया, या रसूलल्लाह, ये जो लोग हाज़िरे ख़िदमत होकर सलाम करते हैं, आपको उनका इल्म होता है। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया हां होता है और मैं उनके सलाम का जवाब देता हूँ। اخرجه سعيد بن منصور كذا فى الا تحاف

(अख़रजहू सईद इब्ने मन्सूर, कज़ा फ़िल इत्तिहाफ़)

(١٢) عن ابى هريرةؓ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الاالى ثلاثة مساجد مسجدالحرام والمسجد الاقصىٰ ومسجدى هذا متفق عليه كذا فى المشكوٰة وعند احمد وابى يعلى وابن خزيمة والطبرانى والضياءمن حديث ابوسعيد بلفظ لا تشد رحال الطى الى مسجديذكر الله فيه الاالى ثلاثة مساجد كذا فى الاتحاف.

12. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद है कि न सफ़र किया जाये, मगर तीन मस्जिदों की तरफ़, एक मस्जिदे हराम, दूसरे मस्जिदे बैतुल मक़्दिस, तीसरे मेरी यह मस्जिद।

फ़ायदाः- चुँकि इस हदीस शरीफ़ में तीन मसाजिद के अलावा किसी और जगह के सफ़र की मुमानअत की गयी। इस लिए बाज़ उलमा ने इस से दलील पकड़ कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मज़ारे पाक के

इरादे से सफ़र की मुमानअत फ़रमायी है। वे हज़रात फ़रमाते हैं कि इस नीयत से सफ़र न करे, बल्कि मस्जिदे नबवी की ज़ियारत की नियत से सफ़र करे, अलबत्ता वहां पहुंचने के बाद मज़ारे पाक की ज़ियारत में कोई मुज़ायक़ा नहीं। लेकिन जमहूर उलमा के नज़दीक इस हदीस शरीफ़ का यह मतलब हरगिज़ नहीं, बल्कि मतलब यह है कि इन तीन मसाजिद के अलावा किसी और मस्जिद के इरादे से सफ़र न करे, इस लिए कि ये तीन मसाजिद तो बहुत अहमियत रखती हैं, जैसा कि छठी फ़स्ल की हदीस न॰ 6 में गुज़र चुका है। इस के अलावा और मसाजिद में कोई ख़ास ख़ुसूसियत नहीं।

जम्हूर की ताईद इससे भी होती है कि इस मज़्मून की बाज़ रिवायात में खुद तसरीह मौजूद है, चुनांचे एक हदीस में आया है कि किसी मस्जिद की तरफ़ सफ़र न किया जाये बजुज़ इन तीन मसाजिद के, यह साफ़ और वाज़ेह है कि ख़ास ख़ास शहरों की मसाजिद की नीयत करके सफ़र न किया जाये, जैसा कि हमारे ज़माने में दस्तूर है कि दिल्ली की जामा मस्जिद में आख़िरी जुमा पढ़ने की नीयत से बम्बई कलकत्ता तक से लोग आते हैं। यह महज़ फ़ुज़ूल और लग्व है।

इमाम ग़ज़ाली रह॰ फ़रमाते हैं कि बाज़ उलमा ने इस हदीस की वजह से उलमा और सुलहा की क़ब्रों की ज़ियारत के सफ़र को ना जायज़ बताया, हालांकि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि मैंने क़ब्रों की ज़ियारत को मना कर दिया था, अब (इजाज़त देता हूँ) ज़ियारत किया करो, और हदीस मज़्कूरा बाला मसाजिद के बारे में वारिद हुई है कि इन तीन मस्जिदों के अलावा और सब मसाजिद बराबर हैं, उनमें कोई ऐसी तर्जीह नहीं जिसकी वजह से सफ़र किया जाये, और मज़ारात की बरकात और चीज़ है। मैं पूछता हूँ, क्या अंबिया की क़ब्रों की ज़ियारत को भी मना कर दिया जायेगा और जब उसको मना नहीं किया जा सकता तो औलिया की क़ब्रें भी ऐसी ही हैं। फ़क़त !

बंदा ज़ईफ़ कहता है कि औलिया की क़ब्रों के लिये सफ़र करना तो मुख़्तलफ़ फ़ीहि है कि जायज़ है या नहीं, लेकिन इसमें शक नहीं कि इन मसाजिद के अलावा बहुत से सफ़र बिल इत्तिफ़ाक़ जायज़ बल्कि बाज़ वाजिब हैं, जैसा कि हज की नीयत से सफ़र, जिहाद के लिये सफ़र, तलबे इल्म के लिए सफ़र, हिज्रत का सफ़र, तिजारत के लिए सफ़र इसलिये यह तो बहरहाल कहना होगा कि इस हदीस पाक से मुतलक़न सफ़र की उन तीन मसाजिद के अलावा मुमानअत मक़्सूद नहीं है।

अल्लामा क़स्तलानी रह० ने मवाहिबे लदुन्नियः में यह क़िस्सा नक़ल किया है कि शैख़ वलिय्युद्दीन इराक़ी रह० कहते हैं कि मेरे वालिद ज़ैनुद्दीन इराक़ी और शैख़ अब्दुर्रहमान बिन रजब हंबली रह० दोनों हज़रात हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह की क़ब्र की ज़ियारत को साथ चले, जब शहर के क़रीब पहुँचे तो इब्ने रजब रह० को ख़्याल आया, कहने लगे कि मैंने हज़रत ख़लीलुल्लाह अलैहि० की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की नीयत कर ली, ताकि क़ब्र की ज़ियारत की नीयत न रहे। ज़ैन इराक़ी कहने लगे कि तुमने हुज़ूर सल्ल० के इर्शाद के ख़िलाफ़ किया। हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया कि तीन मसाजिद के अलावा सफ़र न किया जाये और तुमने इन तीन के अलावा चौथी की नीयत कर ली और मैंने हुज़ूर सल्ल० के इर्शाद की तामील की। हुज़ूर सल्ल० का मशहूर इर्शाद है कि क़ुबूर की ज़ियारत किया करो और किसी हदीस में यह नहीं आया कि अंबिया की क़ुबूर के अलावा, लिहाज़ा मैं ने इर्शाद के मुवाफ़िक़ किया। *(ज़ुर्क़ानी)*

सहाबा किराम रज़ि० और ताबईन हज़रात से क़ब्रे अतहर की ज़ियारत के लिये सफ़र साबित है।

1. अल्लामा सुबकी रह० ने लिखा है कि हज़रत बिलाल रज़ि० का सफ़र शाम से हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र शरीफ़ की ज़ियारत के लिये उम्दा सनदों से साबित है, जो मुतअद्दद रिवायात में मज़्कूर है, मिनजुम्ला उनके यह है कि बैतुलमक़्दिस की फ़त्ह के बाद हज़रत बिलाल रज़ि० ने हज़रत उमर रज़ि० से दर्ख़्वास्त की कि मुझे यहां क़ियाम की इजाज़त दे दी जाये। हज़रत उमर रज़ि० ने मंज़ूर फ़रमा लिया और उन्होंने वहां क़ियाम फ़रमाया, वहीं निकाह कर लिया। इसके बाद एक दिन ख़्वाब में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़ियारत हुई और फ़रमाया बिलाल, यह क्या जफ़ा है, क्या मेरी ज़ियारत करने का वक़्त नहीं आया। यह ख़्वाब देखते ही हज़रत बिलाल रज़ि० की आंख खुली तो निहायत ग़मगीन ख़ौफ़ज़दा परेशान थे, फ़ौरन ऊँट पर सवार होकर मदीना तैयबा हाज़िर हुए और रोते हुए मज़ारे पाक पर हाज़िर हुए। हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा ख़बर सुनकर तशरीफ़ लाये और बिलाल रज़ि० से अज़ान कहने की फ़रमाइश की, यह उनसे मिल कर लिपट गये और साहबज़ादों की तामीले इर्शाद में अज़ान कही। आवाज़ सुनकर घरों से मर्द औरतें बे क़रार रोती हुई निकल आयीं और हुज़ूर सल्ल० के ज़माने की याद ने सब ही को तड़पा दिया। यहां इस्तिदलाल इस ख़्वाब से नहीं है, बल्कि हज़रत बिलाल

रज़ि॰ के सफ़र से है।

2. मुतअद्दिद रिवायात में है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रह॰ मुस्तक़िल तौर पर शाम से ऊँट सवार क़ासिद भेजा करते थे, ताकि क़ब्रे अत्हर पर उन का सलाम पहुँचायें। *(शिफ़ाउल अस्क़ाम)*

3. हज़रत उमर रज़ि॰ जब बैतुलमक़्दिस तशरीफ़ ले गये तो कअ्बे अह्बार जो यहूद के बहुत बड़े आलिम थे, मुसलमान हुए। हज़रत उमर रज़ि॰ को उनके इस्लाम लाने की बड़ी ख़ुशी हुई और उनसे फ़रमाईश की कि मेरे साथ मदीना चलें, ताकि हुज़ूर सल्ल॰ की क़ब्रे मुबारक पर हाज़िरी हो, उन्होंने क़ुबूल किया और हज़रत उमर रज़ि॰ के इर्शाद की तामील की।

4. मुहम्मद बिन उबैदुल्लाह बिन अम्र अतबी कहते हैं कि मैं मदीना तैयबा हाज़िर हुआ तो क़ब्रे अत्हर पर ज़ियारत के लिये हाज़िर हुआ और हाज़िरी के बाद वहीं एक जानिब बैठ गया। इतने में एक शख़्स ऊँट पर सवार बद्वाना (देहाती) सूरत हाज़िर हुए और आकर अर्ज़ किया कि या ख़ैर्रुसुल, (ऐ रसूलों की बेहतरीन ज़ात) अल्लाह जल्ल शानुहू ने आप पर क़ुरआन शरीफ़ नाज़िल फ़रमाया–

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ

तर्जुमा:– और अगर ये लोग जब उन्होंने अपने नफ़्स पर ज़ुल्म कर लिया था, आपके पास आ जाते और आकर अल्लाह तआला शानुहू से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी उनके लिये माफ़ी मांगते तो ज़रूर अल्लाह तआला को तौबा क़ुबूल करने वाला पाते। ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ और अल्लाह जल्ल शानुहू से अपने गुनाहों की मग़्फ़िरत चाहता हूँ और उसमें आप की शफ़ाअत का तालिब हूँ। इसके बाद वह बद्दू रोने लगे और ये शेअर पढे:–

يا خير من دفنت بالقاع اعظمه   فيه لعفاف وفيه الجود والكرم

نفسى الفداء لقبر انت ساكنه   فطاب من طيبهن القاع والاكم

"ऐ बेहतरीन ज़ात, उन सब लोगों में, जिनकी हड्डियां हमवार ज़मीन में दफ़्न की गयीं कि उनकी वजह से ज़मीन और टीलों में भी उम्दगी फैल गयी। मेरी जान क़ुर्बान उस क़ब्र पर, जिसमें आप मुक़ीम हैं

कि इसमें इफ़्फ़त है, इसमें जूद है, इसमें करम है।"

इसके बाद उन्होंने इस्तिग़्फ़ार की और चले गये।

अत्बी रह० कहते हैं कि मेरी ज़रा आंख लग गई, तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़्वाब में ज़ियारत की, हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया कि जाओ उस बद्दू से कह दो कि मेरी सिफ़रिश से अल्लाह जल्ल शानुहू ने उसकी मग़्फ़िरत फ़रमा दी।

ذکرہ ابن عساکر فی تاریخه وابن الجوزی فی شیر العزم وغیرھما باسانید ھم کذا فی شفاء الاسقام والمواھب وذکرہ الموفق مختصرًا .)

अक्सर हज़रात ने यही दो शेअ्र नक़ल किये हैं, मगर इमाम नववी रह० ने अपने मानसिक में इसके बाद दो शेअ्र और नक़ल किये हैं -

انت الشفیع الذی ترجی شفاعته　　علی الصراط اذا مازلت القدم

وصاحباك لاانساھما ابدًا　　منی السلام علیکم ماجری القلم

तर्जुमाः- आप ऐसे सिफ़ारिशी हैं जिनकी सिफ़ारिश के हम उम्मीदवार हैं जिस वक़्त कि पुल सिरात पर लोगों के क़दम फ़िसल रहे होंगे, और आप के दो साथियों को तो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। मेरी तरफ़ से तुम सब पर सलाम होता रहे जब तक कि दुनिया में लिखने के लिये क़लम चलता रहे, यानी क़ियामत तक।

नवीं फ़स्ल

आदाबे ज़ियारत में

हज के मुताल्लिक़ जितने रसाइल अरबी फ़ारसी या उर्दू में लिखे गये हैं, सब में रौज़ा-ए-अत्हर पर हाज़िरी और ज़ियारत के आदाब व फ़ज़ाइल तफ़्सील से लिखे गये हैं। उलमा ने इससे मुस्तक़िल इस्तिदलाल उसकी फ़ज़ीलत और इस्तेहबाब पर किया है कि जो शख़्स भी अहकामे हज लिखता है, वह उसके साथ ही साथ आदाबे ज़ियारत भी लिखता है।

इस्हाक़ बिन इब्राहीम फ़क़ीह रह॰ कहते हैं कि हमेशा से हुज्जाज का यह मामूल मुतआरफ़ है कि जो शख़्स हज करता है, वह मदीना मुनव्वरा हाज़िर होता है, ताकि हुज़ूर सल्ल॰ की मस्जिद में नमाज़ पढ़े और हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के रौज़ा-ए-अत्हर की ज़ियारत से तबर्रुक हासिल करे और हुज़ूर सल्ल॰ के मिंबर और क़ब्र शरीफ़ और बैठने की जगह और जहां हुज़ूर सल्ल॰ का दस्ते मुबारक लगा है या क़दम शरीफ़ गुज़रा है, वग़ैरह वग़ैरह उमूर से बरकत हासिल करे।

मुल्ला अली क़ारी रह॰ शर्हे शिफ़ा में लिखते हैं, लेकिन इन सबमें अस्ली नीयत हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़ियारत ही की होना चाहिये। बाक़ी मशाहिद की ज़ियारत तब्अन होना चाहिये। इससे कौन इंकार कर सकता है कि सहाबा-ए-किराम रज़ि॰ के ज़माने से हर साल लाखों की तायदाद में हज के लिये मख़्लूक़ जाती है और बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अअ्ज़ार की वजह से मदीना तैयबा हाज़िर न होते हों, अगर इन हज़रात की यह हाज़िरी रौज़ा-ए-अत्हर की ज़ियारत के लिये नहीं है, बल्कि मस्जिदे नबवी की ज़ियारत के लिये जाना है तो उनमें से दसवां बीसवां हिस्सा मस्जिदे अक़्सा की ज़ियारत के लिये भी तो जाया करता कि वह भी तीन मसाजिद में से एक है, इसलिये जिन उलमा ने इस को इज्माई मसअला लिखा है, वह बे महल नहीं है।

आठवीं फ़स्ल के शुरू में चारों अइम्मा की फ़िक़्ह की किताबों की इबारतें नक़ल की गयीं हैं, जिनसे मालूम होता है कि ये सब हज़रात इसके इस्तेहबाब पर मुत्तफ़िक़ हैं, बल्कि फ़िक़्हे हंबली की किताब "दलीलुत्तालिब" में क़ब्र शरीफ़ की ज़ियारत को तो सुन्नत लिखा है और मस्जिदे नबवी में नमाज़ को मुस्तहब लिखा है।

जिन हज़रात ने हज में रसाइल लिखे हैं, उनमें ज़ियारत के आदाब और ज़ियारत के वक़्त सलाम वग़ैरह के अलफ़ाज़ भी तहरीर फ़रमाये हैं। मुख़्तसर तौर पर चंद आदाब इस रिसाले में भी लिखे जाते हैं, वरना असल तो यह है कि -

"मुहब्बत तुझको आदाबे मुहब्बत ख़ुद सिखा देगी।"

आदाबे हज में जो मज़ामीन गुज़र चुके हैं वे भी ख़ास तौर से मलहूज़ रखे जायें।

1. इसमें इख़्तिलाफ़ है कि हज को मुक़द्दम करे या ज़ियारत को, इसके मुताल्लिक़ इससे पहली फ़स्ल की हदीस नं॰ 3 में गुज़र चुका है।

2. जब ज़ियारत का इरादा करे तो सबसे अव्वल चीज़ यह है कि इस सफ़र में सफ़र की नीयत क्या होना चाहिये। बहुत से हज़रात ने उस हदीस की बिना पर जो इससे पहली फ़स्ल के नं॰ 12 पर गुज़री है, यह तहरीर फ़रमाया है कि रौज़-ए-अत्हर की ज़ियारत के साथ साथ मस्जिदे नबवी की भी ज़ियारत की नीयत कर ले, ताकि इश्काल ही बाक़ी न रहे। लेकिन शैख़ इब्ने हुमाम रह॰ ने फ़त्हुल क़दीर में लिखा है कि इस अब्दे ज़ईफ़ के नज़दीक नीयत को ख़ालिस हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्रे मुबारक की ज़ियारत के लिये ख़ास करना चाहिये कि इसमें हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इकराम की ज़्यादती भी है और उस हदीस शरीफ़ पर अमल भी है जिसमें "ला तुअ्मिलुहू हाज-तुन इल्ला ज़ियारती" वारिद हुआ है कि मेरी ज़ियारत के अलावा कोई और काम उसको न हो। फिर अगर कभी मुक़द्दर ने यावरी की तो दूसरी मर्तबा में क़ब्रे शरीफ़ के साथ मस्जिद की ज़ियारत की भी नीयत कर ले, इस हदीस का शैख़ ने ज़िक्र फ़रमाया है, इसके हममायने दूसरी हदीस आठवीं फ़स्ल के नं॰ 2 पर गुज़र चुकी है।

क़ुत्बे आलम हज़रत गंगोही नव्वरल्लाहु मर्क़दहू ने भी इसी को तर्जीह दी है, चुनांचे ज़ुब्दतुल मनासिक में तहरीर फ़रमाया है कि ग़रज़ जब अ़ज़्म मदीने का हो तो बेहतर यों है कि नीयत ज़ियारते क़ब्रे मुतह्हर की करके जावे, ताकि मिस्दाक़ उस हदीस का हो जावे कि जो कोई महज़ मेरी ज़ियारत को आवे, शफ़ाअत उसकी मुझ पर हक़ हो गयी। यह वही हदीस है जो पहली फ़स्ल की नं॰ 2 पर गुज़र चुकी है।

3. जब ज़ियारत की नीयत से सफ़र करे, ख़्वाह (चाहे) क़ब्रे अत्हर की ज़ियारत की नीयत हो या मस्जिद की ज़ियारत की, तो अपनी नीयत को ख़ालिस अल्लाह की रिज़ा के वास्ते ख़ास करे। इसमें कोई शायबा रिया का, तफ़ाख़ुर का, शोहरत का, सैर व सियाहत का या किसी और दुन्यवी ग़रज़ का हरगिज़ न होना चाहिये कि इस सूरत में नेकी बर्बाद गुनाह लाज़िम है। अगर महज़ इस वजह से सफ़र किया कि लोग ताना देंगे कि बुख़्ल की वजह से मदीने का सफ़र भी नहीं किया, तो अपनी जान को बेफ़ायदा मशक़्क़त में डाला और पैसे ज़ाया किये, जैसा कि पहली फ़स्ल की हदीस न॰ 1 और आदाबे हज में यह मज़्मून गुज़र चुका है।

4. मुल्ला अली क़ारी रह॰ ने शर्हे लुबाब में लिखा है कि नीयत के

ख़ालिस होने की अलामत यह है कि फ़राइज़ और सुनन न छूटने पावें वरना ज़ियारत से मशक़्क़त और माली नुक़्सान के सिवा कुछ भी हासिल न हुआ बल्कि तौबा और कफ़्फ़ारा ज़िम्मे हो गया।

बंदा-ए-नाकारा के ख़्याल मे सुनन का इस सफ़र में ख़ास एहतिमाम रखे, अगरचे सफ़र की वजह से सुन्नतों में ख़िफ़्फ़त आ जाती है और सफ़र में सुन्नतों का वह हुक्म नहीं रहता, जो हज़र में है, लेकिन मदीना पाक की हाज़िरी में हत्तल वसअ ज़्यादा एहतिमाम मुनासिब है। बल्कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मामूलात, आदाते शरीफ़ा की तहक़ीक़ करके उनके इत्तिबाअ् की सई करे, तो इस सफ़र की शान के ज़्यादा मुनासिब है।

5. इस सफ़र में दरूद शरीफ़ की खुसूसियत से कसरत रखे और निहायत तवज्जोह से पढ़े। तमाम उलमा ने इसकी बहुत ताकीद लिखी है कि इस सफ़र में दरूद शरीफ़ की निहायत कसरत करे। जितनी कसरत होगी, उतना ही मुफ़ीद होगा। बल्कि मुल्ला अली क़ारी रह० ने तो शर्हे लुबाब में यहां तक लिखा है कि फ़राइज़ और ज़रूरियाते मआश से जितना वक़्त बचे, वह सब का सब दरूद शरीफ़ के पढ़ने में ख़र्च करे, इसलिये कि जितनी भी मक़्सद में तवज्जोह ताम होगी, उतना ही सवाब ज़्यादा होगा।

इब्ने हजर शर्हे मनासिक नववी में लिखते हैं कि इस रास्ते में दरूद शरीफ़ की कसरत अफ़ज़ल है तो क्या तिलावत से भी अफ़ज़ल होगी या तिलावत उससे अफ़ज़ल होगी या दोनों बराबर ? तीन सूरतें हो गयीं और इसी तरह से हर वह जगह, जहां दरूद शरीफ़ की कसरत मतलूब है, जैसा कि शबे जुमा वग़ैरह और ज़ाहिर यह है कि इस जगह दरूद शरीफ़ की कसरत तिलावत की कसरत से भी अफ़ज़ल है, इसलिये कि यह इस वक़्त एक वक़्ती वज़ीफ़ा है और उलमा ने इसकी तसरीह की है कि तिलावत मुतलक़न अफ़ज़ल है, लेकिन जिन खुसूसी मवाक़े के लिये ख़ास ख़ास ज़िक्र वारिद हुए हैं, वहां वही ज़िक्र अफ़ज़ल होंगे।

अल्लामा जज़री रह० हिस्ने हसीन में लिखते हैं कि -:

افضل الذکر القران الا فیما شرع بغیرہ

"अफ़्ज़लुज़ ज़िक्रि अल क़ुरआनु इल्ला फ़ीमा शुरि-अ बिग़ैरिही०" (यानी सबसे अफ़ज़ल ज़िक्र क़ुरआन पाक की तिलावत है, मगर जो जगह किसी दूसरे ज़िक्र से मशरूअ हो, वहां वह अफ़ज़ल होगा।)

मौलाना अब्दुल हई साहब इसके हाशिये पर तहरीर फ़रमाते हैं :-

मसलन रूकूअ सज्दा तस्बीह के साथ मशरूअ् है, हत्ताकि उसमें अगर तिलावत की जाये तो मकरूह होगी।

6. ज़ौक़ शौक़ पैदा करे और जितना क़रीब होता जाये, शौक़ व इश्तियाक़ में ज़्यादती पैदा करे -

वादा-ए-वस्ल चूं शवद नज़दीक,
आतिशे शौक़ तेज़ तर गरदद।।

(जब वस्ल का वायदा क़रीब आता है तो शौक़ की आग और ज़्यादा भड़क जाया करती है)

कभी कभी इस ज़ौक़ को पैदा करने के वास्ते नातिया अशआर भी पढ़ लिया करे। हुज़ूर सल्ल० की सीरत की कोई किताब साथ हो या मिल जाये तो उसको पढ़ लिया करे या सुन लिया करे। आपस की मज्लिसों में भी हुज़ूर सल्ल० ही के हालात का तज़्किरा रहा करे और जो दिन मदीना पाक के क़ुर्ब का आता जाये, उसमें ख़ुशी और इश्तियाक़ बढ़ता जाये।

7. रास्ते में जो मस्जिदें या मवाक़े ऐसे आयें, जिनमें हुज़ूरे अक़्दस सल्ल० या सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का क़ियाम या नमाज़ पढ़ना मालूम हो, उनकी ज़ियारत करता जाये और वहां नवाफ़िल पढ़े या ज़िक्र व तिलावत वग़ैरह करे,। इसी तरह जो कुंए रास्ते में ऐसे आयें उनका पानी बरकत के हुसूल की नीयत से पिये। इनमें से बाज़ का बयान दसवीं फ़स्ल में आयेगा और इनके अलावा दूसरे रसाईल से तलाश करे। "मुअल्लिमुल हुज्जाज" और "ज़ियारतुल हरमैन" जिनका शुरू में ज़िक्र आ चुका है। इनमें भी बहुत से मवाक़े ज़िक्र किये गये हैं, उनको ग़ौर से पढ़े और मवाक़े की तहक़ीक़ करे। इन सब में "मुअर्रस" जो ज़ुल हुलैफा के क़रीब हैं, वहां नमाज़ पढ़ना ज़्यादा अहम है कि शाफ़ईयः उसको सुन्नते मुअक्कदा कहते हैं। और बाज़ उलमा से इसका वाजिब होना नक़ल किया गया।
(शर्हे मनासिक नववी)

8. जब मदीना तैयबा क़रीब आ जाये तो बहुत ज़्यादा ज़ौक़ व शौक़ में ग़र्क़ हो जाये, कसरत से दरूद शरीफ़ बार बार पढ़े। अगर सवारी पर हो तो उसको तेज़ चलाने की कोशिश करे। हदीस में आया है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते और मदीना तैयबा क़रीब होता

तो अपनी सवारी को तेज़ चलाते।

وابرح مايكون الشوق يومًا اذا دنت الخيام الى الخيام

तर्जुमाः- "सबसे बढ़ा हुआ शौक़ उस दिन होता है, जब उश्शाक़ के ख़ेमे माशूक़ के ख़ेमे के क़रीब हो जायें।

9. जब मदीना तैयबा की दीवारों पर नज़र पड़ जाये और उसके मुअत्तर बाग़ नज़र आने लगें, जो बीरे अली के बाद से नज़र आने लगते हैं, तो बेहतर यह है कि सवारी से नीचे उतर जाये और रोता हुआ नंगे पांव चले।

ولما راينا رسم من لم يدع لنا فؤادًا لعرفان الرسوم ولا لبا
نزلنا عن الاكوار منشى كرامة لمن بان عنه ان نلم به ركبا

तर्जुमाः- जब हमने उस महबूब के शहर के निशानात देखे, जिसने निशानात के पहचानने के वास्ते न हमारे पास दिल छोड़ा, न अक़्ल छोड़ी तो हम अपनी सवारियों से उतर गये और उसके इकराम में पैदल चलने लगे, इसलिये कि उसकी शान से यह बहुत बईद बात थी कि उस के पास सवार होकर जायें।

पहले उमरा, वुज़रा के मुताल्लिक़ लिखा है कि वे ज़ुल हुलैफ़ा से, जो तक़रीबन छः मील है, पैदल चलने लगते थे और हक़ यह है कि उस जगह पांव के बजाये सर के बल भी चले, तो उस जगह के हक़ का कोई हिस्सा भी अदा नहीं हो सकता।

لو جئتكم قاصدًا اسعى على بصرى لم اقض حقا وایّ الحق ادیت

तर्जुमाः- "अगर मैं तुम्हारी ख़िदमत में पांव के बजाये आंखों से चलकर आता, तब भी मैं हक़ अदा न कर सकता था और मैंने आक़ा, तुम्हारा और ही कौन सा हक़ अदा किया, जो यही अदा करता।"

ولما راينا من رجوع حبيبنا بطيبة اعلاما اثرن لنا الحبا
وبالترب منها اذا كحلنا جفوننا شفينا فلا باسا نخاف ولا كربا

तर्जुमाः- जब मदीना पाक में महबूब की मंज़िल के आसार नज़र आने लगे तो उन्होंने मुहब्बत को भड़का दिया और जब वहां की मिटटी को आंखों का सुर्मा बनाया, तो सारी बीमारियों से शिफ़ा हो गयी कि अब न किसी क़िस्म का मर्ज़ है, न तक्लीफ़।

10. जब फ़सीले मदीना आ जाये तो दरूद शरीफ़ के बाद यह

पढ़े:-

اَللّٰهُمَّ هٰذَا حَرَمُ نَبِيِّكَ فَاجْعَلْهُ لِيْ وِقَايَةً مِّنَ النَّارِ وَاَمَانًا مِّنَ الْعَذَابِ وَسُوْٓءِ الْحِسَابِ

"अल्लाहुम-म हाज़ा ह-र-मु नबिय्यि-क फ़ज्अ़लहु ली विक़ाय-तम मिनन्नारि व अमानम् मिनल अज़ाबि व सू-इल हिसाब॰"

तर्जुमा:- ऐ अल्लाह यह तेरे नबी का हरम आ गया, इस को तू मेरे आग से बचने का ज़रिया बना दे और अज़ाब से बचने का ज़रिया बना दे और हिसाब की बुराई से बचने का सबब बना दे।

इसके बाद उस पाक शहर की ख़ैर व बरकत हासिल होने की दुआ करे और उसके आदाब बजा लाने की तौफ़ीक़ की दुआ करे और किसी ना मुनासिब हरकत में इब्तिला से बचने की दुआ करे और खूब दुआयें करे।

11. बेहतर यह है कि शहर में दाख़िल होने से पहले गुस्ल करे और पहले मयस्सर न हो तो दाख़िल होने के बाद मस्जिद में दाख़िल होने से पहले कर ले और गुस्ल न हो सके तो वुज़ू कम अज़ कम ज़रूर कर ले, लेकिन औला गुस्ल ही है कि जितनी नज़ाफ़त और तहारत ज़ायद होगी उतना ही औला है। इसके बाद बेहतरीन लिबास पहने और खुश्बू लगाये जैसा कि ईदैन या जुमा के लिये करता हो, मगर तवाज़ोअ़ और इन्किसार मलहूज़ रहे, तफ़ाखुर पास न आये।

क़बीला अब्दुल क़ैस का वफ़्द जब हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को दूर से देख कर सब लोग शौक़ व इज़्तिराब में ऊँटों से कूद पड़े और ऊँट छोड़ कर हुज़ूर की बारगाह में दौड़ पड़े, लेकिन इस वफ़्द के रईस मुंज़िर बिन आइज़, जिनको अशज्ज अब्दुल क़ैस से ताबीर करते हैं वह ऊँटों के साथ जाये क़ियाम पर पहुँचे और अपने और सब साथियों का सामान जमा किया और एहतियात से रखा। इसके बाद गुस्ल किया, नये कपड़े पहने और आहिस्ता आहिस्ता वक़ार के साथ मस्जिदे नबवी में हाज़िर हुए, अव्वल दो रक्अ़त तहिय्यतुल मस्जिद पढ़ी और दुआ की फिर हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मज्लिस में हाज़िर हुए। हुज़ूर सल्ल॰ ने उनकी इस अदा को पसंद फ़रमाया और इर्शाद फ़रमाया कि तुम में दो ख़स्लतें ऐसी हैं जो अल्लाह जल्ल शानुहू को पसंद हैं, एक हिल्म यानी बुर्दबारी, दूसरे वक़ार। *(मज़ाहिर)*

12. बाज़ उलमा ने उस वक़्त कुछ सदक़ा करना भी आदाब में लिखा है यानी मस्जिद में दाख़िल होने से पहले पहले कुछ सदक़ा कर दे।

इब्ने हजर रह॰ लिखते हैं कि मस्नून यह है कि कुछ सदक़ा करे, चाहे क़लील ही क्यों न हो। और उसका अहले मदीना पर सर्फ़ करना औला और बेहतर है यानी उन लोगों पर जो ख़ास मदीने के बाशिंदे हैं। अल बत्ता अगर ग़ैरे मदनी ज़्यादा मुहताज हों, तो वे मुक़द्दम हैं, बंदे के ख़्याल में उस वक़्त की ख़ुसूसियत ग़ालिबन इस आयते शरीफ़ा की वजह से है, जो सूरः मुजादला में है :-

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ۚ
ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ٥

"ऐ ईमान वालो। जब तुम रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से सरगोशी किया करो तो इससे पहले कुछ ख़ैरात दे दिया करो। यह तुम्हारे लिये (सवाब हासिल होने के लिये) बेहतर है और गुनाहों से पाक होने का ज़रिया है। अगर तुममें सदक़ा देने की क़ुदरत न हो तो अल्लाह जल्ल शानुहू ग़फ़ूर्रुर्रहीम हैं" (यह हुक्म इब्तिदाअन वाजिब था, इसके बाद की आयत से मंसूख़ हो गया।)

हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू इर्शाद फ़रमाते हैं कि इस सदक़े वाली आयत पर सबसे पहले मैंने अमल किया, जब यह आयते शरीफ़ा नाज़िल हुई तो मेरे पास एक दीनार (अशर्फ़ी) था, उसको मैंने भुना कर दिरम बना लिये। जब हुज़ूर सल्ल॰ से गुफ़्तगू करता, तो एक दिरम पहले सदक़ा कर देता। उसके बाद यह हुक्म मंसूख़ हो गया।

13. जब शहर में दाख़िल हो तो उस वक़्त की ख़ुसूसी दुआयें पढ़ता हुआ निहायत ख़ुशूअ् ख़ुज़ूअ् से दाख़िल हो, अब तक की अदमे हाज़िरी (हाज़िरी न होने) का क़लक़ हो, दुनिया में हुज़ूर सल्ल॰ की ज़ियारत न नसीब होने का रंज हो। आख़िरत में ज़ियारत नसीब होने की आरज़ू और तमन्ना हो और इसका ख़ौफ़ हो कि न मालूम मुक़द्दर है या नहीं और जैसा कि किसी बड़े से बड़े दरबार में हाज़िरी के वक़्त रोअब व जलाल का असर हो, वही मंज़र यहां हो, हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की अज़्मत और क़द्र व मंज़िलत मलहूज़ हो, दरूद शरीफ़ लगातार ज़बान पर जारी हो। *(लुबाब)*

14. जब कुब्बा-ए-ख़िज़रा पर नज़र पड़े तो अज़्मत व हैबत और हुज़ूर सल्ल॰ की उलुव्वे शान का इस्तिहज़ार करे और यह सोचे कि इस पाक कुब्बे में

वह ज़ाते अक़्दस है, जो सारी मख़्लूक़ात से अफ़ज़ल है, अंबिया की सरदार है, फ़रिश्तों से अफ़ज़ल है। क़ब्र शरीफ़ की जगह सारी जगहों से अफ़ज़ल है, जो हिस्सा हुज़ूर सल्ल० के बदने मुबारक से मिला हुआ है, वह काबे से अफ़ज़ल है, अर्श से अफ़ज़ल है, कुर्सी से अफ़ज़ल है हत्ताकि आसमान व ज़मीन की हर जगह से अफ़ज़ल है। *(लुबाब)*

15. शहर में दाख़िल होने के बाद सबसे पहले मस्जिदे नबवी में हाज़िर हो, अगर मस्तूरात की या सामान वग़ैरह की मजबूरी हो तो दूसरी बात है, वरना सब उलमा ने लिखा है कि शहर में दाख़िल होने के बाद सब से पहले मस्जिद में हाज़िर होना अफ़ज़ल है। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का आम मामूल भी अहादीस में यही आया है कि जब सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते तो अव्वल मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते।

16. औरतों के लिये मुनासिब यह है कि अगर शहर में दिन को दाख़िल होने की नौबत आवे तो वे रात तक इंतिज़ार करें और रात के वक़्त में मस्जिद में हाज़िर हों, इसलिये कि उनके लिये हर वह चीज़ मुक़द्दम है, जो पर्दे में मुईन हो।

17. मस्जिद में दाख़िले के वक़्त उस जगह के आदाब की रिआयत रखे कि दायां पांव पहले मस्जिद में रखे, फिर बायां पांव रखे और मस्जिद में दाख़िल होने की दुआयें पढ़े और एतिकाफ़ की नीयत करे। अगर हर मस्जिद में हमेशा दाख़िल होते हुए एतिकाफ़ की नीयत कर लिया करे तो मुफ़्त का सवाब है, इसलिये मुनासिब है कि जब किसी मस्जिद में दाख़िल हो तो एतिकाफ़ की नीयत कर लिया करे।

18. बेहतर यह है कि मस्जिदे नबवी में बाबे जिब्रील से दाख़िल हो, इसलिये कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मामूल इस दरवाज़े से दाख़िल होने का था, जिसकी ग़ालिबन वजह यह है कि अज़्वाजे मुतह्हरात रज़ि० के हुजरे इसी जानिब ज़्यादा थे। *(शर्हे मनासिके नववी)*

लेकिन इस दरवाज़े से दाख़िल होना ज़रूरी नहीं, जिस दरवाज़े से चाहे दाख़िल हो जाए। *(शर्हे लुबाब)*

19. मस्जिद में दाख़िल होने के बाद ख़ुशूअ, ख़ुज़ूअ, इज्ज़ व इंकिसार में बहुत एहतिमाम करे, वहां की ज़ेब व ज़ीनत, फ़र्श फ़ुरूश, झाड़ फ़ानूस, क़ालीन, क़ुमक़ुमों में न लग जाये, न इन चीज़ों की तरफ़ इल्तिफ़ात करे निहायत अदब और

वक़ार से नीची नज़र किये हुए निहायत ही अदब और एहतिराम से जाये, बे अदबी और ला उबालीपन की कोई हरकत न करे, बड़े ऊँचे दरबार में पहुँच गया है, ऐसा न हो कि बे अदबी की कोई हरकत हिरमान व ख़ुसरान का सबब बन जाये।

20. मस्जिद में जाने के बाद सबसे पहले रौज़ा-ए-मुक़द्दसा में जाये, यह जगह वह हिस्सा है जो मिंबर शरीफ़ और क़ुब्बा शरीफ़ के दर्मियान में है, इस को रौज़ा इसलिये कहा जाता है कि हुज़ूर सल्ल०. का पाक इर्शाद है कि मेरी क़ब्र और मेरे मिंबर का दर्मियानी हिस्सा जन्नत के बाग़ों में से एक बाग़ है। रौज़ा बाग़ को कहते हैं। आइंदा फ़स्ल में यह हदीस आ रही है। अगर बाबे जिब्रील से मस्जिद में दाख़िल होने की नौबत आती है, तो बेहतर यह है कि हुजरे शरीफ़ के पीछे से रौज़े में जाये, ताकि हुजरे के सामने से गुज़रने की सूरत में बग़ैर सलाम किये आगे बढ़ना न पड़े।

21. रौज़ा-ए-मुक़द्दसा में पहुँच कर अव्वल तहिय्यतुल मस्जिद पढ़े। मस्जिद में हाज़िरी के बाद हुज़ूर सल्ल० की ख़िदमत में हाज़िरी से क़ब्ल तहिय्यतुल मस्जिद का पढ़ना औला है, इसलिये कि यह अल्लाह का हक़ है जो रसूल सल्ल० के हक़ पर मुक़द्दम है। नं० 11 में अशज्ज अब्दुल क़ैस के क़िस्से में गुज़र चुका है कि उन्होंने अव्वल तहिय्यतुल मस्जिद पढ़ी, फिर हुज़ूर सल्ल० की ख़िदमत में हाज़िर हुए।

हज़रत जाबिर रज़ि० फ़रमाते हैं कि मैं सफ़र से आया था, हुज़ूर सल्ल० की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। हुज़ूर सल्ल० ने दर्याफ़्त फ़रमाया कि तहिय्यतुल मस्जिद पढ़ ली। मैंने अर्ज़ किया कि नहीं, फ़रमाया कि जाओ पहले तहिय्यतुल मस्जिद पढ़ कर बाद में मेरे पास आना। *(शर्हे मनासिके नववी)*

22. तहिय्यतुल मस्जिद की इन दो रकअतों में "क़ुल या और क़ुल हुवल्लाहु" पढ़ना औला है, इसलिये कि पहली सूर: शरीफ़ में शिर्क से नफ़ी और इंकार है और दूसरी सूर: में अल्लाह की वह्दानियत और ज़ात व सिफ़ात का इक़रार है।

23. उलमा ने लिखा है कि रौज़े में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के खड़े होने की जगह बरकत की नीयत से खड़ा होना औला है, इस जगह की तअ्यीन ज़ुब्दा में इस तरह की है कि मिंबर दाहिने मोंढ़े की सीध पर रहे और वह स्तून, जिसके सामने संदूक़ है, सामने रहे।

इमाम ग़ज़ाली रह० ने एह्या में भी यही लिखा है कि वह स्तून जिसके पास संदूक़ है, मुंह के सामने हो और वह दायरा जो मस्जिद के क़िब्ले की दीवार में है, सामने रहे, लेकिन इब्ने हज्र रह० ने शर्हे मनासिक में लिखा है कि अब वहां संदूक़ नहीं रहा, वह जल गया। अब उसकी जगह एक मेहराब बना दी गयी है। यही वह जगह है जिसको मेहराबुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते हैं। सब अकाबिर उलमा ने इस जगह क़ियाम को औला बताया है, इसलिये इस बा बरकत जगह का एहतिमाम करना चाहिये, लेकिन इस नापाक को मदीना तैयबा के एक साला क़ियाम में एक मर्तबा भी यहां खड़े होने की जुर्रत और हिम्मत न हुई। अगर यह जगह किसी वजह से मयस्सर न हो सके तो फिर सारे रौज़े में किसी जगह तहिय्यतुल मस्जिद पढ़े।

24. तहिय्यतुल मस्जिद से फ़ारिग़ होने के बाद अल्लाह जल्ल शानुहू का लाख लाख शुक्र अदा करे कि उसने यह नेअ्मते जलीला अता फ़रमायी और उस पाक ज़ात से हज व ज़ियारत की क़ुबूलियत की दुआ करे और चाहे सज्दा-ए-शुक्र करे, चाहे दो रकअत शुक्राना पढ़े। बहुत से उलमा ने उस वक़्त सज्दा-ए-शुक्र करने को लिखा है। यहां यह बात क़ाबिल याद रखने के है कि हनफ़िय्या के नज़दीक मशहूर क़ौल के मुवाफ़िक़ शुकराने का महज़ सज्दा मशरूअ् नहीं, बल्कि जहां शुक्र का सज्दा वारिद हुआ है उनकी तहक़ीक़ के मुवाफ़िक़ वहां शुकराने की नफ़्लें मुराद हैं, लेकिन इस जगह पर हनफ़िय्यः ने सज्दा-ए-शुक्र का जवाज़ लिखा है जैसा कि शर्हे लुबाब में तस्रीह है और इसके बिल मुक़ाबिल शाफ़िअिय्यः की तहक़ीक़ के मुवाफ़िक सज्दा-ए-शुक्र बग़ैर नफ़्लों के भी मशरूअ् है, लेकिन इस जगह वे सज्दा-ए-शुक्र के क़ायल नहीं, जैसा कि शर्हे मनासिके नववी में इब्ने हजर रह० ने तस्रीह की है।

25. अगर मस्जिद में दाख़िल होने के वक़्त फ़र्ज़ नमाज़ खड़ी होने को है तो उस वक़्त तहिय्यतुल मस्जिद न पढ़े, बल्कि फ़र्ज़ नमाज़ में शिर्कत करे, उसी में तहिय्यतुल मस्जिद की भी नीयत कर ले, तो तहिय्यतुल मस्जिद का सवाब भी मिल जायेगा। इसी तरह अगर ऐसे वक़्त में मस्जिद में दाख़िल हुआ, जबकि नफ़्लें मक्रूह हैं, जैसा कि अस्र के बाद, तो उस वक़्त भी तहिय्यतुल मस्जिद न पढ़े।

26. नमाज़ से फ़राग़त के बाद क़ब्र शरीफ़ की तरफ़ चले, इस हाल में कि दिल को सब कदूरात और आलाइशों से पाक रखे और हमातन नबी करीम

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़ाते अक़्दस की तरफ़ पूरी तवज्जोह करे।

उलमा ने लिखा है कि जिस क़ल्ब में दुनिया की गंदगियां और लह्व व लअिब, शहवतें और ख़्वाहिशें भर रही हों, उस दिल पर वहां की बरकात का कुछ असर नहीं होता, बल्कि ऐसे दिल वालों पर जो दुनिया पर पड़े रहें और आख़िरत से और उसके फ़िक्र से बे ताल्लुक़ हों, हुज़ूर सल्ल॰ के ग़ुस्से और ऐराज़ का अंदेशा है। अल्लाह ही अपने फ़ज़्ल से उस से पनाह दे। लिहाज़ा हर शख़्स के लिये ज़रूरी है कि जहां तक मुम्किन हो उस वक़्त अपने दिल को दुन्यवी ख़ुराफ़ात से ख़ाली रखने की कोशिश करे और अल्लाह की रहमत की वुसअत, अफ़्व व करम के कमाल की उम्मीद रखे और हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शाने रहमतुल्लिल आलमीन पर नज़र रखे और हुज़ूर ही के वसीले से अल्लाह से माफ़ी का तालिब बन कर हाज़िर हो। *(शर्हे लुबाब)*

27. जब किसी क़ब्र पर हाज़िरी हो तो मय्यित के पांव की तरफ़ से जाये ताकि मय्यित को अगर हक़ तआला शानुहू आने वाले का कश्फ़ अता फ़रमाये, तो देखने में सहूलत रहे, इसलिये कि जब मय्यित क़ब्र में दायीं करवट लेटी है तो उसकी नज़र क़दमों की तरफ़ होती है। अगर कोई सिरहाने की जानिब से आये तो मय्यित को देखने में तअब और मशक़्क़त होती है। *(फ़त्हुल क़दीर)*

इसी ज़ाब्ते के मुवाफ़िक़ इस जगह भी बाज़ उलमा ने लिखा है कि क़दमे मुबारक की जानिब से हाज़िर हो, जैसा कि इब्ने हजर रह॰ ने शर्हे मनासिक में नक़ल किया है। मुवाहिब मे लिखा है कि ज़ाइर के लिये मुनासिब यह है कि क़िब्ले की जानिब से होकर मुवाजह शरीफ़ पर हाज़िर हो, लेकिन अगर पांव की तरफ़ से हाज़िर हो तो यह अदब के लिहाज़ से औला है, मगर बाज़ उलमा ने आम ज़ाब्ते के ख़िलाफ़ इस जगह पर सिरहाने से हाज़िरी को तर्जीह दी है, इस वजह से तहिय्यतुल मस्जिद रौज़े में पढ़ी गयी, जो हुज़ूर सल्ल॰ के बिल्कुल सिरहाने है, इस सूरत में अगर वहां से चल कर पांव की तरफ़ को आयेगा तो सूरत क़ब्रे मुबारक के तवाफ़ की सी बन जायेगी और क़ब्र का तवाफ़ बिल्कुल जायज़ नहीं। इसलिये इसकी सूरत से बचने की रिआयत से इस जगह सिरहाने से हाज़िरी को गवारा किया गया, वरना आम अदब हर क़ब्र पर हाज़िरी का यही है कि पावं की तरफ़ से हाज़िर हो।

28. जब मुवाजह शरीफ़ पर हाज़िर हो तो सिरहाने की दीवार के कोने

में जो स्तून है, उससे तीन चार हाथ के फ़ासले से खड़ा हो और पुश्त क़िब्ले की तरफ़ करे और बायीं तरफ़ को ज़रा मायल हो ताकि चेहरा-ए-अन्वर के बिल्कुल सामने हो जाये। (ज़ुब्दा)

साहिबे इत्तिहाफ़ कहते हैं कि यह स्तून अब पीतल की दीवार के अंदर आ गया।

मुल्ला अली क़ारी रह० ने लिखा है कि चांदी की कील, जो उस दीवार में है, उसके मुक़ाबिल खड़ा हो। (शर्हे लुबाब)

लेकिन अब तीन झरोके सामने की पीतल की दीवार में कर दिये गये, जिनसे हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और हज़राते शैख़ैन रज़ि० की मुबारक क़ब्रों का सामना होता है।

इब्ने हजर रह० कहते हैं कि चांदी की मेख़ जिस पर सोने का झोल है, वह चेहरा-ए-अन्वर की मुहाज़ात में है।

29. दीवार से तीन चार गज़ के फ़ासले पर खड़ा हो, ज़्यादा क़रीब न हो कि अदब के ख़िलाफ़ है और निगाह नीची रहना चाहिये, इधर उधर देखना उस वक़्त सख़्त बे अदबी है, हाथ पांव भी साकिन और वक़ार से रहें। यह ख़्याल करे कि चेहरा-ए-अन्वर इस वक़्त मेरे सामने है, हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मेरी हाज़िरी की इत्तिला है। हुज़ूर सल्ल० की उलुव्वे शान और उलुव्वे मर्तबत का इस्तिहज़ार पूरी तरह से दिल में हो।

इब्ने अमीरूल हाज्ज रह० मदख़ल में लिखते हैं कि जितने भी तवाज़ोअ् और आदाब उस वक़्त की हाज़िरी के लिखे जाते हैं उससे कहीं ज़्यादा तवाज़ोअ् और इज्ज़ व इंन्किसार होना चाहिये, इसलिये कि आप की ज़ात ऐसी शफ़ीअ् है, जिसकी शफ़ाअत मक़्बूल है जिसने आप के दर का इरादा किया, वह मुराद को पहुँचा और जो आपकी चौखट पर हाज़िर हो गया, वह ना मुराद नहीं रहा। जिस शख़्स ने आपके वसीले से दुआ की, वह क़ुबूल हुई, और जो मांगा वह मिला। तजुर्बा और वाक़िआत इसकी शहादत देते हैं, इसलिये जितना ज़्यादा अदब हो सके, दरेग़ न करे और यह समझे गोया मैं ज़िन्दगी में आप की मज्लिस में हाज़िर हूँ, इसलिये कि उम्मत के हालात के मुशाहदे में और उनके इरादे और क़स्द के ज़हूर में इस वक़्त आपकी हयात और ममात में कोई फ़र्क़ नहीं।

(मदख़ल अव्वल)

30. इसके बाद हुज़ूर सल्ल॰ पर सलाम पढ़े। मनासिक के रसाइल में सलाम के अल्फ़ाज़ बहुत से नक़ल किये गये हैं। इसमें सलफ़ का मामूल मुख़्तलिफ़ रहा है। बाज़ अकाबिर मुख़्तलिफ़ उनवान और मुख़्तलिफ़ अल्फ़ाज़ के साथ सलाम पढ़ते थे और ज़ौक़ व शौक़ का तक़ाज़ा यही है -

यां लब पे लाख लाख सुख़न इज़्तिराब में,
वां एक ख़ामुशी तेरी सब के जवाब में॥

और बाज़ हज़रात निहायत मुख़्तसर अल्फ़ाज़ में सलाम पढ़ते थे, अदब और हैबत का तक़ाज़ा यही है -

बे ज़बानी तर्जुमाने शौक़ं बेहद हो तो हो,
वरना पेशे यार काम आती हैं तक़रीरें कहीं.

मुल्ला अली क़ारी रह॰ ने लिखा है कि बाज़ अकाबिर जैसे कि हज़रत इब्ने उमर रज़ि॰ सिर्फ़ "अस्सलामु अलै-क अय्युहन्नबिय्यु व रह्मतुल्लाहि व-ब-र कातुहू" पर इक्तिफ़ा करते थे और बाज़ हज़रात तवील सलाम को इख़्तियार करते थे, और अहादीस में मुख़्तलिफ़ अल्फ़ाज़ और मुख़्तलिफ़ उन्वानों से दरूद शरीफ़ वारिद होने से इस की ताईद होती है।

हज़रत गंगोही नव्वरल्लाहु मर्क़दहू ने ज़ुब्दा में सलाम के अल्फ़ाज़ नक़ल करने के बाद लिखा है कि सलाम में जिस क़दर चाहे अल्फ़ाज़ ज़्यादा करे, मगर अदब और इज्ज़ के कलिमात हों, लेकिन सलफ़ यहां मुख़्तसर अल्फ़ाज़ कहने को पसंद करते हैं और जहां तक भी इख़्तिसार हो सके, मुस्तह्सन रखते हैं।

इमाम नववी रह॰ ने अपनी मनासिक में सलाम में तवील अल्फ़ाज़ लिखने के बाद लिखा है कि हज़रत इब्ने उमर रज़ि॰ वग़ैरह से ग़ायते इख़्तिसार नक़ल किया गया। हज़रत इब्ने उमर रज़ि॰ तो इतना ही कहते थे "अस्सलामु अलै-क या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलै-क या अबा बक्र, अस्सलामु अलै-क या अ-ब ताहु॰"

इस नाकरा के नाक़िस ख़्याल में जो शख़्स सलाम के अल्फ़ाज़ का तर्जुमा और मतलब समझता हो और उन अल्फ़ाज़ के बढ़ाने से ज़ौक़ में इज़ाफ़ा होता हो, उसको तो तत्वील मुनासिब है और अगर ये दोनों बातें न हों तो तोते की तरह से मुज़व्विरीन के अल्फ़ाज़ दोहराने की ज़रूरत नहीं, इंतिहाई ज़ौक़ व शौक़

और ग़ायत सुकून और वक़ार से आहिस्ता आहिस्ता ठहरा ठहरा कर "अस्सलातु वस्सलामु अलै-क या रसूलल्लाह" पढ़ता रहे और जब तक शौक़ में इज़ाफ़ा पावे, इन्हीं अल्फ़ाज़ को या और किसी सलाम को बार बार पढ़ता रहे, इससे पहली फ़स्ल के नं॰ 10 पर सल्लल्लाहु अलै-क या रसूलल्लाह सत्तर मर्तबा पढ़ना गुज़रा है, वह भी बेहतर है, मगर सुकून और वक़ार और जौक़ व शौक़ से पढ़े।

31. यह निहायत अहम और ज़रूरी बात है कि सलाम पढ़ते वक़्त शोर व शग़ब हरगिज़ न करे, न ज़ोर से चिल्लाये बल्कि इतनी आवाज़ से कहे कि अंदर तक पहुँच जाये।

मुल्ला अली क़ारी रह॰ ने लिखा है कि न तो ज़्यादा जहर हो और न बिल्कुल इख़्फ़ा हो, बल्कि मुतवस्सित और मोतदिल आवाज़ हुज़ूरे क़ल्ब और अपनी बद आमालियों की वजह से शर्म व हया लिये हुए हो। बुख़ारी शरीफ़ में एक क़िस्सा लिखा है, हज़रत साइब रज़ि॰ कहते हैं कि मैं मस्जिद में खड़ा था। एक शख़्स ने मेरे एक कंकरी मारी। मैंने उधर को देखा तो वह हज़रत उमर रज़ि॰ थे। उन्होंने मुझे (इशारे से बुला कर) कहा कि ये दो आदमी जो बोल रहे हैं उन दोनों को बुलाकर लाओ। मैं उन दोनों को हज़रत उमर रज़ि॰ के पास लाया। हज़रत उमर रज़ि॰ ने उनसे पूछा कि तुम कहां के रहने वाले हो? उन्होंने अर्ज़ किया कि ताइफ़ के रहने वाले हैं। हज़रत उमर रज़ि॰ ने फ़रमाया कि अगर तुम इस शहर के रहने वाले होते तो तुम्हें मज़ा चखाता, तुम हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मस्जिद में चिल्ला कर बोल रहे हो।

मुहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ि॰ कहते हैं कि किसी शख़्स को भी यह नहीं चाहिये कि मस्जिद में ज़ोर से बोले। *(शर्हे शिफ़ा)*

हज़रत उमर रज़ि॰ के इस क़िस्से में बाज़ रिवायात में हज़रत उमर रज़ि॰ का इर्शाद नक़ल किया गया कि ऐसे कोड़े मारता कि बदन दर्द करने लगता। अब गोया अजनबी दूसरे शहर के होने की वजह से मस्अले से ना वाक़िफ़ियत को उज़्र क़रार दिया।

हज़रत आइशा रज़ि॰ जब कहीं क़रीब कील मेख़ वग़ैरह ठोकने की आवाज़ सुनतीं तो आदमी भेज कर उनको रोकतीं कि ज़ोर से न ठोकें, हुज़ूर सल्ल॰ की तक्लीफ़ का लिहाज़ रखें।

हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू को अपने मकान के किवाड़ बनवाने की

ज़रूरत पेश आयी तो बनाने वालों को फ़रमाया कि शहर के बाहर बक़ीअ् में बना कर लायें। उनके बनाने की आवाज़ का शोर हुज़ूरे सल्ल॰ तक न पहुँचे।

अल्लामा क़स्तलानी रह॰ मुवाहिब में लिखते हैं कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ अदब का वही मामला होना चाहिये जो ज़िन्दगी में था, इसलिये कि हुज़ूर सल्ल॰ अपनी क़ब्र में ज़िंदा है।

(शर्हे मुवाहिब)

हक़ तआला सुब्हानहू व तक़द्दुस ने क़ुरआन पाक में सूरः हुजुरात में ख़ुसूसियत से इस तरफ़ तंबीह फ़रमायी है, इर्शादे वाला है कि :-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ (الآية)

"या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तर्फ़अू अस्वात कुम॰" *(आयत)*

"ऐ ईमान वालों, तुम अपनी आवाज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म की आवाज़ से ऊँची न करो और न आपस में ऐसे ज़ोर से गुफ़्तगू करो, जैसा कि आपस में एक दूसरे से गुफ़्तगू करते हैं। (ऐसा न हो कि इस हकरत से) तुम्हारे (पहले किये हुए नेक) अमल बर्बाद हो जायें और तुम को ख़बर भी न हो।"

बुख़ारी शरीफ़ की हदीस में है कि हज़राते शैख़ैन हज़रत अबू बक्र रज़ि॰ और हज़रत उमर रज़ि॰ के दर्मियान किसी मश्विरे की गुफ़्तगू में जो हुज़ूर सल्ल॰ की मज्लिस में थी, इख़्तिलाफ़े राय की वजह से तेज़ गुफ़्तगू हो गयी थी, जिस पर यह आयत नाज़िल हुई।

जब हज़राते शैख़ैन पर यह इताब है तो हम तुम किस शुमार में हैं। अहादीस में आया है कि इस आयते शरीफ़ा के बाद हुज़ूर सल्ल॰ की मज्लिस में हज़रत उमर रज़ि॰ की आवाज़ ऐसी होती कि बाज़ औक़ात मुकर्रर (दोबारा) पूछना पड़ता कि क्या कहा?

हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह। मैं तो अब से आपसे इस तरह गुफ़्तगू करूँगा, जैसा कि कोई राज़ की बात करता हो।

हज़रत साबित बिन क़ैस रज़ि॰ जहूरिय्युस्सौत थे। इस आयत के नाज़िल होने के बाद इस रंज व ग़म में कि मैं तो हमेशा ही ज़ोर से बोलता हूँ, मैं तो बस जहन्नमी हो गया, घर से न निकलते थे कई दिन के बाद हुज़ूर सल्ल॰ ने दर्याफ़्त

फ़रमाया तो वाक़िआ मालूम हुआ, हुज़ूर सल्ल॰ ने उनकी तसल्ली फ़रमायी और उनको जन्नती होने की बशारत दी। (दुर्रे मंसूर)

ऐसी हालत में जो लोग वहां शोर बरपा करते हैं, उनको डरना चाहिए और बहुत एहतियात लाज़िम है।

32. सलाम के बाद अल्लाह जल्ल शानुहू से हुज़ूर सल्ल॰ के वसीले से दुआ करें और हुज़ूर सल्ल॰ से शफ़ाअत की दरख़्वास्त करें।

बाज़ उलमा ने तवस्सुल को मना फ़रमाया है, लेकिन जम्हूर उलमा उसके जवाज़ के क़ायल हैं। मुग़्नी जो फ़िक़्हे हनाबिला में मशहूर व मारूफ़ है, उसमें अल्फ़ाज़े सलाम में ये अल्फ़ाज़ भी ज़िक्र किये हैं –

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ" وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ۝ " وَقَدْ اَتَيْتُكَ مُسْتَغْفِرًا مِّنْ ذُنُوْبِىْ مُسْتَشْفِعًا بِكَ اِلٰى رَبِّىْ فَاَسْئَلُكَ يَارَبِّ اَنْ تُوْجِبَ لِىَ الْمَغْفِرَةَ كَمَا اَوْجَبْتَهَا لِمَنْ اَتَاهُ فِىْ حَيَاتِهٖ الخ

"अल्लाहुम-म इन्न-क क़ुल्-त व क़ौलुकल हक़्क़ु व लौ अन्नहुम इज़् ज़-ल मू अन्फ़ुस-हुम जाऊ-क फ़स्तग़फ़रूल्ला-ह वस्तग़्फ़-र लहुमुर्रसूलु ल-व-ज दुल्ला-ह तव्वाबर्रहीमा व क़द् अतैतु-क मुस्तग़्फ़िरम् मिन् ज़ुनुबी मुस्तश्फ़िअम् बि-क इला रब्बी फ़स्अलु-क या रब्बि अन् तूजि-ब लियल् मग़्फ़िर-त कमा औजब्त-हा लिमन् अता-हु फ़ी हयातिही" *(आख़िर तक)*

"ऐ अल्लाह, तेरा पाक इर्शाद है और तेरा इर्शाद हक़ है और वह यह है "व लौ अन्न-हुम इज़् ज़-ल-मू" आख़िर आयत तक। अब मैं आपके पास आया हूँ। और अपने गुनाहों से मग़्फ़िरत चाहता हूँ और आपसे अपने रब की बारगाह में शफ़ाअत चाहता हूँ। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे यह मांगता हूँ कि तू मेरी मग़्फ़िरत को वाजिब कर दे जैसा कि तूने उस शख़्स की मग़्फ़िरत को वाजिब किया जो हुज़ूर की ख़िदमत में उनकी ज़िन्दगी में हाज़िर हुआ हो।"

यही अल्फ़ाज़ शर्हे कबीर में भी नक़ल किये गये। इसी तरह इन दोनों किताबों में उत्बा का वह क़िस्सा भी नक़ल किया गया जो इससे पहली फ़स्ल के आख़िर में गुज़रा और इसमें आयते शरीफ़ा "व लौ अन्न-हुम इज़ ज़-ल-मू" (आयत) का तर्जुमा भी गुज़र चुका है।

खुलफ़ाये अब्बासिया में से मंसूर अब्बासी ने हज़रत इमाम मालिक रह॰ से दर्याफ़्त किया कि दुआ के वक़्त हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ़ चेहरा करूँ या क़िब्ले की तरफ़? तो हज़रत इमाम मालिक रह॰ ने फ़रमाया कि आप की तरफ़ से मुंह हटाने का क्या महल है, जबकि आप तेरा भी वसीला हैं और तेरे बाप हज़रत आदम अलैहि॰ का भी वसीला हैं। हुज़ूर सल्ल॰ की तरफ़ मुंह कर के हुज़ूर सल्ल॰ से शफ़ाअत चाहो. अल्लाह जल्ल शानुहू उनकी शफ़ाअत क़ुबूल करे।

अल्लामा ज़र्क़ानी रह॰ कहते हैं कि इस क़िस्से को क़ाज़ी अयाज़ रह॰ ने मोतबर असातिज़ा से नक़्ल किया है, इसका इंकार करना जुर्रत है।

(शर्हे मुवाहिब)

अल्लामा क़स्तलानी शाफ़ई रह॰ ने मुवाहिब में लिखा है कि ज़ाइरीन को चाहिये कि बहुत कसरत से दुआयें मांगें और हुज़ूर सल्ल॰ का वसीला पकड़ें और हुज़ूर सल्ल॰ से शफ़ाअत चाहें कि हुज़ूर सल्ल॰ की ज़ाते अक़्दस ऐसी है कि जब उनके ज़रिये से शफ़ाअत चाही जाये तो हक़ तआला शानुहू क़ुबूल फ़रमायें।

अल्लामा ज़र्क़ानी मालिकी रह॰ इसकी शरह में लिखते हैं कि अल्लामा ख़लील रह॰ (मालिकी) की मनासिक में भी यही मज़्मून लिखा है।

इब्ने हुमाम रह॰ ने फ़त्हुल क़दीर में लिखा है और इससे हज़रत क़ुद्दिस सिर्रुहू ने ज़ुब्दा में नक़्ल किया है कि सलाम के बाद फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के वसीले से दुआ करे और शफ़ाअत चाहे और ये अल्फ़ाज़ कहे:-

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَسْاَلُكَ الشَّفَاعَةَ وَاَتَوَسَّلُ بِكَ اِلَى اللّٰهِ فِىْ اَنْ اَمُوْتَ مُسْلِمًا عَلٰى مِلَّتِكَ وَسُنَّتِكَ

"या रसूलल्लाहि अस्अलुकश्शफ़ाअ-त व अ-त वस्सलु बि-क इलल्लाहि फ़ी अन् अमू-त मुस्लिमन अला मिल्लति-क व सुन्नति-क॰"

"ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आपसे शफ़ाअत चाहता हूँ और आपके वसीले से अल्लाह से यह मांगता हूँ कि मेरी मौत आपके दीन और आपकी सुन्नत पर हो।"

इमाम नववी रह॰ ने अपनी मनासिक में हज़रत उमर रज़ि॰ पर सलाम के बाद लिखा है कि फिर पहली जगह यानी हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व

सल्लम के सामने आये और हुज़ूर सल्ल० के वसीले से अपने लिये दुआ करे और हुज़ूर सल्ल० की शफ़ाअत के ज़रिये अल्लाह जल्ल शानुहू से दुआ करे और बेहतर चीज़ वह है जो अतबी (रह०) से नक़्ल की गयी। अतबी का क़िस्सा इससे पहली फ़स्ल के ख़त्म पर गुज़र चुका है।

इब्ने हजर मक्की शाफ़ई रह० इसकी शरह में लिखते हैं कि हुज़ूर सल्ल० के साथ तवस्सुल करना सलफ़े सालेह का तरीक़ा रहा है। अंबिया और औलिया ने हुज़ूर सल्ल० के वसीले से दुआ की है।

हाकिम ने रिवायत नक़्ल की है और इसको सही बताया है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से दाना खाने की ख़ता सादिर हुई तो उन्होंने अल्लाह जल्ल शानुहू से हुज़ूर सल्ल० के तुफ़ैल दुआ की। अल्लाह जल्ल शानुहू ने दर्याफ़्त किया कि आदम, तुम ने मुहम्मद को कैसे जाना, अभी तो मैंने उनको पैदा भी नहीं किया? तो हज़रत आदम अलैहि० ने अर्ज़ किया कि या अल्लाह, जब आपने मुझे पैदा किया था और मुझमें जान डाली थी तो मैंने अर्श के स्तूनों पर:-

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

"ला इला-ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह०"

लिखा हुआ देखा था तो मैं ने समझ लिया था कि आपने अपने नाम के साथ जिसका नाम मिलाया है, वह सारी मख़्लूक़ में आपको सबसे ज़्यादा महबूब होगा। हक़ तआला शानुहू ने फ़रमाया कि बेशक वह सारी मख़्लूक़ में मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है और जब उसके तुफ़ैल तुमने मग़्फ़िरत तलब की, तो मैंने तुम्हारी ख़ता माफ़ कर दी। नीज़ नसाई और तिर्मिज़ी ने नक़्ल किया है कि एक नाबीना हुज़ूर सल्ल० की ख़िदमत में हाज़िर हुए और बीनाई के लिये दुआ चाही। हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया कि तुम कहो तो मैं दुआ करूँ। लेकिन अगर तुम सब्र करो तो ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने दुआ की दर्ख़्वास्त की। हुज़ूर अक़्दस सल्ल० ने उनको फ़रमाया कि पहले बहुत अच्छी तरह से वुज़ू करो, उसके बाद यह दुआ पढ़ो:-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ اِنِّیْ اَتَوَجَّهُ بِكَ اِلٰى رَبِّیْ فِیْ حَاجَتِیْ لِتَقْضِیَ لِیْ اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِیَّ

"अल्लाहुम्-म इन्नी अस्अलु-क व अ-त-वज्जहु इलै-क बिनबिय्यि-क

मुहम्मदिन् सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल-म नबिय्यिर्रह्मति या मुहम्मदु इन्नी अ-त-वज्जहु बि-क इला रब्बी फ़ी हाजती लितुक़्ज़ा ली-अल्लाहुम्-म फ़-शफ़्फ़िअ्हु फ़िय्-य॰"

"ऐ अल्लाह, मैं आपसे सवाल करता हूँ और आपके नबी जो रहमत के नबी हैं, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के वास्ते से आप की तरफ़ मुतवज्जह होता हूँ। ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, मैं आपके तुफ़ैल अपने रब की तरफ़ मुतवज्जह होता हूँ ताकि मेरी यह हाजत पूरी हो जाये, ऐ अल्लाह, हुज़ूर सल्ल॰ की सिफ़ारिश मेरे हक़ में क़ुबूल फ़रमा।"

तिर्मिज़ी ने इस हदीस को सही बताया है और बैहक़ी ने भी इसको सही बताया है और बैहक़ी की रिवायत में इसके आगे यह भी है कि इस दुआ के पढ़ने के बाद वह साहब बीना हो गये और तबरानी ने उम्दा सनद के साथ हुज़ूर सल्ल॰ की एक दुआ के अल्फ़ाज़ ये नक़ल किये:-

بِحَقِّ نَبِیِّکَ وَالْاَنْبِیَاءِ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِیْ (کذا فی الاصل)

बिहक़्क़ि नबिय्यि-क वल् अम्बिया इल्लज़ी-न मिन् क़ब्ली"

(कज़ा फ़िल अस्लि)

"ऐ अल्लाह, तेरे नबी के तुफ़ैल और गुज़िश्ता अंबिया के तुफ़ैल"

इसके बाद इब्ने हजर रह॰ ने और भी ताईदें इस मज़्मून की नक़ल कीं और इस दुआ के मुताल्लिक़ एक क़िस्सा ज़ियारत के क़िस्से में नं॰ 33 पर भी आ रहा है।

33. इस मज़्मून से यह भी मालूम हो गया कि इस दुआ के वक़्त भी मुंह हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ़ होना चाहिये, अगरचे आम दुआ का अदब यह है कि मुंह क़िब्ले की तरफ़ होना चाहिये, लेकिन उस वक़्त क़िब्ले की तरफ़ मुंह करने से हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ़ पुश्त होती है जो अदब के ख़िलाफ़ है, इसलिये उस वक़्त उसी तरफ़ मुंह करके दुआ करे।

34. इसके बाद अगर किसी और शख़्स ने अपनी तरफ़ से हुज़ूर सल्ल॰ की बारगाह में सलाम अर्ज़ करने की फ़रमाइश की हो तो उसकी तरफ़ से भी इस तरह सलाम अर्ज़ करे, "अस्सलामु अलै-क या रसूलल्ला-हि, मिन फ़ुलानिब्नि फ़ुलानिन् यस्तश्फ़िअु बि क इला रब्बि-क"।

"आप पर सलाम ऐ अल्लाह के रसूल, फ़लाँ की तरफ़ से जो फ़लां का बेटा है और वह आपसे अल्लाह की पाक बारगाह में सिफ़ारिश चाहता है।"

पहले फ़लाँ की जगह उस शख़्स का नमा ले, दूसरे फ़लां की जगह उसके बाप का नाम ले। अगर अरबी में कहना मुश्किल हो तो उर्दू में अर्ज़ कर दे कि फ़लाँ फ़लाँ आदमियों ने आपकी बारगाह में सलाम अर्ज़ किया और शफ़ाअत की दर्ख़्वास्त की है।

अल्लामा ज़र्क़ानी रह० कहते हैं कि अगर किसी शख़्स ने किसी से सलाम पहुँचाने की दर्ख़्वास्त की हो और उसने उस दर्ख़्वास्त को क़ुबूल कर लिया हो यानी वायदा कर लिया हो कि मैं सलाम पहुँचा दूँगा तो उस पर अब उस सलाम का पहुँचाना वाजिब हो गया इसलिये कि यह बमंज़िल: उसकी अमानत के है, जिसको यह क़ुबूल कर चुका।

साहिबे इत्तिहाफ़ लिखते हैं कि सलफ़ ख़लफ़ सब का मामूल दूसरों की मारफ़त सलाम भेजने का रहा है और सलातीन तो मुस्तक़िल क़ासिद मदीना तैयबा हुज़ूर सल्ल० की ख़िदमत में सलाम पहुँचाने के लिये भेजा करते थे।

हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रह० भी हुज़ूर सल्ल० की ख़िदमत में सलाम अर्ज़ करने के लिये मुस्तक़िल क़ासिद भेजा करते थे।

नाज़िरीने रिसाला से यह रू स्याह भी दर्ख़्वास्त करता है कि अगर इस मुबारक वक़्त में यह सियह कार किसी को याद आ जाये तो :- -

اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ یَارَسُوْلَ اللهِ مِنْ زَكَرِیَّا بْنِ یَحْیٰى الْكَانْدهلوی یَسْتَشْفَعُ اِلٰى رَبِّكَ

"अस्सलामु अलै-क या रसूलल्लहि मिन ज़-क-रिय्यब्नि यह्या अल् कांधलवी यस्तश्फ़िअ़ु बि-क इला रब्बि-क"

अर्ज़ कर दें, एहसान होगा और ये अल्फ़ाज़ याद न रहें तो उर्दू ही में इस नाकारा का सलाम अर्ज़ कर दें।

(और नाशिर बन्दा मुहम्मद इलियास ख़ां बिन जनाब बरकात अहमद ख़ां मरहूम भी सलाम अर्ज़ करने की दर्ख़ास्त करता है।)

35. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर सलाम पढ़ने के बाद तक़रीबन एक हाथ दायीं तरफ़ हट कर हज़रत सिद्दीक़े अक्बर रज़ियल्लाहु अन्हु पर सलाम पढ़े।

मशहूर क़ौल के मुवाफ़िक़ हज़रत सिद्दीक़े अक्बर रज़ियल्लाहु अन्हु की क़ब्र मुबारक हुज़ूर सल्ल॰ की क़ब्रे अतहर के पीछे इस तरह से है कि हज़रत सिद्दीक़े अक्बर का सरे मुबारक हुज़ूर सल्ल॰ के शाने के मुक़ाबिल है, इसलिये एक हाथ दायीं जानिब को हो जाने से हज़रत सिद्दीक़े अक्बर रज़ि॰ का सामना हो जाता है।

36. हज़रत सिद्दीक़े अक्बर रज़ि॰ पर सलाम से फ़राग़त के बाद एक हाथ दायीं जानिब हट कर हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु पर सलाम पढ़े, इसलिये कि मशहूर क़ौल के मुवाफ़िक़ हज़रत फ़ारूक़ रज़ि॰ की क़ब्रे मुबारक हज़रत सिद्दीक़े अक्बर रज़ियल्लाहु अन्हु की क़ब्रे मुबारक के पीछे ऐसी तरह से है कि हज़रत उमर रज़ि॰ का सर हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ के शाने के मुक़ाबिल है।

37. इन दोनों हज़रात की ख़िदमत में भी अगर किसी ने सलाम अर्ज़ करने की दर्ख़्वास्त कर दी हो तो हर एक की ख़िदमत में अपना सलाम पढ़ने के बाद उसका सलाम अर्ज़ कर दे और यह सरापा ख़ता व क़ुसूर भी दर्ख़्वास्त करता है कि अगर नाज़िरीन को किसी वक़्त याद आ जाये तो इस नापाक का सलाम भी दोनों बारगाहों तक पहुँचा दें। अल्लाह जल्ल शानुहू आपको इस एहसान का अपने लुत्फ़ से अज्र अता फ़रमाये।

38. बहुत से उलमा ने लिखा है कि हज़राते शैख़ैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा पर अलाहिदा अलाहिदा सलाम पढ़ने के बाद फिर इन दोनों हज़रात के दर्मियान में खड़ा हो यानी जिस जगह खड़े होकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर सलाम पढ़ा है, उससे तक़रीबन निस्फ़ हाथ बायीं जानिब को खड़ा हो ताकि दोनों के दर्मियान में हो जाए और फिर दोनों पर मुश्तरक सलाम पढ़े, जिसके अल्फ़ाज़ ज़ुब्दा में ये लिखे हैं:-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَاضَجِيْعَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفِيْقَيْهِ وَوَزِيْرَيْهِ جَزَاكُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ الْجَزَآءِ جِئْنَا كَمَا نَتَوَسَّلُ بِكُمَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَشْفَعَ لَنَا وَيَدْعُوْلَنَا رَبَّنَآ اَنْ يُّحْيِيَنَا عَلٰى مِلَّتِهٖ وَسُنَّتِهٖ وَيَحْشُرُنَا فِىْ زُمْرَتِهٖ وَجَمِيْعَ الْمُسْلِمِيْنَ.

"तुम दोनों पर सलाम ऐ हुज़ूर सल्ल॰ के पहलू में लेटने वालो! तुम पर सलाम ऐ हुज़ूर सल्ल॰ के दोनों साथियो। तुम पर सलाम ऐ हुज़ूर सल्ल॰ के दोनों वज़ीरो, तुम्हें हक़ तआला शानुहू (हमारी तरफ़ से) बेहतरीन बदला (तुम्हारे एहसानात) का अता फ़रमाये। हम तुम्हारे पास इसलिये हाज़िर हुए कि तुमसे हुज़ूर सल्ल॰ की बारगाह में इस बात की सिफ़ारिश चाहते हैं कि हुज़ूर सल्ल॰ हमारे लिये अल्लाह पाक के दरबार में शफ़ाअत फ़रमा दें और अल्लाह से यह दुआ फ़रमा दें कि वह हमें हुज़ूर सल्ल॰ के दीन पर और हुज़ूर सल्ल॰ की सुन्नत पर ज़िंदा रखे और हमारा और तमाम मुसलमानों का हश्र हुज़ूर सल्ल॰ की जमाअत में हो।

बाज़ हज़रात ने इस सलाम के अल्फ़ाज़ भी कम व बेश लिखे हैं, जैसा कि सब सलामों में है, बाज़ हज़रात ने मुख़्तसर अल्फ़ाज़ नक़ल फ़रमाये हैं और बाज़ ने ज़ायद तहरीर फ़रमाये हैं। और बाज़ ने इस मुश्तरक सलाम को ज़िक्र ही नहीं किया कि जब अलाहिदा अलाहिदा सलाम अर्ज़ कर चुका है, फिर मुश्तरक की क्या ज़रूरत बाक़ी रही। लेकिन जिन हज़रात ने इस को ज़िक्र फ़रमाया है, ग़ालिबन इसी वजह से कि यहां अब दोबारा सलाम तो बमंज़िला तम्हीद और अदब के है असल मक़्सूद इन दोनों हज़रात की ख़िदमत में सिफ़ारिश की दर्ख़्वास्त है कि यह हुज़ूर सल्ल॰ की बारगाह में दुआ की दर्ख़्वास्त और सिफ़ारिश कर दें, इसलिए इस का तर्जुमा लिखा है कि इससे यह अंदाज़ा हो सके कि इस मुकर्रर (दोबारा) सलाम की ग़रज़ क्या है।

39. इसके बाद फिर बायीं तरफ़ आ कर दोबारा हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने खड़ा होकर हाथ उठाकर अव्वल अल्लाह जल्ल शानुहू की खूब हम्द व सना करे। इस नेमते जलीला का और उसकी तमाम नेमतों का शुक्र अदा करे, फिर खूब ज़ौक़ व शौक़ से हुज़ूर सल्ल॰ पर दरूद शरीफ़ पढ़े, फिर आपके वसीले से अल्लाह जल्ल शानुहू से अपने लिये, अपने वालिदैन के लिये, अपने मशाइख़ के लिये, अपने अहल व अयाल के लिये, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के लिये, अपने दोस्तों और मिलने वालों के लिये और उन लोगों के लिये, जिन्होंने दुआ की दर्ख़्वास्त की हो और तमाम मुसलमानों के लिये, ज़िन्दों के लिये और मुर्दों के लिये खूब दुआ करे और अपनी दुआ को आमीन पर ख़त्म करे। *(शर्हे लुबाब)*

और याद आ जाये तो नाकारा ज़करिया को भी अपनी इस मुबारक दुआ में शामिल कर ले।

40. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और हज़राते शैख़ैने की मुबारक क़ब्रों की तर्तीब और सूरत में सात रिवायात कुतुबे हदीस व सियर में आयी हैं, उन सब में दो रिवायातें ज़्यादा मशहूर हैं। उन दोनों की सूरत यहां लिखी जाती है, ताकि हाज़िरीन को समझने में सहूलत हो।

पहली सूरत यह है:-

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम

हज़रत सिद्दीक़े अक्बर रज़ियल्लाहु अन्हु

हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु

दूसरी सूरत यह है:-

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम | हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि॰

हज़रत सिद्दीक़े अक्बर रज़ि॰

अल्लामा समहौवी रह॰ ने वफ़ाउल वफ़ा में इन सब सूरतों को तफ़सील से बयान किया है और इस (पहली) सूरत को सबसे ज़्यादा सही और राजेह रिवायत बयान किया है।

इसके इत्तिबाअ् में साहिबे इत्तिहाफ़ ने भी इसको अशहरुर्रिवायात लिखा है।

अल्लामा समहौवी रह॰ ने लिखा है कि ये दो सूरतें उन सब रिवायात में ज़्यादा राजेह हैं जो हुज़ूर सल्ल॰ की क़ब्र की तस्वीर में वारिद हुई हैं।

अबू दाऊद शरीफ़ में यह दूसरी सूरत वारिद हुई और हाकिम ने इस को सही बताया।

अल्लामा ज़ुर्क़ानी रह॰ ने शर्हे मुवाहिब में लिखा है कि इन सात रिवायात में से पांच ज़ईफ़ हैं और दो सही हैं। इन दो में भी पहली सूरत को अक्सर उलमा ने राजेह क़रार दिया और रज़ीन ने इसी पर वुसूक़ किया। इमाम नववी रह॰ ने

इसको मशहूर रिवायत क़रार दिया।

41. इसके बाद उस्तुवाना अबू लुबाबा के पास आकर दो रक्अत नफ़्ल पढ़ कर दुआ करे। *(ज़ुब्दा)*

42. फिर दोबारा रौज़ा में जाकर नफ़्लें पढ़े और दुआ दरूद वग़ैरह में ख़ुज़ूअ् व ख़ुशूअ् से मश्ग़ूल रहे। दसवीं फ़स्ल में जहां मस्जिद के स्तूनों का ज़िक्र आ रहा है, उसमें इस स्तून का मुफ़स्सल हाल आ रहा है।

43. इसके बाद मिंबर के पास आ कर दुआ करे। उलमा ने लिखा है कि मिंबर की उस जगह पर जिसको रूम्माना कहते हैं, हाथ रख कर दुआ करे, इसलिये कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ख़ुत्बे के वक़्त उस पर दस्ते मुबारक रखते थे।

इमाम ग़ज़ाली रह० ने एह्या में लिखा है कि मुस्तहब यह है कि नीचे वाले रूम्माना पर हाथ रखे कि हुज़ूर सल्ल० उस पर हाथ रखते थे, लेकिन मुल्ला अली क़ारी रह० ने लिखा है कि वह रूम्माना अब बाक़ी नहीं जब मस्जिदे नबवी में दूसरी मर्तबा आग लगी है, उसमें जल गया था। शिफ़ा-ए-क़ाज़ी अयाज़ रह० और उसकी शरह "लि अलिय्यिल क़ारी" में लिखा है कि हज़रत इब्ने उमर रज़ि० को देखा गया कि मिंबर पर हुज़ूर सल्ल० के बैठने की जगह हाथ फेर कर उन्होंने अपने मुंह पर हाथ फेरा, और इब्ने क़ुसैत और अतबी कहते हैं कि मिंबर के उस रूम्माना पर जो क़ब्र के नज़दीक है और हुज़ूरे अक़्दस सल्ल० उसको अपने दाहिने हाथ से पकड़ा करते थे, सहाबा-ए-किराम रज़ि० बरकत की नीयत से उस पर दायां हाथ फेरा करते थे। रूम्माना मिंबर की वह मूंठ कहलाती है, जो अनार की शक्ल किनारों पर बनी हुई होती है।

44. इसके बाद उस्तुवाना हन्नाना के पास जाकर दरूद शरीफ़ और दुआ एहतिमाम से करे। *(ज़ुब्दा)*

स्तूनों के बयान में सबसे पहले इसी का ज़िक्र आ रहा है।

45. इसके बाद बाक़ी मशहूर स्तूनों के पास जाकर दुआ करे। *(लुबाब)*

46. और इसकी कोशिश करे कि वहां के क़ियाम में कोई नमाज़ मस्जिदे नबवी की जमाअत से फ़ौत न होने पाये। *(फ़त्हुल क़दीर)*

कि क़ियाम थोड़ा है और सवाब बहुत ज़्यादा न मालूम फिर हाज़िरी मयस्सर हो सके या न हो सके।

47. इसका ख़्याल रखे कि ज़ियारत के वक़्त न दीवारों को हाथ लगावे कि यह बे अदबी और गुस्ताख़ी है और न दीवारों को बोसा दे कि यह हज्रे अस्वद ही का अमल है, न दीवारों को चिमटे न तवाफ़ करे, इसलिये कि तवाफ़ बैतुल्लाह शरीफ़ के साथ ख़ास है, क़ब्र का तवाफ़ हराम है।

मुल्ला अली क़ारी रह॰ ने लिखा है कि जाहिलों के फ़ेअ्ल का इत्तिबाअ् न करे, चाहे वे सूरत से मशाइख़ मालूम होते हों, न क़ब्र के सामने झुके, न ज़मीन को बोसा दे, न क़ब्र की तरफ़ मुंह करके इस नीयत से कि इधर क़ब्र है, नमाज़ पढ़े।

मुल्ला अली क़ारी रह॰ लिखते हैं कि अगर क़ब्र की ताज़ीम के लिहाज़ से उस तरफ़ मुंह करके नमाज़ पढ़े तो उसके कुफ़्र का फ़त्वा दिया जायेगा, अलबत्ता हुजरे की पुश्त पर चूंकि दीवार हायल है, इसलिये क़ब्र शरीफ़ का इरादा किये बग़ैर नमाज़ पढ़ना जायज़ है। *(शर्हे लुबाब)*

मुवफ़्फ़क़ बिन क़ुदामा रह॰ मुग़्नी में लिखते हैं कि क़ब्रे अत्हर की दीवार को न तो छूना मुस्तहब है, न चूमना।

इमाम अहमद रह॰ ने इसके मारूफ़ होने का इंकार फ़रमाया है, अलबत्ता उन्होंने हज़रत इब्ने उमर रज़ि॰ का यह फ़ेअ्ल नक़ल किया कि वह मिंबर पर हुज़ूर सल्ल॰ के बैठने की जगह हाथ रख कर अपने मुंह पर फेरा करते थे।

इमाम नववी रह॰ लिखते हैं कि क़ब्रे अत्हर का तवाफ़ करना नाजायज़ है और पेट का या कमर का क़ब्र शरीफ़ की दीवार से चिमटाना मक्रूह है। इसी तरह उस पर हाथ फेरना या उसको चूमना, बल्कि अदब यह है कि उससे दूर खड़ा हो, जैसा कि हुज़ूर सल्ल॰ की हयात में अदब की वजह से दूर खड़ा होता, यही सही है और तमाम उलमा की मुत्तफ़क़ा राये है, इसके ख़िलाफ़ जो बाज़ अवाम का अमल देखे तो उससे धोखा न खाये और उनकी जहालत की बातों की तरफ़ इल्तिफ़ात न करे। और जो यह ख़्याल करे कि दीवार पर हाथ फेरने से बरकत मक़्सूद है, यह उसकी जहालत है, इसलिये कि बरकत उसमें होती है जो शरीअते मुतहहरा के मुवाफ़िक़ हो, हक़ के ख़िलाफ़ में बरकत कहां।

48. बिला ज़रूरते शदीदा क़ब्र शरीफ़ की तरफ़ पुश्त न करे, न नमाज़ में, न बग़ैर नमाज़ के। *(शर्हे लुबाब)*

बल्कि नमाज़ में ऐसी जगह खड़े होने की सई करे कि न इस जानिब मुंह

हो, न पुश्त और बिला नमाज़ तो उस तरफ़ पुश्त करने की कोई वजह हो ही नहीं सकती।

49. इसका लिहाज़ रखे कि जब क़ब्र शरीफ़ के मुक़ाबिल से गुज़रना हो तो खड़े होकर सलाम करके आगे बढ़े, हत्ताकि उलमा ने लिखा है कि अगर मस्जिद से बाहर भी क़ब्र शरीफ़ के मुक़ाबिल से गुज़रे तो खड़े होकर सलाम कर के आगे बढ़े।

हज़रत अबू हाज़िम सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक शख़्स उनके पास आये और यह कहा कि मैंने हुज़ूर सल्ल॰ की ख़्वाब में ज़ियारत की। हुज़ूर सल्ल॰ ने इर्शाद फ़रमाया कि अबू हाज़िम से कह देना कि तुम मेरे पास से ऐराज़ करते हुए गुज़र जाते हो, खड़े होकर सलाम भी नहीं करते। इसके बाद अबू हाज़िम का यह मामूल हो गया था कि जब उधर से गुज़रते तो खड़े होकर सलाम करके आगे बढ़ते। *(शर्हे लुबाब)*

50. मदीना पाक के क़ियाम में क़ब्र शरीफ़ पर कसरत से हाज़िरी का एहतिमाम रखे। इमामे आज़म रह॰, इमाम शाफ़ई रह॰, इमाम अहमद रह॰, तीनों हज़रात के नज़दीक कसरत से हाज़िर होते रहना पसंदीदा है, अलबत्ता इमाम मालिक रह॰ ने कसरते हाज़िरी को पसंद नहीं किया, जिसकी वजह उलमा यह फ़रमाते हैं कि मुबादा बार बार की हाज़िरी से तबीअत में बे रग़बती पैदा न हो जाये। *(शर्हे लुबाब)*

51. मस्जिद शरीफ़ में रहते हुए हुजरे शरीफ़ की तरफ़ और मस्जिद से जब बाहर हो तो, कुब्बा शरीफ़ जहां से नज़र आता हो, बार बार उनको देखना, उन पर नज़र जमाये रखना भी अफ़ज़ल है और इन्शाअल्लाह मूजिबे सवाब है। *(शर्हे लुबाब, शर्हे मनासिक नववी)*

निहायत ज़ौक़ व शौक़ के साथ चुपचाप वालिहाना नज़र जमाये रखे।

सुकूते इश्क़ को तर्जीह है इज़्हारे उल्फ़त पर,
मेरी आहें रसा निकलीं, पे नाले बेअसर निकले॥

52. मदीना मुनव्वरा के क़ियाम में जितना ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त मस्जिदे नबवी में गुज़र सके, ग़नीमत समझे। क़ुरआन पाक कम अज़ कम एक तो ख़त्म कर ही ले और मुस्तक़िल एतिकाफ़ भी, जितने दिन का नसीब हो सके, नेमत है।

रातों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में गुज़ार सके, बेहतर है कि यह मुबारक रातें फिर कहां मिलेंगी। *(शर्हे लुबाब)*

ज़ुब्दा में हज़रत कुत्बे आलम रह॰ ने लिखा है कि जब तक मदीना मुनव्वरा में रहे तिलावत और ज़िक्र करता रहे और सलात व सलाम खूब करता रहे और रातों को बहुत जागे और वक़्त ज़ाया न करे।

53. ज़ुब्दा में लिखा है और बाद ज़ियारते क़ब्रे मुबारक के हर रोज़ या जुमा को ज़ियारत मज़ाराते बक़ीअ् की भी ज़रूर करे कि हज़रत उस्मान और हज़रत अब्बास और हज़रत हसन और हज़रत इब्राहीम और अज़्वाजे मुतह्हरात और अस्हाबे किराम रिज़्वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन वहां तशरीफ़ रखते हैं।

शर्हे लुबाब में लिखा है कि ज़ाईरीन को रोज़ाना बक़ीअ् में हाज़िर होना चाहिये। और मदीना मुनव्वरा के रहने वालों को जुमा को हाज़िर होना चाहिये।

इमाम नववी रह॰ ने लिखा है कि मुस्तहब यह है कि रोज़ाना बक़ीअ् में हाज़िर हो, बिल खुसूस जुमा के दिन और यह हाज़िरी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्रे अत्हर पर हाज़िरी के बाद हो और वहां जाकर मारूफ़ क़ब्रों की ज़ियारत करे जैसा कि हज़रत इब्राहीम रज़ि॰, हज़रत उस्मान रज़ि॰, हज़रत अब्बास रज़ि॰, हज़रत हसन रज़ि॰, और हज़रत अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन रज़ि॰ और हज़रत मुहम्मद बाक़र बिन अली रज़ि॰ और जाफ़र बिन मुहम्मद रज़ि॰ वग़ैरह, और सबसे आख़िर में हुज़ूर सल्ल॰ की फूफी हज़रत सफ़िया रज़ि॰ की क़ब्र पर हाज़िरी दे, इसलिये कि अहले बक़ीअ् की क़ुबूर की फ़ज़ीलत और उनकी ज़ियारत के बारे में बहुत कसरत से अहादीस वारिद हुई हैं जिनमें से बाज़ दसवीं फ़स्ल की हदीस नं॰ 9 के ज़ैल (तहत) में आ रही हैं।

इब्ने हजर रह॰ शर्हे मनासिक में लिखते हैं कि बेहतर यह है कि वहां जा कर सबसे पहले हज़रत उस्मान रज़ि॰ की क़ब्रे मुबारक पर हाज़िर हो। अगर किसी दूसरे बुज़ुर्ग की क़ब्र रास्ते में पड़ जाये तो उस वक़्त तो मुख़्तसर सलाम करके आगे बढ़ जाये और हज़रत उस्मान रज़ि॰ की क़ब्र शरीफ़ की ज़ियारत के बाद फिर वापस आ कर खड़ा हो, इसलिये कि हज़रत उस्मान रज़ि॰ उन सबमें अफ़ज़ल हैं। जो बक़ीअ् में मदफ़ून हैं और उनके बाद फिर हज़रत अब्बास की क़ब्र पर हाज़िर हो। बक़ीअ् में हज़रात सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की बहुत

बड़ी जमाअत मद्फ़ून है।

हज़रत इमाम मालिक रह० फ़रमाते हैं कि तक़रीबन दस हज़ार सहाबी रज़ि० मद्फ़ून हैं।

उलमा ने लिखा है कि इन सब हज़रात के लिये दुआ और ईसाले सवाब करे।

(शर्ह मनासिक नववी)

इमाम ग़ज़ाली रह० लिखते हैं कि, मुस्तहब यह है कि रोज़ाना हुज़ूर सल्ल० पर सलाम पढ़ने के बाद बक़ीअ् की ज़ियारत को हाज़िर हुआ करे।

साहिबे इत्तिहाफ़ बरिवायत इमाम मुस्लिम रह० हज़रत आइशा रज़ि० से नक़्ल करते हैं कि मेरी बारी की शब में हमेशा हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बक़ीअ् तशरीफ़ ले जाते थे।

शर्हे लुबाब में लिखा है, इस में इख़्तिलाफ़ है कि बक़ीअ् में हाज़िरी की इब्तिदा कहां से करे। बाज़ ने हज़रत उस्मान रज़ि० से फ़रमाया इस लिये कि वह सब हज़रात से, जो वहां आराम फ़रमा रहे हैं, अफ़ज़ल हैं, बाज़ ने हज़रत इब्राहीम रज़ि० से, इसलिये कि वह हुज़ूर सल्ल० के जिगर गोशा हैं। हुज़ूर सल्ल० ने उनके बारे में फ़रमाया कि अगर इब्राहीम ज़िंदा रहते तो नबी होते। बाज़ ने हज़रत अब्बास रज़ि० से, इसलिये कि वह हुज़ूर सल्ल० के चचा हैं और बक़ीअ् में सबसे अव्वल उनकी क़ब्रे मुबारक आती है। वहां से बग़ैर सलाम के आगे चले जाना बे अदबी है, नीज़ उनके क़रीब हज़रत हसन रज़ि० और दीगर अहले बैत हैं कि उन सब का मजमूआ हज़रत उस्मान रज़ि० की फ़ज़ीलत से बढ़ जायेगा।

मुल्ला अली क़ारी रह० कहते हैं कि यह मुवज्जह है और ज़ियारत करने वालों को इसी में सहूलत है कि यह जगह बक़ीअ् में सबसे पहले आती है।

54. इमाम ग़ज़ाली रह० ने लिखा है, मुस्तहब यह है कि हर पंज शंबा (जुमेरात) को शुहदा-ए-उहुद की ज़ियारत करे। सुबह की नमाज़ मस्जिदे नबवी में पढ़कर चला जाये ताकि ज़ुहर तक वापसी हो जाये और कोई नमाज़ मस्जिदे नबवी की फ़ौत न हो।

साहिबे इत्तिहाफ़ लिखते हैं कि पंज शंबा (जुमेरात) की खुसूसियत इस वजह से शायद हो कि यह वाक़िआ इस दिन हुआ या इस वजह से कि यह दिन मदीना वालों की फ़रागत का है या इस वजह से कि हुज़ूर सल्ल० ने पंज शंबा की सुबह में उम्मत के लिये बरकत की ख़बर या दुआ फ़रमायी या किसी और

रातों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में गुज़ार सके, बेहतर है कि यह मुबारक रातें फिर कहां मिलेंगी। *(शर्हे लुबाब)*

ज़ुब्दा में हज़रत क़ुत्बे आलम रह० ने लिखा है कि जब तक मदीना मुनव्वरा में रहे तिलावत और ज़िक्र करता रहे और सलात व सलाम ख़ूब करता रहे और रातों को बहुत जागे और वक़्त ज़ाया न करे।

53. ज़ुब्दा में लिखा है और बाद ज़ियारते क़ब्रे मुबारक के हर रोज़ या जुमा को ज़ियारत मज़ाराते बक़ीअ् की भी ज़रूर करे कि हज़रत उस्मान और हज़रत अब्बास और हज़रत हसन और हज़रत इब्राहीम और अज़्वाजे मुतहहरात और अस्हाबे किराम रिज़्वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन वहां तशरीफ़ रखते हैं।

शर्हे लुबाब में लिखा है कि ज़ाईरीन को रोज़ाना बक़ीअ् में हाज़िर होना चाहिये। और मदीना मुनव्वरा के रहने वालों को जुमा को हाज़िर होना चाहिये।

इमाम नववी रह० ने लिखा है कि मुस्तहब यह है कि रोज़ाना बक़ीअ् में हाज़िर हो, बिल ख़ुसूस जुमा के दिन और यह हाज़िरी हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्रे अत्हर पर हाज़िरी के बाद हो और वहां जाकर मारूफ़ क़ब्रों की ज़ियारत करे जैसा कि हज़रत इब्राहीम रज़ि०, हज़रत उस्मान रज़ि०, हज़रत अब्बास रज़ि०, हज़रत हसन रज़ि०, और हज़रत अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन रज़ि० और हज़रत मुहम्मद बाक़र बिन अली रज़ि० और जाफ़र बिन मुहम्मद रज़ि० वग़ैरह, और सबसे आख़िर में हुज़ूर सल्ल० की फूफी हज़रत सफ़िया रज़ि० की क़ब्र पर हाज़िरी दे, इसलिये कि अहले बक़ीअ् की क़ुबूर की फ़ज़ीलत और उनकी ज़ियारत के बारे में बहुत कसरत से आहदीस वारिद हुई हैं जिनमें से बाज़ दसवीं फ़स्ल की हदीस नं० 9 के ज़ैल (तहत) में आ रही हैं।

इब्ने हजर रह० शर्हे मनासिक में लिखते हैं कि बेहतर यह है कि वहां जा कर सबसे पहले हज़रत उस्मान रज़ि० की क़ब्रे मुबारक पर हाज़िर हो। अगर किसी दूसरे बुज़ुर्ग की क़ब्र रास्ते में पड़ जाये तो उस वक़्त तो मुख़्तसर सलाम करके आगे बढ़ जाये और हज़रत उस्मान रज़ि० की क़ब्र शरीफ़ की ज़ियारत के बाद फिर वापस आ कर खड़ा हो, इसलिये कि हज़रत उस्मान रज़ि० उन सबमें अफ़ज़ल हैं। जो बक़ीअ् में मदफ़ून हैं और उनके बाद फिर हज़रत अब्बास की क़ब्र पर हाज़िर हो। बक़ीअ् में हज़रात सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की बहुत

बड़ी जमाअत मद्फ़ून है।

हज़रत इमाम मालिक रह० फ़रमाते हैं कि तक़रीबन दस हज़ार सहाबी रज़ि० मद्फ़ून हैं।

उलमा ने लिखा है कि इन सब हज़रात के लिये दुआ और ईसाले सवाब करे। *(शर्हे मनासिक नववी)*

इमाम ग़ज़ाली रह० लिखते हैं कि, मुस्तहब यह है कि रोज़ाना हुज़ूर सल्ल० पर सलाम पढ़ने के बाद बक़ीअ् की ज़ियारत को हाज़िर हुआ करे।

साहिबे इत्तिहाफ़ बरिवायत इमाम मुस्लिम रह० हज़रत आइशा रज़ि० से नक़ल करते हैं कि मेरी बारी की शब में हमेशा हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बक़ीअ् तशरीफ़ ले जाते थे।

शर्हे लुबाब में लिखा है, इस में इख़्तिलाफ़ है कि बक़ीअ् में हाज़िरी की इब्तिदा कहां से करे। बाज़ ने हज़रत उस्मान रज़ि० से फ़रमाया इस लिये कि वह सब हज़रात से, जो वहां आराम फ़रमा रहे हैं, अफ़ज़ल हैं, बाज़ ने हज़रत इब्राहीम रज़ि० से, इसलिये कि वह हुज़ूर सल्ल० के जिगर गोशा हैं। हुज़ूर सल्ल० ने उनके बारे में फ़रमाया कि अगर इब्राहीम ज़िंदा रहते तो नबी होते। बाज़ ने हज़रत अब्बास रज़ि० से, इसलिये कि वह हुज़ूर सल्ल० के चचा हैं और बक़ीअ् में सबसे अव्वल उनकी क़ब्रे मुबारक आती है। वहां से बग़ैर सलाम के आगे चले जाना बे अदबी है, नीज़ उनके क़रीब हज़रत हसन रज़ि० और दीगर अहले बैत हैं कि उन सब का मजमूआ हज़रत उस्मान रज़ि० की फ़ज़ीलत से बढ़ जायेगा।

मुल्ला अली क़ारी रह० कहते हैं कि यह मुवज्जह है और ज़ियारत करने वालों को इसी में सहूलत है कि यह जगह बक़ीअ् में सबसे पहले आती है।

54. इमाम ग़ज़ाली रह० ने लिखा है, मुस्तहब यह है कि हर पंज शंबा (जुमेरात) को शुहदा-ए-उहुद की ज़ियारत करे। सुबह की नमाज़ मस्जिदे नबवी में पढ़कर चला जाये ताकि ज़ुहर तक वापसी हो जाये और कोई नमाज़ मस्जिदे नबवी की फ़ौत न हो।

साहिबे इत्तिहाफ़ लिखते हैं कि पंज शंबा (जुमेरात) की खुसूसियत इस वजह से शायद हो कि यह वाक़िआ इस दिन हुआ या इस वजह से कि यह दिन मदीना वालों की फ़रागत का है या इस वजह से कि हुज़ूर सल्ल० ने पंज शंबा की सुबह में उम्मत के लिये बरकत की ख़बर या दुआ फ़रमायी या किसी और

वजह से हो, सब मुह्तमल हैं।

मुल्ला अली क़ारी रह० ने लिखा है कि जबले ठहुद और शुहदा-ए-ठहुद दोनों की मुस्तक़िल ज़ियारत की नीयत करे, इसलिये कि जबले ठहुद के फ़ज़ाइल भी अहादीस में बहुत आये हैं। मुस्तहब यह है कि पंज शंबा की सुबह को सवेरे नमाज़ के बाद रवाना हो जाये ताकि ज़ुहर तक वापस हो सके और वहां जाकर सबसे अव्वल सय्यदुश् शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ि० के मज़ार पर हाज़िर हो। हुज़ूर सल्ल० का इर्शाद है कि मेरे सब चचाओं में हज़रत हमज़ा रज़ि० अफ़ज़ल हैं। दूसरी हदीस में है कि क़ियामत के दिन सब शुहदा के सरदार हज़रत हमज़ा (रज़ि) होंगे। वहां जाकर हज़रत हमज़ा रज़ि० की क़ब्रे मुबारक पर निहायत खुशूअ् खुज़ूअ से उनकी अ़ज्मत व एहतिराम की रिआयत करते हुए खड़ा हो, इसके बाद फिर दूसरे मज़ारात पर।

55. इमाम नववी रह० ने लिखा है कि क़ुबा की हाज़िरी का इस्तेहबाब बहुत मुअक्कद है और औला यह है कि शंबा (बार) के दिन हाज़िर हो। इस हाज़िरी में उस की ज़ियारत की नीयत हो और उसकी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की नीयत हो, इसलिये कि तिर्मिज़ी शरीफ़ वग़ैरह में सही हदीस में आया है कि मस्जिदे क़ुबा में नमाज़ पढ़ना बमंज़िला उमरा करने के है और एक हदीस में है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हर शंबा के दिन मस्जिदे क़ुबा तशरीफ़ ले जाते थे।

मुल्ला अली क़ारी रह० ने लिखा है कि मस्जिदे मक्का, मस्जिदे मदीना, मस्जिदे अक़्सा के बाद सब मसाजिद से अफ़ज़ल मस्जिदे क़ुबा है। बल्कि एक रिवायत में तो हुज़ूर सल्ल० का इर्शाद यहां तक नक़ल किया गया कि मैं दो रक्अत मस्जिदे क़ुबा में पढ़ूँ यह मुझे मस्जिदे अक़्सा में दो दफ़ा जाने से ज़्यादा महबूब है, लेकिन मशहूर रिवायात से मस्जिदे अक़्सा की फ़ज़ीलत ज़्यादा मालूम होती है। यह भी हो सकता है कि फ़ज़ीलत और चीज़ है महबूबियत दूसरी चीज़ है। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मामूल ज़्यादातर शंबा को तशरीफ़ ले जाने का था। और दो शंबा को तशरीफ़ ले जाना और 20 रमज़ान की सुबह को तशरीफ़ ले जाना भी वारिद हुआ है।

56. इनके बाद मदीना पाक के दूसरे मुतबर्रक मक़ामात की ज़ियारत औला है।

इमाम नववी रह० ने लिखा है कि मुस्तहब यह है कि मदीना मुनव्वरा के मुतबर्रक मक़ामात की ज़ियारत करे, जो तक़रीबन तीस मवाज़े (जगहें) हैं अहले मदीना उनको जानते हैं और इसी तरह से उन सात कुओं का पानी पिये, जिनसे हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का वुज़ू या ग़ुस्ल करना वारिद हुआ है।

इमाम ग़ज़ाली रह० ने भी यही मज़्मून लिखा है कि बिअ्रे अरीस के पास जा कर जो मस्जिदे क़ुबा के क़रीब है, जिसके मुताल्लिक़ कहा जाता है कि इस कुएं में हुज़ूर सल्ल० ने अपना लबे मुबारक डाला है, उससे वुज़ू करे और उस का पानी पिये और मस्जिदे फ़त्ह के पास आये जो ख़ंदक के क़रीब है, और ऐसे ही बक़ीया मसाजिद और मुतबर्रक मक़ामात, जिनकी तायदाद तक़रीबन तीस है, अहले मदीना के यहां ये मवाक़े मारूफ़ हैं। ऐसे ही सातों कुओं का पानी शिफ़ा और बरकत की नीयत से पिये।

साहिबे इत्तिहाफ़ कहते हैं कि ये सात कुंए बिअ्रे अरीस, बिअ्रे हा, बिअ्रे रूमा, बिअ्रे अरस, बिअ्रे बुज़ाअः, बिअ्रे बुस्सा हैं और सातवें में इख़्तिलाफ़ हैं कि बिअ्रे सुक़या, विअ्रे अहन, बिअ्रे जमल में से कौन सा है। इसके बाद साहिबे इत्तिहाफ़ ने इन सब कुओं के मुताल्लिक़ अहादीस ज़िक्र की हैं।

साहिबे लुवाब कहते हैं कि हुज़ूर सल्ल० का इस्तेमाल, जिन कुओं से नक़ल किया जाता है, वे सत्रह हैं, लेकिन उनमें सब मारूफ़ नहीं, इसी तरह नवाहे मदीना और मक्के के रास्ते में वहुत सी मसाजिद हुज़ूर सल्ल० की तरफ़ मंसूब हैं, जिनमें से अक्सर ज़ियारतुल हरमैन में ज़िक्र की हैं, वहां देख लिया जाये।

57. वहां के क़ियाम में सदक़ात की कसरत रखे, बिलख़ुसूस मदीना पाक के रहने वालों पर ।

साहिबे लुवाब ने लिखा है कि मदीना के मुस्तक़िल रहने वाले हों, या बाहर के लोग, जो वहां आकर मुक़ीम हो गये हों, वे बाहर के रहने वालों पर मुक़द्दम हैं, इसलिये कि मदीना के रहने वालों से मुहब्बत वाजिब है।

इमाम नववी रह० ने लिखा है कि मदीना के क़ियाम में जितने ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रख सके, रखे, जितना ज़्यादा मुम्किन हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पड़ोसियों पर सदक़ा करे कि यह भी हुज़ूर सल्ल० की

ख़िदमत गुज़ारी में दाख़िल है।

58. मदीने के क़ियाम में जो कुछ ख़रीदे उसमें यह नीयत रखे कि यहां के ताजिरों की मआश यही है। अगर इनकी तिजारत में वुसअत और फ़रोग़ रहा तो इनका यह सिलसिला-ए-मआश क़ायम रहेगा और ये हज़रात राहत से सुकून व इत्मीनान के साथ यहां क़ियाम कर सकेंगे और हम लोग इसका ज़रिया बनेंगे और जब इस इरादे से ख़रीदेगा तो उसमें यह इश्काल भी न होगा कि ज़्यादा पैसे कैसे ख़र्च हो गये कि यह हक़ीक़त में एक नौअ् का सदक़ा है, बशर्ते कि यही नीयत हो, बल्कि कुछ चीज़ें इसी नीयत से ख़रीद ले कि वैसे सदक़ा करने में, जब तक वे दाम लेने वाले के पास रहेंगे, उस वक़्त तक वह मुन्तफ़ेअ् हो सकता है और इस सूरत में उनकी तिजारत को फ़रोग़ होगा, जिससे वे देर तक मुन्तफ़ेअ् हो सकते हैं, अलबत्ता जिन हज़रात के पास सिलसिला तिजारती नहीं है, उनको वैसे ही हदिया करे और बेहतर यह है कि बजाये सदक़ा के हदिये की नीयत करे कि ये ऊँचे हज़रात हैं।

59. सब अहले मदीना के साथ हर बात में हुस्ने सुलूक और अच्छा बर्ताव करे कि वे हुज़ूर सल्ल० के पड़ोसी हैं।

अल्लामा ज़र्क़ानी शर्हे मुवाहिब में लिखते हैं कि वहां के रहने वालों का इकराम करो और अगर उनमें से बाज़ के मुताल्लिक़ कोई ऐसी बात कही गयी है यानी कोई ना मुनासिब हरकत उसकी मालूम भी हो तब भी वह हुज़ूर सल्ल० के पड़ोसी होने के शर्फ़ से बहरा अंदोज़ हैं ही और इस अजल्ल महबूब के पड़ोसी होने का फ़ख़्र तो उनको है ही, और अगर उनकी कोई बुराई बड़ी भी हो जाये तब भी पड़ोसी होने का तमग़ा तो उनसे सल्ब नहीं होगा।

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे पड़ोसी के बारे में बार बार वसीयत करते रहे, हर पड़ोसी को शामिल है, इसमें अच्छे बुरे की तख़्सीस नहीं, वह हर मुत्तक़ी और ग़ैर मुत्तक़ी को शामिल है और अगर कोई शख़्स उनमें से किसी के मुताल्लिक़ हुज़ूर सल्ल० का इत्तिबाअ् छोड़ने का इल्ज़ाम दे और यह बात उसमें साबित भी हो जाये, तब भी पड़ोसी होने की वजह से जो इकराम उसका है, उसमें कमी न की जाये कि वह इस बात की वजह से पड़ोसी होने के हक़ से महरूम नहीं हो सकता, बल्कि अल्लाह की ज़ात से क़वी उम्मीद है कि उसको मरने से पहले पहले रूजूअ् की तौफ़ीक़ अता होगी और इंशाअल्लाह ख़ात्मा बिल ख़ैर नसीब होगा।

فيا ساكني اكناف طيبة كلكم   الى القلب من اجل الحبيب حبيب

**"फ़ या साकिनी अक्नाफ़ि तैब-त कुल्लुकुम,
इलल् क़ल्बि मिन अज्लिल् हबीबि हबीबु"**

तर्जुमाः- "ऐ तैबा के रहने वालो, तुम सबके सब मेरे दिल को, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वजह से महबूब हो"

इसके बाद बहुत से अश्आर उन्होंने मदनी हज़रात के बारे में लिखे।

हज़रत इमाम मालिक रह॰ जब अमीरूल मोमिनीन मेहदी के पास तशरीफ़ ले गये, तो बादशाह ने दर्ख़्वास्त की कि मुझे कुछ वसीयत फ़रमा दीजिये। हज़रत इमाम रह॰ ने फ़रमाया कि सबसे अव्वल अल्लाह जल्ल शानुहू का ख़ौफ़ और तक़्वा इख़्तियार करना, इसके बाद अहले मदीना पर मेहरबानी, कि वे हुज़ूर के शहर के रहने वाले हुज़ूर सल्ल॰ के पड़ोसी हैं। मुझे हुज़ूर सल्ल॰ का यह इर्शाद पहुँचा है कि मदीना मेरी हिजरत की जगह है, उसी में मेरी क़ब्र होगी, उसी से मैं क़ियामत के दिन उठूँगा, उसके रहने वाले मेरे पड़ोसी हैं। मेरी उम्मत के ज़िम्मे ज़रूरी है कि उनकी निगहबानी करें। जो मेरी वजह से उनकी ख़बरगीरी करेगा, मैं उसके लिये क़ियामत में शफ़ीअ् या गवाह बनूँगा और जो मेरे पड़ोसियों के बारे में मेरी वसीयत की रिआयत न करे, हक़ तआला शानुहू उसको तीनतुल ख़बाल पिलाये। दूसरी हदीस में है कि तीनतुल ख़बाल जहन्नमी लोगों का निचोड़ है, यानी पसीना, लहू, पीप वग़ैरह। *(वफ़ा अव्वल)*

60. इमाम नववी रह॰ ने लिखा है कि आदाब में से यह भी है कि मदीना तैयबा के पूरे क़ियाम में इस शहर की अज़्मत और बुज़ुर्गी का इस्तिहज़ार रहे और यह बात तसव्वुर में रहे कि अल्लाह जल्ल शानुहू ने इस पाक शहर को अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हिजरत के लिये पसंद फ़रमाया और यहां हुज़ूर सल्ल॰ का क़ियाम और उसको वतन बनाना मुक़द्दर फ़रमाया और इसके गली कूचों में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चलने फिरने का इस्तिहज़ार रहे।

इमाम ग़ज़ाली रह॰ कहते हैं कि जब से तेरी नज़र मदीना पाक पर पड़े, इस मज़्मून को अपने ज़ेहन में रख कि यह वह शहर है जिसको अल्लाह जल्ल शानुहू ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के क़ियाम के लिये पसंद

किया और इसकी तरफ़ हिजरत तज्वीज़ की और यही वह शहर है जिसमें अल्लाह जल्ल शानुहू ने शरीअते मुतह्हरा के फ़राइज़ नाज़िल किये और हुज़ूर सल्ल॰ ने अपनी सुन्नतें जारी कीं। इसी शहर मे आकर दुश्मनों से जिहाद किया, इसी शहर में आपके दीन को ग़लबा हासिल हुआ, यहां तक कि इसी शहर में आपका विसाल होकर आप की क़ब्रे मुबारक बनी, और इसी में आपके दो वज़ीरों की क़ब्र बनी और इसमें हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के क़दमे मुबारक जा बजा पड़े, और यह सोचता रह कि जिस जगह भी तेरा क़दम पड़े, वहां किसी न किसी वक़्त में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का क़दम मुबारक भी पड़ा होगा, इसलिये अपना हर क़दम निहायत सुकून व वक़ार के साथ इस बात से डरते हुए कि इस जगह हुज़ूर सल्ल॰ का क़दम मुबारक भी पड़ा था और हुज़ूर सल्ल॰ की रफ़्तार की जो कैफ़ियत अहादीस में आयी है, उसको तसव्वुर करते हुए चल, इसके साथ ही हुज़ूर सल्ल॰ की अज़्मत, रफ़अते शान जलालत व अज़्मते मर्तबत कि अल्लाह जल्ल शानुहू ने अपने पाक नाम के साथ साथ हुज़ूर सल्ल॰ का नाम मुबारक रखा, ज़ेहन में रखो और इससे डरते रहो कि कहीं बे अदबी की नहूसत से अपने पहले नेक अमल भी ज़ाया न हो जायें।

यह इमाम ग़ज़ाली रह॰ ने क़ुरआन पाक की आयत –

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْۤا اَصْوَاتَكُمْ (حجرات)

के मज़्मून की तरफ़ इशारा किया, जिसका तर्जुमा यह है कि।

ऐ ईमान वालो, तुम अपनी आवाज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आवाज़ से ऊँची न करो और न उनसे ऐसे ज़ोर से गुफ़्तगू करो, जैसा कि आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं (ऐसा न हो कि इससे)तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जायें और तुम्हें ख़बर भी न हो।

नं॰ 31 पर यह मज़्मून तफ़सील से गुज़र चुका है। इसके बाद इमाम ग़ज़ाली रह॰ लिखते हैं कि फिर उस दौर का तसव्वुर करो जब कि सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की जमाअत यहां हाज़िर थी। हुज़ूर सल्ल॰ के मुशाहदे और हुज़ूर सल्ल॰ के बा-बरकत कलाम के सुनने से मुस्तफ़ीद होते थे:-

चमन के तख़्त पर जिस दम शहे गुल का तजम्मुल था,
हज़ारों बुलबुलों की फ़ौज थी, एक शोर था, गुल था।

जब आये दिन ख़िज़ां के कुछ न था जुज़ ख़ार गुलशन में,
बताता बाग़बां रो रो यहां गुंचा, यहां गुल था।।

उसके बाद इस पर अफ़सोस और रंज व ग़म करो कि मैं हुज़ूर सल्ल॰ की और सहाबा-ए-किराम रज़ि॰ की भी ज़ियारत से महरूम रह गया और दुनिया में तो यह महरूमी हो ही गयी, आख़िरत का हाल मालूम नहीं क्या हो, ज़ियारते अक़्दस शौक़ से नसीब होती है या हसरत से कि कहीं दरबार से हटा न दिया जाऊँ। और अपनी बद आमालियां हाज़िरी में मानेअ् न बन जायें। इसलिये कि हदीस पाक में आया है कि क़ियामत में बाज़ आदमी मेरे पास से हटा दिये जायेंगे। मैं कहूँगा कि ये तो मेरे साथी हैं, तो जवाब मिलेगा कि तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे बाद इन्होंने क्या किया, बस अगर तुमने हुज़ूर सल्ल॰ की शरीअते मुतह्हरा के एहतिराम की ख़िलाफ़वर्ज़ी की तो इससे बे फ़िक्र न रहो कि किसी वक़्त यह बेराही तुम्हारे और हुज़ूर सल्ल॰ के दर्मियान हायल न हो जाये और इसके साथ ही अल्लाह की पाक ज़ात से उम्मीदें वाबस्ता रखो कि जब उसने दुनिया में इतनी दूर वतन से इस दरबार की हाज़िरी की सआदत नसीब फ़रमायी तो उसके लुत्फ़ व करम से बईद नहीं कि आख़िरत की बा बरकत ज़ियारत से महरूम न फ़रमायेगा। हक़ तआला शानुहू इस सआदत से इस सियह कार को भी नवाज़ दे। "आमीन या रब्बल आलमीन बिवसीलति नबिय्यि-क सय्यिदिल मुर्सलीन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम॰"

61. जब ज़ियारते सय्यिदुल इन्स वल जान्न, फ़ख़्रे आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और ज़ियारते मशाहिदे मुतबर्रका से फ़राग़त के बाद वापसी का इरादा हो तो मुल्ला अली क़ारी रह॰ ने लिखा है कि मुस्तहब यह है कि मस्जिदे नबवी में दो रक्अत नफ़्ल अल विदाई पढ़े और रोज़े में हो तो बेहतर है, उसके बाद अपनी ज़रूरियात के लिये दुआयें करे और हज व ज़ियारत के क़ुबूल की दुआएं करे और ख़ैर व आफ़ियत के साथ वतन पहुँचने की दुआ करे और यह दुआ करे कि यह हाज़िरी आख़िरी न हो, फिर भी इस पाक दरबार की हाज़िरी नसीब हो और इस की कोशिश करे कि रूख़सत के वक़्त कुछ आंसू निकल आयें कि यह क़ुबूलियत की अलामात में से है। फिर रोना न आवे तब भी रोने वालों की सी सूरत के साथ हसरत व रंज व ग़म साथ लिये हुए वापस हो, और चलते वक़्त भी कुछ सदक़ा जो मयस्सर हो करे और सफ़र से वापसी के वक़्त जो दुआयें अहादीस में वारिद हुई हैं वे पढ़ते हुए और वापसी सफ़र के आदाब की रिआयत करते हुए वापस

हो:-

उठ के साक़िब गो चला आया हूँ उसकी बज़्म से,
दिल की तस्कीन का मगर सामां उसी महफ़िल में है।

अपनी ना अहलियत से हाज़िरी के आदाब पूरे न लिख सका, नमूने के तौर पर चंद आदाब लिख दिये हैं, नाज़िरीन इससे अंदाज़ा लगायें और दो उसूल के तहत में शरीअते मुतहहरा के दायरे के अंदर रहकर जो कुछ कर सकते हों, कसर न छोड़ें। अव्वल अदब व एहतिराम, दूसरे शौक़ व ज़ौक़ इसके बाद ज़ाइरीन के चंद वाक़िआत पर इस फ़स्ल को ख़त्म करता हूँ कि उनके हालात भी नमूना और उस्वा हैं। अत्बी रह० का मशहूर क़िस्सा और इसके अलावा चंद वाक़िआत इससे पहली फ़स्ल के ख़त्म पर भी गुज़र चुके हैं।

1. हज़रत उवैस क़रनी रह० मशहूर ताबिई हैं, सय्यिदुत्ताबिओन उनका लक़ब है। हुज़ूर सल्ल० का ज़माना उन्होंने पाया है, मगर मां की ख़िदमत की वजह से हुज़ूर सल्ल० की ख़िदमत में हाज़िरी से क़ासिर रहे। हुज़ूर सल्ल० से उनके मुताल्लिक़ नक़ल किया गया कि बेहतरीन ताबिई उवैस क़रनी हैं।

एक रिवायत में उनके मुताल्लिक़ आया है कि अगर वह किसी बात पर क़सम खा लें तो अल्लाह जल्ल शानुहू उसको पूरा करें।

एक हदीस में उनके मुताल्लिक़ आया है कि जो उनसे मिले, उनसे अपने लिये मग़्फ़िरत की दुआ कराये।

एक हदीस में हज़रत उमर रज़ि० और हज़रत अली रज़ि० को हुज़ूर सल्ल० ने इर्शाद फ़रमाया कि उनसे अपने लिये इस्तिग़्फ़ार करायें। बड़े फ़ज़ाइल उनके अहादीस में वारिद हैं। जंगे सिफ़्फ़ीन में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की हिमायत में शहीद हुए। *(इसाबा)*

जब हज किया और मदीना तैयबा की हाज़िरी पर मस्जिदे नबवी में दाख़िल हुए, तो किसी ने इशारे से बताया कि यह क़ब्रे अत्हर हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की है, तो बेहोश होकर गिर पड़े। जब ग़शी से इफ़ाक़ा हुआ तो फ़रमाने लगे कि मुझे ले चलो, मुझे उस शहर में चैन नहीं जिसमें

हुज़ूर सल्ल॰ मद्फ़ून हों। (इत्तिहाफ़)

2. एक बद्दू क़ब्रे अत्हर पर हाज़िर हुए और खड़े होकर अर्ज़ किया या अल्लाह, तूने ग़ुलामों के आज़ाद करने का हुक्म दिया है, यह तेरे महबूब हैं और मैं तेरा ग़ुलाम हूँ। अपने महबूब की क़ब्र पर मुझ ग़ुलाम को आग से आज़ादी अता फ़रमा। ग़ैब से एक आवाज़ आयी कि तुमने अपने तंहा के लिये आज़ादी मांगी तमाम आदमियों के लिये आज़ादी क्यों न मांगी, हमने तुम्हें आग से आज़ादी अता की। (मुवाहिब)

3. अस्मई रह॰ कहते हैं कि एक बद्दु क़ब्र शरीफ़ के सामने आ कर खड़े हुए और अर्ज़ किया, या अल्लाह यह आपके महबूब हैं और मैं आपका ग़ुलाम और शैतान आपका दुश्मन। अगर आप मेरी मग़्फ़िरत फ़रमा दें तो आपके महबूब का दिल खुश हो, आप का ग़ुलाम कामियाब हो जाये और आपके दुश्मन का दिल तिलमिलाने लगे, और अगर आप मग़्फ़िरत न फ़रमायें तो आपके महबूब को रंज व ग़म हो और आप का दुश्मन खुश हो और आप का ग़ुलाम हलाक हो जाये। या अल्लाह, अरब के करीम लोगों का दस्तूर यह है कि जब उनमें कोई बड़ा सरदार मर जाये तो उसकी क़ब्र पर ग़ुलामों को आज़ाद किया करते हैं और यह पाक हस्ती सारे जहानों की सरदार है, तू इसकी क़ब्र पर मुझे आग से आज़ादी अता फ़रमा।

अस्मई रह॰ कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि ऐ अरबी शख़्स, अल्लाह जल्ल शानुहू ने तेरे इस बेहतरीन सवाल पर (इंशा अल्लाह) तेरी ज़रूर बख़्शिश कर दी। (मुवाहिब)

4. हज़रत हसन बसरी रह॰ फ़रमाते हैं कि हज़रत हातिम असम्म बलख़ी रह॰ जो मशहूर सूफ़िया में हैं, कहते हैं कि तीस बरस तक एक क़ुब्बा में उन्होंने चिल्ला किया था कि बे ज़रूरत किसी से बात नहीं की। जब हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र पर हाज़िर हुए तो इतना ही अर्ज़ किया ऐ अल्लाह, हम लोग तेरे नबी की क़ब्रे अत्हर की ज़ियारत को हाज़िर हुए तू हमें ना मुराद वापस न कीजियो। ग़ैब से एक आवाज़ आयी कि हमने तुम्हें अपने महबूब की क़ब्र की जियारत नसीब ही इसलिये की कि उसको क़ुबूल करें। जाओ हमने तुम्हारे और तुम्हारे साथ जितने हाज़िरीन हैं, सब की मग़्फ़िरत कर दी।

(ज़ुर्क़ानी अलल मुवाहिब)

बाज़ औक़ात अलफ़ाज़ चाहे कितने ही मुख़्तसर हों, जब इख़्लास से निकलते हैं तो वे सीधे पहुँचते हैं।

5. शैख़ इब्राहीम बिन शैबान रह॰ फ़रमाते हैं कि मैं हज से फ़राग़त पर मदीना मुनव्वरा हाज़िर हुआ और क़ब्रे अतहर पर हाज़िर होकर मैंने हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में सलाम अर्ज़ किया तो हुजरे शरीफ़ के अंदर से मैंने "व अलै कस्सलाम" जवाब में सुना। *(क़ौलुन बदीअ)*

6. अल्लामा क़स्तलानी रह॰ जो मशहूर मुहद्दिस हैं, मुवाहिब लदुन्निय: में लिखते हैं कि मैं एक मर्तबा इस क़दर सख़्त बीमार हुआ कि तबीब इलाज से आजिज़ हो गये और कई साल तक मुसलसल बीमार चला। मैंने एक मर्तबा 28 जमादिल ऊला 893 हि॰ को जब कि मैं मक्का मुकर्रमा में हाज़िर था, हुज़ूर सल्ल॰ के वसीले से दुआ की। इसके बाद मैं सो रहा था कि मैंने ख़्वाब में देखा कि एक आदमी हैं जिनके हाथ में एक काग़ज़ है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि यह दवा अहमद बिन क़स्तलानी के लिये हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ़ से हुज़ूर सल्ल॰ के इर्शाद से अता हुई है। मैं ख़्वाब से जागा तो मर्ज़ का असर तक भी न था। वह फ़रमाते हैं कि सन् 885 हि॰ में मुझे एक वाक़िआ और पेश आया कि मैं क़ब्र शरीफ़ की ज़ियारत से वापस हो रहा था कि रास्ते में एक हबशी हिरन ने मेरी ख़ादिमा के टक्कर मारी, जिससे वह गिर गयी और कई दिन तक सख़्त तक्लीफ़ रही। मैंने हुज़ूर सल्ल॰ के वसीले से उसके लिये दुआ-ए-सेहत की तो ख़्वाब में देखा कि एक शख़्स हैं, जिनके साथ एक जिन्न है, जिसने हिरन की सूरत में ख़ादिमा को टकराया था। वह साहब कहने लगे कि इस को हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तेरे पास भेजा है। मैंने उस जिन्न को मलामत की और इसको क़सम दी कि फिर कहीं ऐसी हरकत न करना। इसके बाद जो मेरी आंख खुली तो उस ख़ादिमा पर कुछ भी असर तक्लीफ़ का न था। *(मुवाहिब)*

7. हज़रत इब्राहीम ख़वास रह॰ फ़रमाते हैं कि मैं एक सफ़र में प्यास से इस क़दर बेचैन हुआ कि चलते चलते प्यास की शिद्दत से बेहोश होकर गिर गया। किसी ने मेरे मुंह पर पानी डाला। मैंने जो आंखें खोलीं तो एक शख़्स हसीन चेहरा, निहायत ख़ूबसूरत घोड़े पर सवार खड़ा है। उसने मुझे पानी पिलाया, और कहा कि मेरे साथ घोड़े पर सवार हो जाओ। थोड़ी देर चले थे, वह कहने लगे, यह क्या

आबादी है? मैंने कहा, यह तो मदीना मुनव्वरा आ गया। कहने लगे, उतर जाओ। और जब रौज़ा-ए-अक़्दस पर हाज़िर हो तो यह अर्ज़ कर देना कि आपके भाई ख़ज़िर ने भी सलाम अर्ज़ किया है। *(रौज़ पेज 90)*

8. शैख़ अबुल ख़ैर अक़्तअ् रह० फ़रमाते हैं कि मैं एक मर्तबा मदीना तैयबा हाज़िर हुआ और पांच दिन ऐसे गुज़र गये कि खाने को कुछ भी न मिला कोई चीज़ चखने की भी नौबत न आयी। मैं क़ब्रे अत्हर पर हाज़िर हुआ। और हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और हज़राते शैख़ैन पर सलाम अर्ज़ करके मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मैं आज रात को हुज़ूर का मेहमान बनूँगा। यह अर्ज़ करके वहां से हट कर मिंबर शरीफ़ के पीछे जाकर सो गया। मैंने ख़्वाब में देखा कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तशरीफ़ फ़रमा हैं, दायीं जानिब हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ हैं और बायीं जानिब हज़रत उमर फ़ारूक़ हैं और हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू सामने हैं। हज़रत अली रज़ि० ने मुझको बुलाया और फ़रमाया कि देख हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तशरीफ़ लाये हैं, मैं उठा तो आपने मुझे एक रोटी मरहमत फ़रमायी। मैंने आधी खायी और जब मेरी आंख खुली तो आधी मेरे हाथ में थी। *(रौज़, वफ़ा)*

इसी क़िस्म का एक क़िस्सा शैख़ इब्ने जिला रह० का नं० 22 पर आ रहा है।

9. अब्दाल में से एक शख़्स ने हज़रत ख़ज़िर अलैहि० से दर्याफ़्त किया कि तुमने अपने से ज़्यादा मर्तबे वाला भी कोई वली देखा? फ़रमाने लगे हां देखा है, मैं एक मर्तबा मदीना तैयबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मस्जिद में हाज़िर था। मैंने इमाम अब्दुर्रज़्ज़ाक़ मुहद्दिस रह० को देखा कि वह अहादीस सुना रहे है। और मज्मा उनके पास अहादीस सुन रहा है। और मस्जिद के एक कोने में एक जवान घुटनों पर सर रखे अलाहिदा बैठा है। मैंने उस जवान से कहा, तुम देखते नहीं कि मज्मा हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीसें सुन रहा है तुम उनके साथ शरीक नहीं होते? उस जवान ने न तो सर उठाया और न मेरी तरफ़ इल्तिफ़ात किया और कहने लगा कि इस जगह वे लोग हैं जो रज़्ज़ाक़ के अब्द से हदीसें सुनते हैं और यहां वे हैं जो खुद रज़्ज़ाक़ से सुनते हैं न कि उसके अब्द (बन्दे) से। हज़रत ख़ज़िर अलैहि० ने फ़रमाया कि अगर तुम्हारा कहना हक़ है तो बताओ कि मैं कौन हूँ। उसने अपना सर उठाया और कहने लगा कि अगर फ़िरासत सही है तो आप ख़ज़िर हैं। हज़रत ख़ज़िर फ़रमाते हैं कि इससे

मैंने जाना कि अल्लाह जल्ल शानुहू के बाज़ वली ऐसे भी हैं। जिनके उलुव्वे मर्तबा की वजह से मैं उनको नहीं पहचानता। हक़ तआला शानुहू उनसे राज़ी हो और हमको भी उनसे नफ़ा पहुँचाये। आमीन। *(रौज़)*

10. एक बुज़ुर्ग फ़रमाते हैं कि हम मदीना मुनव्वरा में हाज़िर थे और उन करामात का तज़्किरा कर रहे थे जो अल्लाह जल्ल शानुहू ने अपने से ताल्लुक़ रखने वालों को अता फ़रमायी हैं। एक नाबीना हमारे क़रीब बैठे हुए हमारी बातें सुन रहा था। वह आगे बढ़ा और कहने लगा कि मुझे तुम्हारी बातों से उंस (लागव) हुआ एक बात सुनो। मैं अयालदार आदमी था, बक़ीअ् में लकड़ियां काटने जाया करता था। मैंने एक मर्तबा वहां एक नौ जवान को देखा कि उस पर कत्तान का कुर्ता है। हाथ में जूते ले रखे हैं। मैंने ख़्याल किया कि कोई पागल है। मैंने उसके कपड़े छीनने का इरादा किया और उससे कहा कि अपने कपड़े उतार दे, उसने कहा जा अल्लाह की हिफ़ाज़त में चला जा। मैंने दोबारा सेहबारा इसी तरह तक़ाज़ा किया। उसने कहा कि मेरे कपड़े ज़रूर ही लेगा। मैंने कहा कि इसके बग़ैर चारा नहीं, उसने दो उंगलियों से मेरी आंखों की तरफ़ इशारा किया। वे दोनों निकल कर बाहर गिर पड़ीं। मैंने कहा, तुझे खुदा की क़सम! तू यह बता दे कि तू कौन है? वह कहने लगा कि मैं इब्राहीम ख़्वास हूँ।

साहिबे रौज़ कहते हैं कि हज़रत ख़्वास रह॰ ने अपने लुटेरे पर अंधे होने की बद् दुआ की और हज़रत इब्राहीम बिन अधम रह॰ ने उस सिपाही के लिये, जिसने उनको पीटा था जन्नत की दुआ की। इसकी वजह यह है कि हज़रत ख़्वास रह॰ ने चोर की हालत से यह अंदाज़ा फ़रमा लिया था कि वह बग़ैर सज़ा के तौबा नहीं करेगा और हज़रत इब्राहीम रह॰ को यह अंदाज़ा हुआ कि सज़ा से वह तौबा न करेगा, इस लिये उस पर दुआ का एहसान किया, जिसकी बरकत से उसको तौबा नसीब हुई और जब वह माफ़ी चाहने के लिये माज़िरत के तौर पर हाज़िर हुआ तो हज़रत इब्राहीम ने फ़रमाया कि जो सर माज़िरत का मुहताज था, वह मैं बलख़ में छोड़ आया। *(रौज़)*

11. एक बुज़ुर्ग फ़रमाते हैं कि मैं मक्का मुकर्रमा में था। मेरे पास एक यमन के रहने वाले बुज़ुर्ग आये और फ़रमाया कि मैं तुम्हारे लिये एक हदिया लाया हूँ। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे साहब से जो उनके साथ थे कहा कि अपना क़िस्सा इनको सुनाओ। उन्होंने अपना यह क़िस्सा सुनाया कि जब मैं हज के इरादे से सन्आ से चला तो बड़ा मज्मा मुझे बाहर तक रूख़्सत करने के वास्ते आया और

रूख़सत करते वक़्त एक शख़्स ने उनमें से मुझसे कह दिया जब तुम मदीना तैयबा हाज़िर हो तो हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और हज़राते शैख़ैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की ख़िदमात में मेरा भी सलाम अर्ज़ कर देना। मैं मदीना तैयबा हाज़िर हुआ और उस आदमी का सलाम अर्ज़ करना भूल गया। जब मदीना तैयबा से रूख़सत होकर पहली मंज़िल ज़ुल हुलैफ़ा पर पहुँचा और एहराम बांधने लगा तो मुझे उस शख़्स का सलाम याद आया। मैंने अपने साथियों से कहा कि मेरे ऊँट का भी ख़्याल रखना मुझे मदीना तैयबा वापस जाना पड़ गया। एक चीज़ भूल आया। साथियों ने कहा कि अब क़ाफ़िले की रवानगी का वक़्त है, तुम फिर मक्के तक भी क़ाफ़िले को न पा सकोगे, मैंने कहा, तो मेरी सवारी को भी अपने साथ लेते जाना। यह कह कर मदीना तैयबा लौट आया और रौज़ा-ए-अक़्दस पर हाज़िर होकर उस शख़्स का सलाम मैंने हुज़ूर सल्ल॰ की ख़िदमत में और हज़राते शैख़ैन की ख़िदमत में पहुँचाया, उस वक़्त रात हो चुकी थी। मैं मस्जिद से बाहर निकला तो एक आदमी ज़ुल हुलैफ़ा की तरफ़ से आता हुआ मिला मैंने उससे क़ाफ़िले का हाल पूछा तो उसने कहा कि वह रवाना हो चुका। मैं मस्जिद में लौट आया और यह ख़्याल हुआ कि दूसरा क़ाफ़िला किसी वक़्त जाता हुआ मिलेगा तो उसके साथ रवाना हो जाऊँगा। मैं रात को सो गया। अख़ीर शब में मैंने हुज़ूर सल्ल॰ और हज़राते शैख़ैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की ज़ियारत की। हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ ने हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, यह शख़्स है। हुज़ूर सल्ल॰ मेरी तरफ़ मुतवज्जह हुए और फ़रमाया अबुल वफ़ा, मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! मेरी कुन्नियत तो अबुल अब्बास है। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि तुम अबुल वफ़ा हो (यानी वफ़ादार) इसके बाद हुज़ूर सल्ल॰ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मस्जिदे हराम (यानी मक्का मुकर्रमा की मस्जिद) में रख दिया। मैं मक्का मुकर्रमा में आठ दिन तक मुक़ीम रहा। इसके बाद मेरे साथियों का क़ाफ़िला मक्का मुकर्रमा पहुँचा। *(रौज़)*

12. अबू इमरान वासती रह॰ फ़रमाते हैं कि मैं मक्का मुकर्रमा से हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्रे अत्हर की ज़ियारत के इरादे से चला, जब मैं हरम से बाहर निकला, मुझे इतनी शदीद प्यास लगी कि मैं अपनी ज़िन्दगी से मायूस हो गया। मैं अपनी जान से ना उम्मीद होकर एक कीकर (बबूल) के दरख़्त के नीचे बैठ गया। दफ़्अतन एक शहसवार सब्ज़ घोड़े पर सवार मेरे पास पहुँचे। उस घोड़े का लगाम भी सब्ज़ था, ज़ीन भी सब्ज़ थी, और

सवार का लिबास भी सब्ज़ था, उनके हाथ में सब्ज़ गिलास था, जिसमें सब्ज़ ही रंग का शर्बत था। वह उन्होंने मुझे पीने के लिये दिया, मैंने तीन मर्तबा पिया, मगर उस गिलास में से कुछ कम न हुआ। फिर उन्होंने मुझ से दर्याफ़्त किया कि तुम कहां जा रहे हो? मैंने कहा कि मदीना तैयबा हाज़िरी का इरादा है ताकि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में सलाम करूँ। और हुज़ूर सल्ल॰ के दोनों साथियों को सलाम करूँ। उन्होंने फ़रमाया कि जब तुम मदीना पहुँच जाओ और हुज़ूर सल्ल॰ और हज़रात शैख़ैन रज़ि॰ की ख़िदमत में सलाम कर चुको तो यह अर्ज़ कर देना कि रिज़्वान आप तीनों हज़रात की ख़िदमत में सलाम अर्ज़ करते थे। *(रौज़)*

रिज़्वान उस फ़रिश्ते का नाम है, जो जन्नत के नाज़िम हैं।

13. सय्यद अहमद रिफ़ाई रह॰ मशहूर बुज़ुर्ग अकाबिरे सूफ़िया में हैं, उनका क़िस्सा मशहूर है कि जब 555 हि॰ में हज से फ़ारिग़ होकर ज़ियारत के लिये हाज़िर हुए और क़ब्रे अत्हर के मुक़ाबिल खड़े हुए तो ये दो शेअ्र पढ़े:-

في حالة البعد روحی کنت ارسلها   تقبل الارض عنی وهی نائبتی

وهذه دولة الاشباح قدحضرت   فامدد یمینککیتحظی بها شفتی

तर्जुमा:- दूरी की हालत में मैं अपनी रूह को ख़िदमते अक़्दस में भेजा करता था। वह मेरी नायब बनकर आस्ताना-ए-मुबारक चूमती थी। अब जिस्मों की हाज़िरी की बारी आई है। अपना दस्ते मुबारक अता कीजिये ताकि मेरे होंठ उसको चूमें।

इस पर क़ब्र शरीफ़ से दस्ते मुबारक बाहर निकला और उन्होंने उसको चूमा। *(अल्हावी लिस्सुयूती)*

कहा जाता है कि उस वक़्त तक़रीबन नव्वे (90) हज़ार का मज्मा मस्जिदे नबवी में था, जिन्होंने इस वाक़िए को देखा और हुज़ूर सल्ल॰ के दस्ते मुबारक की ज़ियारत की, जिनमें हज़रत महबूबे सुब्हानी क़ुत्बे रब्बानी शैख़ अब्दुल् क़ादिर जीलानी नव्वरल्लाहु मर्क़दहू का नामे नामी भी ज़िक्र किया जाता है। *(अल बुनियानुल मुशय्यिद)*

13. सय्यद नूरुद्दीन ऐजी शरीफ़ अफ़ीफ़ुद्दीन रह॰ के वालिद माजिद के मुताल्लिक़ लिखा है कि जब वह रौज़ा-ए-मुक़द्दसा पर हाज़िर हुए और अर्ज़

किया:-

"अस्सलामु अलै-क अय्यु हन्नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व ब-र कातुहू"

तो सारे मज्मे ने जो वहां हाज़िर था, सुना कि क़ब्र शरीफ़ से ""व अलै-कस्सलामु या व-ल-दी" का जवाब मिला। *(अलहावी)*

15. शैख़ अबू नस्र अब्दुल वाहिद बिन अब्दुल मलिक बिन मुहम्मद बिन अबी सअ्द अस्सूफ़ी अल कर्ख़ी रह० फ़रमाते हैं कि मैं हज से फ़रागत के बाद ज़ियारत के लिये हाज़िर हुआ। हुजरा-ए-शरीफ़ा के पास बैठा हुआ था कि शैख़ अबू बक्र दियार बिकरी रह० तशरीफ़ लाये और मुवाजह शरीफ़ा के सामने खड़े होकर अर्ज़ किया, अस्सलामु अलै-क या रसूलल्लाह" तो मैंने हुजरा-ए-शरीफ़ा के अंदर से यह आवाज़ सुनी "व अलैकस्सलामु या अबा बक्र" और इसको सब लोगों ने जो हाज़िर थे सुना। *(अलहावी)*

16. युसूफ़ बिन अली रह० कहते हैं कि एक हाशिमी औरत मदीना तैयबा में रहती थी और बाज़ ख़ुद्दाम उस को सताया करते थे। वह हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमते अक़्दस में फ़रियाद लेकर हाज़िर हुई तो रौज़ा-ए-शरीफ़ से यह आवाज़ आयी कि -

امالک فی اسوۃ فاصبری کماصبرت او نحوھذا

"क्या तेरे लिये मेरी इत्तिबाअ् में रग्बत नहीं, जिस तरह मैंने सब्र किया, तू भी सब्र कर।

वह औरत कहती है कि इस आवाज़ के बाद, जिस क़दर कोफ़्त मुझे थी, वह सब जाती रही और वे तीनों ख़ादिम जो मुझे सताया करते थे मर गये। *(अल हावी)*

17. हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू से मंक़ूल है कि जब हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दफ़्न से फ़ारिग़ हुए तो एक बद्दू हाज़िर हुए और क़ब्रे अत्हर पर पहुँच कर गिर गये और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, आपने जो कुछ इर्शाद फ़रमाया, वह हमने सुना, और जो अल्लाह जल्ल शानुहू की तरफ़ से आपको पहुँचा था और आपने उसको महफ़ूज़ फ़रमाया था उसको हमने महफ़ूज़ किया, इस चीज़ में जो आप पर अल्लाह जल्ल शानुहू ने नाज़िल की (यानी क़ुरआन पाक) यह वारिद है -

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا
اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ۝ (نساء ع ٩)

"अगर ये लोग जब उन्होंने अपने नफ़्स पर ज़ुल्म कर लिया था, आपके पार आ जाते और आ कर अल्लाह जल्ल शानुहू से माँफ़ी मांग लेते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी उनके लिये माफ़ी मांगते तो ज़रूर हक़ तआला शानुहू को तौबा क़ुबूल करने वाला, रहम करने वाला पाते।"

इसके बाद उस बद्दू ने कहा कि बेशक मैंने अपने नफ़्स पर ज़ुल्म किया है और अब मैं आपके पास मग़्फ़िरत का तालिब बन कर हाजिर हुआ हूँ इस पर क़ब्रे अत्हर से आवाज़ आयी कि बेशक तुम्हारी मग़्फ़िरत हो गयी। *(हावी)*

18. हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि जब दुश्मनों ने हज़रत उस्मान को महसूर कर रखा था, मैं उनकी ख़िदमत में सलाम के लिये हाज़िर हुआ तो फ़रमाने लगे कि भाई, बहुत अच्छा क्या आये। मैंने इस खिड़की में से हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़ियारत की। हुज़ूर सल्ल॰ ने इर्शाद फ़रमाया, उस्मान तुम्हें इन लोगों ने महसूर कर रखा है। मैंने अर्ज़ किया जी, कर रखा है। फिर हुज़ूर सल्ल॰ ने इर्शाद फ़रमाया कि तुम्हें प्यासा कर रखा है? (कि उन लोगों ने पानी अंदर जाना बंद कर दिया था) मैंने अर्ज़ किया जी हां, इस पर हुज़ूर सल्ल॰ ने एक डोल पानी का लटकाया, जिसमें से मैंने पानी पिया। इस पानी की ठंडक अब तक मेरे दोनों शानों और दोनों छातियों के दर्मियान महसूस हो रही है। इसके बाद हुज़ूर सल्ल॰ ने इर्शाद फ़रमाया कि अगर तुम चाहो तो इनके मुक़ाबले में तुम्हारी मदद.की जाये और तुम्हारा दिल चाहे तो यहां हमारे पास ही आकर इफ़्तार कर लेना। मैंने अर्ज़ कर दिया कि हुज़ूर सल्ल॰ की ख़िदमत में हाज़िरी ही चाहता हूँ। उसी दिन शहीद कर दिये गये। रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्ज़ाहु॰ *(हावी)*

19. मक्का मुकर्रमा में एक बुज़ुर्ग, जिनको इब्ने साबित रह॰ कहा जाता था रहते थे। साठ साल तक हर साल हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़ियारत के लिये भी हाज़िर हुआ करते थे और ज़ियारत करके वापस आ जाते।एक साल किसी आरिज़ की वजह से हाज़िर न हो सके। कुछ ग़ुनूदगी की हालत में अपने हुजरे में बैठे थे कि हुज़ूर सल्ल॰ की ज़ियारत की, हुज़ूर सल्ल॰